खण्ड-366, अंक-2
शुक्रवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1906
(23 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 366 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

1984–85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 40––राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 41–राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 42––राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 67––सहायता और पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत) .. 113–153

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 154

हाजी बदलू पुत्र श्री शब्बीर हसन निवासी डींगरपुर (मुरादाबाद) की पुलिस द्वारा हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 154–155

संसद द्वारा सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (अधिनियम संख्या 34, सन् 1953) में अधिनियम संख्या 31 सन् 1982 द्वारा किए गए संशोधनों को इस राज्य में लागू किए जाने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत) .. 155–157

उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1984 के पुरः स्थापन के समय मन्त्रि परिषद् के सदस्यों में मतभेद के सम्बन्ध में उठाए गए औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 157–158

सेन्ट्रल हाल के उद्घाटन के सम्बन्ध में सूचना .. 158

तत्थियां 159–164

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 23 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 2 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता मे आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–327

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोण्डा
अजहर इमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री — बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री — बरेली
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
उन्दल, श्री — वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री — नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम रत्नाकर, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त (उर्फ बालराज), श्री — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुर्शैद अहमद, श्री — बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री — आगरा

गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0	बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री	बांदा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटा शंकर सिंह, श्री	बहराइच
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री	जालौन
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेजबहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दलसिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीनानाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल सिंह, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री	देवरिया
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्मल खत्री, श्री	फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभुनारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ

फखरे आलम, श्री बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री गोरखपुर
वंशीधर, श्री रामपुर
बंशीधर राज, श्री खीरी
बदन सिंह, श्री आगरा
बनवारी राम, श्री वाराणसी
बलबीर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री पीलीभीत
बाबू लाल, श्री गोंडा
बाबू लाल, श्री हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री अलीगढ़
बिहारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह "खुर्जेवाला", श्री बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री कानपुर
भागीरथ, श्री झांसी
भीखा लाल, श्री उन्नाव
भूधर नारायण मिश्रा, श्री कानपुर
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री गोरखपुर
मंगलदेव, श्री गोंडा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शब्बरोज) गोंडा
महाबीर सिंह, श्री सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती इटावा
महेश उपाध्याय, श्री आगरा
महेश चन्द्र, श्री मेरठ
महेश प्रसाद श्री देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री वाराणसी
माधव प्रसाद, श्री फैजाबाद

मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मान बहादुर, श्री गोंडा
मित्र सेन, श्री फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री बदायूं
मुईद अहमद, श्री सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मेंहदी असगर, श्री मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री कानपुर
मोहन लाल, श्री हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री बाराबंकी
यशपाल सिंह, बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री वाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री झांसी
रतीराम, श्री बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री रायबरेली
रवीन्द्र, श्री आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री बहराइच
राज कुमार राय, श्री आजमगढ़
राजमंगल पांडेय, श्री देवरिया
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री बस्ती

राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट)	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
रामसिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर

रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)	इलाहाबाद
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विनोद कुमार तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वृद्धि नारायन सिंह, श्री	वाराणसी
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डा0	पौड़ी गढ़वाल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू, श्री	गोरखपुर
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
श्याम नारायण तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद

सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री	प्रतापगढ़
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकंदर अली खां नवाब, श्री	शाहजहांपुर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता, श्रीमती	कानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हीरवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 23 मार्च, 1984 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराये में वृद्धि

*1—श्रीमती गौरी देवी तथा श्री मोहन सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि परिवहन विभाग द्वारा बसों के बढ़ाये गये किराए भाड़े को समाप्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

शासकीय अधिसूचना दिनांक 20-9-83 द्वारा प्रदेश में यात्री गाड़ियों के किराये की अधिकतम दरों में 25% की वृद्धि की गयी थी । इस वृद्धि को कम करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब आप सदन के बाहर यह घोषणा कर चुके हैं कि किराया घटा दिया जायेगा, तब तत्काल इस सदन में घोषणा न करने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, इसमें कुछ प्रक्रिया है और उसको अपनाने में वक्त लगता है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री गुलाब सेहरा—

यथाशीघ्र ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस प्रश्न में एक राजाज्ञा का भी उल्लेख है । जिसके तहत 25 फीसदी किराया बढ़ाया गया था । श्रीमन् मुझे स्मरण है कि पिछली बार 6 तारीख को मैंने इस विधान सभा में एक सवाल किया था कि क्या शासन को निगम का कोई प्रस्ताव मिला है ? इस पर मंत्री जी ने कहा था कि हां, सुझाव मिला है और उसके तहत कुछ आपत्तियां और सुझाव प्राप्त किये गये हैं । उसके बाद हमने अखबारों में देखा कि बसों का किराया बढ़ा दिया गया । मैंने कहा कि जो किराया बढ़ाया गया और उसमें जो आपत्तियां और सुझाव आपको प्राप्त हुए उसमें कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि किराया बढ़ा दिया जाय ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने तो प्रक्रिया का बहाना लिया जहां तक मेरी जानकारी है उसको ध्यान में रखते हुए या तो निगम अपने सुझाव शासन के पास भेजे या शासन उसे निर्देशित कर दे । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव निगम ने शासन के पास भेजा था जो कि शासन के विचाराधीन है अथवा शासन ने अपना कोई निर्देश निगम को भेज दिया है या भेज रहा है कि 25 प्रतिशत किराया बढ़ा दिया जाय ? क्या प्रक्रिया है, यह बता दें ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैंने बता दिया है कि जो भी किराया बढ़ाया जाता है वह शासन ही बढ़ाता है, निगम नहीं बढ़ाता । निगम का प्रस्ताव आता है और शासन उस पर विचार करने के उपरान्त ही बढ़ाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी वही प्रक्रिया बता रहे हैं जो मैंने बताई । आखिर हम

भी तो मंत्री जी से ही प्रक्रिया सीखते हैं। मैंने पूछा कि जो प्रक्रिया है कि निगम शासन को प्रस्ताव भेजता है कि किराया बढ़ा दिया जाय उसमें शासन अपनी सहमति प्रकट करता है, लेकिन किसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि शासन को यह अधिकार है कि वह निगम को निर्देशित कर दे। इसमें कौन सी प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है? क्या निगम का प्रस्ताव शासन को मिला है और उस पर शासन क्या प्रक्रिया अपना रहा है?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, इसको जो कम करने की बात थी, जब पत्रकार ने मुझ से पूछा तब मैंने विशेष रूप से यह आंकड़े दिये थे। लोड-फैक्टर और सवारियों का परसेंटेज इस बढ़ाने के पहले कितना था, किस परसेंटेज से घटा, आय कितनी बढ़ी या कितनी घटी पिछले वर्षों का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और उसके पश्चात् ही जब एस0 आर0 टी0 सी0 से प्रस्ताव आयेगा उस पर शासन विचार करके निर्णय कर लेगा।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इतने दिनों से वह निगम की संपूर्ण प्रक्रिया को शासन स्तर पर समझ चुके हैं। जब वह जानते हैं कि किराया बढ़ाने से निगम की आमदनी घट गयी है, निगम की गड़ियों पर चलने की अपेक्षा यात्री प्राइवेट गाड़ियों पर जाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो क्या इस व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी निगम के हित में और शासन की गुडविल के लिए तत्काल किराये में कमी करने की घोषणा करेंगे?

श्री गुलाब सेहरा–

मान्यवर, मेरे मित्र वाजपेयी जी विद्-वान बहुत हैं लेकिन प्रश्न यह है कि जो भी नीतिसंगत निर्णय लेना है उसके लिए कैबिनेट सब-कमेटी में मामला जाता है। पूरे आंकड़े प्रस्तुत करके किसी पक्ष को अपनी बात कहने की प्रक्रिया है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, यह शासन की नीति और मंशा है। इसी मंशा से कि आय में बृद्धि घटी है, लोड फैक्टर कम हुआ है। इसी वजह से यह मामला विचारा-धीन है। इस पर शीघ्र निर्णय हो जायेगा।

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने अपनी अर्द्ध घोषणा की, किराया कम करने की, जिसको जोड़ा था। निगम की आमदनी जब से घटी थी, उस समय से लेकर अब तक सारी फीगर्स सारी संस्तुतियां इकट्ठी की गयी होंगी, तो आज की तारीख में क्या आप इस मत के हैं कि चूंकि किराया बढ़ने से आमदनी घट गयी तो उसे कम किया जाय?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमको दो तथ्यों की विवेचना करना बहुत आवश्यक है। पहला किराया बढ़ने से हमारी सवारियों की संख्या घटी या बढ़ी और दूसरा हमारी आमदनी इससे घटी या बढ़ी। ब्यौरा मेरे पास है। अगर आप चाहें तो मैं बताने की स्थिति में हूं।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मंत्री जी वही जवाब रिपीट कर रहे हैं। स्पष्ट बतायें कि उस वक्त से लेकर अब तक क्या स्थिति है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो आपको आज्ञा नहीं दी, पहले उनको कहने दें।

श्री गुलाब सेहरा–

निष्कर्ष यह है कि इससे आय का प्रतिशत और लोड फैक्टर दोनों घटे हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 25 प्रतिशत किराये में वृद्धि की गयी थी उसके परिणाम-स्वरूप निगम की आय में वृद्धि कितनी हुई और अब जब किराया कम करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, मैंने कहा था कि किराया बढ़ने के बाद आय और लोड फैक्टर में कमी आई है और उस कमी को देखते हुए शासन इस बात पर विचार कर रहा है कि इसको कम किया जाय ?

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि रोडवेज की बसों में सवारियों की संख्या पहले से कम हुई, तो क्या इसका कारण यह है कि रोडवेज का किराया बढ़ गया और प्राइवेट बस वालों ने किराया नहीं बढ़ाया और वह उन्हीं रूट्स पर चलते हैं, जिनपर रोडवेज की बसें चलती हैं ? इसलिये क्या किराये में कमी करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री गुलाब सेहरा–

इसी परिपेक्ष्य में यह सब निर्णय लिये जा रहे हैं ।

श्री राम कुमार भार्गव–

मान्यवर, पिछली बार जब किराया बढ़ाया गया था तो तत्कालीन परिवहन मंत्री ने कहा था कि नई बसें लेंगे जिससे कुछ फायदा होगा, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 1983-84 में कितनी बसें खरीदी गयीं और 1984-85 में कितनी बसें क्रय करना प्रस्तावित है ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन्, 451 बसों की चेसिस क्रय की गयीं, 210 के आर्डर दिये गये और 325 की बाडी बनकर रोड पर आ गयी हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब आपने इस संदंध में मंत्री परिषद् की सलाह लेने की बात सोची है तो कबतक किराया घटाने की घोषणा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर दे दिया है कि शीघ्र करेंगे ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान नियमों के अधीन यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 अपने में एक समर्थ संस्था है। जो किराया घटाने और बढ़ाने का निर्णय लेती है । मैं वहां सदस्य रह चुका हूं । इसलिये क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या अपने विचार निगम को आप भेजेंगे या निगम इनके पास भेजेगा ? क्या उपाय होगा किराया कम करने के संबंध में ?

श्री गुलाब सेहरा–

श्रीमन् माननीय सदस्य वाजपेयी जी यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के डाइरेक्टर रहे हैं । वह जानते हैं कि किराये की जब भी बढ़ोत्तरी हुई है शासन की तरफ से विज्ञप्ति और सूचना जारी होती है । इसलिये यू0पी0एस0आर0टी0 सी0 किराये की वृद्धि अपनी तरफ से नहीं करती है ।

विकास खण्ड स्तरीय समितियों में जिला परिषद् के सदस्यों का प्रतिनिधित्व

**2–श्री कुंवर सिंह नेगी श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी डाक्टर शिवानन्द नौटियाल

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की

कृपा करेंगे कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु विकास खंड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिनमें नव निर्वाचित जिला परिषद् के सदस्यों को नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो समितियों में इनके न रखे जाने के क्या कारण है ? क्या इन्हें भी इन समितियों में सम्मिलित करने की कृपा करेंगे ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

विकास खण्ड स्तरीय समितियों के अध्यक्ष ब्लाक प्रमुख बनाये गये हैं जो जिला परिषद् के पदेन सदस्य भी होते हैं । जिला परिषद् के अन्य नव निर्वाचित सदस्यों को समिति का पदेन सदस्य बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने ऐसा उत्तर दिया है कि जो अपने आप में विचित्र सा लग रहा है कि उसी ब्लाक से जो माननीय सदस्य जिला परिषद् के लिये चुने गये हैं, उनको मंत्री जी बताते हैं कि उसके लिये वह 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उनको रखने की आवश्यकता नहीं है जबकि वह उसी ब्लाक से जिला परिषद् से चुने गये हैं । क्या मंत्री जी उनका चुनाव हो जाने के बाद, जिनको आपने चुना है और वह अपने ब्लाक के प्रतिनिधि जिला परिषद् के लिए भी चुने गये हैं, इसलिये क्या पुनः मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि ब्लाक समिति में उनको रखा जाये ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने यह कहा कि ब्लाक प्रमुख भी क्षेत्रीय समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह जिला परिषद् के पदेन सदस्य भी होते हैं, इसलिये जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि ब्लाक प्रमुख भी जिला परिषद् के पदेन सदस्य होते हैं और फिर जिला परिषद् के सदस्य का चुनाव का कारण ही क्या बनता है ? जब पदेन सदस्य मान लेते हैं तो जिला परिषद् का चुनाव का औचित्य नहीं है । वह डाइरेक्ट जिला परिषद् के सदस्य बनते हैं और वह पदेन होते हैं तो इसमें जो आपने विभिन्नता पैदा की है, चूंकि पदेन होते हैं, उनको आप रख लेते हैं और जो डाइरेक्ट जिला परिषद् सदस्य चुने गये हैं वे लावारिस पड़े हुए हैं । जिनकी अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुई है, उसको न रखने का क्या कारण है?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया है । अभी तो जिला परिषदों का विधिवत गठन भी नहीं हुआ है । मैंने यह कहा है ब्लाक प्रमुख क्षेत्र समिति में ब्लाक का प्रतिनिधित्व भी कर देता है।

श्री प्रभूनारायण सिंह–

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इससे पूर्व ब्लाक स्तरीय बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समितियों की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक किया करते थे ? यदि हां, तो अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि उन्हें हटाकर क्षेत्र प्रमुख को ही उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार दे दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं, यह इससे नहीं उठता है।

श्री रियासत हुसैन–

क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे

कि जिस तरह से खण्ड स्तरीय समितियों के अध्यक्ष ब्लाक प्रमुख पदेन सदस्य जिला परिषदों के हो जाते हैं, उसी तरह से जिला परिषद् के जो सदस्य हैं, वह बीस सूत्रीय कार्यक्रम समितियों के पदेन सदस्य हो जायें ? उनको इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री प्रमोद कुमार--

यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है, इसके कार्यान्वयन के लिए जिसकी भी जरूरत होगी उसको कर लिया जाएगा, उसका सहयोग ले लिया जाएगा ।

श्री प्रभूनाराण सिंह--

ब्लाक प्रमुख के चुनाव पहले हो जायें, उसको भी शामिल कर लिया गया, पर जिसके द्वारा जिला परिषद् सदस्य का चुनाव हुआ उसको नहीं रखा गया । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, जिनके कारण जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य को आप उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति का सदस्य नहीं बनाना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार--

ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाना चाहते हैं। हमने कहा है कि जिनका भी सहयोग आवश्यक होगा उसके लेने पर विचार किया जाएगा, पर अभी जिला परिषद् का विधिवत् गठन तो हो जाने दें।

श्री भीखा लाल--

इन बीस सूत्रीय समितियों के गठन का मतलब यह था कि उस कार्यक्रम का ठीक से कार्यान्वयन हो। जिलों के इन्चार्ज जो मंत्री हैं, उनको अपनी तरफ से 5 आदमियों को नामजद करने का अधिकार है, लेकिन उसके चुने हुए सदस्य को उसमें न रखने का क्या औचित्य है? क्यों आप चुने हुए प्रतिनिधि उसमें नहीं रखना चाहते हैं?

श्री प्रमोद कुमार--

किसी मंत्री को यह पांच सदस्य करने का अधिकार नहीं है, केवल 3 सदस्य नामित करने का अधिकार है। उसमें जिला परिषद् के सदस्य भी नामित हो सकते हैं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

श्रीमन्, इस प्रश्न पर काफी विचार विमर्श हुआ। इसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि ब्लाक प्रमुख स्वयं अपने में एक व्यस्त प्राणी हैं, क्षेत्रीय विधायक भी एक व्यस्त प्राणी हैं। जिला परिषद् सदस्य जो उन्हीं ब्लाक प्रमुखों द्वारा चुने जाते हैं, उनको आपने बना दिया है, लेकिन उसको आप कहते हैं कि 3 के नामांकन में उसे रख दिया जाए, तो सामान्य स्तर का जो व्यक्ति 20 सूत्रीय समिति के लिए ज्यादा प्रभावी हो सकता है, उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाए? प्रत्यक्ष रूप में उसको क्यों नहीं रखा गया है?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कह दिया है कि इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप उसका विधिवत् गठन हो जाने दें, उस पर विचार कर लिया जायगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

महाबीर शुगर मिल, सिसवा बाजार, गोरखपुर के संचालन की मांग

*1--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शासन के

नियंत्रण में चलने वाली महाबीर शुगर मिल, सिसवा बाजार (गोरखपुर) ने अभी पेराई शुरू नहीं की है और न ही निकट भविष्य में मिल चलने की कोई सम्भावना है जिससे किसानों एवं मजदूरों में घोर असन्तोष व्याप्त है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वे क्या करने जा रहे हैं?

गन्ना विकास मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)–

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेशानुसार दिनांक 28-10-83 से जिलाधिकारी, गोरखपुर को महाबीर शुगर मिल सिसवा बाजार (गोरखपुर) का रिसीवर नियुक्त किया गया है जिनके देखरेख में मिल मालिकों के प्रबन्धाधीन है। उक्त मिल द्वारा वर्ष 83-84 की पिराई आरम्भ नहीं की गई है। सिसवा बाजार चीनी मिल क्षेत्र के सम्पूर्ण गन्ने की पेराई सत्र के आरम्भ से ही अन्य समीपवर्ती चीनी मिलों को व्यावर्तित कर उसकी पेराई की व्यवस्था कर दी गई है। अतः मिल द्वारा पिराई आरम्भ न किये जाने से किसानों में किसी प्रकार का असंतोष नहीं है।

चीनी मिल द्वारा पेराई आरम्भ न किये जाने से मजदूरों में असन्तोष स्वाभाविक है किन्तु चीनी मिल का प्रबन्ध सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत मिल मालिकों के ही पास है। जिलाधिकारी को केवल देखरेख के अधिकार दिये गये हैं। शासन द्वारा जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इस पूरे प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

सीतापुर जिले की महोली तथा हरगांव गन्ना यूनियनों द्वारा गन्ने पर की जाने वाली कटौती

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गन्ना विकास मंत्री को इसकी जानकारी है कि सीतापुर जिले के दो केन यूनियनों (1) हरगांव तथा (2) महोली द्वारा गन्ना आयुक्त की अनुमति तथा सदस्यों की वार्षिक सामान्य बैठक की सहमति के बिना 3 रुपया प्रति काश्तकार से जबरन कटौती की जा रही है जिससे कि किसानों में भीषण असन्तोष है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

सीतापुर जिले की (1) महोली तथा (2) हरगांव यूनियनों के द्वारा गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों से चालू पेराई सत्र में 25 पैसे प्रति कुन्तल की दर से सड़क निर्माण, शिक्षा एवं भवनों के लिए प्रशासकों द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर गन्ना आयुक्त के सामान्य निर्देशनों के अन्तर्गत कटौती की जा रही है।

इन कटौतियों के सम्बन्ध में किसानों ने किसी स्तर पर कोई असन्तोष व्यक्त नहीं किया है क्योंकि प्रश्नगत कटौती किसान सदस्यों के हित में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कटौती कब से प्रारम्भ हुई तथा गन्ना आयुक्त के आदेश कटौती के बारे में क्या है और वह निदेश इन यूनियनों को कब प्राप्त हुए?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

इसका प्रस्ताव 18-11-83 को पारित हरगांव के लिये, और महोली के लिए वहां की समिति ने प्रस्ताव पास किया है 9-12-83 को। गन्ना आयुक्त के आदेश 31 अक्टूबर, 1983 के हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने यह भी पूछा था कि यह कटौती कब से प्रारम्भ हुई?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जब यह प्रस्ताव पास कर दिया, तभी से कटौती हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरी मान्यवर, बिलकुल सही और निश्चित जानकारी हैं कि प्रस्ताव पास होने और आयुक्त के आदेश होने के पहले से ही कटौती प्रारम्भ कर दी गयी। मेरे पास कटौती की रसीदें हैं, जिन्हें मैं दिखा सकता हूं। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि कटौती किस तारीख से आरम्भ हुई? दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सालाना सामान्य बैठक में भी उस प्रस्ताव को पास कराया गया क्या? यदि हां, तो उसकी बैठक कब हुई? यदि नहीं, तो बिना सामान्य बैठक में पास कराये कटौती नहीं हो सकती?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सदस्यों की सामान्य बैठक तो नहीं हुई, लेकिन जन हित में चूंकि यह काम था, किसानों के हित का था, इसलिये सामान्य बैठक की स्वीकृति की प्रत्याशा में यह कटौती की जाने लगी। इसे बाद में सामान्य बैठक में पास करा लिया जाता है। इस पर किसानों में कोई असन्तोष भी नहीं है, यह तो उनके हित में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जिन दो यूनियनों से संबंधित यह प्रश्न हैं, यहां मान्यवर, हर साल कोई न कोई कटौती की जाती है और उसका कोई हिसाब आदि नहीं रखा जाता, न ही कोई लेजर रखा जाता है। गन्ना आयुक्त के आदेशों की केवल मंशा यह है कि किसानों को पीड़ित न किया जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने गन्ना आयुक्त के आदेशों के पूर्व, अथवा प्रस्ताव पारित होने के पूर्व से ही कटौती करना आरम्भ कर दिया था और जिसका हिसाब किताब भी नहीं रखा, क्या उनके खिलाफ मंत्री जी कार्यवाही करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मैंने बताया कि इसका तो प्रस्ताव पास हुआ था और गन्ना आयुक्त का सामान्य निर्देश इस विषय में था, इसलिये वे कटौती कर सकते थे।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का मामला है। एक स्पष्टीकरण का मौका दें दें।

श्री अध्यक्ष–

2 मिलों का मामला है, प्रदेश से संबंधित नहीं है।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–

एक स्पष्टीकरण की आज्ञा दें दें। किसानों का उत्पीड़न हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग कर लीजिये।

प्रदेश में स्थापित होने वाली नई गन्ना मिलों की पेराई क्षमता

*3–श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भविष्य में प्रदेश में लगने वाली नई चीनी मिलों की पेराई क्षमता प्रारम्भ से ही जैसा कि गन्ना सम्बन्धी विभिन्न आयोगों और विशेषज्ञ समितियों द्वारा समय-समय पर सुझाया गया है, 1250 मी0 टन प्रतिदिन के बजाए कम से कम 2000 मी0 टन निर्धारित करेगी क्योंकि 1250 मी0 टन प्रतिदिन की पेराई क्षमता अलाभकारी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

आयोगों और विशेषज्ञ समितियों द्वारा चीनी मिलों की न्यूनतम लाइसेन्स्ड क्षमता 2000 मी0 टन की जाने की संस्तुति की जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 1250 मी0 टन क्षमता को लाभकारी इकाई मानकर ही लाइसेन्स दिया जाता है और नई चीनी मिलों को लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन भी इसी पेराई क्षमता से सम्बद्ध है। अतः केन्द्र सरकार की वर्तमान नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा 1250 मी0 टन से अधिक प्रारम्भिक क्षमता की कोई मिल लगाना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में बकाया गन्ना मूल्य पर ब्याज दिये जाने की मांग

*1–श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री प्रदेश के गन्ना काश्तकारों के 1 जून, 1983 के पश्चात् की सारी बकाया गन्ना मूल्य की धनराशि पर उचित ब्याज दिलवाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

बकाया गन्ना मूल्य पर देय ब्याज के प्रश्न से संबंधित सभी पहलुओं का शासन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त विधिक स्थिति के अनुसार नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायगी।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के वाणिज्य अधिकारी के पद हेतु निर्धारित अर्हतायें

*2–श्री मोहन सिंह (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल में अपने अधीन वाणिज्य अधिकारियों के पद के लिए मार्च, 1983 में विज्ञापन दिया गया जिसकी लिखित परीक्षा की तिथि 1-5-83 से बढ़ाकर 14-5-83 की गयी और पुनः 14-5-83 को इन परीक्षाओं को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया? उक्त विज्ञापित पद के लिए निर्धारित योग्यता क्या थी और क्या इन निर्धारित योग्यताओं में किसी तरह का परिवर्तन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

जी हां। पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि थी जब कि विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि देने के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। जन-प्रतिनिधियों द्वारा शैक्षिक स्तर में एकरूपता लाने का सुझाव दिया गया। इस प्रस्ताव पर विचार करके निर्णय लेने के लिए उक्त परीक्षा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी। विज्ञापित पद की पूर्व में निर्धारित अर्हतायें तथा संशोधित अर्हताएं परिशिष्ट † के अनुसार हैं।

ग्राम लुचुई जिला आजमगढ़ के श्री वशिष्ठ मुनि राय के चक का रकबा

*3–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम व पोस्ट लुचुई जनपद आजमगढ़ में चकबन्दी मे हुई अनियमितताओं की जांच से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-3-83 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है?

‡(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 159 पर।)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक)–

जी हां।

शिकायती पत्र में मुख्य आरोप यह है कि चक सं0 138 द्वितीय चकांश की मौके पर पैमाइश करके हदबन्दी नहीं की गई है। शिकायती पत्र की जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, सदर आजमगढ़ द्वारा की गई। उक्त चक की स्थल पर श्री वशिष्ठ मुनि राय की उपस्थिति में दिनांक 12-1-84 को पैमाइश कराई गई है। इनका चक स्थल पर कम है। रकबे की कमी का कारण इनके चक में प्रविष्ट कुछ गाटों का रकबा कागज में मौके से अधिक दर्ज पाया गया है। जिन गाटों का रकबा बढ़ाया गया उन गाटों के संबंध में सहायक चकबन्दी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सं0 1418 धारा 11(1) चकबंदी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। जिसमें आदेश दिनांक 20-2-84 द्वारा सहायक चकबंदी अधिकारी के आदेश को रद्द करके पत्रावली चकबंदी अधिकारी को प्रत्यावर्तित कर दी गई। चकबंदी अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 6-3-84 के द्वारा आराजी निजाई । लगायत 8 का रकबा मुताबिक बन्दोबस्त दर्ज करने का आदेश दिया है। इस आदेश के फलस्वरूप संदर्भ बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 100 से ज्यादा गांवों से संबंधित यह मामला है जहां चकबंदी शुरू हुई । 10-15 साल हो गये हैं लेकिन, चकबंदी पूरी नहीं हुई है। हर गांव में किसी के नक्शे को बढ़ा दिया गया है, किसी के कागज को गायब कर दिया गया है। मान्यवर, शिकायत पूरे गांव की पैमाइश कराने के बारे में थी, तो मेरा पहला सवाल यह है कि इस गांव में चकबंदी कब शुरू हुयी तथा सामान्यत: कितने दिनों में चकबंदी का काम पूरा हो जाना चाहिए और यह काम कब पूरा हो जायेगा? दूसरी चीज यह है कि इनका चक जो ज्यादा पाया गया, तो उस गांव में पूरे गांव की पैमाइश कराकर कोई जांच करायेंगे कि कितने लोगों के चक घटा बढ़ा दिये गये हैं?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

मान्यवर, इस गांव में कब से चकबंदी प्रारम्भ हुई इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है जो माननीय सदस्य ने कहा है, रिकार्ड में श्री वशिष्ट मुनि राय का रकबा, .9,15 कड़ी है। जो उन्होंने बढ़ाया है वह 1.722 है। इस तरह से यह दो गुना हो गया है। जब बन्दोबस्त अधिकारी ने इसको देखा तो मौके पर अधिक पाया तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया और संदर्भित करने के लिए आदेश कर दिया। अब चकबंदी अधिकारी को संदर्भित करने के लिए वह मामला पड़ा हुआ है। संदर्भित करने की कार्यदाही होगी, उसके बाद अंतिम निर्णय होगा। डी0 डी0 सी0 इस मामले को सुनेंगे। उनके यहां जिन-जिन को शिकायत होगी, वह अपनी शिकायत कर सकते हैं और उसी के मुताबिक निर्णय होगा।

श्री पंचानन राय–

मैंने एक मोटा सवाल किया है कि इस गांव की चकबंदी कब शुरू हुई। इस समय क्या स्टेज है? मेरा यह कहना था कि मेरे क्षेत्र में 100 से ज्यादा गांव हैं जहां पर चकबंदी हो रही है। अभी मंत्री जी ने बताया कि .9 की जगह पर

1.7 हो गया । तो जिसका .9 एकड़ था, उसका दूना हो गया। तो तमाम कागज बदले जा रहे हैं। मंत्री जी के पास सूचना नहीं है तो इस सवाल को स्थगित करा दीजिये। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इन गांवों की चकबंदी कब तक पूरी हो जायेगी? कितने आदमियों के मैं सवाल लगाऊं। बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गयी हैं तो चकबंदी कब तक पूरी हो जायगी यह तो बता सकते हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

आपने जो प्रश्न पूछा था उसमें पूछा था कि शिकायती-पत्र मिला या नहीं और जांच हुयी की नहीं। उसमें यह नहीं था कि चकबंदी कब से प्रारम्भ हुयी है।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, यह कोई बात नहीं हुयी। सूचना होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये। उत्तर देने दीजिये।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, यह कहना कि अमुक तिथि के अंदर चकबंदी समाप्त हो जायगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। एक प्रक्रिया है उसको जब तक पूरा नहीं किया जायगा तब तक चकबंदी समाप्त कैसे होगी।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने पक्का सवाल किया है कि किसी गांव में जब चकबंदी शुरू की जायगी तो कितने दिन में पूरी हो जायगी। 100 साल, 25 साल, 20 साल, कितने दिनों में खत्म हो जायगी। 104 गांव ऐसे हैं जहां पर चकबंदी 1968 में शुरू हुयी थी और अभी तक पूरी नहीं हुयी है। किसी का नक्शा ज्यादा है, किसी की जिल्द गायब है। 500 सवाल कर रखे हैं। हर गांव के सवाल लगायें तब क्या यह ठीक करायेंगे? इसी गांव के जब वशिष्ट मुनि राय की जब पैमाइश कराई गयी तो 1.7 एकड़ की जगह .9 एकड़ पाया गया। जमीन तो बढ़ नहीं सकती है, वह कोई रबड़ नहीं है। एक आदमी का रकबा दो गुना हो गया और किसी का आधा हो गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पैमाइश से और कौन-कौन किसान प्रभावित हुए हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है, वह इस तरह से है कि उपरोक्त गाटे अन्य गाटों सहित गाटा संख्या 200 में राज बहादुर पुत्र भगवान दत्त, रमेश्वर पुत्र अछेबर, अवध नारायन पुत्र सरजू, श्रीमती चम्पा देवी पत्नी गिरजाशंकर, राज किशोरी पत्नी हरदेव के साथ वशिष्ट मुनि पुत्र अम्बिका, शिवाजी पुत्र रामआसरे की सहखातेदारी में दर्ज थे किन्तु उपरोक्त गाटों पर, श्री वशिष्ट मुनि राय के भाई शिवाजी, उन्होंने दरख्वास्त लगायी। तो ए0 सी0 ओ0 ने जो फैसला करके भेजा था उसको रद्द कर दिया गया। मान्यवर, मैं यह बता दूं, अब मेरे पास सूचना आ गयी है, तीन वर्ष के भीतर किसी भी गांव की चकबंदी पूरी हो जानी चाहिए।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक गांव की चकबंदी तीन साल में पूरी हो जायगी। इसी सदन में इनके पास एक पर्ची आई। मान्यवर, इस गांव के सहित जो 104 गांव, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं, चकबंदी प्रक्रिया के अधीन चल रहे हैं। माननीय मंत्री

जी इतना बता दें कि उनकी चकबन्दी आगे कितने दिन में पूरी करवा देंगे, इस गांव को सम्मिलित करते हुए?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने उत्तर दे दिया कि सामान्यतया तीन वर्ष में पूरी हो जायगी।

श्री बलदेव सिंह आर्य–

मान्यवर, मैं इस सारे मामले को देखूंगा और इसमें विलम्ब क्यों हुआ, इसको देखकर माननीय सदस्य को सन्तोष दिलाने का प्रयास करूंगा।

किसान संयुक्त सहकारी खेती समिति आंवलाघाट के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंह का मुरादाबाद समिति से कथित सट्टा

*4–श्री रियासत हुसैन–

क्या गन्ना विकास मंत्री को विदित है कि ओम प्रकाश सिंह का 11 हजार कुन्टल फर्जी सट्टा, ग्राम आंवलाघाट सेहल से केन सोसायटी, मुरादाबाद के अन्तर्गत चल रहा है जबकि उनके नाम कोई भूमि नहीं है और उसके आधार पर वह किसानों से 8 और 9 रुपये कुन्टल गन्ना खरीद कर रोजाना सौ कुन्टल गन्ना दिलवा रहे हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री ओम प्रकाश सिंह के नाम से ग्राम आंवलाघाट सेहल से कोई सट्टा मुरादाबाद समिति के अन्तर्गत नहीं है। श्री सिंह के नाम कोई भूमि नहीं है। वह किसान संयुक्त सहकारी खेती समिति आंवलाघाट के अध्यक्ष हैं। पेराई सत्र 83-84 में इस समिति का सट्टा 4581 कुन्टल है।

समिति द्वारा किसानों से 8 और 9 रुपये प्रति कुन्टल गन्ना खरीद कर रोजाना 100 कुन्टल गन्ना दिलवाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, यह 1981-82 के सप्लाई सीजन की कम्प्लेंट है। असेम्बली के प्रोरेगेशन की वजह से अब यह सवाल यहां आया है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि 1981-82 के सप्लाई सीजन में, जब पर्चियों की बहुत मांग थी और हाथ नहीं आती थी, तो श्री ओम प्रकाश सिंह ने सेहल के बजाय रामपुर गेट की पर्चियां ट्रक के द्वारा सप्लाई करने के लिए हासिल करना शुरू किया और चूंकि उन्होंने अपना सारा फार्म दूसरों के हाथ बेंच दिया, उनके पास कोई भी गन्ना नहीं रहा, तो उसकी पूर्ति के लिए जो उन्होंने पर्चियां ट्रक द्वारा सप्लाई करने की हासिल की थी, उसमें उन्होंने किसानों का 8 रुपये, 9 रुपये में गन्ना खरीद कर रामपुर गेट पर सप्लाई किया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

माननीय सदस्य ने इस वर्ष का पूछा था, 1981-82 का इस समय पूछ रहे हैं। 1981-82 की सूचना इस समय नहीं है।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस समिति को ये बता रहे हैं, वह समिति क्या रजिस्टर्ड है? उसको वैधानिक अधिकार प्राप्त है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह रजिस्टर्ड सोसायटी है।

सीतापुर जिले की शारदा सहायक नहर के जल भराव (सीपेज) से कृषि भूमि को हुई क्षति एवं लगान

*5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में शारदा सहायक नहर के किनारे की कृषि जोत, सीपेज के कारण कृषि योग्य नहीं रह गयी है फिर भी उससे लगान लेते रहने का क्या कारण है? क्या लगान माफ करने की कार्यवाही की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक–

जनपद सीतापुर में शारदा सहायक नहर के किनारे की कृषि जोत, नहर से उत्पन्न सीपेज के कारण कृषि योग्य नहीं रह गई है। इससे प्रभावित कृषकों से लगान की वसूली नहीं की जा रही है। प्रभावित कृषकों के रबी 1388 फसली की लगान में छूट दिये जाने हेतु छूट प्रस्ताव जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा सचिव, राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ को भेजा जा चुका है। राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश से छूट प्रस्ताव पर संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जल रिसाव की विभीषिका से आदरणीय सदन और आप स्वयं अवगत हैं। जल रिसाव के कारण जो कृषि योग्य भूमि थी, उसकी जोत खत्म हो गयी। मंत्री जी ने कहा कि वहां पर लगान की वसूली बन्द हो गयी। इसका मतलब यह नहीं कि लगान माफ हो गया। स्थगित लगान किसी भी समय वसूल किया जा सकता है। मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर में है कि 1388 फसली के लगान की छूट के बारे में प्रस्ताव आया है, मैं जानना चाहूंगा मंत्री ने 1388 फसली की बात कही, जब तक यह भूमि कृषि योग्य नहीं बन जाती है, तब तक के लिये सभी फसलों के लगान की माफी तत्काल न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जैसा मैंने उत्तर में बताया है। जिलाधिकारी संस्तुति करता है वह संस्तुति राजस्व परिषद् के द्वारा शासन को मिलती है। वैसे जो गांव सीपेज से प्रभावित है वहां लगान माफी के बारे में जिलाधिकारी स्वयं निर्णय ले सकता है, उसके मुताबिक संस्तुति शासन को करता है। वह संस्तुति राजस्व परिषद् ने शासन को नहीं भेजा है। अगर इसमें विलम्ब होगा तो मैं स्वयं मंगाकर आदेश कर दूंगा।

श्री शिवदर्शन–

मैं यह जानना चाहूंगा कि शारदा सहायक के 194 से 214 किलोमीटर तक ग्राम महरौर, कसरांवा, कुन्डली, बछरांवा, विनायकपुर आदि में कृषि योग्य भूमि सीपेज से बेकार हो गयी है? क्या यहां का लगान माफ कराने का कष्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। यह सीतापुर से सम्बन्धित है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मंत्री जी ने बताया कि जिलाधिकारी को अधिकार है। जिलाधिकारी को स्थगन का अधिकार है, अगर लगान माफी का अधिकार होता तो केवल 88 फसली का क्यों बताते। जिलाधिकारी को अधिकार है या शासन को है, इसमें मैं नहीं जाता। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चारों तरफ फसल नष्ट हो

गयी केवल लगान स्थगित हुआ। ऐसी व्यवस्था तत्काल क्यों नहीं कर रहे हैं जिसमें यह घोषणा कर दी जाय कि इन सब लोगों का लगान माफ कर दिया गया तब तक के लिए जब तक कि इस जमीन को कृषि योग्य बनाकर वापस न कर दी जाय?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जैसा मैंने बताया, उनका प्रस्ताव है कि लगान माफ कर दिया जाय। यह 103 गांव का प्रश्न है, उसमें 3903-00 हेक्टेयर भूमि प्रभावित है। इसलिए इसके लगान माफी का सवाल शासन के विचाराधीन है।

श्री राज कुमार राय–

इस किस्म की समस्या पूरे प्रदेश में है। जहां नहरों की लाइन नहीं कराई गई, सीपेज से कृषि भूमि बेकार हो गई। क्या मंत्री जी विधायकों से पूछकर कि उनके क्षेत्र में जहां ऐसी समस्या हो, सर्वे कराकर लगान माफी कराने पर विचार करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जिलाधिकारी से पूछेंगे, अगर कोई माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो उसकी छानबीन करायेंगे।

श्री राज कुमार राय–

विधायक अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी रखता है। जिलाधिकारी से क्या आप उम्मीद करते हैं कि वह बता देगा?

श्री अध्यक्ष–

आपको स्वयं अधिकार है आप लिख कर दे सकते हैं।

श्री राज कुमार राय–

विधायकों से सूचना लेकर क्या उस पर सर्वे करायेंगे? (उत्तर नहीं दिया गया)।

श्री राम कुमार भार्गव–

यह सीतापुर की समस्या है और 10 बार सदन में उठ चुका है। 78 से अभी तक छूट के लिए बात प्रस्तावित है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बता दें कि छूट की घोषणा करेंगे। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सीपेज के कारण कृषि योग्य नहीं रह गई है। इस समस्या को देखते हुए किसानों ने जो लोन चाहे ट्यूबवेल के लिये हो या अन्य लोन बैंक से लिया हो उसको माफ करायेंगे या सरकार द्वारा उसकी भरपाई करायेंगे, इसकी घोषणा करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, जो सीपेज क्षेत्र में रहने वाले किसान हैं अगर उनकी तरफ कृषि देय का बकाया है तो उनकी दरख्वास्त आने पर स्थगित कर सकते हैं और दूसरी बात यह है कि लगान की छूट का जहां तक सवाल है वह शासन के विचाराधीन है और उसको हम समझते हैं कि हमें करना है।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरा जनपद सीपेज से बहुत प्रभावित है और शारदा सहायक नहर वहां जाती है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको उचित मआवजा दिया जाए ऐसी व्यवस्था आप करेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने कहा है कि सीपेज कर दिया गया। कृषि देय में जो कल्चरेबुल काम के लिए कहा गया है, उसको स्थगित करने के बजाए माफ करने पर विचार करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, जो कुछ मैंने कह दिया वही घोषणा है।

श्री राम किशोर दुबे, गंगा प्रसाद रोड, अमीनाबाद, लखनऊ के मकान को शत्रु सम्पत्ति होने की घोषणा

*6–श्री श्याम लाल वाजपेयी–

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि श्री राम किशोर दुबे मकान नं0 158/28 गंगा प्रसाद रोड, किशोर सीविंग मशीन कम्पनी, अमीनाबाद, झंडेवाला पार्क, लखनऊ ने 5-9-83 को रजिस्टर्ड डाक से मुख्य मंत्री एवं दिनांक 13-9-83 को अध्यक्ष, राजस्व परिषद् को एक पत्र दिया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि श्री दुबे ने पत्र में स्पष्ट आरोप लगाया है कि जिस मकान में वह रहते हैं वह आदेश सं0 28/101/पी0 ए0 के0/821, दिनांक 4 मई, 1973 नं0 ई0 पी0 182 आय 1972 द्वारा शत्रु सम्पत्ति घोषित हो गई थी जिसकी लागत दस लाख के करीब थी, जिसे श्री आर0 पी0 गुप्त, असिस्टेन्ट कस्टडियन ने केवल 50 हजार में बेच दी? यदि हां, तो श्री दुबे के प्रार्थना पत्र पर जांच के क्या परिणाम निकले? क्या शासन श्री गुप्त द्वारा कम कीमत पर बेची गई सम्पत्ति को दुबारा बेचने की तिथि निश्चित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक–

श्री राम किशोर दुबे का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसे जिलाधिकारी लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। प्रश्न में संदर्भित श्री दुबे का पत्र अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। मकान नं0 158/28 अमीनाबाद लखनऊ का 2/3 भाग अभिरक्षक, शत्रु सम्पत्ति, भारत सरकार, द्वारा वर्ष 1973 में शत्रु सम्पत्ति घोषित किया गया। इस मकान को संरक्षक, निष्क्रांत सम्पत्ति ने निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित करते हुए श्री आर0 पी0 गुप्त प्रबन्ध अधिकारी, निष्क्रान्त सम्पत्ति ने इसका 50 हजार रुपये की धनराशि में अन्तरण कर दिया। इस कार्यवाही को निरस्त कराने के निर्देश जिलाधिकारी लखनऊ को दिये गये हैं तथा इस मामले में की गयी गम्भीर अनियमितताओं की जांच करायी जा रही है।

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, इस प्रश्न के सम्बन्ध में दो शब्द पहले मैं आपके सम्मान में कहना चाहता हूं। प्रदेश के 41 जिलों में लगभग 300 करोड़ रुपये की शत्रु संम्पत्ति और निष्क्रान्त सम्पत्ति पड़ी हुई है। इस तरह की सम्पत्ति को बेचा नहीं जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 300 करोड़ का मामला है, राज्य कोष में पाई नहीं आ रही है। तो मान्यवर, मकान नम्बर 158/28 अमीनाबाद लखनऊ का 2/3 भाग अभिरक्षक शत्रु सम्पत्ति घोषित कर दी गयी। 77-78 में यह किया गया कि 7 मई के बाद कोई भी सम्पत्ति निष्क्रान्त घोषित नहीं की जा सकती है। आज भारत सरकार के पास कार्यवाही हो रही है। जिलाधिकारी परगनाधिकारी कार्य कर रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा नियम जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी इन्वाल्व है, तो जिसने शत्रु सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति अवैध रूप से घोषित करके बेच दिया है, उसके बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं और उन अधिकारियों को अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात यह कि मान्यवर, इस सम्पूर्ण प्रकरण में श्री नरसिंह किशोर, बन्दोबस्त अधिकारी

(निष्क्रान्त सम्पत्ति), श्री आर0 पी0 गुप्ता, प्रबन्धक (निष्क्रान्त सम्पत्ति), श्री पी0 एन0 बाथम, भू लेखा अधिकारी एवं एस0 डी0 एम0, लखनऊ ये सब मिलकर 10 लाख के मकान को 50 हजार में बेच दिये। जबकि 16 तारीख को आदेश निकालते हैं और 18 तारीख को नीलाम हो गया। आपने इन अनियमितताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की है और क्या माननीय मंत्री जी संपूर्ण मामले की विजिलेंस से इंक्वायरी करायेंगे, यदि नहीं तो क्यों और क्या सचिवालय स्तर पर एक विभाग खोलकर सम्पूर्ण मामले को अपने हाथ में लेकर पूरे मामले से सदन को अवगत करायेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, इस मामले में अनियमितता हुई है और इस अनियमितता के विरुद्ध जांच शुरू करा दी गयी है। जो इसमें शामिल प्रबन्धक अधिकारी श्री आर0 पी0 गुप्ता हैं, उनको निलम्बित करने के आदेश मैंने कल ही दे दिये हैं। और यह जो बाकी नाम ले रहे हैं, उनके बारे में भी जो जांच हो रही है, जांच में यह साबित हो जायेगा तो हम उनके साथ कोई रियायत करने वाले नहीं हैं। यह देश का सवाल है। यह प्रदेश की आय का सवाल है। हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे और इसके लिये जो भी प्रयास करना पड़ेगा, करेंगे।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, मगर इस बधाई के साथ-साथ यह भी पूछता हूं कि इस आदरणीय सदन में यह प्रश्न आने से पहले आपको इसकी खबर भी थी कि नहीं और यदि हां, तो यह जो तीन सौ करोड़ रुपये की सम्पत्ति लूट रहे हैं, तहसीलदार और परगनाधिकारी खाये जा रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह राष्ट्र और राष्ट्रीयता का प्रश्न है। इस तरह से तहसीलदार और परगनाधिकारी को इसको खाने नहीं दिया जायगा। मेरी निश्चित जानकारी है कि राजस्व सचिव, जो कि आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 एक हो गये हैं, ने इस प्रकरण की सतर्कता विभाग से जांच का विरोध किया है और आपने स्वीकार कर लिया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इसमें सतर्कता विभाग से जांच का आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, सतर्कता विभाग के सामने तो यह विषय है, लेकिन उनका यह कहना है कि पहले जिलाधिकारी अपनी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें, उनके बाद सतर्कता विभाग इस चीज को देखेगा। दूसरी बात यह है कि इस शत्रु सम्पत्ति की जांच और उसकी व्यवस्था के लिये हम एक समिति का गठन कर रहे हैं, ताकि जो माननीय सदस्य की शिकायत है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 30 करोड़ के करीब की जो सम्पत्ति पड़ी हुई है . . . .

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

30 नहीं 300 करोड़ की सम्पत्ति है।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जांच करके हम आपके समक्ष लायेंगे कि कितने की सम्पत्ति है।

श्री अध्यक्ष–

इस मामले पर गहरी जांच के लिये मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर रहा हूं।

आगरा जिले के ग्राम समोगर के हरिजनों को भूमि का आवंटन

*7–श्री विजय सिंह राना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के ग्राम समोगर के हरिजनों को 60 बीघा जमीन के पट्टों पर अनधिकृत कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में उनके अर्ध0 शा0 प0 सं0-3-3(1)/83 (140) रा-2 दिनांक 7 मार्च, 83 के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्या शासन पट्टेधारी हरिजनों को कब्जा दिलाने के लिये कोई कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक–

ग्राम समोगर अहतमाली (तहसील व जिला आगरा) के 15 आवंटियों को 72 बीघे (60 बीघा नहीं) का आवंटन 26-10-75 को भू0 प्र0 स0 द्वारा प्रस्ताव पारित करके किया गया था जिसका अनुमोदन तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 20-12-75 को किया गया था। सभी आवंटियों को उसी समय कब्जा दिला दिया गया था। इन सभी आवंटितयों को आसामी के रूप में पट्टा ग्राम समाज द्वारा दिया गया तथा सीमांकन करा दिया गया था। वर्तमान में पट्टे की अवधि कालातीत हो चुकी है। सर्वश्री बद्री प्रसाद आवंटी लावारिस मर चुके हैं तथा मिट्ठू आवंटी भी मर चुका है परन्तु उसके वारिस तथा शेष 13 आवंटी उक्त भूमि पर अनधिकृत रूप से काबिज हैं। जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर में जो बातें लिखी गई हैं, वह तमाम सफेद झूठ हैं। इसमें लिखा गया है कि "सभी आवंटियों को उसी समय कब्जा दिला दिया गया था"। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो कब्जा दिलाया गया था, वह कब और कौन सी तारीख में दिलाया गया है और किस अधिकारी ने वहां जाकर सीमांकन किया और उसका नाम क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, यह जमीन जमुना नदी के किनारे पर की है। इस भूमि का उन्हें कब्जा दिला दिया गया था। चूंकि आसामी पट्टा एक साल का होता है, इसे वह 5 साल तक रिन्यू करवा सकते हैं। जमुना नदी अपना कोर्स बदलती रहती है, इसी कारण वे लोग आज उस जमीन पर नही हैं, जिस जमीन पर उनको बसाया गया था। आज वे लोग दूसरी भूमि पर हैं और वहां पर अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, इसलिये उनको वहां से हटाने की कार्यवाही चल रही है।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि कब्जा कब दिलाया गया और कौन सी तारीख में? दूसरा, किस अधिकारी द्वारा यह कब्जा दिलाया गया और उसका नाम क्या है? आसामी कब्जे के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीन खेतिहर जमीन है, उसका आसामी पट्टे होने का सवाल ही नहीं होता है। इसमें सीरतानी

पट्टे दिये गये थे। अधिकारियों ने अपने को बचाने के लिए इसमें आसामी पट्टे की बात कह दी। मैं माननीय मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना देता हूं। मान्यवर, वहां के तहसीलदार ने संबंधित अधिकारियों को लिखा था, जिसके पत्र की प्रति मेरे पास है। आपकी इजाजत से मैं उसे पढ़ रहा हूं, जो उन्होंने 4 फरवरी, 1983 को तहसीलदार ऐतमादपुर को लिखा था, जिसके अन्तर्गत यह भूमि आती थी–तहसीलदार, ऐतमादपुर, ग्राम समोगर के हरिजन आवंटियों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था कि उनको आवंटित भूमि पर अब तक सन् 1975 से कब्जा नहीं मिल पाया है। सुपरवाइजर कानूनगो ने स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वहां विवादित भूमि को कब्जेदार तहसील ऐतमादपुर की भूमि बताते हैं। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि (आगरा एवं ऐतमादपुर) दोनों तहसीलों के नायब तहसीलदार...

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप प्रश्न कीजिये।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, मैंने प्रश्न तो कर दिया है। तहसीलदार ने अपने 4 फरवरी, 1983 के पत्र में स्वयं लिखा है कि जमीन पर हरिजनों को पट्टा नहीं मिला है और उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है। परन्तु माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि उसी तारीख से कब्जा हरिजनों को दिला दिया गया था, इसे माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, भूमि प्रबन्धक समिति ने 26-10-1975 को एक प्रस्ताव पारित करके इस भूमि का उनको आवंटन किया था। परगना अधिकारी ने इस भूमि को दिनांक 20-12-1975 को अपनी स्वीकृति दे दी। इन्हें किस तारीख में यहां पर बसाया गया, इसकी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस भूमि पर सन् 1978 में बाढ़ आ गयी, फलस्वरूप जमुना नदी का छोर बदल गया जिसके कारण वह जमीन इधर से हटकर उधर चली गयी।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पट्टे अभी तक नहीं मिले, कब्जे नहीं मिले। उत्तर में माननीय मंत्री जी यह बता रहे हैं कि 1975 में कब्जा मिल गया। इसी सन्दर्भ में जानकारी चाहता हूं कि एक ओर तो वे यह कह रहे हैं कि यहां न बसकर दूसरी जगह बसे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आसामी के पट्टे थे। मान्यवर, आवास के लिये कभी आसामी पट्टा नहीं होता है। इनके उत्तर में विरोधाभास है। मैं जानकारी यह चाहूंगा कि जो यह बता रहे हैं कि पट्टे सन् 1975 में किये गये थे और कब्जा भी दिया गया था, तो यह बतायें कि वह किस महीने में, किस वर्ष में और किस अधिकारी द्वारा यह कब्जा दिलाया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, माननीय सदस्य को जो शिकायत है, अगर हमारी बात उनको पसन्द नहीं है, तो हम इसकी जांच करा लेंगे और जांच कराके पता लगायेंगे कि सचमुच में यह जमीन पानी के अन्दर है या नहीं और उनको इसका पजेशन मिला था या नहीं मिला। इसकी पूरी छानबीन हम करा लेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

तो, फिर यह दोबारा प्रश्न आयेगा, आपके उत्तर से तो संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, प्रश्न का कोई उचित उत्तर तो आया नहीं। आपने कहा कि जांच करवा लेंगे। मेरा कहना है कि मैंने 2 मार्च, 1983 को नियम 301 के अन्तर्गत इसी सदन में इसकी बाबत सूचना दी थी, लेकिन तब से आज तक इसकी जांच नहीं हो सकी तो आगे क्या जांच होगी? या तो मान्यवर, इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें या नियम 49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी जांच कराकर पूरे प्रकरण की, और इस आदरणीय सदन को आप सूचना दे देंगे।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, जो आपने आदेश दिये हैं, उसका पालन करेंगे ।

समाज सेवक माध्यमिक विद्यालय, भैरोपुर में बाढ़ शरणालय के निर्माण की मांग

*8–श्री राजकुमार राय–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन को जिलाधिकारी, आजमगढ़ का दिनांक 7-11-83 का पत्र (आपात-बाढ़-सूखा) जिसमें उन्होंने 50,000 रुपये भैरोपुर उ0 मा0 विद्यालय पर बाढ़ शरणालय निर्माण हेतु मांग की थी, मिला था ? क्या इस संदर्भ में प्रश्नकर्त्ता का संस्तुति पत्र दिनांक 11-12-83 भी मिला था? यदि हां, तो उपरोक्त धनराशि स्वीकृत करने में क्या कठिनाई है?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक–

जी हां, समाज सेवक माध्यमिक विद्यालय, भैरोपुर में बाढ़ शरणालय के निर्माण हेतु 50,000 रु0 के आवंटन के लिये जिलाधिकारी, आजमगढ़ का पत्र दिनांक 7-11-83 तथा माननीय प्रश्नकर्त्ता विधायक का संस्तुति पत्र दिनांक 11-12-83 प्राप्त हुआ था।

भारत सरकार द्वारा दैवी आपदा बजट से व्यय की निर्धारित मदों में से बाढ़ शरणालय के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना अनुमन्य न होने के कारण उक्त कार्य हेतु धन का आवंटन करना सम्भव नहीं है।

श्री राजकुमार राय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दैवी आपदा बजट से व्यय की निर्धारित मदों में से बाढ़ शरणालय के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन किया जाना अनुमन्य न होने के कारण उक्त कार्य हेतु धन का आवंटन करना सम्भव नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने क्या कोई अन्य बाढ़ शरणालय इस एक-दो साल में कहीं बनवाया है, यदि बनवाया है तो कब? दूसरे, कि क्या प्रदेश सरकार या राजस्व मंत्री ऐसे आवश्यक, महत्वपूर्ण और मानवीय तथा आपातकालीन हेतु, जिसमें हजारों-हजारों पशुधन को सहारा मिल सकता है, बाढ़ से पीड़ित गरीब लोगों को सहारा मिल सकता है, इस कार्य हेतु सहायता देने के लिये अक्षम है? विशेषकर ऐसी स्थिति में जब इसकी बाबत वहां के जिलाधिकारी ने संस्तुति किया हो और क्षेत्रीय विधायक ने वहां की विशेष परिस्थिति देखकर संस्तुति की हो?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

बाढ़ के अवसर पर शरणालय बन जाय, इसको मैं ऐसा नहीं समझता। यह सेवा के लिये तो ठीक बात है, किन्तु

हो भारत सरकार दैवी आपदा के लिये अनुदान देती है और अनुदान देते हुए कुछ गाइड लाइंस देती है। उसमें कहीं इस बात का प्राविधान नहीं है कि हम ऐसा कोई कंसट्रक्शन पक्का कर दें और वह शरणालय हमेशा काम करता रहे, जब-जब बाढ़ आये। उसके लिये कोई उनकी तरफ से हमको अनुमति नहीं है। इसलिये जिलाधिकारी, आजमगढ़ को सूचित कर दिया गया है कि यह स्वीकार नहीं है।

श्री राजकुमार राय–

प्रदेश में हजारों-हजारों बाढ़ शरणालय बने हुए हैं। अगर केन्द्र सरकार ने नहीं भी किया तो प्रदेश की सरकार उसके महत्व और गम्भीरता को देखते हुए, आपात स्थिति को देखते हुए, कटे-बहे लोगों पर तो करोड़ों रुपया खर्च होता है, इतनी बड़ी धन-राशि स्वयं अपने बल-बूते पर नहीं खर्च कर सकती है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

भविष्य में क्या होगा, उसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन इस समय वित्त विभाग ने भी इससे सहमति प्रकट नहीं की है।

श्री राजकुमार राय–

आपकी ज्वाइंट रिसपांसिबिलिटी है कैबिनेट की, तो वित्त विभाग उसके आड़े आ सकता है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अगर शासन तय कर लेता है कि बाढ़ से पीड़ित लोगों को सहायता मिलनी चाहिये तो इनके सामने कोई बाधा नहीं है। इसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे कि इसे बनवा देंगे?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

जरूर विचार करूंगा।

श्री मुईद अहमद–

जहां पर बाढ़ शरणालय बने हुए हैं और टूट चुके हैं, गिर रहे हैं, मरम्मत नहीं हो रही है, तो जिन स्थानों पर बने हुए हैं, वहां गिरे हुए और टूटे हुए भवनों को बनवाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

मिर्जापुर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी, श्री प्रशान्त कुमार को सहायक अभिलेख अधिकारी के विरुद्ध कथित रिपोर्ट

*9–श्री रामस्वरूप वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1982 में मिर्जापुर के जिलाधीश श्री प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश शासन को 19 पन्ने की एक रिपोर्ट भेजी जिसके 12वें व 13वें पृष्ठ पर सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा ऐसों का लेन देन कर राबर्ट्सगंज में शासनादेश के विरुद्ध ढाई सौ एकड़ भूमि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को दे दी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक–

जिलाधिकारी, मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रशान्त कुमार, तत्कालीन जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा सितम्बर, 1982 में शासन को 19 पन्ने की रिपोर्ट भेजा जाना नहीं पाया गया।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

इस प्रश्न में पहली विचित्र बात तो यह है कि शासन से पूछा था कि उनको 19 पन्ने की कोई रिपोर्ट मिली है? न मिली हो 19 पन्ने की, पन्ने तो इधर-उधर भी हो सकते हैं, जानना यह चाहता हूं कि क्या सितम्बर, 1982

में कोई रिपोर्ट मिली है, जो वहां के जिलाधिकारी की थी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जिस रिपोर्ट का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वह तो हमको मिली नहीं। एक कमेटी कोई बनी थी मिर्जापुर में, जिसने वहां की समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन किया था और रिपोर्ट तैयार की। वह रिपोर्ट तो शासन के पास पहुंच गयी है और उसकी छानबीन हो रही है।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, मैंने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है, वह रिपोर्ट तो छपी भी है। क्या माननीय मंत्री जी श्री प्रशान्त कुमार से यह जानकारी करेंगे कि उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी थी? और वह आपको प्राप्त हुई या नहीं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मालूम कर लेंगे ।

नैनीताल जिले के ग्राम गूलरभोज के निर्बल वर्ग को भूमि का पट्टा दिये जाने की मांग

*10–श्री राम नारायण सिंह (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामवासी ग्राम गूलरभोज, परगना गूलरभोज, जनपद नैनीताल जो निर्बल वर्ग के हैं, विगत 20 वर्षों से वन विभाग की 4000 एकड़ कृषि योग्य भूमि जोत बो रहे हैं? यदि हां, तो आज तक उक्त भूमि का पट्टा सरकार या जिला प्रशासन द्वारा न किये जाने का क्या कारण है? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को दिनांक 5-9-83 का पत्र मय प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित भूमिहीनों का प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन सा प्रभावी कदम इस सम्बन्ध में उठाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में शीत लहरी के प्रकोप से फसल को क्षति एवं बचाव कार्य

*11–श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह दिसम्बर 1983 के अन्तिम सप्ताह से प्रदेश में भयंकर शीत लहरी का प्रकोप आरम्भ हो गया है, जिसके कारण प्रदेश में काफी गरीब लोगों की मृत्यु हो गई है और रबी की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो शासन शीत लहर से फसलों को बचाने के लिए तथा शहर एवं ग्रामीण अंचलों में गरीब लोगों को राहत देने व ठंड से बचाने के लिए क्या-क्या कार्य कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

माह दिसम्बर, 1983 के अन्तिम सप्ताह में प्रदेश में शीत लहरी का प्रकोप आरम्भ हुआ था। जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश में शीतलहरी से कुल चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। केवल 4 जनपदों (सहारनपुर, कानपुर देहात, इलाहाबाद तथा बाराबंकी) में रबी की फसल को शीत लहरी से मामूली क्षति हुई है।

शीत लहरी से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर अलाव जलाने तथा गृह विहीन लोगों को ठंड से बचाने के लिए अन्य उपयुक्त राहत कार्य करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को आदेश जारी किये गये। अलाव जलाने तथा कम्बल वितरित किये जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिलाधिकारी को क्रमशः रु0 10,000 तथा रु0 8,000 तक का व्यय करने के लिए शासन द्वारा प्राधिकृत किया गया। उक्त स्थिति में प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

*12--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[20 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बिक्री कर आयुक्त श्री के0 के0 दास के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*13-श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित)-

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि नवम्बर, 1976 में किसान मजदूर वाहिनी, उ0 प्र0, लखनऊ के माध्यम से एक बिक्री-कर आयुक्त (श्री के0के0 दास) के विरुद्ध शासन को शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो शिकायत क्या थी, इस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)-

जी हां। यह पत्र श्री लाला बाबू वार्ष्णेय भूतपूर्व सहायक बिक्रीकर अधिकारी के सम्बन्ध में था जिसके साथ उनका प्रत्यावेदन भी संलग्न किया गया था। उक्त अधिकारी की सेवायें सामान्य अनुपयुक्तता के आधार पर वर्ष 1958 में समाप्त की गई थीं । श्री वार्ष्णेय को पुन: सेवा में लिये जाने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा भी उनकी रिट याचिकायें/अपील अस्वीकार कर दी गई थी। श्री वार्ष्णेय द्वारा अपने प्रत्यावेदन में अनर्गल शिकायतें की थीं जिन पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी।

गन्ना क्रय केन्द्र कलां के संचालन सम्बन्धी आदेश

*14-श्री राम स्वरूप निम-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त को प्रश्न-कर्त्ता द्वारा 31-12-83 तथा गन्ना सचिव को 4-1-84 को गन्ना क्रय केन्द्र सोसायटी कलां जिसके आदेश 25-11-83 को गन्ना आयुक्त ने किए थे, के चलाए जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या देवबन्द फैक्ट्री के गन्ना क्रय केन्द्र शहदपुर, लाखनी, बलिया खेड़ी माही जिनकी दूरी एक फर्लांग से भी कम है, कार्यरत हैं ? यदि हां, तो सोसायटी कलां गन्ना क्रय केन्द्र को आदेशों के बाद भी न चलाए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

परन्तु गन्ना आयुक्त के आदेश दिनांक 25-11-83 के विरुद्ध गंगेश्वर चीनी मिल, देवबन्द द्वारा दिनांक 28-12-83 को शासन में अपील दायर कर दी गयी थी जिस पर कार्यवाही किये जाने के कारण उक्त केन्द्र का संचालित किया जाना स्थगित रहा । अपील का निर्णय दिनांक 28-2-84 को हुआ जिसमें मिल की अपील को निरस्त करते हुए प्रश्नगत केन्द्र को संचालित करने के आदेश दिये गये । यह केन्द्र दिनांक 18-3-84 से चलाया जा रहा है । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

श्री राम स्वरूप निम-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 25-11-83 को केन कमिश्नर ने उक्त गन्ना क्रय केन्द्र को चलाने के आदेश दिये । मंत्री जी का यह भी कहना है कि 28-12-83 को शासन में अपील दायर कर दी गयी थी, तो क्या यह सही नहीं है कि वहां के जिलाधिकारी ने फैक्ट्री से 25 हजार रु0 ले लिया है ? मेरी निश्चित जानकारी है और आज सुबह ही मेरी टेलीफोन पर बात हुई है और मुझे मालूम हुआ है कि

सिर्फ इस वजह से कि डी0 एम0 ने फैक्ट्री से 25 हजार रु0 की धनराशि ले ली है तो फैक्ट्री नहीं चलायी गयी है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय——

मान्यवर, 25-11-83 को मिल मालिकों के खिलाफ शासन ने अपील दायर की थी, बाद में वह अपील खारिज कर दी गयी। अब शासन को सूचना मिली है कि 18-3-84 को वह केन्द्र चालू कर दिया गया है। यदि वह नहीं चला है, तो इसकी हम जांच करा लेंगे और यदि न चला हुआ तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम स्वरूप निम–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया है और अगर हमारी सूचना सही है तो क्या वे वहां के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय——

यह तो मैंने पहले ही कह दिया कि जिन्होंने आदेशों की अवहेलना की होगी, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि यह पूरे प्रदेश में गन्ना मिलों में इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाहियां होती हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार के आदेश जारी करेंगे कि हर सेन्टर गन्ना पेरने के 15 दिन पहले चलाया जायेगा, भले ही कोई आये या न आये लेकिन गन्ना एक्ट के अनुसार, गन्ना रूल्स के मुताबिक सारे क्रय केन्द्र 15 दिन पहले से चलेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जितने केन्द्र खुल जाते हैं, वहां उसे चलाने का आदेश दिया जाता है। यदि माननीय सदस्य किसी केन्द्र विशेष के बारे में सूचना देंगे तो उसे हम दिखवा लेंगे और उसे चलवाने की कोशिश करेंगे।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)–

मान्यवर, गन्ना एक्ट, रूल्स में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गन्ना मिल चलने के 15 दिन के पूर्व सभी गन्ना क्रय केन्द्र चालू कर दिये जायेंगे। फिर क्या कारण है कि गन्ना मिल मालिक, गन्ना आयुक्त के आदेशों की अवहेलना करते हैं? क्या माननीय मंत्री जी सभी मिलों की जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं करेंगे, तो उसका कारण क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जहां तक गन्ना क्रय केन्द्र का प्रश्न है, तो सारे केन्द्र खुल गये हैं और जो खुले हैं, वे चलाये भी जाते हैं। नये केन्द्र खोलने के लिए पहले नाम दिया जाता है, स्वीकृति मिलने के बाद वे चलाये जाते हैं।

श्री राम स्वरूप निम–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है जब कि सीजन समाप्त होने वाला है। क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने गन्ना क्रय केन्द्र चालू किये गये हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह प्रश्न तो प्रश्नगत केन्द्र के बारे में है और सारे केन्द्र बताने के लिए सूचना की आवश्यकता होगी। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि नहीं चालू किया गया है, तो इसे हम दिखवा लेंगे, इसकी जांच करायी जायेगी।

उन्नाव जिले के ग्राम कटरी व पिपरखेड़ा की भूमि की बिक्री के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट

*15–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 में श्री मोहन सिंह, विधायक के तारांकित प्रश्न संख्या 11 (दिनांक 18-2-83) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कटरी, पिपरखेड़ा, तहसील व जनपद उन्नाव की हजारों बीघे जमीन तहसील के कर्मचारियों द्वारा बेंच जाने के सम्बन्ध में जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट दो तीन माह में पूरी हो जायेगी? यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो चुकी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? उसके अनुसार अब तक दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक–

मामले में सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायी गयी थी जो पूर्ण हो चुकी है। मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, यह मामला 18-3-83 को माननीय मोहन सिंह जी ने उठाया था और उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराई जा रही है। अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं जांच पूरी हो चुकी है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह जांच पूर्ण हो चुकी है, क्या आरोप सिद्ध हुए हैं, इसका स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने उत्तर तो दिया कि उसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या परीक्षण किया जा रहा है, क्या आरोप सामने आये हैं, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जैसा उत्तर में बताया गया है कि मामला सतर्कता विभाग को दिया गया था। वहां से रिपोर्ट आ गई है और उसका परीक्षण हो रहा है। माननीय सदस्य को तो मालूम होना चाहिए कि वह शिकायतें क्या थीं, जो सतर्कता विभाग को दी गयीं। परीक्षण के स्तर पर मामला है। इसलिए कोई बात ऐसी कह देना ठीक नहीं है, जब तक परीक्षण न हो जाये।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सतर्कता विभाग ने रिपोर्ट दे दी है और अब उसका परीक्षण हो रहा है। साल भर लग गये रिपोर्ट आने में और साल भर लग जायेगा परीक्षण कराने में, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक उस पर कार्यवाही करा देंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं कि माननीय सदस्य को जल्दी से जल्दी उसके बारे में जानकारी मिल जाये।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सतर्कता विभाग से रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई और इस पर जांच कब तक चलेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, यह तथ्य तो हमारे सामने नहीं है कि रिपोर्ट शासन को किस तिथि को आई है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

हजारों एकड़ जमीन इनके कर्मचा-

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

रियों ने बैंच डाली है और माननीय मंत्री जी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

रिपोर्ट आ गयी है, उसका परीक्षण हो रहा है तो इससे माननीय सदस्यों को सन्तोष होना चाहिये।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट आपके पास आ गई, परीक्षण चल रहा है तो वह चलता रहे। हम जानकारी चाहते हैं कि शासन को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं? इसकी जानकारी दे दें?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, किस तारीख को रिपोर्ट मिली, इसकी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है लेकिन यह बात साफ है कि रिपोर्ट मिल गई है।

श्री हुकुम सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि जो रिपोर्ट शासन को मिली है, उनमें क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि इसका परीक्षण कराया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

गन्ने के नये सट्टा के अन्तर्गत गन्ना आपूर्ति का आधार

*16–श्री नन्दकिशोर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में नया सट्टा गन्ना सप्लाई हेतु वर्ष 82-83 में जितना गन्ना गिराया गया है, उसी पर कलेण्डर बन रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

जी नहीं।

नये सट्टे हेतु बेसिक कोटा संबंधित गेट क्रय केन्द्र पर 1982-83 के औसत गन्ना पूर्ति एकड़ को किसान के वर्तमान गन्ना क्षेत्रफल से गुणा करके प्राप्त मात्रा की आधी मात्रा के आधार पर निर्धारित किया गया है।

मुख्य वित्त अधिकारी, वित्तीय परामर्श-दाता (जिला परिषद्) द्वारा फर्नीचर की खरीद

*17–श्री जंग बहादुर–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि माह सितम्बर, अक्तूबर, 1983 में मुख्य वित्त अधिकारी (जिला परिषद्) उ0 प्र0 ने लगभग एक लाख रुपए का फर्नीचर वित्तीय परामर्शदाताओं के लिए क्रय करके लखनऊ स्थित जवाहर भवन में रखवाया और उक्त स्थान पर से जनपदों द्वारा ले जाया गया और उसके जनपदों में पहुंचने पर लगभग 50 हजार रुपए व्यय हुए? यदि हां, तो क्या जिला परिषदों के वित्तीय परामर्श-दाता जनपदों में इसे क्रय नहीं कर सकते थे? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यदि अनावश्यक व्यय किया गया है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

माह सितम्बर, अक्तूबर 1983 में प्रदेश के 18 जनपदों में स्थित वित्तीय परामर्शदाता कार्यालयों के लिए रुपये 43,508.40 के फर्नीचर का क्रय मुख्य वित्त अधिकारी (जिला परिषद) उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। सम्पूर्ण फर्नीचर लखनऊ स्थित एक फर्म से रेट कान्ट्रेक्ट की दर पर क्रय किया गया

था। इसे संबंधित जिलों के कर्मचारियों के माध्यम से भेजा गया जिस पर कुल रुपया 10,395·60 पैसे यात्रा एवं ढुलाई व्यय हुआ।

जिला परिषदों में नियुक्त सहायक लेखाधिकारी/वित्तीय परामर्शदाता द्वितीय श्रेणी के कार्यालय अध्यक्ष होने के कारण एक समय में 50 रुपये तक तथा वर्ष में 200 रुपये तक के फर्नीचर इत्यादि संबंधी अनावर्तक व्यय करने के लिये ही प्राधिकृत हैं। चूंकि प्रत्येक जिले में उपरोक्त सीमा से अधिक धनराशि का फर्नीचर क्रय किया जाना था तथा प्रत्येक जिले में रेट कान्ट्रेक्ट द्वारा साज-सज्जा आपूर्ति हेतु उद्योग निदेशक द्वारा अनुमोदित निर्माणकर्ता फर्में नहीं थी, अतः क्रय मुख्यालय पर किया गया।

इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

*18–श्री सत्यपाल सिंह–

[दिनांक 17-2-84 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 द्वारा उत्तरित।]

गोरखपुर, देवरिया, फैजाबाद एवं बस्ती में उपलवृष्टि

*19–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सरकार को जानकारी है कि 16 व 17 जनवरी, 1984 को प्रदेश के अनेक जनपदों जैसे गोरखपुर, देवरिया, फैजाबाद, बस्ती में घनघोर उपलवृष्टि हुई है जिससे रबी की फसल को 80 प्रतिशत नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत जिलों से प्राप्त सूचनानुसार जनपद गोरखपुर की केवल तहसील महराजगंज में जनवरी, 1984 के द्वितीय सप्ताह में कुल 18 ग्रामों में बहुत छोटे आकार की उपलवृष्टि होने से लाही सरसों एवं मसूर की फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक व गेहूं तथा अन्य फसलों को 25 प्रतिशत या इससे कम क्षति हुई। उक्त तहसील के बहुत कम क्षेत्र में लाही सरसों तथा मसूर की फसल बोई जाती है। फसलों की इस क्षति से कृषकों की स्थिति पर सामान्यतया इतना विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है कि उन्हें राहत सहायता की आवश्यकता पड़े।

जनपद देवरिया में दिनांक 16 व 17 जनवरी, 1984 को घनघोर उपलवृष्टि नहीं हुई। फसलों को कोई क्षति न होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी।

जनपद फैजाबाद में दिनांक 16 व 17 जनवरी, 1984 को 817 ग्रामों में उपलवृष्टि हुई जिससे रबी की फसलों को 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक की क्षति पहुंची। उपलवृष्टि से प्रभावित ग्रामों के कृषकों की कृषि से संबंधित देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है। अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पायी गई।

जनपद बस्ती की केवल तहसील नगर में दिनांक 16-1-84 को बहुत छोटे-छोटे ओले पड़े थे, जिससे रबी की फसल को कोई क्षति नहीं हुई। दिनांक 17-1-84 को जनपद में ओला नहीं पड़ा। उक्त स्थिति में जनपद बस्ती में किसी राहत की आवश्यकता नहीं पड़ी।

गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य

*20–श्रीमती गौरी देवी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना किसानों को उनके गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान कराने के

लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कितना धन गन्ना किसानों को भुगतान करना शेष है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

गन्ना किसानों को सत्र 1982-83 के गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये:–

1–40 करोड़ रु0 "वेज एण्ड मीन्स एडवान्स" के रूप में भारत सरकार से प्राप्त करके चीनी मिलों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया।

2–वर्ष 1982-83 में चीनी मिलों पर देय गन्ना क्रय कर से लगभग 26 करोड़ रु0 की धनराशि अनुदान/छूट के रूप में चीनी मिलों की राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई।

3–पांच करोड़ रु0 कस्टोडियनशिप की मिलों को भारत सरकार से प्रयास करके उपलब्ध कराया गया।

4–भारत सरकार के सहयोग से चीनी के बफर स्टाक से मार्जिन की धनराशि तथा खुली बिक्री की चीनी के स्टाक के पुनर्मूल्यांकन द्वारा भी बैंकों से धनराशि उपलब्ध कराई गई।

इन कदमों के फलस्वरूप पेराई सत्र 1982-83 के कुल देय गन्ना मूल्य 430.39 करोड़ रु0 में से दिनांक 29-2-84 तक 429.38 करोड़ रु0 का भुगतान हो चुका है तथा 2.01 करोड़ रु0 शेष है जो भुगतान की प्रक्रिया में है।

1982-83 सत्र से पूर्व सत्रों का दिनांक 29-2-84 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 5.17 करोड़ रु0 भुगतान हेतु लम्बित है। इनमें से अधिकांश धनराशि विवादग्रस्त होने के कारण भुगतान नहीं हो पायी है।

अतारांकित प्रश्न

1–3–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

[मंत्रि मंडल में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया।]

बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की ग्राम सभाओं एवं मल्लाहों को नाव हेतु दी जाने वाली सब्सिडी तथा ऋण

4–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री प्रदेश में उन क्षेत्रों में जहां बाढ़ का भयंकर प्रकोप हमेशा रहता है और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाता है उनके ग्राम सभाओं को सबसिडी देकर नावें खरीदने के वास्ते ऋण तथा उन लोगों को जो नदियों में नाव का काम करते हैं उन्हें भी सरकार धन उपलब्ध कराने पर तुरन्त कार्यवाही करेंगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्राम सभाओं व नदियों में नाव का काम करने वाले मल्लाहों को नाव क्रय करने हेतु क्रमशः सबसिडी तथा ऋण दिये जाने की सुविधा विद्यमान है।

लखनऊ में एशियन सर्कस एवं न्यू ग्राण्ड सर्कस के शो का प्रदर्शन एवं मनोरंजन कर

5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका सीमा में माह नवम्बर, 83 में चालू रहे दो सर्कसों (1) एशियन सर्कस (2) ग्राण्ड सर्कस ने अपने शो किस-किस तारीख से चालू किए तथा उनसे मनोरंजन कर किस तिथि से लेना प्रारम्भ किया गया?

श्री ब्रह्मदत्त–

लखनऊ नगर महापालिका क्षेत्रान्तर्गत एशियन सर्कस द्वारा दिनांक 24

अक्तूबर, 1983 तथा न्यू ग्राण्ड सर्कस द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 1983 से प्रदर्शन प्रारम्भ किया गया। चूंकि सर्कस प्रदर्शन अधिसूचना संख्या तीस ईबी-6(2)/76-वित्त (म0 क0) अनु0, दिनांक 22 जुलाई, 1981 के अन्तर्गत मनोरंजन कर से मुक्त हैं अत: उनसे मनोरंजन कर वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कोषाध्यक्ष संघ, उ0 प्र0 का मांग-पत्र

6-श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, राजकीय कोषाध्यक्ष संघ उ0 प्र0 ने उन्हें दि0 28-2-81, 19-6-81 तथा 10-10-83 को मांग-पत्र दिए थे? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बृहमदत्त-

उल्लिखित पत्रों में से केवल दिनांक 10-10-83 का मांग पत्र ही प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

गन्ना समितियों के विशेष सचिवों एवं सहायक सचिवों का सेल आफिसर एवं रिकवरी आफिसर के पद पर स्थानान्तरण

7-श्री थम्मन सिंह गहलौत-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, जुलाई तथा अगस्त, 83 में जिन-जिन गन्ना समितियों के विशेष सचिवों और सहायक सचिवों के स्थानान्तरण, सेल अफसर या रिकवरी अफसर के पदों पर किए गये थे, उनमें से कितनों ने दिनांक 30-11-83 तक हुए स्थानान्तरण के आदेशों का पालन नहीं किया? शासन द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य-

जून, जुलाई और अगस्त 83 में कुल 4 विशेष सचिवों/सहायक सचिवों को सेल आफिसर/रिकवरी आफिसर के पद पर स्थानान्तरित किया गया था। दिनांक 30-11-83 तक इनमें से किसी ने अपने नये पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। उक्त 4 में से 2 कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेशों में बाद को संशोधन किया गया जहां उन्होंने अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शेष 2 कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जनहित में निरस्त कर दिये गये। अत: किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

गोरखपुर जिले के संग्रह अमीनों की कथित सेवामुक्ति

8-श्रीमती गौरी देवी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में दि0 29-2-79 को 17 संग्रह अमीनों को सेवामुक्त करने के आदेश निरस्त होने के बाद दिनांक 24-9-83 को जिला अधिकारी, गोरखपुर ने उन सभी 17 संग्रह अमीनों को पुन: सेवा प्रदान करने के लिये अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त) को पत्र लिखा है? यदि हां, तो अब तक उनकी सेवा बहाल न करने का क्या कारण है और कब तक उन्हें सेवा में पुन: ले लिया जायेगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली जिले के डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर के विरुद्ध गबन की शिकायत

9-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि

बरेली में वर्ष 77-78 व 78-79 में नियुक्त डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर के विरुद्ध राजस्व के गबन की शिकायत की गयी थी जिसे बरेली के मण्डलीय आयुक्त ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट दि0 9-8-78 में शिकायत को सही पाया? उपायुक्त (शा0) बरेली की रिपोर्ट 17-4-80 व 21-4-80 के बाद उपायुक्त (प्रशासन) मुख्यालय को ता0 29-5-80 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो कितने रुपए का गबन पाया गया? क्या उक्त डिप्टी कलेक्टर की इन वर्षों की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित किया गया और वार्षिक बढ़ोत्तरी दे दी गयी?

श्री ब्रह्मदत्त–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

10–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

[दिनांक 28-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-144 द्वारा उत्तरित]

डिप्टी कलेक्टर, बिक्रीकर (संग्रह), लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र

11–श्री बदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के डिप्टी कलेक्टर बिक्रीकर (संग्रह) को वसूलयाबी में ढील देने के सम्बन्ध में उनको प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 30-8-83 को मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ब्रह्मदत्त–

(क) जी नहीं। तथापि माननीय सदस्य का एक पत्र दिनांक रहित 11 जुलाई, 1983 से पूर्व प्राप्त हुआ था।

(ख) उस पर जांच कराई गई है।

गन्ना विकास परिषदों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा नियमावली एवं वेतनमान

12–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास परिषदों में कार्यरत परिषद् वेतन भोगी एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण से संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा संबंधित सेवा नियमावली का आलेख बनवाया गया था? यदि हां, तो इसका प्रकाशन कब तक हो जायेगा?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

जी हां, सेवा नियमावली के आलेख्य का शासन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त सेवा नियमावली का प्रकाशन करा दिया जायेगा।

13–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास परिषदों में वेतन भोगी एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण से संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों, जो विभाग में 1-7-79 तथा 29-8-79 के मध्य जो लोग पूर्वकालिक सेवा में थे, उनका नया देय वेतनमान 1-7-79 से ही प्रारम्भ होगा? यदि हां, तो क्या यह सच है कि विभाग ने कोई ऐसा पत्र जिला गन्ना अधिकारियों को लिखा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

गन्ना विकास परिषद् भोगी एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण से संबंधित कर्मचारी/अधिकारी जो विभाग में दिनांक 1-7-79 तथा 20-8-81 के मध्य पूर्णकालिक सेवा में थे उनका नया वेतनमान शासनादेशों के अनुसार दिनांक 1-7-1979 या पदों के सृजन की तिथि से (जो भी बाद में हो) अथवा विकल्प चुनने की तिथि से निर्धारित करने के निर्देश गन्ना आयुक्त के परिपत्र दिनांक 3-9-82 द्वारा समस्त जिला गन्ना अधिकारियों एवं परिषदों को जारी किये गये थे।

लखनऊ, नाका हिंडोला के भांग के ठेके का पंजीयन

14–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में नाका हिंडोला भांग का ठेका वर्ष 80-81 में 1,31,000 रु0 का हुआ और इस वर्ष रु0 33,800 का खण्ड–7 में लगाया गया है? यदि हां, तो क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया था? यदि हां, तो पंजीयन के लिए कितने रुपए का जमानतनामा लिया गया था? तथा रूप-पत्रों में ठेका की राशि के अनुरूप कर जमा कराया था? यदि नहीं, तो क्या सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की गयी?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां।

करदाता ने पंजीयन के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था किन्तु जांच कार्यवाही में उपस्थित न होने के कारण पंजीयन नहीं दिया गया। पंजीयन जारी न होने के कारण जमानत देने का प्रश्न नहीं उठता। अधिनियम के अन्तर्गत ठेके के अनुरूप कर जमा कराए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। सर्वेक्षण नहीं किया गया। सालवेंसी प्रमाणपत्र बिक्रीकर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। अतः जांच किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सेल टैक्स ट्रिब्यूनल में उपायुक्तों की सदस्यों के पद पर नियुक्ति

15–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल में उपायुक्तों की पदोन्नति सदस्यों के रूप में शासन आदेश संख्या बिक0-3510/दस- 83- 221/79 दि0 11-8-83 से ही हो गयी है और इन सदस्यों ने ता0 13-8-83 से 20-8-83 तक अपने नए पदों का कार्य ग्रहण किया है? यदि हां, तो क्या नवसृजित पदों पर सदस्यों की नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र के नोटीफिकेशन को जारी किए बिना ही कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां। विभागीय प्रोन्नति द्वारा चयनित सदस्यों की नियुक्ति हुई है। अधिकार क्षेत्र की विज्ञप्ति जारी होने तक अध्यक्ष बिक्रीकर अधिकरण द्वारा नियमों के अन्तर्गत सदस्यों को केस स्थानान्तरित करके कार्य आवंटित किया जाता है।

भूमि अध्याप्त कार्यालयों के अमीनों का यात्रा भत्ता

16–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि विशेष भूमि अध्याप्त कार्यालयों में कार्यरत अमीनों को यात्रा भत्ता दिया जाना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से तथा निर्णय कब तक हो जायगा एवं भत्ता किस दर से दिया जायगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

भूमि अध्याप्त कार्यालयों में कार्यरत अमीनों को इस समय नियत यात्रा भत्ता दिया जाता है। इनको नियमित यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव शासन में वर्ष 1980 में प्राप्त हुआ, जो शासन के विचाराधीन है। इसके निर्णय में समय लगेगा। निर्णय हो जाने पर ही भत्ते की दर बताना सम्भव होगा।

इटावा जिले के अप्रशिक्षित लेखपालों की सेवा समाप्ति

17–श्री धनीराम वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजाज्ञा संख्या 67/1/76-597 आर0 पी0 बी0 दि0 फरवरी, 22, 1982 तथा टेलेक्स/रेडियोग्राम दि0 22-5-82

के अनुसार किसी जनपद में तब तक अप्रशिक्षित लेखपाल कार्यरत रहेंगे जब तक कि प्रशिक्षित लेखपाल उपलब्ध नहीं हो जावेंगे? यदि हां, तो 20-10-82 को जनपद इटावा में करीब 28 अप्रशिक्षित लेखपाल हटाए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त राजाज्ञा एवं रेडियोग्राम के अनुसार हटाए गये लेखपालों को अविलम्ब कार्यरत करवाएगी और उन्हें प्रशिक्षित करवाकर सेवा में बनाये रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

रेडियोग्राम, दिनांक 22-5-82 द्वारा प्रशिक्षित लेखपालों के उपलब्ध होने पर अप्रशिक्षित लेखपालों को हटाए जाने के सम्बन्ध में निदेश जारी किये थे।

जनपद इटावा में 28 अप्रशिक्षित लेखपालों को निम्नलिखित कारणों से हटाया गया :–

(1) 23 प्रशिक्षित लेखपाल उपलब्ध हो गये थे।

(2) परिषदादेश दिनांक 8-5-80 द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि 8-5-80 के पश्चात् कोई भी अप्रशिक्षित लेखपाल न नियुक्त किया जाय। परन्तु संदर्भित सभी 28 अप्रशिक्षित लेखपाल 8-5-80 के बाद नियुक्त किये गये थे। अतः शेष 5 अप्रशिक्षित लेखपालों की सेवायें भी 20-10-82 को समाप्त कर दी गयीं।

8-5-80 के बाद नियुक्त किये गये अप्रशिक्षित लेखपालों को सेवा में न रखने का निर्णय हो चुका है अतः उन्हें प्रशिक्षित कराने एवं सेवा में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज में पुनः चकबन्दी

18–श्रीमती कमला साहनी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1955 में डुमरियागंज जनपद बस्ती में जो चकबन्दी हुई थी वहां पुनः चकबन्दी कराई जा रही है? यदि हां, तो डुमरियागंज तहसील का वह भाग जो 1959 में नई तहसील खुल जाने से नौगढ़ तहसील में चला गया था, क्या उक्त भाग की चकबन्दी पुनः कराई जायगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

पुरानी तहसील डुमरियागंज का वह भाग जो 1959 में नई तहसील खुल जाने से नौगढ़ तहसील में चला गया है, में पुनः चकबन्दी कराने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

लखनऊ के श्री अमर सिंह जगत पाल पर लगाया गया बिक्री कर एवं सालवेंसी प्रमाण-पत्र

19–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय की खण्ड 9 में वर्ष 82-83 में अमर सिंह जगत पाल पर 38,500 रु0 कर लगाया गया है? यदि हां, तो क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया तथा कितने की जमानत ली गयी? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां। वर्ष 1982-83 के लिए सर्वश्री अमर सिंह जगत पाल पर रु0 38,500.00 बिक्रीकर लगाया गया है। करदाता ने पंजीयन के लिए आवेदन पत्र दिया था। जांच हेतु बुलाए जाने पर

वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने जांच में सहयोग नहीं दिया। अत: पंजीयन प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया गया। बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यकतानुसार जमानत मांगने का प्राविधान है। चूंकि पंजीयन प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया गया था अत: जमानत लेने का प्रश्न नहीं था।

20—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि माहवारी फार्म—4 व कर जमा किया गया? यदि हां, तो कितना रुपया जमा किया गया? यदि नहीं, तो कब अस्थायी आदेश पारित किए गये? क्या सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की गयी? बकाया में से कितना धन वसूल हुआ और राजस्व की हानि के लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री ब्रह्मदत्त—

व्यापारी ने माहवारी फार्म—4 व कर जमा नहीं किया। उस पर आदेश दिनांक 27-8-82, 20-12-82 व 19-1-83 द्वारा अस्थायी आदेश पारित करते हुए कुल रु0 38,500.00 कर लगाया गया है। सर्वेक्षण दिनांक 7-8-82 को किया गया था। सालवेंसी प्रमाण-पत्र आबकारी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। अत: उनकी जांच बिक्री-कर विभाग द्वारा नहीं की जाती है। बकाया में से कोई धनराशि अभी वसूल नहीं हुई है। बकाया धनराशि अपलेखित नहीं है अत: यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्व की हानि हुई है। फलत: राजस्व की हानि के लिए किसी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, बारा बिरवा, काकोरी एवं तेलीबाग में ताड़ी का ठेका और सालवेंसी प्रमाण-पत्र

21—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में वर्ष 80-81 में बारा बिरवा, काकोरी व तेलीबाग में ताड़ी का ठेका रामचन्द्र के नाम से रु0 5,30,000 का नीलाम हुआ? क्या इस व्यापारी ने पंजीयन कराया? यदि हां, तो कितने रुपये की जमानत ली गयी? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त—

उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 80-81 के लिए बारा बिरवा, काकोरी व तेलीबाग में ताड़ी का ठेका श्री राम चन्द्र पुत्र श्री बाबू लाल जैसवाल—रानीगंज, लखनऊ व श्री बिन्द्रा सिंह पुत्र श्री शिवदत्त सिंह, बारा बिरवा, लखनऊ ने रु0 5,30,000 में लिया था। व्यापारी ने सर्वश्री बिन्द्रा सिंह राम चन्द्र सिंह के नाम से पंजीयन कराया है। जमानत नहीं ली गयी है। दिनांक 25-2-81 को पंजीयन जारी करते समय यह पाया गया कि व्यापारी ने उस समय तक नियमित रूप से नक्शा व कर दिया है। इसके आचरण को देखते हुए जमानत प्राप्त नहीं की गई है।

22—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या माहवारी फार्म—4 व कर जमा किया? यदि हां, तो कितना कर जमा किया गया? यदि नहीं, तो क्या अस्थायी कर आदेश पारित किए गये? यदि हां, तो कब? क्या सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की

गयी? कितना कर निर्धारण हुआ तथा कितना बकाया रहा, कितना वसूल हुआ तथा कितना मारा गया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री ब्रह्मदत्त–

व्यापारी ने जनवरी 81 को छोड़कर माहवारी फार्म–4 व कर जमा किया है। कुल रु0 14,428.00 जमा किया गया है। अस्थायी कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किये गये हैं। सर्वेक्षण दिनांक 20-2-81 को किया गया था। सालवेंसी प्रमाण-पत्र बिक्रीकर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं और न ही उनकी जांच बिक्रीकर विभाग द्वारा की जाती है। वर्ष-80-81 के लिए अन्तिम रूप से रुपया 64,000.00 बिक्रीकर लगाया गया था। अवशेष बिक्रीकर रु0 49,572.00 है। उक्त बकाया में से कोई धनराशि वसूल नहीं हुई है। वसूली कार्यवाही जारी है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कर मारा गया फलतः राजस्व हानि के लिए किसी के जिम्मेदार होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम प्रधान, भुबरा, जिला रामपुर का, श्री अकबर अली, लेखपाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

23–श्री बलवीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 19-9-83 जिसमें लेखपाल अकबर अली के विरुद्ध रामलाल, प्रधान, ग्राम समाज भुबरा, मुस्तहकम पो0 मसवासी, जिला रामपुर का कोई शिकायती-पत्र जिसके पाने की सूचना उनके पत्र सं0 6663/रा0 म0 83, दि0 22-9-83 द्वारा दी गयी है, के बारे में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत शिकायती पत्र के सम्बन्ध में परगनाधिकारी स्वार जनपद रामपुर से जांच करायी गयी और जांच के उपरान्त लेखपाल श्री अकबर अली को क्षेत्र से स्थानान्तरित कर दिया गया।

वाराणसी जिले की गांव सभा हृदयपट्टी की आवंटित भूमि का बैनामा

24–श्री उदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव रामपुर धसकरी गांव सभा हृदयपट्टी, परगना भदोई, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी की आराजी नं0 45/6 रकबा 3 1/2 बीघा 45/3 रकबा 2 बीघा का आवंटन (पट्टा) गांव सभा हृदयपट्टी की भूमि प्रबन्धक समिति ने सीता राम, शंकर राजबली राजपूत हृदयपट्टी के नाम किया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पट्टा ग्राहिताओं ने उपरोक्त आवंटित भूमि का बैनामा राम अचल आधा प्रसाद, विश्वनाथ, श्रीमती बिटना देवी ग्राम सभा राघवपुर के नाम 27-4-79 को कर दिया? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? क्या यह सही है कि सरकार ने एक कानून सन् 77 में लागू किया है कि आवंटित भूमि को बेचा नहीं जायेगा और बैनामे पर प्रतिबन्ध लगा दिया है? यदि हां, तो यह आवंटित भूमि किस आधार पर बैनामा कर दी गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्न में वर्णित समस्त तथ्य जांचोपरान्त सही पाये गये।

यह भी सही है कि वर्ष 1977 में बनाये गये कानून द्वारा आवंटित भूमि के विक्रय/बैनामे पर प्रतिबन्ध लगाया है किन्तु प्रकरण में अवैधानिक विक्रय

का उत्तरदायित्व सम्बन्धित व्यक्तियों का है। अवैधानिक बैनामें के आधार पर दाखिल खारिज किये जाने के सम्बन्ध में जिस अधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है तथा अवैध बैनामों के आधार पर पारित आदेशों को निरस्त करने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

चकबन्दी अधिकारियों एवं सहायक चकबन्दी अधिकारियों का मकान भत्ता

25–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारियों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को आवासीय सुविधा तथा मकान भत्ता न दिए जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार चकबन्दी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को आवासीय सुविधा तथा मकान भत्ता अन्य सरकारी सेवकों की भांति ही दिया जाता है।

वित्त स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग सचिवालय, लखनऊ के सहायक श्री देवेन्द्र नाथ के विरुद्ध शिकायतीपत्र

26–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रेषित श्री हरवंश प्रसाद पाण्डेय, सदस्य (बांदा) के अर्ध शासकीय पत्र दि0 30-8-83 जो कार्यरत सहायक श्री देवेन्द्र नाथ, वित्त स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग, सचिवालय, लखनऊ के विरुद्ध की गयी गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत से सम्बन्धित है, पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बृहमदत्त–

शिकायत की जांच की जा रही है।

जिला निबन्धक, फर्रुखाबाद के आशुलिपिक, श्री फूल सिंह से लिया जाने वाला कार्य

27–श्री सरदार सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला निबन्धक (फर्रुखाबाद) अपने आशुलिपिक श्री फूल सिंह से निबन्धन कार्यालयों के स्थानान्तरण आदेश निरीक्षण टिप्पणियां, स्थानीय डाक का भेजना, जो सामान्य कार्य में आता है, लिया करते थे? यदि हां, तो इस कार्य हेतु नियुक्त लिपिकों से कौन सा कार्य लिया जाता है?

श्री बृहमदत्त–

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

मथुरा जिले की मांट तहसील में अतिवृष्टि से हुई क्षति

28–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, सितम्बर, 83 को अतिवृष्टि के कारण मथुरा जनपद की मांट तहसील के अधिकांश भाग में खरीफ की फसल नष्ट हो गयी थी ? यदि हां, तो शासन की ओर से पीड़ित किसानों को क्या-क्या मदद की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

माह अगस्त एवं सितम्बर, 1983 में हुई अतिवृष्टि के कारण तहसील मांट के 323 ग्रामों में से 165 ग्रामों की खरीफ की फसल को 75 पैसे से 100 पैसे तक की क्षति हुई । 127 प्रभावित ग्रामों के 5695 किसानों को रु0 2,77,950 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई । जिन व्यक्तियों के मकान आंशिक एवं पूर्णतया क्षतिग्रस्त

हुए थे, ऐसे 91 ग्रामों के 1261 व्यक्तियों को रु0 2,50,000 गृह निर्माण अनुदान तथा तकावी मद में 58 ग्रामों के 280 व्यक्तियों को रु0 1,10,000 वितरित किया गया । असहाय एवं अक्षम व्यक्तियों को 10 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति नि:शुल्क गेहूं का वितरण कराया गया । पानी में डूबने अथवा मकान या दीवाल गिरने से मृत 8 व्यक्तियों के परिवार वालों को रु0 1000 प्रति परिवार की दर से अनुग्रह अनुदान प्रदान किया गया । मनुष्यों एवं पशुओं की बीमारी की रोक-थाम हेतु प्रभावित ग्रामों में नि:शुल्क दवायें बांटी गईं और पशुओं के टीके लगवाये गये ।

जिन गांवों में आवागमन के रास्ते जल भराव के कारण अवरुद्ध हो गये थे, उनमें आवागमन हेतु नावों का प्रबंध किया गया । जल भराव वाले क्षेत्रों से पंपिंगसेट की व्यवस्था कर पानी निकलवाया गया और रबी की फसल की बुवाई समय से कराई गई । प्रभावित ग्रामों में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से चीनी एवं मिट्टी के तेल का वितरण कराया गया ।

उपरोक्त के अतिरिक्त 165 प्रभावित ग्रामों की मालगुजारी में रु0 5,20,122 की छूट का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मथुरा जिले के विधान सभा क्षेत्र छाता एवं गोवर्धन के अन्तर्गत अतिवृष्टि से हुई क्षति

29–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, सितम्बर, 83 को अतिवृष्टि से विधान सभा क्षेत्र छाता एवं गोवर्धन की खरीफ की तमाम फसल नष्ट हो गयी थी ? यदि हां, तो शासन ने क्या-क्या राहत कार्य किए?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

माह अगस्त, एवं सितम्बर, 1983 में हुई अतिवृष्टि के कारण मथुरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र छाता में खरीफ की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक तथा गोवर्धन में 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक क्षति पहुंची । प्रभावित कृषकों को राहत देने हेतु मालगुजारी में नियमानुसार छूट प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त प्रभावित व्यक्तियों को 3,06,950 रु0 अहेतुक सहायता, 4,86, 580 रु0 गृह अनुदान तथा 1,27,000 रु0 तकावी के रूप में वितरित किया गया।

मथुरा जिले की तहसील सादाबाद में अतिवृष्टि से हुई क्षति

30–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, सितम्बर, 83 में अतिवृष्टि के कारण मथुरा जनपद की तहसील सादाबाद के अनेक गांवों की खरीफ की फसल नष्ट हुई थी ? यदि हां, तो शासन ने पीड़ितों की क्या मदद की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

माह अगस्त एवं सितम्बर, 1983 में जनपद मथुरा में हुई अतिवृष्टि का प्रभाव तहसील सादाबाद के 100 ग्रामों पर पड़ा था जिसमें से 67 ग्रामों की खरीफ फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई थी । प्रभावित ग्रामों के 3,022 व्यक्तियों को रु0 1,56,440 अहेतुक सहायता व 416 व्यक्तियों को,

जिनके मकान वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए थे, रु0 86,600 गृह अनुदान वितरित किया गया तथा 295 किसानों को रु0 1,02,950 तकाबी वितरित की गई।

तहसील सादाबाद में असहाय एवं अक्षम व्यक्तियों को 10 किलो प्रतिमाह प्रति व्यक्ति मुफ्त गेहूं का वितरण कराया गया । पानी में डूबने अथवा दीवार गिरने से मृत 7 व्यक्तियों के परिवारजनों को रु0 1000 प्रति परिवार की दर से अनुग्रह अनुदान भुगतान दिया गया। मनुष्यों एवं पशुओं में बीमारी की रोकथाम हेतु मुफ्त दवायें वितरित की गई और पशुओं के टीके लगवाये गये । जलभराव वाले क्षेत्रों में पंपिंग सेट्स की व्यवस्था करके पानी निकलवा कर रबी की फसल की बुवाई कराई गई । जिन ग्रामों में आवागमन के मार्ग अवरुद्ध थे, वहां आवागमन की सुविधा हेतु नावों का प्रबंध किया गया । सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से चीनी व मिट्टी के तेल आदि का वितरण कराया गया ।

तहसील सादाबाद के 67 ग्रामों में रु0 1,22,356 की मालगुजारी की छूट का प्रस्ताव विचारधीन है ।

तहसील हेड क्वार्टरों पर उपलब्ध खतौनी की नकल प्रति

31—श्री बलवीर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हेडक्वार्टर पर जो खतौनी नकल किसानों को नकल देने हेतु एक प्रति रखी होती है क्या उसमें जमीनों के खरीद व फरोख्त रहने अथवा अन्य अमल-दरामद लेखपालों की खतौनी के अनुसार होते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

सहायक अध्यापक, श्री रामा नन्द शर्मा, गांधी इण्टर कालेज, दढ़ियाल, रामपुर का प्रार्थना-पत्र

32—श्री बलवीर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दि0 7-4-83 जिसके पाने की सूचना अ0प0सं0एम0 155/1-8/83 रा0-8, दिनांक 11 मई 83 द्वारा दी गयी है, के बारे में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 7-4-1983 के साथ प्राप्त श्री रामानन्द शर्मा, सहायक अध्यापक, गांधी इण्टर कालेज, दढ़ियाल, रामपुर के प्रार्थना-पत्र पर मुख्यालय के अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी । जांच में पायी गयी अनियमितताओं को दुरुस्त करने तथा दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, मुरादाबाद को निर्देश दे दिये गये हैं ।

बाजपुर, चीनी मिल, नैनीताल के श्रमिक संघ का प्रार्थना-पत्र

33—श्री बलवीर सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दि0 7 अप्रैल, 83 जिसमें बाजपुर चीनी मिल (नैनीताल) में व्याप्त अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, जिसके पाने की सूचना उनके पत्र सं0 447/83, दि0 23-4-83

द्वारा दी गयी है, के बारे में अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

मा0 प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 7-4-83 के बजाय दिनांक 8-4-83 का प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त पत्र के साथ चीनी मिल श्रमिक संघ, बाजपुर नैनीताल के पत्र दिनांक 26-3-1983 में अंकित शिकायतों तथा मांगों विषयक बिन्दुओं पर कार्यवाही करायी गयी। शिकायती बिन्दु जांचोपरान्त निराधार पाये गये तथा मांगों विषयक बिन्दुओं पर मिल की वित्तीय स्थिति के अनुसार यथोचित कार्यवाही करायी गयी।

34–श्री बलवीर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

35–श्री बलवीर सिंह–

[पुनर्विचार पर निरस्त]

गन्ना कृषकों द्वारा गन्ने की बिक्री एवं उनकी गन्ना रिपोर्ट

36–श्री बलवीर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन सदस्यों ने पिछले वर्ष 80-81 तथा 81-82 में गन्ना नहीं बेचा है और इस वर्ष बेचा है, उनकी (सदस्यों की) गन्ना रिपोर्ट किताब नहीं बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक बना दी जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

जिन सदस्यों ने वर्ष 80-81 तथा 81-82 में गन्ना नहीं बेचा है और 82-83 में बेचा है उन सभी सदस्यों के सट्टे किये जाने के आदेश हैं।

लखनऊ के भांग डीलर श्री शीतल प्रसाद पर लगाया गया बिक्री कर एवं सालवेंसी प्रमाण-पत्र

37–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के बिक्री कर कार्यालय में खण्ड 3 में शीतल प्रसाद भांग डीलर पर रु0 35,000 वर्ष 81-82 में कर लगाया गया ? यदि हां, तो क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया ? यदि हां, तो कितने की जमानत ली गयी ? क्या माहवारी फार्म-4 पर कर जमा किया गया ? यदि हां, तो कितना रुपया जमा किया गया ? यदि नहीं, तो कब अस्थायी आदेश पारित किए गये? क्या सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की गयी ? यदि नहीं, तो राजस्व को हानि के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

लखनऊ के बिक्री कर कार्यालय खण्ड-5 में शीतल प्रसाद भांग डीलर पर वर्ष 81-82 के लिए अंतिम रूप से 37,300-00 बिक्रीकर आरोपित किया गया था न कि रु0 35,000। करदाता ने पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः जमानत लेने का प्रश्न नहीं उठता है। कर दाता ने मासिक फार्म-4 प्रस्तुत नहीं किए और न कोई कर जमा किया। दिनांक 10-2-82 को माह अप्रैल 81 से जनवरी 82 तक के प्रत्येक माह के लिए पृथक्-पृथक् अस्थाई आदेश पारित करते हुए कुल रुपये 35,000 कर आरोपित किया गया था। अधिकारी ने दिनांक 9-2-82 को सर्वे करने का प्रयास किया था। किन्तु असामाजिक तत्वों द्वारा चलाये जा रहे उपद्रवकारी आन्दोलन के कारण सर्वे नहीं हो पाया।

सालवेंसी प्रमाण-पत्र तहसील अधिकारियों के समक्ष प्रेषित किये जाते हैं तथा जांच उन्हीं के द्वारा की जाती है। आरोपित कर की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। अतः राजस्व की हानि के लिए किसी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता।

38—श्री पंचानन राय—

[दिनांक 28-2-84 को अता0 प्र0 सं0 152 द्वारा उत्तरित]

आजमगढ़ जिले के ग्राम गोसाईं बाजार के मो0 उस्मान द्वारा भूमि पर अनधिकृत कब्जा

39—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मो0 उस्मान ग्राम बाजार गोसाईं, तह0 सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के आवंटन में प्राप्त भूमि पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से सम्बन्धित शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-7-83 के साथ तहसीलदार सगड़ी, जनपद आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

प्रार्थना-पत्र की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि श्री मो0 उस्मान को कोई आवासीय आवंटन नहीं किया गया बल्कि श्री मो0 उस्मान ने स्वयं ही आराजी सं0 287 क्षेत्रफल-044 कड़ी पर दीवार बनाकर अनधिकृत कब्जा कर लिया है। इनके विरुद्ध धारा 115-सी के अन्तर्गत वाद संख्या 34 तहसीलदार सगड़ी के न्यायालय में 20-4-83 से विचाराधीन है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम मेघई खास के श्री झग्गड़ राम द्वारा ली गयी तकाबी

40—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री झग्गड़ राम, ग्राम मेघई खास, तह0 सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के नाम 600 रु0 फर्जी तकाबी निकाले जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र 15-8-83 तहसीलदार, सगड़ी (आजमगढ़) को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिलाधिकारी, आजमगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार माननीय प्रश्नकर्ता विधायक का प्रश्नगत पत्र दिनांक 15-8-83 तहसीलदार, सगड़ी को नहीं प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में श्री झग्गड़ राम का एक पत्र दिनांक 5-8-83 को तहसीलदार, सगड़ी को प्राप्त हुआ था जिस पर उन्होंने क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा जांच कराई। जांच से ज्ञात हुआ कि श्री झग्गड़ राम ने स्वतः बयान दिया है कि उनके विरुद्ध बकाया धनराशि बेबाक हो चुकी है, अतः अब इस संबंध में उन्हें कोई शिकायत नहीं है।

41—श्री सरदार सिंह—

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के ग्राम निजामुद्दीनपुर में हुई चकबन्दी सम्बन्धी पत्र

42—श्री बदन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम निजामुद्दीनपुर, तह0 व जिला लखनऊ में चकबन्दी के दौरान दिये गये चकों पर निशानदेही करके

कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह यादव, नेता विरोधी दल, विधान परिषद् के दो पत्र दिनांक 25-3-83 तथा 10-8-83 शासन को प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो क्या उनको निशानदेही करके उन पर कब्जा दिलाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

43–श्री यदुनाथ सिंह–

[पुनर्विचार पर निरस्त]

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में घाघरा नदी से कटाव

44–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील की कितनी जमीन 1 जनवरी, 1983 से 10-12-83 के मध्य कटाव के कारण घाघरा नदी में विलीन हो गई है? कटाव से पीड़ित किसानों के लिये क्या राहत कार्य किये गये हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जांच से ज्ञात हुआ कि तहसील सगड़ी के ग्राम रसूलपुर भैया में 86 एकड़ तथा दवारा अचल सिंह में 4 एकड़ भूमि कुल मिलाकर 90 एकड़ भूमि कटाव के कारण 1-1-83 से 10-12-83 तक की अवधि में घाघरा नदी में विलीन हो गई है।

कटान से प्रभावित ग्राम रसूलपुर भैया के किसानों को 50/- रु0 प्रति परिवार के हिसाब से कुल 65 परिवारों को 3250/- रु0 अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया है और इनको दोनों किश्तों की भू राजस्व में छूट देने के सम्बन्ध में जेड0 ए0 रूल के नियम 205 बी के अन्तर्गत छूट दिये जाने के संबंध में तहसील में कार्यवाही की जा रही है।

शेष 4 एकड़ आबादी की भूमि से संबंधित 55 परिवारों को 400/- रु0 प्रति परिवार के हिसाब से कुल 22,000/- रु0 गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया। गृह विहीन सभी परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्थित कर दिया गया है।

बिक्री कर कार्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

45–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर आयुक्त के कार्यालय में काम करने के लिये दैनिक वेतन पर कर्मचारी सरकारी काम को करने के लिये रखे जाते हैं? यदि हां, तो वर्ष 1-4-78 से 30-11-83 तक प्रत्येक वर्ष में दैनिक वेतन पर कितने कर्मचारी रखे गये? इनको कितना वेतन दिया गया? ये कर्मचारी कहां कार्य किये और कितनी-कितनी अवधि तक कार्यरत थे?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां।

प्रत्येक वर्ष में दैनिक वेतन पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की कोई संख्या नियत नहीं है। ये कर्मचारी वर्ष में समय-समय पर कार्य की अधिकता और नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अभाव में रख लिये जाते हैं, जिनकी आंसतन वर्षवार संख्या निम्नवत् रही है:-

वर्ष	संख्या
1978-79	8
1979-80	15
1980-81	16
1981-82	19
1982-83	19
1-4-83 से 30-11-83 तक	13

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वर्षवार भुगतान की गयी धनराशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	धनराशि
1978-79	रुपये 11,758/-
1979-80	,, 24,998/-
1980-81	,, 29,991/-
1981-82	,, 35,538/-
1982-83	,, 34,802/-
1-4-83 से 30-11-83 तक	,, 24,432/-

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने माली, चौकीदार, फर्राश, स्वीपर, बिजली मिस्त्री हेल्पर के रूप में कार्य किया है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को एक ह्रास अवधि हेतु नहीं रखा गया, अपितु समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार यह लगाये जाते रहे।

गोरखपुर जिले के ग्राम सोनाटीकर के बाढ़ग्रस्त परिवारों के पुनर्वासन हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही

46—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व अनुभाग-2 में जिला अधिकारी गोरखपुर द्वारा ग्राम सोनाटीकर, तह0 फरेन्दा, जिला गोरखपुर के बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई भूमि अध्याप्ति किए जाने की योजना है? यदि हां, तो पूर्ण रूपरेखा क्या है तथा उसकी पूर्ण घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

राजस्व अनुभाग-2 में नहीं किन्तु राजस्व अनुभाग-11 में जिला गोरखपुर की तहसील फरेंदा के ग्राम सोनाटीकर में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित करने हेतु भूमि अध्याप्त करने के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बाढ़ विस्थापितों के पुनर्वासन हेतु 4.75 एकड़ भूमि अर्जन करने के लिये भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 30-12-83 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के अन्तर्गत संबंधित भूस्वामियों की आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा शासन को उक्त भूमि की अध्याप्ति संबंधी धारा 6 की विज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव भेजा जायेगा जिसके उपरान्त ही शासन द्वारा भूमि अध्याप्ति की यथा समय अन्तिम विज्ञप्ति जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

गोरखपुर जिले के ग्राम नदुआ बाजार की ग्राम समाज की भूमि

47—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के ग्राम नदुआ बाजार से सम्बन्धित भूमि, जिस पर भू0 पू0 जमीन्दारों का आधिपत्य और इनके द्वारा ग्राम समाज का प्रतिवर्ष हो रहे लगभग 35 हजार रुपये के दुरुपयोग से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता की शिकायत वर्ष 1980 से अब तक बराबर शासन व जिले के अधिकारियों को की गयी है? यदि हां, तो क्या यह मामला शासन के तरफ से परीक्षण हेतु राजस्व परिषद् को प्रेषित है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या परिणाम सामने आए है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

विवरण एकत्र किया जा रहा है।

गोरखपुर जिले के कतिपय ग्रामों में धोबी घाट एवं कपड़ा सुखाने हेतु भूमि का आरक्षण

48—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि जनपद

गोरखपुर की तह0 सदर के ग्राम रोहा खैरखूटा, डीहघाट व जंगल गौरी नं0 1 से सम्बन्धित गांवों में धोबीघाट व कपड़ा सुखाने हेतु भूमि के साथ-साथ सार्वजनिक मार्ग सीधा व उचित चौड़ाई में छोड़ने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र शासन व जिले के अधिकारियों को वर्ष 1981 से माह जून, 1983 तक प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

ग्राम रोहा में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत धोबी घाट व कपड़ा सुखाने के लिए भूमि का आरक्षण नियमानुसार कर दिया गया है । ग्राम जंगल गौरी नं0 1 जो चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत है, में धोबी घाट व कपड़ा सुखाने के लिये 0.16 डि0 भूमि आरक्षित की गयी है । ग्राम डीहघाट में चकबंदी प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई भूमि धोबी घाट के नाम से नहीं छोड़ी गई है और न इस प्रयोजन हेतु सुरक्षित ही की गयी है । ग्राम खैरखूटा की परताल अभी तक नहीं हुई है । नियमानुसार परताल आदि समाप्त होने पर तथा चकबंदी अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत प्रकाशन होने पर आवश्यकतानुसार इस ग्राम में धोबीघाट व कपड़ा सुखाने आदि के लिए भूमि का आरक्षण किया जा सकेगा ।

गोरखपुर जिले की तहसीलों में कृषि विभाग के छटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति और महाराजगंज तहसील में उक्त कर्मचारियों की सेवा समाप्ति एवं शिकायती पत्र

49–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसीलों में कृषि छंटनीशुदा कर्मचारी वर्ष 1980 से अब तक चपरासी व अमीन आदि पदों पर कितने-कितने समय तक के लिए रक्खे गये ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद गोरखपुर की समस्त तहसीलों में कृषि छटनीशुदा कर्मचारियों में से वर्ष 1980 में 13, वर्ष 1982 में 14 और वर्ष 1983 में 14 कर्मचारी पूर्ण वर्ष कालिक अमीन के पद पर नियुक्त किये गये और अब तक कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त सामयिक पदों पर वर्ष 1980 में 6 चपरासी, वर्ष 1981 में 18 अमीन व 13 चपरासी, वर्ष 1982 में 18 अमीन व 7 चपरासी, वर्ष 1983 में 12 अमीन व 11 चपरासी, सामयिक पदों पर रखे गये ।

50–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि तह0 महाराजगंज में कृषि विभाग के छटनीशुदा बहुत से कर्मचारी जो अल्पकालिक या पूर्णकालिक पदों पर कार्यरत रहे हैं उनमें से अधिकांश को हटा कर नई नियुक्तियां की गयी हैं और उनको पुनः सेवा में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

तहसील महाराजगंज के कृषि विभाग के छटनीशुदा कर्मचारी जो अल्पकालिक पदों पर वर्ष 1982 में कार्यरत रहे हैं उनकी वसूली सबसे कम पाये जाने के कारण 4 सामयिक संग्रह अमीन तथा 2 सामयिक संग्रह चपरासियों को वर्ष 1983 में सेवा में नहीं रखा गया और रिक्त स्थानों पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई । किसी पूर्ण वर्ष कालिक संग्रह अमीन/चपरासी को नहीं हटाया गया है ।

उनको पुनः सेवा में न लिये जाने का कारण उनकी सरकारी कार्य में अरुचि एवं कम वसूली है ।

51–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता की एक ऐसी ही शिकायत पर राजस्व परिषद्, लखनऊ से माह फरवरी, 83 में कोई अधिकारी, तह0 महाराजगंज या गोरखपुर गए थे ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र की जांच में क्या-क्या बातें मिलीं और क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नकर्ता की शिकायत पर राजस्व परिषद् लखनऊ के एक अधिकारी गोरखपुर तहसील महाराजगंज मार्च 1983 में जांच हेतु गये थे। जांच से यह पता चला कि 6-5-81 को अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के उपरान्त एक सूची 102 व्यक्तियों की बनाई गयी थी जिसमें से क्रमवार 35 उम्मीदवारों की नियुक्तियां की गयीं और शेष के लिये यह आदेश हुये कि स्थान रिक्त होने पर सूची के क्रमानुसार नियुक्तियां की जायेंगी । श्री राम कुंवर, सहायक वासिल बाकी नवीस द्वारा प्रति व्यक्ति रिश्वत लेने तथा फर्जी वेतन निकालने की बात सिद्ध नहीं हुई । शेष का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के ग्राम धनौती के ग्रामवासियों का पत्र

52–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की तह0 सलेमपुर के ग्राम धनौती से सम्बन्धित ग्रामवासियों के पत्र के साथ माह फरवरी, 82 में प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायती-पत्र उन्हें दिया था जिसकी प्राप्ति स्वीकृति उनके पत्रांक 577/रा0मं0/82 दि0 26-2-82 द्वारा तथा इसी पत्र पर मुख्य मन्त्री ने अपने पत्रांक एम/1935/सी0एम0 81–82, दि0 15-4-82 द्वारा की है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या शिकायतकर्ताओं को भी जांच के लिए बुलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

53–श्री बिहारी लाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

नैनीताल जिले के धारी को उप तहसील बनाये जाने की मांग

54–श्री बिहारी लाल–

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरे नैनीताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड ओखलकाड़ा एवं धारी के मध्य कोई उप तहसील खोलने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक यह उप तहसील खोली जायगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपदनैनीताल में उप तहसील धारी बनाये जाने के प्रस्ताव पर अन्य प्रस्तावों के साथ यथास्थिति विचार अष्टम वित्त आयोग से सहायता प्राप्त होने पर किया जायेगा ।

लखनऊ जिले के ग्राम अहमदखेड़ा के रास्ते पर अनधिकृत कब्जा

55–श्री राम अंतार दीक्षित–

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि अहमदपुर खेड़ा के काश्तकार ने ग्राम डेरवा, जनपद लखनऊ में स्थित अपने आराजी नं0 49 में नक्शे में बने चक रोड नं0 51 तथा सिंचाई की नाली को मिला लिया है? इसका एक शिकायती-प्रार्थना-पत्र दि0 5-9-83 को ग्राम

डेरवा, जनपद लखनऊ के निवासियों द्वारा राजस्व मन्त्री जी को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

खसरा संख्या 49 के खातेदार श्री इब्राहीम पुत्र श्री सज्जाद खां, श्री एजाज खां पुत्र श्री बेचू खां, श्री अबदुल्ला खां पुत्र यूसुफ खां व श्री इफ्तिखार खां पुत्र जुल्फिकार खां निवासीगण ग्राम अहमदखेड़ा परगना महोना तहसील मलिहाबाद ने खसरा संख्या 51 रकबा 1 वि0 14 बिस्वांसी, जो रास्ता दर्ज है, पर अनाधिकार कब्जा कर लिया है । खसरा संख्या 51 में नाली का कोई नम्बर नहीं है ।

जी हां ।

इस पर जांच करायी गयी । जांच के उपरान्त अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा 122-बी ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधि0 के अन्तर्गत वाद तहसीलदार मलिहाबाद के न्यायालय में दायर किया गया, जो विचाराधीन है ।

56–श्री यदुनाथ सिंह–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

57–श्री मुहम्मद आजम खां–

[दिनांक 17-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–18 द्वारा उत्तरित।]

फैजाबाद जिले के ग्राम मोठेपुर की चकबन्दी सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

58–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित ग्राम मोठेपुर, तह0 टांडा, जिला फैजाबाद 3/8/28677 चक एवं चकमार्ग खुलवाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिनांक 9-8-83 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

संदर्भ संख्या 318 तारीख फैसला 28-6-77 के अनुसार गाटा संख्या 142, 149, 150 पर चकरोड दी गयी है । इस समय खेतों में फसल खड़ी है। फसल कटने पर चकों व चक मार्ग की पैमाइश करा दी जायेगी।

बस्ती जिले के चकबन्दी लेखपालों का स्थानान्तरण

59–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में चकबन्दी लेखपालों का स्थानान्तरण माह जून/जुलाई, 83 में लेखपालों की संख्या अधिक होने के कारण बाहर के जनपदों में कर दिया गया था? क्या यह भी सही है कि पुनः उसके बाद जनपद बस्ती के बन्दोबस्त अधिकारी एवं चकबन्दी लेखपालों की नियुक्ति डुमरियागंज में की गई है? उनकी संख्या क्या है तथा नियुक्ति तिथि क्या है? यदि उक्त जनपद में चकबन्दी लेखपालों की संख्या अधिक थी तो नई नियुक्तियां किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

वहां नये बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने 23-9-83 को कार्यभार ग्रहण किया। इस इकाई में किसी चकबन्दी लेखपाल की नियुक्ति नहीं की गई है।

चूंकि किसी लेखपाल की नई नियुक्ति नहीं की गई है इसलिये शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले के कतिपय विकास खण्डों में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि का आवंटन

60–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि आवंटन कार्यक्रम में विकास खण्ड हरिगंटनगंज, मिल्कीपुर, अमानीगंज, जनपद फैजाबाद के किन-किन गांवों में आवंटन कार्य किया गया है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड हरिगंटनगंज, मिल्कीपुर एवं अमानीगंज, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों में, भूमि आवंटन कार्य किया गया है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 160-161 पर ।)

उन्नाव जिले के ग्राम बेहटा नथई के तालाब की मछली की बिक्री

61–श्री मोहन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बेहटा नथई, परगना रुडहा, तह0 व जिला उन्नाव के ग्राम प्रधान ने मछली पकड़ने हेतु 21 सौ रुपये में मछुओं को एक तालाब नं0 307 रकबा लगभग डेढ़ बीघा स्थित मजरा दुर्जन खेड़ा फरवरी, 83 के आखिरी सप्ताह में बेचा, जिसकी शिकायत ग्राम के ही श्री नारायण सिंह ने तहसीलदार, उन्नाव को 2-3-83 को की तथा जिसकी जांच तहसीलदार द्वारा करायी गयी? यदि हां, तो वह जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सर्वश्री नारायण सिंह व राज कुमार सिंह निवासी बेहटा नथई ने तहसीलदार उन्नाव को दिनांक 2-3-83 को प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें तालाब संख्या व क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं है। मामले में तहसीलदार उन्नाव द्वारा जांच करायी गयी। जांच के दौरान छानबीन करने पर आरोप निराधार पाये गये । आरोपों पुष्टि न होने पर दिनांक 18-11-83 को कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

सीतापुर जिले के ग्राम तरसावां के मजरा गंगापुर के खलिहान की भूमि

62–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम तरसावां, तह0 मिश्रिख, जिला सीतापुर के हरिजनों का एक पत्र उन्हें दि0 6 फरवरी, 1981 को प्राप्त हुआ था, जिसमें उक्त ग्राम के कुछ प्रभावशाली सवर्णों द्वारा हरिजनों के खलिहान की जमीन पर चकबन्दी कर्मचारियों की साजिश से कब्जा करने की शिकायत की गयी थी? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की? उन हरिजनों के खलिहान की जमीन अब तक वापस न दिलाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम तरसावां के मजरा गंगापुर के गाटा संख्या 62 मि0-29 डि0, 55/11/0-08 कुल 0-37 डि0 खलिहान पश्चिम तरफ तथा गाटा संख्या 80 मि0 0.09, 81 मि0/0-17, 68/1282/11 मि0/0-3 डि0 कुल 0-61 डि0 खलिहान पूरब तरफ चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत छोड़ा गया जो कि खलिहान के प्रयोग में आती है। जिस पर किसी का कब्जा नहीं है। इस ग्राम में खलिहान हेतु अन्यत्र कोई स्थान चक-

बन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत सुरक्षित नहीं किया गया है। ग्राम सरसावां के मजरा गंगापुर में एक यादव परिवार के अतिरिक्त अन्य सभी हरिजन ही निवास करते हैं जहां पर खलिहान हेतु भूमि सुरक्षित की गयी है।

लखनऊ के विक्टोरियागंज की ताड़ी की दुकान का ठेका

63–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में विक्टोरियागंज दुकान का ताड़ी का ठेका वर्ष 80-81 में रु0 3,90,000 का हुआ था? यदि हां, तो क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया? यदि नहीं, तो क्या उस पर पीनल कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां।

जी नहीं।

जी हां। करदाता के विरुद्ध अर्थ-दण्ड आदेश पारित करके अर्थदण्ड आरोपित किया गया। प्रश्न नहीं उठता।

एटा जिले के पटियाली में नयी तहसील की स्थापना

64–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद एटा की तह0 अलीगंज जिसकी आबादी करीब 8 लाख है, को विभाजित कर मध्य क्षेत्र पटियाली में तहसील बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या सरकार विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए मध्य क्षेत्र पटियाली तहसील बनाने पर विचार करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

शासन द्वारा जनपद एटा में पटियाली में नयी तहसील स्थापित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसको वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की नयी मदों में सम्मिलित कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

बस्ती जिले के अमीनों की नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति

65–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति हेतु स्थायी अमीनों की ज्येष्ठता किस क्रम में है एवं नायब तहसीलदार पद पर कौन-कौन कार्यरत है? ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नतियां कब तक दे दी जायेंगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

इटावा जिले में अतिवृष्टि एवं उपलवृष्टि से हुई फसल को क्षति

66–श्री धनी राम वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि इटावा जनपद में खरीफ 1387 व 1389 तथा रबी व खरीफ 1390 में सूखा अतिवृष्टि और उपलवृष्टि से फसलों को व्यापक क्षति हुई थी? यदि हां, तो किसानों को लगान में अभी तक छूट न दिये जाने का क्या कारण है ? तथा क्या सरकार अतिशीघ्र उक्त फसलों के लगान में छूट के आदेश प्रसारित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां, जनपद इटावा में खरीफ 1387 व 1389 फसली तथा रबी व खरीफ 1390 में सूखा, अतिवृष्टि और उपलवृष्टि से फसलों को व्यापक क्षति हुई थी। जनपद से उक्त फसलों के छूट प्रस्ताव मण्डलायुक्त तथा राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को भेजे गये हैं, किन्तु शासन में अभी तक राजस्व परिषद् की संस्तुति प्राप्त नहीं

हुई है, जिसके लिये अनुस्मारित कराया गया है। राजस्व परिषद् से संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा नियमानुसार विचार कर आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे।

सिक्रीकर आयुक्त, श्री हरीश चन्द्र सक्सेना के विरुद्ध धूरा लेने की शिकायत

67–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले शुक्र0 (दि0 18-2-83) को निर्धारित अता0 प्र0 सं0-101 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस शिकायत की जांच सतर्कता विभाग ने की थी? यदि हां, तो यह जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी नहीं। सतर्कता विभाग द्वारा जांच की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी।

शाहजहांपुर के बहुगुल नदी के जगतपुर घाटपर नाव दुर्घटना में श्री उलफत राम व श्री जगदीश लाल की मृत्यु एवं उनकी ग्रेच्युटी एवं पेंशन

68–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह मई, 83 में बहुगुल नदी के जगत घाट, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में नाव डूब जाने से लेखपाल, श्री उलफत राम व अन्य एक लेखपाल की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजनों को अब तक पेंशन, ग्रेच्युटी तथा बीमा की धनराशि क्यों नहीं दिलाई गयी? क्या मंत्री जी उपरोक्त धनराशि शीघ्रातिशीघ्र दिलवाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

दिनांक 2-5-1983 को हुई नाव दुर्घटना में मृत सर्वश्री उलफत राम एवं जगदीश प्रसाद की पेंशन एवं ग्रेच्युटी के कागजात महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 8-6-1983 को भेजे जा चुके हैं। महालेखाकार से प्राधिकार पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। प्राधिकार पत्र प्राप्त न होने के कारण पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा सका। प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान कर दिया जायगा।

श्री उलफत राम से सम्बन्धित बीमा की धनराशि का चेक प्राप्त हो गया है और तहसील कार्यालय को भुगतान हेतु भेज दिया गया है। श्री जगदीश लाल से सम्बन्धित बीमा की धनराशि का चेक बीमा निदेशालय से जारी हो चुका है। चेक के प्राप्त होने पर बीमा की धनराशि का भुगतान कर दिया जायगा।

गोरखपुर जिले की तहसील महाराजगंज में कृषि विभाग के छंटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति

69–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में भू0 पू0 कृषि के छटनी शुदा कर्मचारियों को संग्रह चपरासी पद पर न रखने, किए कार्य का वेतन न देने एवं नये लोगों को अनियमित रूप से नियुक्त करने आदि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने जुलाई, 1983 से अब तक बराबर शासन को लिखकर सूचित किया है? यदि हां, तो इस दशा में संयुक्त सचिव, राजस्व अनुभाग–6 दिनांक 20 सितम्बर, 83 के पत्र पर अब तक जिलाधिकारी, गोरखपुर ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

70–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो कृषि विभाग के छटनी शुदा कर्मचारी हैं तथा तहसीलों में संग्रह अमीन (पार्ट टाइम या फुल टाइम) पद पर विगत 5 वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी जिले के ग्राम हृदयपट्टी के लेखपाल श्री नन्दलाल श्रीवास्तव के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत और तालाब का कथित पट्टा

71–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री नन्द लाल श्रीवास्तव, लेखपाल हल्का ग्राम हृदयपट्टी, पोस्ट भदोही, जनपद वाराणसी में लगभग 10 साल से एक ही स्थान पर कार्यरत रहकर भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं तथा भूमिहीन हरिजनों के लिए जो जमीन 1976 में आवंटित की गई भी उसकी नाप करने हेतु प्रत्येक हरिजनों से पैसे की मांग कर रहे हैं? यदि हां, तो इसकी जांच करवा-कर लेखपाल को दण्डित करने तथा उसका स्थानान्तरण अन्यत्र करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं। श्री नन्दलाल श्रीवास्तव हल्का बसकरी, ग्राम हृदयपट्टी, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी में गत छः वर्षों से कार्यरत हैं।

श्री नन्द लाल लेखपाल के हल्के में ग्राम हृदयपट्टी में कृषि हेतु भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटित भूमि का सीमांकन करके आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है और आवंटी भूमि पर काबिज हैं। इस भूमि की नाप के लिए लेखपाल द्वारा पैसे की मांग किये जाने के आरोप प्रमाणित नहीं है। आरोप प्रमाणित न होने के कारण लेखपाल को दण्डित करने का कोई औचित्य नहीं है।

72–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम हृदयपट्टी, तहसील ज्ञानपुर, पोस्ट भदोही, जनपद वाराणसी में कार्यरत लेखपाल द्वारा आराजी खाता नं0 74–क रकबा एक बीघा 7 बिस्वा, 10 डिस्मिल का जमीन जो तालाब के नाम से दर्ज है श्री नरसिंह पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री राम तवर्कल पाण्डेय के नाम अवैधानिक तरीके से पट्टा कर दिया है जिससे भूमिहीन हरिजनों के पशुओं को पानी पीने हेतु संकट उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त भूमि का पट्टा निरस्त करके लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम हृदयपट्टी परगना भदोही तहसील ज्ञानपुर, पो0-भदोही जनपद वाराणसी के भूमि नम्बर 74–क जिसका रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा 2 धूर है और जो कागजात माल में तालाब अंकित है, का कोई पट्टा नहीं हुआ है। वह आज भी तालाब के खाते में तालाब ही अंकित है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले की ग्रामसभा बलिभद्रपुर के प्रधान, श्री पोखई का पत्र

73—श्री मोहन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पोखई प्रधान, ग्राम बलिभद्रपुर उर्फ गोबरहा, तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती का कोई सीलिंग की भूमि से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित कोई शिकायती-पत्र दिनांक 30-12-83 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? उसकी जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आए?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री पोखई, प्रधान ग्राम सभा बलिभद्रपुर का माननीय सदस्य द्वारा अग्रसारित पत्र प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी को जांच कर के आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जांच की कार्यवाही की जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

मथुरा जिले में अतिवृष्टि से फसल को क्षति

74—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में अतिवृष्टि के कारण गत खरीफ की फसल नष्ट हो गयी थी ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 18 नवम्बर, 83 का पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो शासन ने जनता को क्या राहत ब्लाकवाइज दी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, जनपद मथुरा में विगत वर्ष 1983 में अतिवृष्टि के कारण खरीफ फसल को 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हानि हुई थी, जिसका प्रभाव जनपद के 562 ग्रामों पर पड़ा। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का प्राप्त पत्र जिलाधिकारी मथुरा को अपेक्षित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार उक्त अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जनता को दी गई आर्थिक सहायता एवं राहत का विकास खण्डवार विवरण संलग्न है।

संलग्नक में उल्लिखित आर्थिक सहायता के अतिरिक्त जनपद के प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक असहाय एवं अक्षम व्यक्तियों को 10 किलो प्रतिमाह प्रति व्यक्ति की दर से निःशुल्क खाद्यान का वितरण कराया गया तथा अतिवृष्टि के समय पानी में डूब जाने, मकान या दीवार आदि गिर जाने के फलस्वरूप जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई, उनके परिवार जनों को एक हजार रुपया प्रति परिवार की दर से अहैतुक सहायता मद से आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। मनुष्यों एवं पशुओं की बीमारी की रोकथाम हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्रों द्वारा प्रभावित ग्रामों में चिकित्सा दल भेज कर चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी गई तथा पशुओं के टीके लगवाये गये। जिन ग्रामों में आवागमन अवरुद्ध हो गया, वहां नावों का प्रबन्ध किया गया एवं जल प्लावित क्षेत्रों से जल निकासी हेतु पम्पिंग सेटों की व्यवस्था कर पानी निकलवाया गया। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से चीनी एवं मिट्टी के तेल का वितरण कराया गया। इस प्रकार जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित व्यक्तियों को हर सम्भव सहायता तत्परता से सुलभ करायी गयी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 162 पर।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के आशुलिपिक, श्री जलालउद्दीन के विरुद्ध शिकायती पत्र

75–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के आशुलिपिक श्री जलालउद्दीन के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत मुमताज अली, निवासी ग्राम ढ़कवा पूरे बीरबल तहसील व जिला प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 1983 में की गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्री मुमताज अली निवासी ग्राम ढ़कावा पूरे बीरबल थाना लालगंज जिला प्रतापगढ़ द्वारा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को संबोधित एक शिकायती-पत्र दिनांक 17-5-83 को प्रस्तुत किया गया था । इस प्रार्थना-पत्र में शिकायतकर्ता ने श्री जमीलुद्दीन खां, आशुलिपिक जिलाधिकारी प्रतापगढ़, जो कि उसी गांव के निवासी हैं, के विरुद्ध इस आशय की शिकायत की थी कि उन्होंने श्री पोलाद खां लेखपाल चकबंदी कार्यालय प्रतापगढ़ की साजिश से उपरोक्त श्री मुमताज अली को गलत स्थान पर चक दिलवाया है तथा अच्छी जमीन पर अपना चक निर्मित कराया है। इस प्रार्थना पत्र की विस्तृत जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के माध्यम से चकबंदी अधिकारी द्वारा करायी गयी । बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी की जांच आख्या के पश्चात पुनः मामले की छान-बीन डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी परिवाद द्वारा भी करायी गयी । जांच एवं छानबीन से शिकायती प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शिकायत निराधार एवं असत्य पायी गयी तथा उसका शिकायती-पत्र पत्रावलित कर दिया गया । जांच के दौरान यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत मामले में एक रिवीजन भी चकबंदी अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जो उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में विचारधीन है । अतः रिवीजन में उपरोक्त न्यायालय द्वारा विधिक रूप से न्यायिक आदेश पारित किया जायेगा ।

76–श्री रामस्वरूप वर्मा–

[7वें सामवार में अता0 प्र0 सं0 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में लिपिकों की नियुक्ति

77–श्री राजकुमार राय–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में लिपिक वर्ग को वर्ष 1979, 1980, 1981, 1982 एवं 1983 (31-12-83 तक) वर्षवार कुल कितनी स्थायी रिक्तियां हुयीं ? उसमें से कितनी रिक्तियां भर ली गयी हैं, कितनी बाकी हैं ? उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियों की क्या प्रक्रिया अपनाई गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

आजमगढ़ कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में लिपिक वर्ग की वर्ष 1979, 1980, 1981, 1982 एवं 1983 (31-12-83 तक) वर्षवार क्रमशः 7,7,7,5 एवं 9 स्थायी रिक्तियां हुई और सभी रिक्तियां भर ली गई हैं । इन रिक्तियों पर नियुक्तियां शासन द्वारा दिये गये आदेशों एवं नियमावलियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई हैं ।

आजमगढ़ जिले में राहत कार्य हेतु खरीदी गयी कथित उधार सामग्री

78–श्री राजकुमार राय–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में राहत कार्य के लिए 1-4-81 से 31-3-83 के बीच कौन-कौन सी सामग्री (कीमत सहित) उधार

खरीदी गयी ? क्या उधार खरीद के लिए किसी अधिकारी की अनुमति थी? यदि हां, तो किसकी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जिलाधिकारी आजमगढ़ की सूचनानुसार जनपद आजमगढ़ में दिनांक 1-4-81 से 31-3-83 के बीच राहत कार्य के लिए कोई सामग्री उधार नहीं खरीदी गयी । अतएव प्रश्न के शेष भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

शाहजहांपुर के उप-कोषागार में रेवेन्यू स्टाम्प का स्टाक

79–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की सब ट्रेजरी तिलहर में 1 जनवरी, 83 से अब तक किन-किन तिथियों में एक हजार से कम अथवा शून्य रेवेन्यू स्टाम्प का स्टाक सब ट्रेजरी में रहा ? क्या इन तिथियों में ट्रेजरी शाहजहांपुर में भी स्टाम्प स्टाक शून्य अथवा अत्यधिक कम रहा? यदि नहीं, तो सब ट्रेजरी तिलहर में स्टाम्प अभाव अधिकांशतः क्यों बनाए रखा जाता है ? इसमें किस स्तर से किसका दोष है तथा शासन उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त–

1 जनवरी, 1983 से अब तक उप-कोषागार तिलहर में 1,000 रुपये से कम रेवेन्यू स्टाम्पों का स्टाक नहीं रहा ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद जिले के गन्ना क्रय-केन्द्र, जहांगीरपुर को नादेही चीनी मिल से सम्बद्ध करने सम्बन्धी आदेश

80–श्री रियासत हुसैन–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त ने आदेश संख्या 4122-29 दि0 26-11-83 द्वारा जहांगीरपुर गन्ना केन्द्र जनपद मुरादाबाद को नादेही शुगर फैक्टरी के लिए गन्ना सप्लाई करने के आदेश दिए थे और पुनः आदेश की पुष्टि दि0 19-12-83 के तार द्वारा की गयी परन्तु आज तक जहांगीरपुर गन्ना क्रय केन्द्र की स्थापना नहीं की गयी ? क्या सरकार अविलम्ब उक्त गन्ना केन्द्र की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

जी हां ।

गन्ना आयुक्त के सुरक्षण आदेश दिनांक 26-11-83 द्वारा जहांगीरपुर गन्ना क्रय केन्द्र नादेही चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति हेतु अभ्यार्पित किया गया था । यह केन्द्र काशीपुर चीनी मिल के सुरक्षण क्षेत्र में स्थित है । गन्ना आयुक्त के सुरक्षण आदेशों के विरुद्ध काशीपुर तथा नादेही दोनों ही चीनी मिलों, द्वारा अपीलें प्रस्तुत किए जाने पर यह केन्द्र दिनांक 16-1-84 को काशीपुर चीनी मिल को सुरक्षित किया गया ।

तद्नुसार यह केन्द्र काशीपुर चीनी मिल द्वारा संचालित किया जा रहा है ।

सहारनपुर के सौसाड़ी कलां में गन्ना क्रय केन्द्र की स्थापना की मांग

81–श्री राम स्वरूप निम–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर में तैनात जिला अधिकारी (श्री गुप्ता) को दि0 5-12-83, 13-12-83 तथा 15-12-83 को प्रश्नकर्त्ता ने सौसाड़ी कलां गन्ना केन्द्र लगाने के सम्बन्ध में पत्र दिये थे? यदि हां, तो उन पर अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

जी हां। यह सही है कि दिनांक 5-12-83 तथा 13-12-83 को माननीय सदस्य द्वारा तथा 15-12-83 को कृषकों द्वारा ग्राम सोसाड़ीकलां में गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी, सहारनपुर को पत्र दिए गए थे। गन्ना आयुक्त ने गंगेश्वर चीनी मिल देवबन्द को उक्त गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने के निर्देश दिये थे परन्तु चीनी मिल ने दिनांक 28-12-83 को गन्ना आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध शासन में अपील की थी। शासन ने दिनांक 28-2-84 को मिल की अपील निरस्त करते हुए चीनी मिल को यह केन्द्र चलाने के आदेश दिये।

बस्ती जिले के ग्राम मिश्रौलिया, एवं हुर्वासा के लेखपाल श्री राम बहाल एवं श्री काली चरन के नाम भूमि का पट्टा

82–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत-लेखपाल राम बहाल, ग्राम मिश्रौलिया दुर्वासा, तह0 हरैया जनपद बस्ती के परिवार को जो भूमिहीन/सीमान्त कृषक नहीं है, गांव समाज की भूमि का पट्टा किया गया है? यदि हां, तो पट्टा निरस्त करके लेखपाल राम बहाल, कालीचरन के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत पट्टों के निरस्तीकरण के लिये अपर जिलाधिकारी बस्ती के न्यायालय में जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198 (4) के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। सर्वश्री राम बहाल एवं कालीचरन लेखापालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निदेश जिलाधिकारी बस्ती द्वारा दे दिये गये हैं।

उप कोषागार, ज्ञानपुर, वाराणसी में नेशनल विक्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी परसीपुर का जमा किया गया बिक्री कर

83–श्री ऊदल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कोषागार, ज्ञानपुर जिला वाराणसी में नेशनल विक्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, परसीपुर, वाराणसी की ओर से कमरुद्दीन परसीपुर कोटहा ने 11-1-74 को 1,430 रु0 बिक्रीकर खाते में जमा किया है और 11-1-74 को 1232 रु0 एवं 11-1-74 को 1320 रु0 जमा किया है? यदि हां, तो उपरोक्त रुपये को बिक्रीकर के हिसाब में शामिल किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री ब्रह्मदत्त–

(क) जी हां। कथित रूप में कथित राशियां दिनांक 11-1-74 को जमा हुई थी।

(ख) जी हां, शामिल किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, गजरौला हसनपुर, जिला मुरादाबाद द्वारा चीनी का उत्पादन

84–श्री रियासत हुसैन–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में हसनपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी जिसका उद्घाटन दि0 30 नवम्बर, 83 को मुख्य मंत्री तथा श्री एन0डी0 तिवारी, केन्द्रीय उद्योग मन्त्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था, में 31 दिसम्बर, 83 तक कुल कितना गन्ना पेरा गया और कुल कितनी चीनी का उत्पादन किया गया?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

दि किसान सहकारी चीनी मिल गजरौला, हसनपुर जिसका उद्घाटन 30

नवम्बर, 1983 को सम्पन्न हुआ, में दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 तक कुल 1.75 लाख कुन्टल गन्ना पेरा गया तथा कुल 4208 कुन्टल चीनी का उत्पादन हुआ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय द्वारा भांग डीलर, श्री सन्तोष कुमार पर लगाया गया बिक्री-कर और जमा किया गया कथित माहवारी फार्म

85—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ, बिक्रीकर कार्यालय खण्ड-3 में 82-83 सन्तोष कुमार, भांग डीलर के ऊपर रु0 34,300 कर लगाया गया है? यदि हां, तो क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया? कितने की जमानत ली गयी? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बृहमदत्त—

लखनऊ मण्डल के बिक्रीकर कार्यालय के खंड 3 में वर्ष 82-83 में सर्वश्री सन्तोष कुमार भांग डीलर पर अन्तिम कर निर्धारण आदेश के अन्तर्गत रुपया 70,000/- न कि 34,300/- कर लगाया गया था। करदाता ने पंजीयन नहीं कराया और न उससे जमानत ली गयी। पंजीयन न कराने के कारण रु0 4,800 अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

86—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि क्या माहवारी फार्म-4 व कर जमा किया गया? यदि हां, तो कितना रुपया जमा किया गया? यदि नहीं, तो अस्थायी आदेश कब पारित किए गये? क्या सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की गयी?

श्री बृहमदत्त—

व्यापारी ने माहवारी फार्म-4 व कर जमा नहीं किया है। अस्थायी आदेश दिनांक 11-1-83, 26-2-83 व 4-4-83 को पारित किये गये हैं। सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सालवेंसी प्रमाण-पत्र बिक्रीकर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

फैजाबाद जिले के ग्राम कूरेबारी की श्रीमती देवपति के नाम अंकित भी बुद्धू की भूमि

87—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कूरेबारी, तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद के बुद्धू को 4 बीघा पर उसको मृतक घोषित करके श्रीमती देवपति स्त्री रामचन्द्र सिंह का नाम चढ़ा दिया गया है? क्या इसकी जांच सरकार कराएगी? और बुद्धू को मृतक घोषित करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

पूरा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अभी जांच का प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली जिले में सई नदी की बाढ़ से प्रभावित कतिपय ग्राम

88—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के मैनाहार कटरा, बादरहरा, दइजुआं, खैरा बरचेन्दा, तह0 बछरांवा ग्राम वर्ष 83 की बाढ़ में प्रभावित हुए थे और आज भी पानी भरा है? क्या यह सही है कि बाढ़ के पानी की निकासी न होने के कारण इस वर्ष भी रबी की बोआई नहीं हो पाई है? क्या सरकार इसकी जांच कराएगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वर्ष 1983 में जनपद रायबरेली की तहसील महराजगंज के ग्राम मैनाहार कटरा उदरहरा (बोदरहा नामक कोई गांव नहीं है, बल्कि सही नाम उदरहरा है) दैजुवा-खेरा एवं बरचन्दा बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए थे और न ही इन ग्रामों में पानी भरा है। पानी स्वत: छोटे नालों से नदी में उतर जाता है। यह ग्राम सई नदी के किनारे होने के कारण वर्षा ऋतु में इनका निचला भाग सदैव प्रभावित हुआ करता है। वर्षा ऋतु समाप्त होते ही पानी उतर जाता है। निचले भाग में नमी के कारण रबी फसल में मात्र 21 एकड़ भूमि पर अभी बोवाई नहीं हो सकी है। उक्त स्थिति में सरकार द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं है।

नायब तहसीलदार, बिलारी, जिला मुरादाबाद के आवास की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

89–श्री अकबर हुसैन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय सत्र 83 के 2रे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 131 के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 25-11-83 प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25-11-83 पर जांच करायी गयी जिससे यह स्पष्ट हुआ कि 0.33 डिसमिल भूमि बिलारी की खतौनी नान जैड एरिया महाल सब्ज वर्ष 1387 फसली के खाता संख्या 1, की कौफियत में नाम मालिकान श्रीमती इन्द्र, मोहिनी मुन्दरजा खाता खेवट नम्बर एक, अंकित है।

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के फार्मों के उत्पादन का विवरण

90–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80-81 एवं 81-82 एवं 82-83 में प्रदेश के राजकीय फार्मों पर गन्ने का प्रति एकड़ औसत उत्पादन क्रमश: कितना-कितना था?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

वर्ष 1977 में गन्ना शोध संगठन का उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् के रूप में पुनर्गठन किये जाने के कारण कोई भी राजकीय फार्म गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत अब नहीं रहा। परिषदीय फार्मों की वर्ष 1980-81, 81-82 एवं 82-83 में गन्ने की प्रति एकड़ औसत उत्पादन का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	उपज प्रति एकड़ (कुन्तल में)		
		1980-81	1981-82	1982-83
1.	शाहजहांपुर (शोध)	187-18	211-97	150-86
2.	मुजफ्फरनगर (शोध)	161-38	171-59	210-00
3.	गोरखपुर (शोध)	150-32	156-81	142-55
4.	काशीपुर (शोध)	147-14	105-13	126-54
5.	गोला (शोध)	136-65	130-78	91-11
6.	गोला (बीज सम्वर्धन)	146-46	145-11	89-20
7.	लक्ष्मीपुर (सम्वर्धन)	83-79	120-51	135-51
8.	सेवरही (शोध)	118-33	124-89	91-19
9.	दौराला (सम्वर्धन)	144-8?	113-10	126-6

बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड पांच कानपुर द्वारा एडवान्स टैक्स की वसूली

91—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले शुक्रवार (दिनांक 20-8-82) के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के सम्बन्ध में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि खण्ड—5 के अधिकारी ने वर्ष 82-83 के कलेक्शन फिगर में एडवान्स टैक्स की रकम रु0 2,27,700 को जोड़कर दिखाया है अथवा अलग करके? अधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन करते समय उपायुक्त (शा0) ने बिक्रीकर वसूलयाबी को कौन सी संख्या मुख्यालय को भेजी, एडवांस टैक्स को शामिल करके अथवा अलग करके?

श्री ब्रह्मदत्त—

खण्ड—5 कानपुर के बिक्रीकर अधिकारी ने अपने खण्ड के वर्ष 1982-83 के संग्रह में स्वेच्छा से व्यापारियों द्वारा जमा किये गये एडवांस टैक्स रु0 2,27,700/- को शामिल नहीं किया था क्योंकि वह धनराशि वित्तीय वर्ष 1981-82 के माह मार्च, 82 में जमा की गई थी।

उपायुक्त (शा0) कानपुर द्वारा इस अधिकारी के वित्तीय वर्ष 1982-83 के कार्य के मूल्यांकन में उपरोक्त धनराशि रु0 2,27,700/- को शामिल नहीं किया गया था।

वाराणसी जिले के ग्राम लिलाधरपुर में हरिजनों को भूमि का आवंटन

92—श्री बनवारी राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के ज्ञानपुर तहसील में भदोही औराई रोड पर ग्राम लिलाधरपुर में रोड के किनारे 33 हरिजनों को आवास हेतु भूमि आवंटन की गयी थी और हरिजन अपना-अपना मकान बनाकर कब्जा ले लिए थे और उक्त हरिजनों को आवंटित जमीन पर ए0 डी0 एम0 ई0 के न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है? क्या इसके बावजूद परगनाधिकारी, ज्ञानपुर ने उन हरिजनों के मकान बलपूर्वक हटवा दिये? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर समुचित कार्यवाही करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम लिलाधरपुर तहसील ज्ञानपुर में 33 हरिजन परिवारों को आवास हेतु भूमि का आवंटन किया गया था। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ज्ञानपुर की न्यायालय में पट्टा-मन्सूखी का वाद विचाराधीन है और उक्त न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया था। स्थगन आदेश के बावजूद पट्टेदारों ने आवंटित भूमि पर मकान बनाना प्रारम्भ कर दिया था। बाद में पट्टेदारों की सहमति से परगनाधिकारी ज्ञानपुर ने कब्जा हटवा दिया था।

शाहगंज, जौनपुर की गन्ना समिति से आजमगढ़ के भाग को अलग किये जाने की मांग

93—श्री अबुल कलाम—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहगंज जनपद जौनपुर की गन्ना सहकारी समिति से जनपद आजमगढ़ की गन्ना समिति अलग बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-12-82 जो शासन द्वारा गन्ना आयुक्त को भेजा गया था पर क्या कार्यवाही हुई और आजमगढ़ का भाग शाहगंज, जौनपुर से कब तक अलग कर दिया जायगा?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-12-82 प्राप्त हुआ जिसका परीक्षण किया गया। गन्ना समितियों का कार्य संचालन गन्ने

पर प्राप्त होने वाले कमीशन से ही किया जाता है और जनपद आजमगढ़ के 288 ग्रामों को निकालकर स्वतन्त्र रूप से गन्ना समिति गठित करने पर शाहगंज जनपद जौनपुर की समिति, वर्तमान गन्ने की पूर्ति को देखते हुए, कमीशन से अपना कार्य संचालन में सक्षम न हो सकेगी। अतः शाहगंज जौनपुर की गन्ना समिति से आजमगढ़ के भाग को अलग कर स्वतन्त्र गन्ना समिति बनाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

आजमगढ़ जिले के ग्राम रामनगर तप्पा पवई में ग्राम समाज की भूमि का पट्टा

94—श्री अबुल कलाम—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामनगर तप्पा पवई, परगना माहुल, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में भूमिहीनों को खेती हेतु गांव समाज द्वारा पट्टा किया गया है और क्या उस पर उन्हें कब्जा दिलाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

ग्राम राम नगर तप्पा पवई परगना माहुल जनपद आजमगढ़ में भूमिहीनों को ग्राम समाज की भूमि का पट्टा किया गया है तथा आवंटित भूमि पर आवंटियों को कब्जा भी दिला दिया गया है।

बलिया जिले में बाढ़ के अवसर पर नाविकों से ली गयी किराये की नाव एवं किराये का भुगतान

95—श्री मोहन सिंह तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1983 की भीषण बाढ़ में बलिया जनपद के नाविकों से शासन ने किराए पर नावें लीं और नावों के किराए का भुगतान अभी तक नहीं किया? क्या यह भी सही है कि बलिया जनपद में शासन ने नावों का किराया पड़ोसी जनपदों मिर्जापुर तथा वाराणसी से कम निर्धारित किया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, वर्ष 1983 की बाढ़ में बलिया जनपद के नाविकों से किराए पर नावें ली गयी थीं।

उक्त जनपद की तहसील बांसडीह तथा रसड़ा में बाढ़ में लगाई गई नावों के किराये का भुगतान किया जा चुका है। तहसील बलिया में लगायी गयी 912 नावों में से 376 नावों के किराये का भुगतान स्थानीय दर से किया जा चुका है किन्तु शेष 536 नावों के नाविकों ने स्थानीय नावों के किराये की दर से नावों का किराया लेने से इन्कार कर दिया।

बलिया जनपद में नावों का किराया मिर्जापुर तथा वाराणसी की नावों के किराये के अपेक्षाकृत कम है जिसका कारण यह है कि विभिन्न जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नावों का किराया जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है।

बि नेशनल बिक्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, परसीपुर, वाराणसी पर आरोपित बिक्रीकर की वसूली

96—श्री उदल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल बिक्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, परसीपुर, वाराणसी के ऊपर 65-66, 66-67, 67-68 व 68-69 में कितने रुपए बिक्रीकर का फैसला किया गया है और कितना रुपया अब तक उक्त फर्म की ओर से बिक्रीकर का जमा कर दिया गया है? क्या यह सही है कि 29-3-74 को क्रमशः 925 रु0 825 रु0 885 रु0 का ड्राफ्ट बिक्रीकर अधिकारी ने प्राप्त किया है तथा

25-5-74 की रसीद नं0 03641 नं0 63 के द्वारा 1100 रु0 व 03641 नं0 64 के द्वारा 1220 रु0 26-5-74 व 03461 पी0 ओ0 एन0 नं0 62 के द्वारा 25-5-74 को 1023 रु0 वसूल किया गया है? क्या उपरोक्त रुपया को उक्त मद में शामिल किया गया कि नहीं? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री ब्रह्मदत्त–

(क) सर्वश्री नेशनल ब्रिक्स मैन्यु-फैक्चरिंग कम्पनी, परसीपुर, वाराणसी के ऊपर कथित वर्षों के लिए निम्न प्रकार बिक्रीकर आरोपित किया गया था :

वर्ष	धनराशि
65-66	रु0 6,160-00
66-67	रु0 6,610.00
67-68	रु0 7,105.00
68-69	रु0 6,790.00

(ख) व्यापारी द्वारा जमा किए गए तथा अमीन द्वारा व्यापारी से वसूल करके विभिन्न वर्षों के लिए जमा किये गये कुल बिक्रीकर की स्थिति निम्न प्रकार है।

वर्ष	धनराशि
65-66	रु0 3,080.00
66-67	रु0 3,305.00
67-68	रु0 3,575.00
68-69	कुछ नहीं

(ग) जी हां, यह सही है।

(घ) जी हां, यह भी सही है।

(ङ) जी हां, शामिल किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के मकनपुर मेले का शासन द्वारा किया गया प्रबन्ध (एडमिनिस्ट्रेशन) एवं फेयर कमेटी हायर सेकेण्डरी स्कूल, मकनपुर को मेला कमेटी द्वारा दी जाने वाली सहायता

97–श्री मोतीलाल दहेलवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से मेला मकनपुर, जिला कानपुर दहात का प्रबन्ध (एडमिनिस्ट्रेशन) जी0 ओ0 संख्या 665, दिनांक 23 जुलाई, 1923 में अंकित नियमों के अनुसार किया जाता है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

98–श्री मोतीलाल दहेलवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फेयर कमेटी हायर सेकेन्डरी स्कूल, मकनपुर जिला कानपुर दहात का भवन कोष लगभग 95,000 हजार रुपया जो मेला कमेटी मकनपुर, जिला कानपुर दहात द्वारा सन् 1954 से 1961 तक जमा किया गया था, संस्था को भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों और कुल धनराशियां कहां जमा हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

फेयर कमेटी हायर सेकेन्ड्री स्कूल, मकनपुर वर्ष 1948-49 में मेला कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार मेला कमेटी के संरक्षण में खोला गया था जिसको वर्ष 1965 तक मेला कमेटी सहायता देती रही। परन्तु जब श्री कमर हुसैन रिजवी प्रधानाचार्य फेयर कमेटी हायर सेकेन्ड्री स्कूल मकनपुर ने उक्त स्कूल का प्रबन्ध मेला कमेटी के संरक्षण से अलग कर लिया तो मेला कमेटी ने वर्ष 1967 के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 25-1-67 तथा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 25-10-67 के अनुसार स्कूल को सहा-

यता देना बन्द कर दिया तथा मेला की सारी आमदनी उक्त प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 25-1-67 के अनुसार विभिन्न मदों में विभाजित कर दी गई जिसके अनुसार अब कोई भवन कोष सुरक्षित होना नहीं पाया जाता है और न इस मद में कोई धन अवशेष है।

99—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वार्षिक आमदनी मेला, मकनपुर, जिला कानपुर देहात का 1/4 हिस्सा फेयर कमेटी, हायर सेकेण्डरी स्कूल, मकनपुर, जिला कानपुर देहात संस्था को 1966 से तथा 1/4 भाग हिस्सा मालिकान गोलकदारान, मकनपुर को 1954 से आज दिनांक 6-1-1984 तक भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो कुल देय धनराशि कितनी है और कहां जमा है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

फेयर कमेटी हायर सेकेण्डरी स्कूल मकनपुर को मेला कमेटी के प्रस्ताव दिनांक 25-1-67 व 25-10-67 के अनुसार भुगतान बन्द कर दिया गया है। इसलिए स्कूल को उसके बाद से न तो कोई अनुदान दिया गया है और न देय है। अभी तक किसी गोलकदारान को कोई भुगतान नहीं किया गया है केवल एक गोलकदार को न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान किया गया है। अभिलेखों के अनुसार गोलक फण्ड में मु0 58-99 पैसा शेष है जो पोस्ट आफिस में जमा है।

प्रतापगढ़ की ग्राम सभा, टेऊंगा के प्रधान, श्री धनीराम का चकबन्दी सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

100—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री धनीराम प्रजापति, प्रधान व अन्य लोगों के हस्ताक्षर से युक्त ग्राम सभा टेऊंगा, क्षेत्र सदर, जिला प्रतापगढ़ का दिनांक 12-9-83 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जो उक्त गांव की भूमि पर चकबन्दी कराए जाने के सम्बन्ध में है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच करायी गयी। गांव की चकबन्दी योग्य भूमि की चकबन्दी की जा चुकी है। सड़क के पश्चिम का भाग चकबंदी के अयोग्य होने के कारण चकबन्दी योजना से पृथक रखा गया है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम जमसर के हरिजनों को भूमि का आवंटन

101—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि सगड़ी तहसील के जमसर ग्राम में हरिजनों को आवंटित भूमि के न तो कागजात दिए गये हैं और न उन पर कब्जा दिया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब तक कब्जा दे दिया जायगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम जमसर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ की भूमि प्रबन्धक समिति ने कुल 52 व्यक्तियों (हरिजनों) को 1.500 कड़ी भूमि का आवंटन आवास हेतु किया है। जिसके सम्बन्ध में सभी व्यक्तियों को पट्टा फार्म 49 दिया जा चुका है तथा आवंटियों को कब्जा भी दिलाया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त ग्राम समाज की 1.341 कड़ी भूमि का आवंटन कृषि के लिए 8 भूमिहीनों को किया गया है। इन आवंटियों का भी नाम अभिलेख में

अंकित करा दिया गया है और आवंटियों को आवंटित भूमि पर कब्जा भी दे दिया गया है।

बस्ती जिले के कथित ग्राम महदेवा बुजरुग की ग्राम समाज की भूमि का कथित पट्टा

102—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम महदेवा बुजरुग तहसील बांसी, जिला बस्ती में ग्राम समाज की कितनी भूमि है तथा उसमें कितनी भूमि का पट्टा ऐसे व्यक्तियों के नाम से कर दिया गया है जिन्हें नियमानुसार नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या इस सम्बन्ध में शासन को तथा जनपद के अधिकारियों को कोई शिकायत 1982-83 में प्राप्त हुई है तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

महदेवा बुजरुग नाम का ग्राम तहसील बांसी जनपद बस्ती में नहीं है। अतः प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

बस्ती जिले के ग्राम कुंआ हाटा में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को दिया गया गृह-अनुदान

103—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बस्ती जनपद के तहसील नौगढ़ ग्राम कुंआ हाटा में बाढ़ तथा वर्षा से क्षति के कारण गत वर्ष किन-किन लोगों को गृह अनुदान स्वीकृत किया गया था तथा कितने ऐसे लोग हैं जिनका भुगतान या तो हुआ नहीं या गलत व्यक्तियों को भुगतान किया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम कुआं हाटा, जनपद बस्ती में केवल दो व्यक्तियों का मकान पूर्णरूप से गिरा हुआ था तथा उनको गृह अनुदान स्वीकृत हुआ। इनमें से केवल एक व्यक्ति को भुगतान किया गया। दूसरा व्यक्ति बाहर नौकरी में था, अतः उसका भुगतान नहीं हुआ। कोई गलत भुगतान भी नहीं हुआ।

ग्राम कुंआ हाटा में कल्लू पुत्र भारत तथा राम निहोरे पुत्र मुनेसर का मकान गत वर्ष गिरा था। जांच अधिकारी ए0 डी0 ओ0 उसका था। कल्लू पुत्र भारत को चार सौ रुपया गृह अनुदान स्वरूप चेक नं0 40461 दिनांक 12-3-83 द्वारा दिया गया जिनकी पहचान श्री खलील मुहम्मद, लेखपाल द्वारा की गयी थी। श्री राम निहोरे बाहर नौकरी में थे, जिससे वह उपस्थित होकर चेक प्राप्त नहीं कर सके।

लखनऊ के नाका हिण्डोला स्थित भांग की दुकान का, श्री चुन्नी लाल को दिया गया ठेका एवं आरोपित बिक्री-कर

104—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 75-76 के लिए नाका हिण्डोला, लखनऊ में भांग का ठेका 1,31,000 रु0 का चुन्नी लाल ने लिया था और व्यापारी ने रूपपत्रों के साथ 120 रु0 कर जमा किया था और ता0 29-11-76 को इस व्यापारी पर 51,090.00 रु0 कर लगाया गया? यदि हां, तब मा0 मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पंजीकरण के समय कोई जांच की गयी तथा कोई जमानतनामा लिया गया? क्या वर्ष में सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण-पत्र की मांग की गयी और असली ठेकेदार का पता लगाया गया? यदि नहीं, तब क्यों? तथा कितना राजस्व मारा गया और इसके कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

जी हां, श्री चुन्नी लाल जैसवाल ने वर्ष 75-76 के लिए नाका हिन्डोला, लखनऊ में भांग का ठेका रु0 1,31,000/- का लिया था और उसने रूपपत्र के साथ रु0 120/- कर जमा किया था तथा दिनांक 29-11-76 को रु0 51,090/- कर आरोपित किया गया था। पंजीकरण के समय जांच नहीं की गयी तथा जमानतनामा नहीं लिया गया है। व्यापारी का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सालवेंसी प्रमाण पत्र की मांग बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती है। अभिलेख पर उक्त ठेकेदार का नकली होने का कोई साक्ष्य नहीं है। बकाया कर अपलेखित नहीं है, वसूली प्रमाण-पत्र जारी है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्व मारा गया। फलतः राजस्व मारे जाने के लिए किसी के दोषी होने और उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़, जिले की कतिपय तहसीलों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि का आवंटन

105—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के ब्लाक जहानागंज, सठियांव, रानीपुर में दिनांक वर्ष 1975 से 31-12-1983 तक कितने भूमिहीन, खेतिहर/भू-मजदूरों को ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि का पट्टा दिया गया है और उसमें कितनों को कब्जा दिलाया गया ? कब्जा न दिलाये जाने का कारण क्या है ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार कब्जा दिलाने का एक विशेष अभियान तत्काल चालू करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

तहसील मुहम्मदाबाद के ब्लाक जहानागंज सठियांव तथा रानीपुर में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जो कृषि भूमि सन् 1975 से 31-12-83 तक आवंटित की गई है उसका विवरण ब्लाकवार निम्न है:—

1—जहानागंज ब्लाक में 4,973 आवंटियों को 3015-819 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

2—सटियांव ब्लाक में 3,423 आवंटियों को 1,521-353 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

3—रानीपुर ब्लाक में 5569 आवंटियों को 2608-511 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

ब्लाक जहानागंज में 4,967 आवंटियों को 3013-175 एकड़ भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है। 6 आवंटियों की 2-644 एकड़ भूमि पर अनाधिकार कब्जा करने वालों के विरुद्ध थाने में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराये गये, जिसमें से एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा शेष 5 मामले थाने में विवेचना के अंतर्गत हैं। ब्लाक सठियांव में 3420 आवंटियों को 1,520-736 एकड़ भूमि पर कब्जा दिलाया जा चुका है। शेष 3 आवंटियों की भूमि 0-617 एकड़ के संबंध में अनाधिकार कब्जा करने वालों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराया गया है जिसमें। मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा शेष 2 मामले थाने में विवेचना के अन्तर्गत है। ब्लाक रानीपुर में सभी मामलों में कब्जा दिलाया जा चुका है। उपरोक्त अवैध कब्जा के 9 मामलों में स्थानीय प्रभावी व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया था जिसके संबंध में थाने में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई।

कब्जा न दिलाने के संबंध में कोई दोषी नहीं पाया गया ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम अमुवारी नरायनपुर के श्री महातम सिंह को चकबन्दी सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

106–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमुवारी-नारायनपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के चक नं0 520 व 339 तथा सेक्टर नं0 13 व 14 का पैमाइश करने के लिए श्री महातमा सिंह का कोई प्रार्थना-पत्र वर्ष 1983 में चकबन्दी विभाग के जनपदीय अधिकारियों को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पैमाइश के लिए कौन अधिकारी नियुक्त किया गया ? क्या उसके द्वारा पैमाइश की गयी ? यदि नहीं, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में पैमाइश करने हेतु श्री जनक दुलारे चकबन्दी कर्ता को नियुक्त किया गया, उन्होंने चक सं0 520 जो सेक्टर नं0 13 में है की पैमाइश की । सेक्टर नं0 14 में 0-286 एकड़ रकबा गाटा संख्या 1133, 1381, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127 में दो बार प्रदिष्ट किया गया है इसलिये इसकी पैमाइश नहीं की गई । रकबा सही करने के लिये संदर्भ तैयार कर उसका निस्तारण कराने के पश्चात् पैमाइश संभव होगी । पैमाइश के लिये नियुक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व विभाग, बुलन्दशहर में श्री सन्तराम, श्री चन्दर एवं श्री राम बचन की नियुक्ति

107–श्री छत्तर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व वर्ष 82-83 में राजस्व विभाग, बुलन्दशहर में सन्तराम चन्दर, राम बचन व राम बिलास, नाम के व्यक्तियों को चपरासी के पदों पर नियुक्त किया गया ? क्या ये सभी गोरखपुर जनपद के निवासी हैं ? यदि हां, तो बुलन्दशहर रोजगार कार्यालय में काफी व्यक्तियों के नाम चपरासी पद हेतु पंजीकृत होते हुये जनपद गोरखपुर के व्यक्तियों को क्यों लिया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

राजस्व वर्ष 1982-83 में कोई नियुक्ति जनपद बुलन्दशहर में राजस्व विभाग में नहीं की गई है ।

श्री सन्तराम को दिनांक 21-4-82 को अहलमद के पद पर नियुक्त किया गया है जो जाति के पासी हैं तथा गोरखपुर जनपद के निवासी हैं ।

श्री चन्दर को दिनांक 22-4-82 को चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया है, जो लोध राजपूत हैं तथा जनपद बुलन्दशहर के निवासी हैं ।

श्री राम बचन को चेनमैन के पद पर दिनांक 1-11-77 को नियुक्त किया गया है, जो जाति के कहार हैं तथा फैजाबाद के निवासी हैं ।

श्री राम बिलास नाम के किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गयी है । रोजगार कार्यालय के माध्यम से अभ्यर्थियों के नाम न मांगने के सम्बन्ध में की गई कथित अनियमितता की जांच के आदेश जारी कर दिए गए है । जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

हल्द्वानी की फर्म नैनीताल आयरन डिपो को बिक्री कर विभाग द्वारा जारी किये गये फार्म और बिक्री कर की वसूली

108–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि हल्द्वानी की फर्म नैनीताल आयरन डिपो को वर्ष 78-79 में 356 प्रपत्र 3 क जारी किए गए थे ? पंजीयन 7-12-78 को रद्द किया गया और आयुक्त विक्रीकर ने परिपत्र 65/1983 दिनांक 6-9-83 जारी किया है ? यदि हां, तो तब माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि करदाता को इस छोटी अवधि में इतने अधिक फार्म जारी करने का क्या औचित्य था और कौन इसके लिए जिम्मेदार था ? क्या पंजीयन को चालू रखने के लिए जमानत ली गयी थी तथा सर्वेक्षण किया गया था ? यदि हां, तो क्या पाया गया और यदि नही तो क्यों किया गया ?

श्री बृह्मदत्त–

जी हां ।

करदाता को इस छोटी अवधि में इतने अधिक फार्म जारी करने का कोई औचित्य नहीं था इसके लिए श्री डी0 के0 माथुर, तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी, हल्द्वानी तथा श्री एस0 डी0 सिंह, तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी, श्रेणी–2, हल्द्वानी जिम्मेदार है ।

जी नहीं ।

तत्कालीन कर निर्धारक अधिकारियों द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया गया है ।

109–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने राजस्व का इस करदाता ने नुकसान किया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा पंजीयन रद्द करने का आयुक्त बिक्रीकर का परिपत्र देर से क्यों निकला है ?

श्री बृह्मदत्त–

करदाता पर अभी तक रु0 36, 37, 143/– बिक्रीकर निर्धारित किया गया है । वसूली की कार्यवाही चल रही है अतः अभी यह कहना संभव नहीं है कि करदाता द्वारा राजस्व की कोई हानि की गई है ।

आयुक्त बिक्रीकर का परिपत्र पंजीयन रद्द करने के सम्बन्ध में नहीं बल्कि प्रदेश के समस्त कर निर्धारक अधिकारियों को प्रश्नगत प्रपत्र 3–क का विवरण प्रेषित करने के सम्बन्ध में है ।

देवरिया जिले के गन्ना किसानों के लिये गन्ने के कोटे का निर्धारण

110–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिला अन्तर्गत गन्ना किसानों का कोटा बनाते समय कहीं-कहीं पर दो साल का अवसर दिया गया है और कहीं-कहीं पर तीन साल का कोटा लिया गया है ? यदि हां तो ऐसा क्यों ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह–

पेराई सत्र 1983-84 के लिए प्रदेश की चीनी मिलों के लिए कृषकों से सट्टा करने के लिए गत तीन पेराई सत्र 1980-81, 81-82 तथा 82-83 में पूर्ति किए गये गन्ने के औसत का बेसिक कोटा निर्धारित किया गया है । परन्तु जनपद देवरिया की भटनी, गौरीबाजार, कप्तानगंज, तथा प्रतापपुर चीनी मिल क्षेत्रों में इस वर्ष गन्ने की विशेष कमी के कारण तीन सत्रों के स्थान पर सत्र 1981-82 व 82-83 की दो वर्ष की पूर्ति का औसत मानकर कृषकों से सट्टा कराने के आदेश दिए गए हैं ।

प्रदेश के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निः शुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करने का निर्णय

111—श्री सरदार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को प्रदेश में निः शुल्क आवास उपलब्ध कराने का निर्णय शासन से हो चुका है ? यदि हां, तो पूर्ण योजना की रूप रेखा क्या है? शासन कब तक इस योजना को क्रियान्वित करने जा रहा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय सचिव पर्वतीय विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति के विचाराधीन है ।

बिक्री कर कार्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों का विलम्ब से वेतन भुगतान

112—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 82-83 में लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिला ? इस संबंध में उनको प्रश्नकर्ता का एक प्रत्र ता0 4-5-83 को व रिमाइन्डर ता0 11-7-83 को मिला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82-83 में प्रत्येक माह में किन किन ता0 को वेतन मिला तथा समय पर वेतन न मिलने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि बिक्री-कर अधिकारी (प्र) कानपूर रहते थे और वे रोजाना कानपुर से आते थे तथा पे बिल पर इनके हस्ताक्षर न हो पाने के कारण वेतन समय पर नहीं मिलता था ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं। केवल माह मार्च, अप्रैल व दिसम्बर 1982 का भुगतान बिलम्ब से किया गया है।

प्रश्नकर्ता का एक दिनांक रहित पत्र 7-5-83 को प्राप्त हुआ।

माह का नाम	वेतन प्राप्ति की तिथि
मार्च 1982	8-4-1982
अप्रैल 1982	3-5-1982
मई 1983	1-6-1982
जून 1982	2-7-1982
जुलाई 1982	2-8-1982
अगस्त 1982	1-9-1982
सितम्बर 1982	28-9-1982
अक्टूबर 1982	30-10-1982
नवम्बर 1982	1-12-1982
दिसम्बर 1982	7-1-1983
जनवरी 1983	1-2-1983
फरवरी 1983	1-3-1983

माह मार्च 1982 का वेतन का भुगतान कर्मचारियों की हड़ताल के कारण तथा अप्रैल व दिसम्बर 1982 के वेतन का भुगतान लेखाकार द्वारा विलम्ब से बिल बनाये जाने के कारण समय से नहीं हो सका

जी नहीं

आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हरिजनों को भूमि का आवंटन

113—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी भूमि का पट्टा दिनांक 31 दिसम्बर, 83 तक हरिजनों तथा अन्य भूमिहीनों में किया गया और इसमें से कितने भूमि पर पट्टेदारों को कब्जा

दे दिया गया है? कितनी भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया है? यह कब तक दे दिया जायगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के अन्तर्गत पिछड़ेपन को दूर करने हेतु कथित सर्वेक्षण

114–श्री दलसिंगार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 69-70 में प्रधान मंत्री जी के निर्देशानुसार आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु कोई सर्वे (योजना) विभाग द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो सर्वे के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

नियोजन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु कोई सर्वे नहीं कराया गया है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम जुलहापुर में हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित भूमि

115–श्री दलसिंगार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के अन्तर्गत ग्राम जुलहापुर में चकबन्दी विभाग द्वारा हरिजन बस्ती हेतु भूमि छोड़ी गयी थी ? यदि हां, तो कितनी भूमि कहां-कहां छोड़ी गयी और किस-किस को आवंटित की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ में आराजी नम्बर 2661/–108, 2662 मि0/–005, 2703/–004, 2578 मि0/–020, 3016 मि0/–170, 3068 मि0/070, 3065मि0/–035, 3066 मि0/–040, 3067 मि0/–020, 3160 मि0/–015, 3158 मि0/–020, 3157 मि0/–020, 3212 मि0/–110, 3209 मि0/–015 2985 मि0/096 कुल 0-748 एकड़ भूमि उक्त गाटा संख्या पर हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित है। इसका कोई आवंटन नहीं किया गया है।

116–श्री जैराज गौतम–

[मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया।]

देवरिया जिले की गांव सभा बाली बनाम श्री राम राज के मुकदमें का निस्तारण

117–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु0 स0 7502 गांव सभा बाली तह0 हाटा (देवरिया) बनाम रामराज का निस्तारण चकबन्दी अधिकारी, कोटवा द्वारा दि0 21-12-82 को हो चुका है ? यदि हां, तो उसका अमलदराज अब तक न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वाद संख्या 7502 गांव सभा बाली तहसील हाटा जनपद देवरिया बनाम रामराज का निस्तारण चकबन्दी अधिकारी कोटवा द्वारा दिनांक 21-12-82 को नहीं बल्कि दिनांक 21-1-82 को किया गया है। पत्रावली उपलब्ध न होने के कारण उसका अमलदरामद अब तक नहीं हो सका है। पत्रावली उपलब्ध न होने से सम्बन्धित दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

भारतीय बचत निगम, मथुरा के प्रान्तीयकरण की मांग

118–गोपीनाथ वर्मा–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि भार-

तीय बचत निगम का प्रान्तीयकरण के संबंध में दि0 16-2-82 को कोई आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो आदेश क्या है ? और अब तक आदेश का पालन न होने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त–

माननीय सदस्य ने भारतीय बचत निगम का पूरा पता नहीं दिया है । संभवतया माननीय सदस्य का आशय भारतीय बचत निगम, मथुरा से है ।

भारतीय बचत निगम, मथुरा के प्रांतीय-करण के सम्बन्ध में दिनांक 16-2-19-82 को कोई आदेश जारी नहीं किया गया है । अतएव उसके विवरण तथा पालन न होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

फैजाबाद जिले के संग्रह अमीन श्री राम सूरत सिंह, श्री कृष्ण देव सिंह एवं श्री सीता राम लाल के तकावी ऋण की वसूली

119–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के श्री रामसूरत सिंह व श्री कृष्णदेव सिंह व सीताराम लाल संग्रह अमीन तह0 टाण्डा द्वारा सन् 73 में 10,000 रु0 तकावी के रूप में लिया, जिसका मय ब्याज करीब 18,000 होता है? यदि हां, तो उक्त तकावी बकाया धनराशि की वसूली की जा चुकी है? यदि हां, तो कब? क्या यह भी सही है कि श्री रामसूरत सिंह व श्री कृष्ण देव सिंह अमीन सेवा निवृत्त हो चुके हैं? यदि हां, तो क्या बकाया धन-राशि वसूल न होने पर सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारियों को मिलने वाली धन-राशि से बकाया वसूल न किये जाने का क्या कारण था? उक्त धनराशि को वसूल न करने की जिम्मेदारी किस पर है? क्या उक्त सम्बन्ध में जांचोपरान्त उचित कार्यवाही के पश्चात अमीनों के ऊपर बकाया धनराशि की वसूली की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद फैजाबाद के श्री रामसूरत सिंह, श्री कृष्ण देव सिंह तथा श्री सीता राम लाल तहसील टांडा में वर्ष 1973 में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत थे और प्रत्येक ने गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत रु0 10,000/- तकावी के रूप में ऋण लिया था।

उक्त तकावी की वसूली अभी पूर्ण नहीं हुई है तथा वसूली की जा रही है।

हां ।

सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारियों को मिलने वाली धनराशि से बकाया तकावी की धनराशि की वसूली संग्रह अमीन के पद से संबंधित उनके जिम्मे कोई बकाया न होने के कारण उनके देयकों से नहीं हो सकती थी।

उक्त तकावी ऋण उन्हें तहसील के कृषक होने के नाते दिया गया था। जनपद फैजाबाद बाढ़ग्रस्त होने के कारण वहां पर शासकीय देयों की वसूली समय-समय पर स्थगित होती रही है। रबी 1390 फ0 में भी दैवी आपदाओं के कारण 50 पैसे से कम क्षति वाले ग्रामों की वसूली में निग्रह प्रसर न प्रयोग करने के शासन के आदेश थे और 50 पैसे से अधिक क्षति वाले ग्रामों में वसूली स्थगित कर दी गयी थी। अमीनों के ऊपर बकाया धनराशि की वसूली नियमानुसार की जा रही है।

श्री राम चन्द्र राम नरायन को दिया गया विक्टोरियागंज, लखनऊ के ताड़ी का ठेका एवं बिक्रीकर का निर्धारण

120–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 74-75 का ताड़ी का ठेका विक्टोरिया गंज, लखनऊ में राम चन्द्र राम

नरायन ने रु0 2,31,000 का लिया और बिक्रीकर अधिकारी खंड-4 लखनऊ ने ता0 19-9-75 को एक पक्षीय कर आदेश पारित किया और 13,500 रु0 की मांग निकाली? यदि हां, तो करदाता ने रूप पत्रों के साथ कितना कर जमा किया ? पंजीकरण के लिये कोई जमानत नामा मांगा गया? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण-पत्र की जांच की गयी तथा असली ठेकेदार का पता चलाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सर्वश्री राम चन्द्र राम नरायन ने वर्ष 74-75 में ताड़ी का ठेका रु0 2,31,000.00 का लिया था जिसमें विक्टोरियागंज, लखनऊ का ठेका रु0 1,54,150.00 का शामिल था। बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-4, लखनऊ ने दि0 19-9-75 को समस्त ठेकों के लिए एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किया था और रु0 13,500.00 की मांग निकाली। इस आदेश में कर 3.5 प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया था जबकि कर की दर 7 प्रतिशत 1-12-73 से हो गयी थी। अतः आदेश को धारा 22 में दिनांक 31-12-75 के आदेश द्वारा संशोधित कर दिया गया है तथा व्यापारी पर कुल मांग रु0 24,000.00 निकाली गयी है। करदाता ने रूप-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं और कर जमा नहीं किया है। करदाता ने पंजीकरण के लिये आवेदन नहीं दिया था। अतएव पंजीकरण हेतु जमानत मांगने का प्रश्न नहीं उठता। सर्वेक्षण दिनांक 12-9-75 को किया गया था। सालवेंसी प्रमाण-पत्र बिक्रीकर अधिकारियों के समक्ष दाखिल नहीं किये जाते हैं अतः उसके जांच का प्रश्न नहीं उठता है। अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त व्यापारी ही ठेकेदार हैं।

वाराणसी जिले में बिक्रीकर के रिफण्ड का भुगतान एवं अर्जित ब्याज

121–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी में बिक्रीकर के रिफण्ड को नगद तथा रिफण्ड बाउचर के द्वारा करदाताओं को वापिस किया जा रहा है? यदि हां, तो इन स्थानों में वर्ष 79-80 से 83-84 (31-10-83 तक) कितने करदाताओं को कितना नगद और कितने के रिफण्ड बाउचर दिये गये? क्या इन रिफण्ड पर करदाताओं को ब्याज ड्यू हो गया था? यदि हां, तो कितने करदाताओं को कितना ब्याज दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां ।

(1) करदाताओं की संख्या–1990

(2) नगद रिफण्ड भुगतान

संख्या	धनराशि
715	4,39,842.68

(3) बाउचर द्वारा रिफण्ड भुगतान

संख्या	धनराशि
1948	35,40,209.34

कुल वादों में ब्याज ड्यू हो गया था।

(1) वादों की संख्या, जिनमें ब्याज देने की कार्यवाही की गयी कुल–122

(2) उपरोक्त वादों में ब्याज की निहित धनराशि रु0 8,882.72 थी, शेष मामलों का परीक्षण करके ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

122–श्री राम नारायण सिंह–

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

123–श्री छत्तर सिंह–

[दिनांक 2-9-83 को तारांकित प्रश्न संख्या-19 द्वारा उत्तरित।]

डेवलपमेण्ट प्लान के बजट का खर्च

124–श्री रेवती रमण सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश **के डेवलपमेण्ट** प्लान में वर्ष 80-81, 81-82 तथा 82-83 में कितना बजट **का प्रतिशत** खर्च हुआ है? तथा नान-प्लान में कितना खर्च हुआ है और वह **बजट का** कितना प्रतिशत है?

नियोजन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

डेवलपमेन्ट प्लान में वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में राज्य के **बजट** के अनुसार आयोजनागत व्यय कुल **बजट** का क्रमशः 37.25 प्रतिशत, 34.07 प्रतिशत तथा 32.04 प्रतिशत है।

इन्हीं वर्षों का आयोजनेत्तर व्यय क्रमशः 1788.96 करोड़ रु0 2331.45 करोड़ रु0 एवं 2955.90 करोड़ रु0 है। जो कुल बजट का क्रमशः 62.75 प्रतिशत, 65.93 प्रतिशत तथा 67.96 प्रतिशत है।

आजमगढ़ जिले के लेखपाल, श्री परमेश्वर सिंह का निलम्बन एवं बहाली

125–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि **श्री परमेश्वर** सिंह, लेखपाल, तहसील **सगड़ी, जनपद** आजमगढ़ को जून, 80 से जनवरी, 83 के मध्य निलम्बित **किया गया था?** यदि हां, तो इनके **विरुद्ध क्या** आरोप थे और उन पर **क्या निर्णय** लिया गया?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। प्रश्नगत अवधि में श्री परमेश्वर सिंह, लेखपाल, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ को दो बार (दिनांक 27-12-80 तथा दिनांक 19-10-82 को) निम्नलिखित आरोपों के आधार पर निलम्बित किया गया:–

1–उच्च अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन,

2–अनुशासनहीनता,

3–सरकारी कागजात को अवैध रूप से लेकर फरार होना,

4–परगनाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा नं0 389 ग्राम दवेारा महुला अन्तर्गत धारा 229 बी के निस्तारण के संबंध में दिनांक 27-12-80 को न्यायालय में न उपस्थित होकर सीधे प्रार्थना-पत्र को प्रस्तुत करना,

5–मंडल में पार्टी बन्दी कायम करना,

6–भ्रष्ट तरीके से सरकारी कागजात में गोलमाल करना,

7–गरीब किसानों को परेशान करना एवं उन्हें नकल न देना,

8–अधिकारियों द्वारा सरकारी कागजात निरीक्षण हेतु मांगने पर न देना, तथा

9–ग्राम दवेारा महुला के खाता नं0-61 में कई बटा कायम करके विवाद उत्पन्न करना।

जांचोपरान्त सभी आरोप सही पाये गये। पहली बार निलम्बन के बाद आधे वेतन पर पांच वर्ष की वार्षिक बढ़ोत्तरी रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ श्री परमेश्वर सिंह को दिनांक 14-10-81 को बहाल किया गया। दूसरी बार निलम्बन के बाद चरित्र पंजी

में पुनः प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए श्री सिंह को लेखपाल के मूल वेतन पर प्रत्यावर्तित करके बहाल किया गया। श्री सिंह को तहसील सगड़ी से स्थानान्तरित भी कर दिया गया है।

गन्ना शोध केन्द्र, गोरखपुर के वरिष्ठ सहायक (प्रसार) श्री मुसाफिर मिश्र की पदोन्नति

126–श्री पंचानन राय–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मुसाफिर मिश्र, वरिष्ठ वैतनिक सहायक (प्रसार) गन्ना शोध केन्द्र, गोरखपुर को अनियमित तरीके से पदोन्नति किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 7-4-83 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

जी हां। श्री मुसाफिर मिश्र, वर्तमान वरिष्ठ सहायक (प्रसार) को मूल रूप में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1961 में वर्ग-2 में नियुक्त किया गया तथा वर्ष 1975 में उनकी वर्ग-1 में तदर्थ रूप से पदोन्नति की गयी। वर्ष 1977 में गन्ना शोध संगठन का परिषद् के रूप में पुनर्गठन किया गया और शोध संगठन के अन्तर्गत कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखते हुए कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य न होने का निर्णय लिया गया। इसी शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से परिषद् में संविलीन होने के लिये विकल्प मांगा गया। श्री मिश्र ने संविलयन हेतु विकल्प नहीं दिया अपितु वरिष्ठ प्रसार सहायक के पद हेतु परिषद् द्वारा सीधी भर्ती से की जाने वाली नियुक्तियों के लिये निकाले गये विज्ञापन के आधार पर अपना आवेदन दिया और तदनुसार उनका चयन वरिष्ठ प्रसार सहायक के पद पर, परिषदीय चयन समिति द्वारा, किया गया। राजकीय पद से अपने धारणाधिकार की समाप्ति को स्वीकार करते हुए वे दिनांक 12-7-79 से उक्त पद पर कार्यरत हैं। परिषदीय पद पर उनकी पदोन्नति यथा-समय नियमानुसार ही सम्भव होगी।

हरदोई जिले के सिनेमाघरों से प्राप्त मनोरंजन कर एवं कथित करापवंचन

127–श्री भोला पाण्डेय–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद में वर्ष 81-82 में पूर्व वर्ष की अपेक्षा मनोरंजन कर से प्राप्त राजस्व में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई?

श्री ब्रह्मदत्त–

नहीं। हरदोई जनपद में वर्ष 81-82 में पूर्व वर्ष की अपेक्षा मनोरंजन कर से प्राप्त राजस्व में केवल 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

128–श्री भोला पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 81-82 की अपेक्षा जनपद में 3 से 6 स्थायी छविगृह हो गये हैं, किन्तु करापवंचन के कारण मनोरंजन-कर से प्राप्त राजस्व उस अनुपात में नहीं बढ़ा है? यदि हां, तो उसका कारण क्या है?

श्री ब्रह्मदत्त–

हां।

यह सही नहीं है कि करापवंचन के कारण मनोरंजन कर से प्राप्त राजस्व उस अनुपात में नहीं बढ़ा है।

दो नये स्थायी छविगृह, अगस्त, 1981 में खुले थे जिन्हें स्थायी सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु मनोरंजन कर से छूट देने की शासन की नीति के अनुसार प्रथम वर्ष में 75 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष में

50 प्रतिशत की छूट दी गई। तीसरा सिनेमा जुलाई, 1983 में बना है। अतः करापवंचन कारण नहीं है।

लखनऊ के बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड 3 का कर्मचारियों द्वारा घेराव

129—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि दि0 14-12-82 को लखनऊ के बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-3 का शाम के पांच बजे के बाद उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने घेराव किया था? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या था? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या यह सही है कि अधिकारी ने मौखिक रूप से या लिखित रूप से इस घटना के लिए खेद प्रकट किया था?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां।

सहायक आयुक्त (शा0) लखनऊ ने दिनांक 3-11-82 को खण्ड-3 लखनऊ का आकस्मिक निरीक्षण किया था जिसमें श्रीमती नमिता घोष लिपिक के पटल पर त्रुटियां पायी गयी थीं। प्रकाश में आयी त्रुटियों के लिये बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-3 लखनऊ ने उक्त कर्मचारी को एक पत्र द्वारा सचेत करते हुए भविष्य में सतर्कता से कार्य करने के निर्देश दिये। फलस्वरूप कर्मचारियों ने बिक्रीकर अधिकारी का घेराव किया। इसी बीच कर्मचारियों में शोर हुआ कि श्रीमती घोष बेहोश हो गयी हैं, जो बाद में ठीक हो गयी थीं। इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी क्योंकि बिक्रीकर अधिकारी ने उक्त चेतावनी पत्र वापस लेते हुए घटना के लिये लिखित रूप से खेद प्रकट किया था।

बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा में संग्रह अमीनों की नियुक्ति

130—श्री छत्तर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री जी को ज्ञात है कि तहसील खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर में सीजनल अमीनों की भर्ती जोकि वर्ष 83 में की गयी थी, उस भर्ती में पुराने अनुभवी लोगों को न लेकर बच्चू सिंह पुत्र श्री श्याम लाल व राजवीर सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह व रामेश्वर पुत्र श्री हुकुम सिंह, जैसे गैर अनुभवी लोगों को लिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत तहसील खुर्जा में पूर्व अनुभवी अमीनों को भी वर्ष 83 में भी नियुक्त किया गया था। केवल उन अभ्यर्थियों के स्थान पर नये अमीन लिये गये जिनकी वसूली निर्धारित मानक से कम रही थी।

लखनऊ के गल्ला व्यापारी, श्री चन्द्रभान पर लगाया गया बिक्रीकर

131—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड-10 में चन्द्रभान गल्ला व्यापारी पर ता0 19-11-82 को वर्ष 78-79 के लिये एक पक्षीय रु0 8,000 कर लगाया गया है? यदि हां, तो क्या एक पक्षीय आदेश को धारा 30 के अन्तर्गत खोला गया और पुनः कर आदेश पारित किया गया? यदि हां, तो कितना कर लगाया गया? क्या एक पक्षीय रूप से रु0 8,000 कर उचित लगाया था? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया? क्या करदाता का वर्ष में सर्वेक्षण किया गया? यदि हां, तो क्या पाया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया गया?

श्री ब्रह्मदत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है।

132–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन चीनी मिलों पर बकाया ऋण

133–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 जनवरी, 84 तक कितनी चीनी मिलें बीमार थीं और उन पर कितना ऋण बकाया था?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

चीनी मिलों की बीमारी की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है। किन्तु चीनी मिलों की आयु तथा उनकी पेराई क्षमता के आधार पर प्रदेश में 1 जनवरी, 1984 तक संस्थापित 93 मिलों में से 41 चीनी मिल बीमार कही जा सकती हैं। इनमें से राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन 29 चीनी मिल हैं जिन पर 65.11 करोड़ रुपया ऋण बकाया है।

गोरखपुर जिले के ग्राम लक्ष्मीपुर दोउरवा की चकबन्दी के विरुद्ध शिकायती पत्र

134–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं अन्य लोगों ने इस बात की शिकायत गत कुछ माह पूर्व इस आशय की किया है कि गांव लक्ष्मीपुर दोउरवा, तह0 महाराजगंज, जिला गोरखपुर में पुनः पैमाइश सम्बन्धी चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट गलत है और उन्होंने कोई पैमाइश नहीं की है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त आरोपों की जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। मामले की जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर उसका परीक्षण सम्भव होगा।

आजमगढ़ जिले में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी अहेतुक सहायता एवं गृह अनुदान

135–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में वर्ष 83 की बाढ़ में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान तथा विशेष सहायता के मद में अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा 31 जनवरी, 83 तक उसमें कितनी धनराशि व्यय की गयी? आवंटित धनराशि व्यय न किए जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद आजमगढ़ को वित्तीय वर्ष 1983-84 में अहेतुक सहायता मद में 21,65,000 रुपये, गृह अनुदान मद में 7,00,000 रुपये तथा विशेष सहायता मद में 5,97,000 रुपये की धनराशि आवंटित की गयी जिसमें से 31 जनवरी, 1984 तक अहेतुक सहायता के मद में 15,42,ए87 रुपये, गृह अनुदान मद में 2,53,450 रुपये तथा विशेष सहायता मद में 2,07,899 रुपये की धनराशि व्यय की गयी।

उपरोक्त मदों पर अवशेष धनराशि में से वितरण जारी है।

136–श्री पंचानन राय–

[दिनांक 17-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–148 द्वारा उत्तरित।]

आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से हुई क्षति

137–श्री पंचानन राय–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1983 की बाढ़ से कितनी खरीफ की फसल की हानि हुई तथा कितने मकान पूर्ण रूप और आंशिक रूप से गिरे तथा कुल कितनी हानि हुई है ? कितनी धन-राशि अलग-अलग किन-किन मदों में राहत कार्य पर व्यय की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

आजमगढ़ जनपद की सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1983 की बाढ़ के कारण कुल 10,615 हेक्टेयर खरीफ की फसलों को क्षति हुई। क्षति का अनुमानित मूल्यांकन 6,15,315 रुपये है । कुल 85 मकान पूर्ण रूप से एवं 1025 मकान आंशिक रूप से क्षति-ग्रस्त हुए हैं, जिसका अनुमानित मूल्यांकन 12,18,000/- रुपये हैं। जिलाधिकारी आजमगढ़ से प्राप्त सूचनानुसार राहतकार्य पर अहेतुक सहायता मद से कुल 3,91,360/- रुपये तथा गृह निर्माण अनुदान मद से 1,36,000/- रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

कानपुर के बिक्रीकर अधिकारी एस0 आई0 बी0 के विरुद्ध शिकायती पत्र

138–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मन्त्री को कानपुर में वर्ष 82–83 में तैनात बिक्रीकर अधिकारी एस0 आई0 बी0 (वर्तमान में खंड 16 के अधिकारी) के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1822 दिनांक 29-7-83 मिला है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तथ्य क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बृह्मदत्त–

प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र संख्या–1822 प्राप्त हुआ था किन्तु उसका दिनांक 4-7-1983 था । दिनांक 29-7-83 का कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ ।

जांच कराने पर तथ्य यह पाये गये कि लिखे आरोप सही नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के कोषागार कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन सम्बन्धी श्री श्याम जी पाण्डेय कमेटी की रिपोर्ट

139–श्री मन्जूर अहमद–

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कोषागार कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन के सम्बन्ध में शासन द्वारा गठित श्री श्याम जी पाण्डेय कमेटी द्वारा प्रस्तावित पदनाम लेखाकार को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया तथा इन्हें लागू करने में कितना और समय लगेगा ?

श्री बृह्मदत्त–

श्री श्याम जी पाण्डेय कमेटी द्वारा कोषागार कर्मचारियों के पदनाम परिवर्त्तन-सम्बन्धी संस्तुति को सम्यक् विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है। अतः उसे लागू किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले के ग्राम सोनगांव के पुरवा बदलपुर के तालाब पर अंकित अनियमित सीरदारी

140–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद, तहसील अकबरपुर के ग्राम सोनगांव के पुरवा बदलपुर में गाटा संख्या 1056 में एक तालाब है, जो बेलहिया के नाम से जाना जाता है ? क्या यह सही है कि उक्त तालाब श्री विजय बहादुर वर्मा पुत्र श्री बीपत वर्मा निवासी ग्राम सोनगांव के नाम अंकित है ? यदि, हां, तो किस आधार पर? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में माह

दिसम्बर, 1983 में कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

जी हां । उक्त तालाब वर्ष 1375-77 फ0 की खतौनी में श्री विजय बहादुर पुत्र श्री बीपत ग्राम सोनगांव के नाम सीरदारी में अंकित है परन्तु नामांतर बही में कोई आदेश अंकित नहीं है ।

जी हां ।

इसकी जांच करायी जा रही है । जांच के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय, वित्त (स्टाम्प रजिस्ट्रेशन) अनुभाग के सहायकों के स्थानान्तरण की मांग

141–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग में ऐसे कितने लिपिक हैं जो तीन वर्षों या 5 वर्षों से अधिक समय से उसी अनुभाग में कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार उन लिपिकों को अन्य अनुभागों में स्थानान्तरित करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

सचिवालय के वित्त (स्टाम्प रजिस्ट्रेशन) अनुभाग में एक सहायक 3 वर्ष से अधिक तथा तीन सहायक 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं। कोई विशेष परिस्थिति न होने के कारण उक्त कर्मचारियों को सम्प्रति स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

बस्ती जिले के सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री मारकण्डे दुबे एवं श्री राधेश्याम सेठ के विरुद्ध शिकायती पत्र

142–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0 929, दिनांक 3-1-84 द्वारा तथा उक्त तिथि को उनसे और राजस्व सचिव से मिलकर कोई विस्तृत पत्र तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती के कार्यरत सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री मारकण्डे दुबे एवं श्री सेठ के बारे में शिकायती-पत्र दिया था? यदि हां, तो उन शिकायतों के सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी डुमरियागंज (श्री यादव) की कोई रिपोर्ट उक्त अधिकारियों को निलम्बित करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो अब तक उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

शिकायती पत्र जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी बस्ती को जांच कराकर उचित कार्यवाही कराने हेतु भेजे गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर मा0 विधायक की मौखिक शिकायत पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा जांच की गयी जिससे श्री मारकण्डे दुबे व श्री राधेश्याम सेठ सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट की गयी है। उप संचालक चकबन्दी बस्ती के माध्यम से प्राप्त इस आख्या का परीक्षण निदेशालय स्तर पर किया जा रहा है।

बस्ती जिले के लेखपाल, श्री खुर्शीद अहमद एवं जगदीश मिश्रा के विरुद्ध शिकायती पत्र

143–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने 17 मार्च, 1983 एवं 18 मार्च, 1983 को राजस्व सचिव श्री शर्मा जी से मिलकर डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती में कार्यरत लेखपाल खुशीद अहमद एवं जगदीश मिश्रा के भ्रष्टाचार के बारे में विस्तृत पत्र उन्हें दिया था ? क्या यह सत्य है कि राजस्व अनुभाग–9 द्वारा दिनांक 23-3-84 को डी0 ओ0 नम्बर 13–3(11)/83–226 दिनांकित 23-3-84 जारी हुआ? यदि हां, तो अब तक जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और इन दोनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही सम्पन्न की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ के बारह बिरवा, काकोरी एवं तेलीबाग के ताड़ी का ठेका एवं बकाया बिक्रीकर

144–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में बारह बिरवा में ताड़ी का ठेका वर्ष 80-81 व 81-82 में बिन्द्रा सिंह राम चन्द्र के नाम किया गया था और खण्ड–9 में क्रमशः 64,000 व 72,000 रु0 कर लगाया गया ?यदि हां, तो क्या इस करदाता ने पंजीयन कराया था?यदि हां, तो पंजीयन के लिये कितने रुपये का जमानतनामा लिया गया ? क्या रूपपत्रों के साथ ठेका की राशि के अनुरूप कर जमा कराई थी? यदि नहीं, तो अस्थायी आदेश कब पारित किए गये थे? क्या सर्वेक्षण किया गया और सालवेंसी प्रमाण पत्र की जांच की गयी, कितना राजस्व बकाया था, कितना वसूल हुआ तथा कितना मारा गया?

श्री ब्रह्म दत्त–

उपलब्ध विवरण के अनुसार लखनऊ में बारह बिरवा काकोरी व तेलीबाग में ताड़ी का ठेका 80-81 व 81-82 में श्री बिन्द्रा सिंह पुत्र श्री शिव दत्त सिंह, बारह बिरवा लखनऊ व श्री राम चन्द्र पुत्र श्री बाबू लाल जैसवाल, रानीगंज लखनऊ ने लिया था और खण्ड–9 में सर्वश्री बिन्द्रा सिंह राम चन्द्र के नाम से वर्ष 80-81 व 81-82 के लिए क्रमशः रु0 64,000 व रु0 72,000 कर लगाया गया है। व्यापारी ने पंजीयन कराया है किन्तु जमानत नहीं ली गयी। अन्तिम कर-निर्धारण की सुनवाई हेतु भेजे गये नोटिसों की व्यक्तिगत तामीली व्यापारी पर नहीं हुई और व्यापारी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए और न उन्होंने बही खाते ही प्रस्तुत किये थे । फलस्वरूप व्यापारी के हिसाब किताब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं देखे जा सके और एक- पक्षीय कर-निर्धारण आदेश पारित किया गया । प्रश्नगत ठेका 1-10-80 से 30-9-81 की अवधि से सम्बन्धित है। व्यापारी ने अक्तूबर 80 का निल नक्शा दाखिल किया था और जनवरी 81 का कोई नक्शा दाखिल नहीं किया था। वर्ष 80-81 के शेष माहों के मासिक नक्शे दाखिल किये थे और कुल 1,85,101–00 का कर योग्य विक्रय धन प्रदर्शित करते हुए कुल रु0 14,428 कर जमा किया था। वर्ष 81-82 में करदाता ने अप्रैल, मई व जून 81 के मासिक नक्शे दाखिल किये और इन माहों का कुल करयोग्य विक्रय-धन 2,05,138–50 प्रदर्शित करते हुए कुल कर रु0 16,411 जमा किया। जून 81 के बाद किसी माह का नक्शा दाखिल नहीं किया गया और न कर जमा किया गया। अन्तिम कर-निर्धारण के समय कर-निर्धारण अधिकारी ने करदाता द्वारा जमा कर को ठेके की धनराशि के अनुरूप नहीं पाया और

तदनुसार ठेके की धनराशियों को आधार मानते हुए निर्धारण सम्पन्न किये। अस्थाई आदेश पारित नहीं किये गये हैं। सर्वेक्षण दिनांक 20-2-1981 को किया गया था। सालवेन्सी प्रमाण-पत्र बिक्रीकर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता है। अवशेष बिक्री-कर उक्त दो वर्षों के लिए क्रमशः रु0 49,572-00 व रु0 55,589 है। उक्त बकाया में से कोई धनराशि वसूल नहीं हुई है। वसूली कार्यवाही जारी है। बकाया धनराशि अपलेखित नहीं हुई है। अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कोई कर मारा गया है।

अमीनाबाद, लखनऊ की भांग की दुकान का ठेका एवं बिक्री कर व पंजीयन

145–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि अमीनाबाद, लखनऊ में वर्ष 82-83 का भांग का ठेका राधेश्याम के नाम रु0 2,52,000 पर हुआ था? यदि हां, तो इस करदाता ने बिक्रीकर विभाग में पंजीयन कराया? पंजीयन के समय कितने की जमानत ली गयी? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पंजीयन न कराने के कारण पीनल कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त–

उपलब्ध सूचना के अनुसार अमीनाबाद, लखनऊ में वर्ष 82-83 में भांग का ठेका श्री राकेश कुमार एवं श्री राधेश्याम के नाम से रुपया 2,55,000 का हुआ था। करदाता ने बिक्रीकर विभाग में पंजीयन नहीं कराया तथा जमानत नहीं दी। उसे पंजीयन कराने हेतु तथा रु0 50,000 का जमानतनामा प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिनांक 27-12-82 के लिए भेजी गई थी जिसे करदाता ने लेने से इनकार किया। पंजीयन न कराने के सम्बन्ध में अर्थदण्ड कार्यवाही की जा रही है।

मथुरा जिले में परगनाधिकारियों के कार्यालय का निर्माण एवं मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति

146–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में तहसील मुख्यालयों पर एस0 डी0 ओ0 कम्पलेक्स का निर्माण पूर्ण हो गया है? यदि हां, तो अभी तक मजिस्ट्रेट एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को तहसील मुख्यालयों पर न भेजने के क्या कारण हैं ? क्या शासन शीघ्र सभी प्रकार के मजिस्ट्रेट्स एवं सम्बन्धित कार्यालयों को तहसील मुख्यालयों पर भेजने की कृपा करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जिला एवं राजस्व प्रशासन की विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत सप्तम वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत मथुरा जनपद की तहसील सादाबाद, माठ तथा छाता के मुख्यालयों पर परगनाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी पुलिस के न्यायालय एवं कार्यालय कक्ष एवं उनके सम्बद्ध अनावासीय भवनों का निर्माण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा पूर्ण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होने की आशा है।

जनपद मथुरा के समस्त परगनाधिकारी तहसील मुख्यालयों पर ही रहते हैं और सप्ताह में केवल दो दिन जिला

मुख्यालय पर फौजदारी तथा सीलिंग के मुकदमों का कार्य करते हैं। इस जनपद की केवल एक तहसील सादाबाद के मुख्यालय पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का आवास, न्यायालय कक्ष तथा कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है जिसके शीघ्र पूर्ण होने की आशा है।

147–श्री प्रदीप कुमार यादव–
[7वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

148–श्री राम स्वरूप निम–
[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

149–श्री यदुनाथ सिंह–
[पुनर्विचार पर निरस्त]

प्रदेश के सहायक चकबन्दी अधिकारियों की पदोन्नति की मांग

150–श्री विजय कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने सहायक चकबन्दी अधिकारी 15 साल से, कितने 20 साल से व कितने 23 साल या उससे अधिक समय से उसी पद पर कार्यरत हैं तथा पदोन्नति नहीं पा सके हैं? क्या राजस्व अधिष्ठान में इनके समकक्ष अधिकारी नायब तहसीलदार इन्हीं अवधियों के, पदोन्नति के लिये शेष हैं? यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारियों को कब तक पदोन्नति दे दी जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

चकबन्दी अधिष्ठान में 15 साल से 80, 20 साल से 97 तथा 23 साल उससे अधिक समय से 165 सहायक चकबन्दी अधिकारी/सहायक आयतीकरण अधिकारी कार्यरत हैं, जिनकी पदोन्नतियां चकबंदी अधिकारी/आयतीकरण अधिकारी के पदों पर नहीं हुई है।

राजस्व अधिष्ठान में 15 साल के केवल 8 नायब तहसीलदार (अनुपयुक्तों को छोड़कर) तहसीलदार के पद पर तदर्थ पदोन्नति हेतु शेष हैं। 20 तथा 23 साल का कोई भी नायब तहसीलदार (अनुपयुक्तों को छोड़कर) तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु शेष नहीं है।

चकबन्दी अधिष्ठान में विभागीय अधिकारियों को समस्त पदोन्नति के पद उपलब्ध न होने के कारण पदोन्नतियों के अवसर अत्यन्त कम हैं। इन पदों पर कार्यरत अधिकारी के सेवा निवृत्त होने या किसी भी स्रोत से कोई पद रिक्त होने पर ही क्रमानुसार पदोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं, जिनमें नियमानुसार पदोन्नतियां की जाती हैं।

चकबन्दी विभाग के लेखपालों का चकबन्दी कर्ता के पद पर पदोन्नति और लखनऊ तथा प्रतापगढ़ में लेखपालों की पदोन्नति

151–श्री रामधनी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी आयुक्त कार्यालय, उ0 प्र0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 11695/ई0-1437/78-79 दिनांक 7 नवम्बर, 1981 द्वारा चकबन्दी कर्ता के पदों पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति द्वारा चयनित विभिन्न जिलों के लेखपालों की सूची सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी गयी थी? यदि हां, तो किन-किन लेखपालों को प्रोन्नति लभ्य होने एवं उल्लिखित शर्तें पूर्ण होने के बावजूद अभी तक नहीं की गयी, इसमें विलम्ब का क्या कारण है तथा इसके लिये कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। प्रश्नगत कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित 99 लेखपालों में से 92 लेखपाल प्रोन्नत किये जा चुके हैं। शेष 7 लेखपालों में से 3 लेखपालों ने प्रोन्नति पर जाने से इन्कार कर दिया, एक की सेवायें समाप्त हो गईं, दो लेखपालों के पदोन्नति के मामले में जिला स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है तथा एक लेखपाल के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं थी।

152–श्री रामधनी–

उक्त सन्दर्भ में क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ एवं प्रतापगढ़ में कार्यरत कतिपय लेखपालों की प्रोन्नति उनकी चरित्र पंजिकाओं में प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण रोकी गयी है जबकि यह प्रविष्टियां अनियमित ढंग से एवं दि0 7 नवम्बर, 81 के बाद की गयीं? यदि हां, तो क्या ऐसे लेखपालों की प्रोन्नति तुरन्त की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

विवरण एकत्र किया जा रहा है।

153–श्री भगवती सिंह विशारद–

[दिनांक 2-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या–15 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ के आबकारी ठेकेदारों पर बकाया बिक्रीकर

154–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को लखनऊ के बिक्रीकर अधिकारियों के द्वारा वर्ष 80-81 से 82-83 तक आबकारी ठेकेदारों के कर निर्धारण व सम्भावित राजस्व की हानि के बारे में प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं0 1397 दि0 12-5-83 उनको मिला है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80-81 से 82-83 तक खण्ड वाइज अलग-अलग कितने ठेकेदारों पर कर लगाया गया, कितना कर निर्धारण से पूर्व जमा किया कितना बकाया रहा और कितना राजस्व मारा गया? इसके लिए कौन अधिकरी/कर्मचारी जिम्मेदार है?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले के सहजनवां, बांसगांव तथा कौड़ीराम में चीनी मिल की स्थापना सम्बन्धी सर्वेक्षण

155–श्रीमती गौरी देवी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित होने वाली नई चीनी मिलों में से गोरखपुर जनपद में सहजनवा, खोराबार एवं बांसगांव तहसील में स्थापित करने पर विचार किया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

जनपद गोरखपुर के सहजनवां, बांसगांव तथा कौड़ीराम में चीनी मिल की स्थापना सम्बन्धी सर्वेक्षण कराया जा रहा है, किन्तु खोराबार के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गोरखपुर जिले के ग्राम जंगल बेलसार, मिर्जापुर, गजपुर आदि में गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने की मांग

156–श्रीमती गौरी देवी–

क्या गन्ना विकास मंत्री गोरखपुर जनपद के जंगल थेलबार, मिर्जापुर गजपुर, खोराबार, कसिहार, पिपरौली, छपिया सेवई में गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने पर विचार करने की कृपा करेगी, जिससे बांसगांव एवं सदर तहसील के गन्ना किसानों को अपना गन्ना विक्रय करने का अवसर मिल सके? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

ग्राम खोराबार चीनी मिल सरदार नगर के सुरक्षित क्रय केन्द्र सूबाबाजार पर गन्ना पूर्ति करता है। क्रय केन्द्र सूबाबाजार अपने क्षेत्र के समस्त ग्रामों का गन्ना खरीद कर वर्तमान पेराई सत्र के लिए अंतिम रूप से बन्द हो चुका है।

गोरखपुर जनपद की तहसील बांसगांव एवं सदर के ग्राम जंगल बेलसार, मिर्जापुर, गजपुर, कसिहार, पिपरौली, छपिया तथा सेवाई असुरक्षित क्षेत्र के ग्राम हैं जहां पर चीनी मिलों को आपूर्ति हेतु पर्याप्त गन्ना उपलब्ध नहीं है। अतः उपर्युक्त ग्रामों में क्रय केन्द्र स्थापित करने का औचित्य नहीं बनता।

न्यायालय शुल्क के स्थान पर अन्य शुल्क लगाने की मांग

157–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्यायालय शुल्क समाप्त करके किसी अन्य शुल्क को लगाने पर वह विचार कर रही है? क्या अगस्त, 83 में कोई बैठक उच्च अधिकारियों की इस सम्बन्ध में हुई थी? यदि हां, तो क्या सुझाव दिये गये?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ में कर्मचारियों की नियुक्ति

158–श्री सूबेदार सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित प्रबन्धक कार्यालय, उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ में जून, 1978 से दिसम्बर, 1983 में कितने श्रमिक अधिकारियों, प्रचार अधिकारियों, क्रय अधिकारियों और लिपिकों की तदर्थ और चयन द्वारा नियुक्तियां हुयीं तथा चयनित अभ्यर्थियों की योग्यतायें क्या हैं? क्या इन पदों के लिए कोई योग्यता की अर्हता निर्धारित की गयी थी? यदि हां, तो उक्त पदों की अलग-अलग क्या योग्यताएं निर्धारित थीं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित पदों में से, उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ के लखनऊ स्थित कार्यालय में जून, 78 से दिसम्बर, 1983 के बीच प्रचार अधिकारी, टंकक/लिपिकों के पदों पर नियुक्तियां की गईं। इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी ''घ'' आगे पृष्ठ 163 पर।)

गोरखपुर जिले के ग्राम बेलवा बाबू (बुजुर्ग) में डा0 भीमराव अम्बेदकर स्मारक के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

159–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के गांव बेलवा-बाबू तहसील सदर के अन्तर्गत एक भूप्लाट में डा0 भीमराव अम्बेदकर स्मारक के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 अगस्त, 1983 जिसके सन्दर्भ में श्री के0 सी0 मिश्र, विशेष कार्याधिकारी मुख्य मंत्री ने अपने पत्रांक संख्या एम/8486/सी0एम0 2/83 मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग–2 एनेक्सी भवन, लखनऊ दिनांक 3-10-83 द्वारा पत्र प्राप्त होने की सूचना दिया है, के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-8-1983 पर जांच कराई गई। जांच से ग्राम बेलवा बाबू (बुजुर्ग) विकास खण्ड सरदारनगर तप्पा केवटली परगना हवेली

तहसील सदर में स्थित गाटा संख्या– 227 पर अनधिकृत कब्जा पाया गया जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी का वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

बाराबंकी जिले में घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी सहायता

160–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 83 की बरसात में घाघरा नदी में अभूतपूर्व बाढ़ होने के फलस्वरूप जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट और फतेहपुर के सैकड़ों गांव तथा घाघरा की तराई में उनकी लाखों एकड़ भूमि में लगी हुई फसलें समूल नष्ट हो गयीं और उनके घरों के बैठ जाने के फलस्वरूप उनका समस्त सामान नष्ट हो गया है? यदि हां, तो प्रभावित होने वाले गांवों व घरों की संख्या तहसीलवार क्या है और शासन द्वारा उनकी भुखमरी की समस्या के समाधान हेतु क्या कोई अलग से व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रभावित क्षेत्रों में कैशप्रोग्राम के तहत कोई व्यापक योजना चलाने का आश्वासन देगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वर्ष 1983 की बरसात में घाघरा नदी में अभूतपूर्व बाढ़ होने के फलस्वरूप जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के 99 ग्राम और तहसील फतेहपुर के 168 ग्राम प्रभावित हुए थे, जिनका कृषिगत क्षेत्र क्रमशः 32,670 तथा 22,267 हेक्टेयर है और फसलों की अनुमानित क्षति क्रमशः 8,16,75,000 रुपए व 5,56,67,500 रुपये है। तहसील रामसनेहीघाट में 4,196 मकान तथा फतेहपुर में 23,621 मकानों को क्षति पहुंची है।

प्रभावित व्यक्तियों को भुखमरी की समस्या के समाधान हेतु खाद्यान्न आदि वितरित किया गया है, जिसका विवरण संलग्न है, इसके अतिरिक्त तहसील रामसनेहीघाट में 260 परिवारों को 125/- रु0 प्रति परिवार की दर से 32,500/- रु0 नकद तथा तहसील फतेहपुर में 540 परिवारों को 67,500/- रु0 नकद मुख्य मंत्री सहायता कोष से भुगतान किये गये हैं। इंडियन रेडक्रास सोसाइटी लखनऊ द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की राहत सामग्री का भी वितरण किया गया है। कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत इन ग्रामों में कोई व्यापक योजना इस जनपद में नहीं चल रही है। उक्त स्थिति में प्रश्न के शेष भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 164 पर।)

पर्वतीय क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन

161–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या बी-3-4601/दस-81(2)81, भवन पर्व0 क्षेत्र दि0 13-11-83 के द्वारा निगत आदेशों के परिपालन में वांछित धनराशि विभागाध्यक्षों को क्यों नहीं आवंटित की गयी है?

श्री ब्रह्म दत्त–

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी-3-4601/दस-81-1(2)/81-भवन–-प0 क्षे0, दिनांक 13 नवम्बर, 1981 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में उसी क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत के लिए दी गयी अग्रिम की सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्षों को आवंटित की जा चुकी है।

अल्मोड़ा जिले के ग्राम पनेर गांव के श्री बीर राम का गृह अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र

162–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत के पट्टी पल्ला अट्ठागुल्ली क्षेत्र छाना गोलू ग्राम पनेर गांव के श्री बीरराम आत्मज स्व0 श्री चुलड़राम ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-9-80 को अपने टूटे हुए मकान की मरम्मत हेतु मा0 पर्वतीय विकास राज्य मंत्री, उ0 न0 शासन को दिनांक 22-9-80 को क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति दिनांक 19-9-80 सहित प्रस्तुत किया है, जो जिला प्रशासन के (राहत) माल अधिकारियों को माह अक्तूबर, 80 में प्राप्त हुआ है तथा जिसकी स्थल जांच पट्टी पटवारी छानागोलू द्वारा दिनांक 29-10-80 को की गयी है? यदि हां, तो इस आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में कितनी (राहत) अनुदान के रूप में जिला प्रशासन ने स्वीकृति की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां, जिला अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत के पट्टी पल्ला अट्ठागुल्ली क्षेत्र छाना गोलू ग्राम पनेरगांव के श्री बीर राम द्वारा इस प्रकार का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15-9-80 गृह अनुदान हेतु दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार रानीखेत द्वारा जांच करायी गयी। स्थानीय निरीक्षण में यह पाया गया कि प्रार्थी के मकान में केवल दरारें आई हैं। तहसीलदार की संस्तुति के अनुसार उन्हें गृह अनुदान पाने के पात्र नहीं समझा गया और तद्नुसार प्रार्थी को गृह अनुदान नहीं स्वीकृत किया गया।

कार्यालय, उप निबंधक, कन्नौज के चपरासी, श्री जयराम से सम्बन्धित कथित रिपोर्ट एवं उनके वेतन का भुगतान

163–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या प्रथम सत्र 83 के 5वें शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 112 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री जयराम चपरासी कार्यालय उप निबंधक, कन्नौज के दिनांक 1-3-80 से 15-5-80 की अवधि में कार्य करने अथवा न करने के बारे में तत्कालीन जिला निबंधक फर्रुखाबाद ने उप निबंधक कन्नौज से जो जानकारी मांगी थी उस पर उप निबन्धक कन्नौज ने क्या जवाब दिया? क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बृहस्पदत्त–

उप निबंधक, कन्नौज की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। अतः रिपोर्ट का अन्तर्वस्तु बताना अथवा इसे सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

164–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन नियमों के अन्तर्गत श्री जयराम चपरासी को उक्त अवधि का जहां रजिस्टर हाजिरी में "सीज" लिखा है और "लाल स्याही से लाइन खिची है" वेतन दिया गया है? क्या सरकार द्वारा रजिस्टर हाजिरी की जांच कराकर वेतन के गबन करने वाले संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बृहस्पदत्त–

श्री जयराम, चपरासी द्वारा दिनांक 1-3-1980 से 15-5-1980 तक वास्तव में कार्य किया गया। उनका वेतन नियमानुसार वितरित किया गया तथा वेतन की प्राप्ति भी स्वीकार की गयी है। अतः किसी के विरुद्ध गबन के आरोप में किसी भी कार्यवाही का प्रश्न नही उठता।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1983 के चौथे शुक्रवार के लिए निर्धारित

श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 74 का संशोधित उत्तर–

लखनऊ में विदेशी मदिरा की दुकानों पर पुलिस द्वारा मारे गये छापे

74–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री जी को ज्ञात है कि लखनऊ में तारीख 30-12-82 को जिला प्रशासन ने विदेशी मदिरा की दुकानों पर छापा मार करके बिक्रीकर की लाखों रुपयों की कर अपवंचना पकड़ी है? यदि हां, तो कितने विदेशी मदिरा के दुकानदारों ने वर्ष 80-81, 81-82 व 82-83 में पंजीकरण कराया और कितनों ने नहीं कराया? क्या बिक्रीकर अधिकारी सचल दल ने अवैध रूप से विदेशी मदिरा को लाते हुए पकड़ा? यदि हां तो पूरा विवरण क्या है?

श्री ब्रह्मदत्त–

मूल उत्तर

लखनऊ में विदेशी मदिरा की दुकानों पर छापे पुलिस द्वारा मारे गये थे। बिक्री कर विभाग इसके बारे में छान बीन कर रहा है। बिक्रीकर कार्यालय लखनऊ के अभिलेख पर पंजीकृत व अपंजीकृत विदेशी मदिरा के दुकानदारों का विवरण निम्नवत् है:–

	80-81	81-82	82-83
पंजीकृत	13	10	11
अपंजीकृत	17	13	17

नोट–वर्ष 81-82 व 82-83 प्रत्येक के लिए दुकानदारों ने पंजीयन के लिये प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। अतः उनको अपंजीकृत में शामिल किया गया है।

बिक्रीकर अधिकारी सचल दल लखनऊ ने बिना प्रपत्र के आयातित 200 कार्टन बियर दिनांक 12-9-82 को अभिग्रहीत किया था जिस पर रु0 3,200 अर्थदण्ड लगाया गया है, जो श्री बांके बिहारी पुत्र श्री राज बहादुर, चारबाग, लखनऊ द्वारा जमा कर दिया गया है।

संशोधित उत्तर

बिक्रीकर कार्यालय लखनऊ के अभिलेखों के अनुसार पंजीकृत व अपंजीकृत विदेशी मदिरा के दुकानदारों का विवरण निम्नवत् है–

	80-81	81-82	82-83
पंजीकृत	10	11	12
अपंजीकृत	23	19	17

तारांकित प्रश्न संख्या 15 का संगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रश्नों के बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 38(2) आप देख लें। उसमें है कि जो प्रश्न पूछे जायेंगे, उनका संगत उत्तर दिया जायेगा। यह बड़ा गम्भीर सवाल था। जांच रिपोर्ट आ गयी। माननीय सदस्य यह नहीं जानना चाहते हैं कि सरकार की टिप्पणी क्या है, सरकार के उस पर विचार क्या है और सरकार का दृष्टिकोण क्या है? क्यों कि वह अभी प्रक्रिया में है तो मैं जानना चाहता हूं कि सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं।

(12 बजकर 20 मिनट पर)

इस सवाल का उत्तर या तो माननीय मंत्री जी जनहित का बहाना लेकर रोक सकते थे अन्यथा कोई बहाना नहीं था कि वे उत्तर न दे सकें। इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक था। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि आपके द्वारा अनुमति मिलने के बाद मंत्री जी जो भी उत्तर देना चाहें, मैं उन्हें मजबूर नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर सकता लेकिन संगत उत्तर भी क्या वे नहीं देंगे ?

*श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, आप स्वयं देखें, प्रश्न मैंने किया था . . .

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं और उनके उत्तर दिये जाते हैं। उसके बाद फिर प्रश्न करते हैं। जो सूचना मंत्रियों के पास होती है, उसको वे कभी नहीं छिपाते हैं और न छिपाना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता कि जो प्रश्न किया गया है उसका उत्तर देना आवश्यक है। जो सूचना उनके पास हो उसके अनुसार वे उत्तर देंगे।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, आप उनको संगत उत्तर देने के लिये मजबूर कर सकते हैं कि हमको संतोष का एक उत्तर मिले। इसी प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने अक्टूबर, 1982 को एक प्रश्न किया था और उसका उत्तर 12-2-1983 को अतारांकित प्रश्न के जरिये से इस सदन में एक वर्ष पहले आया। जब उस अतारांकित प्रश्न का उत्तर आया तब उस पर एक तारांकित प्रश्न माननीय कमाल यूसुफ ने लगाया। उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि रिपोर्ट मिल गयी है। वह रिपोर्ट क्या है, यह बता दें। मान्यवर, आपने इसको स्वीकार कर लिया तो उसका संगत उत्तर दिलवाना आपके अधिकार क्षेत्र में है। वे क्या उत्तर दें यह आप मजबूर नहीं कर सकते लेकिन संगत उत्तर आप दिलवा सकते हैं। जिससे हमारा संतोष हो सके। मान्यवर, एक घपला हुआ हरिजनों की जमीन पर उन्नाव में कि राजस्व विभाग के लोगों ने उसे अपने नाम कर लिया और दूसरे लोगों के हाथ बेच दिया। सतर्कता विभाग ने उसके सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे दी। उसमें परगना अधिकारी और तहसीलदार को जिम्मेदार बताया गया लेकिन सम्बन्धित अधिकारियों को बचाने के लिये सतर्कता विभाग की जो रिपोर्ट है उसको माननीय मंत्री जी सदन के सामने नहीं रखना चाहते हैं और परीक्षण के नाम पर बचाना चाहते हैं। **इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।**

श्री अध्यक्ष–

जब सतर्कता विभाग की रिपोर्ट मंत्री जी को और शासन को प्राप्त हो गयी और जब मैंने प्रश्न स्वीकार कर लिया तो वह हाउस की पोपर्टी हो गयी। अगर उनके पास जैसा कि माननीय यूसुफ ने पूछा था कि उसके क्या-क्या तथ्य हैं, क्या-क्या मामला है, वह है तो उन्हें उसे बताना चाहिये। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। जब इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है उसमें क्या-क्या खास बातें हैं उन्हें आपको पढ़कर आना चाहिए। इस बात का भी भविष्य में ध्यान रखें।

सिद्दपुरा भट्ट, जिला लखनऊ में निर्माण कराये जा रहे विद्यालय भवन को वर्तमान जिलाधिकारी द्वारा रोक दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने माननीय सन्त बख्श रावत, श्रीमती गौरी देवी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय पंचानन राय, माननीय छत्तर सिंह, माननीय मुईद अहमद णथा मान-सिंह, माननीय मुईद अहमद तथा मान-स्वीकार किया है। बाकी सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सन्त बख्श रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम शिद्दपुरा भट्ट, विकास खण्ड गोसाईगंज, जनपद लखनऊ में ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित स्थान पर विद्यालय खोलने हेतु जिलाधिकारी, अध्यक्ष, बेसिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 342/एम0 आई0 जी0 सी0/83 दिनांक 1 मार्च, 1983 के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालय खोलने हेतु आदेशित किया था, जिसका तो अनुपालन नहीं हुआ किन्तु प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सभा को सबसे अधिक हरिजन एवं अन्य कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग को विद्यालय निर्माण हेतु आदेश किया और सा0 नि0 विभाग ने पंचायत से प्रस्तावित स्थान पर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया। किन्तु अभी कुछ समय पूर्व जिलाधिकारी, लखनऊ ने निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिये हैं जिसके कारण इस ग्राम की जनता एवं सम्पूर्ण विकास खण्ड गोसाईगंज के प्रधानों, हरिजनों तथा कमजोर वर्गों में असन्तोष, रोष, क्षोभ व्याप्त हो गया है। यही नहीं क्षेत्र के ग्राम प्रधान आन्दोलित भी हो उठे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार अविलम्ब विद्यालय का निर्माण करा दिया जाय।

पटरी दुकानदारों से गोरखपुर नगर महापालिका एवं ठेकेदारों द्वारा जबरन धन की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, नगरपालिकाओं व महा पालिकाओं के अन्तर्गत पटरी दुकानदारों, जिनकी कुल पूंजी एक हजार से कम है प्रतिदिन साग-सब्जी फल-दूध आदि को बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनसे भारी मात्रा में अधिकारियों एवं ठेकेदारों की सांठगांठ से अधिक मात्रा में 2 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से नगरों में प्रवेश करने का, घूमकर दूध, सब्जी, फल, साग बेचने वाले गरीब लोगों से जबरन धन वसूला जाता है। विगत एक माह से गोरखपुर नगर महापालिका तथा आस पास जबरन अधिक धन प्रत्येक गरीब दूध सागसब्जी बेचने वालों से वसूला जा रहा है। तथा मारा पीटा गया है। जिसके विरोध में हजारों गरीब दुकानदारों तथा दूध, सब्जी बेचने वाले जिलाधिकारी के यहां प्रदर्शन एवं हड़ताल कर रहे हैं। नगरपालिका एवं महापालिका में इस प्रकार की ठेकेदारी समाप्त की जाय। उपरोक्त प्रकार के गरीब कमजोर व्यवसायि में भारी असंतोष है। स्थिति गंभीर है।

अतएव इस अत्यंत ही लोक महत्व के मामले को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करती हूं कि छोटे व कमजोर व्यवसायियों के संरक्षण देने तथा वसूली न करने के लिये कदम उठाये जांय तथा ठेकेदारी समाप्त की जाए।

कस्तूरबा बालिका इण्टर कालेज, लखनऊ को प्रबन्ध समिति द्वारा बन्द करने के कुचक्र के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक अवलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

कस्तूरबा बालिका इंटर कालेज, शिवाजी मार्ग, लखनऊ के विद्यालय के प्रबंधाधिकरण द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य से बंद करने का कुचक्र रचा जा रहा है। यह इस नगर का अध्ययन-अध्यापन की दृष्टि से एक श्रेष्ठ विद्यालय है। प्रबंध तंत्र इसे बंद करके इस भवन में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलना चाहता है। इसी क्रम में जनवरी, 1984 से अध्यापिकाओं और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है। इससे शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों में भय एवं असंतोष व्याप्त है।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि इस विद्यालय के प्रबंधतंत्र को निलम्बित कर इसके स्थान पर साधिकार नियंत्रक नियुक्त किया जाय तथा विद्यालय को **पूर्ववत् चलाये रखने की व्यवस्था सुनिश्चित** की जाय।

कृषि रक्षा अनुभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री छत्तर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका और सदन का ध्यान कृषि रक्षा अनुभाग में हो रहे भ्रष्टाचार एवं माई-भतीजावाद की ओर दिलाना चाहता हूं। इस विभाग में ऐसे कर्मचारियों को प्रभारी कृषि रक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति की गयी है जिनकी सेवायें वर्ग-1 में न तो स्थायी हैं और न ही लोक सेवा आयोग से अनुमोदित हैं। यह आदेश दिनांक 21-1-84 के संख्या ए0 ए0 7976/ए–38-378 के द्वारा जारी कर दिया गया है। तथा ऐसे कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है जो वर्ग-1 के पद पर स्थायी हैं तथा लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 से अनुमोदित हैं। और वरिष्ठता क्रम सूची में भी प्रोन्नति कर्मचारियों से ऊपर हैं।

इससे वरिष्ठ कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है और वह हड़ताल पर जाने के लिए तत्पर हैं। अतः कर्मचारियों को तुरन्त न्याय दिया जाय।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि कृषि विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जांय तथा कर्मचारियों को न्याय दिलाया जाय।

महुआपुर (सीतापुर) में हुए अग्नि काण्ड से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दिनांक 13 मार्च, 1984 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर तहसील के ग्राम महुआपुर में भी भीषण अग्निकाण्ड हो गया। 30 घर जलकर भस्मसात हो गये। डेढ़ लाख से अधिक की संपत्ति के हानि होने का अनुमान है। घरों में रखा गल्ला तथा गृहस्थी का सामान तथा झोपड़े सभी जल गये।

मान्यवर, समाजसेवी संस्थाओं ने कुछ राहत कार्य अवश्य किया। परन्तु शासन की ओर से अभी तक पर्याप्त सहायता एवं राहत कार्य नहीं किया गया इससे जनता में आश्चर्य एवं असंतोष है। कई परिवार तो भुखमरी की दशा में हैं।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर अहेतुक सहायता, गृह अनुदान तथा पुनर्वास हेतु समुचित आर्थिक मदद तत्काल दिया जाये, ऐसी मांग करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा ओला वृष्टि से क्षति की पूर्ति हेतु शासन द्वारा दी गई सुविधाओं को क्रियान्वित न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

दिनांक 18/19 फरवरी, 1984 की रात में सुल्तानपुर जनपद के दूबेपुर कुड़वार, अमेठी, भेटुआ, विकास खंडों के कुछ ग्रामों में भयंकर रूप से ओला-वृष्टि हुई तथा तूफान आया। जिससे किसानों की खेतों में समस्त खड़ी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी तथा शतप्रतिशत नुकसान हुआ है। विशेषत: कुड़वार विकास खंड की हाजी पट्टी, नरही, भाटी, रामपुर, खनियां, बहलोलपुर राजापुर, ढकुनपुर आदि ग्राम भयंकर रूप से प्रभावित हैं और ओले इतने बड़े रूप में थे कि फसल तो दूर रही, बड़े-बड़े पेड़ गिर गये थे। परन्तु खेद है कि जिलाधीश, सुल्तानपुर ने अभी तक आर्थिक सहायता पीड़ित किसानों को नहीं पहुंचाई है और न ही राजस्व मंत्री महोदय ने ही विगत सप्ताह में सदन में की घोषणा में सुल्तानपुर जनपद को ओला से क्षतिग्रस्त जिलों में शामिल किया है। जिससे प्रतीत होता है कि जिलाधीश ने शत प्रतिशत हुए नुकसान की पूरी सूचना को ज्ञापन को नहीं भेजी है।

उपरोक्त अवस्था में अनुरोध है कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को लगान, सिंचाई की वसूली माफ करके शासन द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाने की कृपा की जाय।

कृषक उ0 मा0 विद्यालय, पचोखरा, एतमादपुर जिला आगरा के प्रधानाचार्य द्वारा फर्जी रोल नम्बर देने से कतिपय छात्रों के बोर्ड को परीक्षाओं से वंचित होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–

अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, आगरा जिला की तहसील एतमादपुर के पचोखरा स्थित कृषक उ0 मा0 स्कूल के 94 छात्र प्रधानाचार्य द्वारा फर्जी रोल नं0 देने से परीक्षा में न बैठ सके क्योंकि उनके फार्म बोर्ड कार्यालय में समय से न पहुंचे। छात्र नियमत: परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं पा सके। विज्ञान के गलत प्रश्न पत्रों के खुल जाने से भ्रान्ति उत्पन्न हो गयी। जिससे छात्रों एवं अभिभावकों तथा प्रदेश की जनता में घोर असंतोष एवं उत्तेजना व्याप्त है।

अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाकर यह मांग करता हूं कि शिक्षा मंत्री उक्त प्रधानाचार्य तथा दोषी अधिकारियों को दंडित करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

जो आपने लिखकर दिया है, उससे ज्यादा है तो कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री हुकम सिंह, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि श्री विजय सिंह राना और श्री गोपी नाथ वर्मा को विशेष रूप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से बजट में चर्चा के समय बोलने के लिये सूची में इनका नाम देने की कृपा करें ।

श्री रियासत हुसैन जी आप माननीय श्री अकबर हुसैन को हमारे कक्ष में भेज देंगे तो उनसे हम बात कर लेंगे ।

हिन्दी के सम्बन्ध में जारी राजाज्ञाओं की अवहेलना के संबंध में औचित्य का प्रश्न

औचित्य के 3-4 प्रश्न आज मुझको प्राप्त हुए हैं और जैसे-जैसे वह प्राप्त हुए हैं, वैसे-वैसे ही उनको मैं देखूंगा और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक ऐसा विषय औचित्य के प्रश्न के रूप में उठा रहा हूं जो आपके संज्ञान में है और इस सदन के सामने है, यह सभी को पता है । मान्यवर, राज भाषा अधिनियम 1951 में पारित हुआ । जिसके तहत उ0 प्र0 की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी बन गयी । मान्यवर, अनुच्छेद 151 के तहत यह सरकार का काम है कि राज भाषा अधिनियम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिये समय से आदेश दे और व्यवस्था करे । मैं स्वीकार करता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस सम्बन्ध में प्रयास किया और राजाज्ञायें जारी कीं लेकिन जो मुझको चिन्ता है कि वर्तमान सरकार, जो श्री श्रीपति मिश्र के नेतृत्व में काम कर रही है, वह जानबूझकर पुरानी राजाज्ञाओं की अवहेलना कर रही है । मान्यवर, इस संबंध में मैं तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, एक राजाज्ञा है, जिसकी फोटोस्टेट प्रति आपके पास भेज दिया है, यह श्री चन्द्रमोहन वासुदेव विशेष सचिव की राजाज्ञा संख्या 3262/इक्कीस–1977, दिनांक 12 दिसम्बर, 1977 की है, जिसमें उन्होंने निर्देश दिये हैं कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है और लिपि देवनागरी है, पर सरकारी अधिकारियों के आवासों पर रोमन लिपि में नाम पट्ट व सूचना पट्ट आदि लगाये जाते हैं अर्थात् वह देवनागरी लिपि से भिन्न लगाए जाते हैं । इससे राजभाषा की अवमानना होती है और उससे जनता के मन में क्षोभ उत्पन्न होना भी स्वभाविक है । इसलिए इसमें यह निर्देश दिये गये हैं कि इनमें हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाए और इसका पालन किया जाए ।

फिर हमारे पास श्री आदित्य कुमार रस्तोगी, विशेष सचिव की एक राजाज्ञा दिनांक 10-10-79 की है, जिसकी सं0 2208/इक्कीस–3 (31) 79 है, जिसमें कहा गया है कि बैनरों, पोस्टरों तथा साइन बोर्डों आदि में शुद्ध हिन्दी का प्रयोग किया जाए । उसमें लिखा है कि शासन की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि कहीं कहीं सरकारी विभागों द्वारा लगाये गये बैनरों, पोस्टरों, साइन बोर्डों तथा सूचना पट्टों आदि में अशुद्ध हिन्दी का प्रयोग किया जाता है । इससे भाषा की अवमानना होती है। इस राजाज्ञा में अधिकारियों को इनमें अशुद्ध हिन्दी के स्थान पर शुद्ध हिन्दी का प्रयोग करने के विषय में निर्देश दिये गये । तीसरा मेरे पास है 'सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग' उसमें लिखा है कि प्रदेश की एक मात्र राजभाषा हिन्दी है । यह 31 अक्टूबर, 74 की राजाज्ञा है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि अंग्रेजी भाषा में काम करना अनुशासनहीनता माना जाएगा । यह भी निर्देश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जारी किया गया है । तो ऐसे मेरे पास बहुत से पत्र हैं जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनका उल्लघंन करके तमाम पत्राचार अंग्रेजी में किया जाता है, जो पत्र बाहर नहीं जाते हैं, केन्द्र को या अन्य किसी प्रदेश तामिलनाडु आदि को नहीं जाते हैं । एक बात मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री श्रीपति मिश्र के पहले मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा की थी कि सभी प्रेसनोट, विज्ञापन मात्र हिन्दी में जायेंगे, पत्र चाहे अंग्रेजी का ही उसमें भी यह हिन्दी भाषा में जायेंगे । लेकिन आज इन आदेशों का भी बिलकुल पालन नहीं हो रहा है । यहां तक कि हिन्दी के पत्रों में भी यह अंग्रेजी में प्रकाशित हो रहे हैं । बिजली बोर्ड के अलावा अनेक विभाग और निगम आदि हैं जो बराबर सारे प्रेसनोट और विज्ञापन अंग्रेजी भाषा में ही सारे अखबारों में देते हैं।

इस तरह से जो राजभाषा अधिनियम, 1951 है, उसकी खुली अवमानना की जा रही है और हिन्दी भाषा का उन्नयन और विकास जो इस सरकार और सदन की जिम्मेदारी है, उसकी भारी अवहेलना हो रही है । यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है । केन्द्र सरकार ने एक कमेटी भी बना रखी है, पर हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए मैं औचित्य का प्रश्न उठाकर आपके संज्ञान में लाकर यह कहना चाहता हूं कि, यह नियम सदन के पटल पर रखे गये हैं, शासन को आप निर्देश दें या जो भी उचित समझें करें परन्तु इसका पुरी तरह से पालन सुनिश्चित होना चाहिए। जो राजभाषा अधिनियम, 1951 की भावना है, जो सरकार ने राजाज्ञा जारी की है, उसका सही मायने में कार्यान्वयन किया जाए, चाहे आप इस सम्मानित सदन की एक कमेटी बना दें, जो कार्यालयों में जाकर वस्तुस्थिति का निरीक्षण करे । दफ्तरों में मोहर, जो 20 आने में बनती है, और शीर्षक अंग्रेजी में छपे हुए हैं । इस तरह से राजभाषा हिन्दी का खुला अपमान इस सरकार द्वारा बर्दाश्त किया जा रहा है । इस विषय में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)– अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे आदेश दिया, कुछ कहने के लिये। जिन जगहों पर, जिन कार्यालयों में तथा जिन स्थानों पर यह पाया जायेगा कि हिन्दी का प्रयोग नहीं हो रहा है, वहां यह सुनिश्चित किया जायेगा कि हिन्दी का ही प्रयोग हो और जो राजाज्ञा जारी हो चुकी हैं, उनके अनुसार काम हो और उनका पालन हो। मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का भी बड़ा अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया। हिन्दी की तरक्की और उसके इन्फोर्स करने के लिये हर सम्भव उपाय किये जायेंगे। लेकिन जहां तक इस औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, आप स्वयं देखेंगे कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है और इसे आप अस्वीकृत करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को मैंने सुना और सुनने के बाद, जहां तक औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, नियम 300 के अन्तर्गत यह नहीं आता है और इसको उठाने की मैं आज्ञा नहीं देता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि शासन की राजाज्ञाएं इस प्रकार की निकल चुकी हैं तो उनका पालन ठीक तरह से होना चाहिए और मैं चाहूंगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

कि मंत्री जी कृपया यह देखें कि उनका पालन पूरी तरह से हो रहा है या नहीं। आप उसकी रिपोर्ट भी मंगा कर अपने आप को संतुष्ट कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने मान्यवर, इसके लिये एक संसदीय कमेटी गठित करने की भी मांग की थी।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैं विचार कर लूंगा।

श्री लालप्रताप सिंह–

बहुत से शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी के, जिनका हिन्दी रूपान्तर हुआ ही नहीं, उसे भी करा दिया जाय।

उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1984 के पुर:स्थापन के समय संसदीय कार्य मंत्री एवं आबकारी मंत्री द्वारा भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह–

अध्यक्ष जी, कल जिस समय उर्दू को प्रदेश की दूसरी भाषा बनाये जाने के सम्बन्ध में यहां विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा मांगी जी रही थी, उस समय उस पर कुछ चर्चा यहां हुई। उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने विचार रखे तथा माननीय आबकारी मंत्री जी ने उसके विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया। दोनों ही माननीय मंत्रियों के बयान और उनके मत यहां की कार्यवाही में अंकित हैं। एक ओर तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का यह बयान है कि यह विधान सभा की क्षमता में आता है, विधान सभा को संवैधानिक अधिकार उस पर विचार करने का है और प्रदेश सरकार की नीति भी है कि उर्दू को प्रदेश की दूसरी भाषा माना जाये। दूसरी ओर माननीय आबकारी मंत्री जी का बयान है कि यह विधान सभा की विधायी क्षमता के परे है और यह संविधानिक भी है। उन्होंने यह भी कहा कि वे इससे सहमत नहीं हैं और यह कहा कि जो लोग इस विधेयक को प्रस्तुत करने पर बल दे रहे हैं वे एक तरह से प्रदेश को तोड़ने का काम कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष–

जो आपने लिख कर दिया है वह तो इसके परे है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सारी बातें मैंने लिख कर दी हैं। मैंने दो दिये हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस पर आप बाद को बोलते, मैंने दूसरे पर आपको बुलाया था, इसे तो मैं बाद को लूंगा।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अब 4 मिनट तो बोल चुका हूं, 2 मिनट और लूंगा, इसे ही समाप्त कर लेने दें।

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि जहां तक औचित्य....

श्री अध्यक्ष–

फिर बाद को मौका नहीं दूंगा।

श्री हुकुम सिंह–

जहां तक इस औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 164 की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 164 में है कि मंत्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका आशय यह हुआ कि मंत्रि मण्डल का कोई भी सदस्य यदि विधान सभा में कोई बात

करता है तो उसके इस कथन को तमाम मंत्रियों का उत्तरदायित्व माना जायेगा, यह माना जायेगा कि जो प्रवचन या जो बयान विधान सभा के समक्ष मंत्रि मण्डल के किसी सदस्य ने दिया है वह मंत्रि परिषद् की नीति की अभिव्यक्ति है। राज्य सरकार की नीति की अभिव्यक्ति है। एक मंत्री यहां पर कहते हैं कि उर्दू को दूसरी भाषा बनाने की नीति है और दूसरे मंत्री कहते हैं कि दूसरी भाषा बनाने की नीति नहीं है। तो हम क्या समझेंगे? किसकी बात को सही मानेंगे कि वह सरकार की नीति की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मान्यवर, इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि मंत्रि मण्डल का कोई भी सदस्य विधान सभा के समक्ष कोई बात कहेगा तो वह तमाम मंत्रि मण्डल या मंत्रि परिषद् की राय की अभिव्यक्ति करेगा।

अब मान्यवर, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विद्वानों ने सामूहिक उत्तरदायित्व की क्या परिभाषा दी है इसको आप देखें। कौल और शकधर की पुस्तक ''प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेन्ट'' वाल्यूम-2 के पेज 586 पर कहा गया है। केवल 3 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। ''दि एसेन्स आफ कलेक्टिव रिस्पान्सबिल्टी इज दैट ए मिनिस्टर इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज डिसेन्ट व्हेन ए पालिसी इज इन दि स्टेज आफ डिस्कशन, बट आफ्टर ए डिसीजन इज टेकेन एवरी मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू स्टैण्ड दाई इट विदाउट एनी रिजर्वेशन।''

मैं रिजर्वेशन पर बल देता हूं, कोई इसमें दूसरे मत की अभिव्यक्ति करने की गुंजाइश नहीं है। मान्यवर, इसका हिन्दी अनुवाद यह है। सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय यह है कि एक मंत्री वार्तालाप के समय अपना मत प्रकट करने के लिए स्वतन्त्र है परन्तु निर्णय लेने के पश्चात् मंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वह आवश्यक रूप से उस निर्णय का समर्थन करें और यदि कोई मंत्री मंत्रि परिषद् के निर्णय से सहमत न हो तो वह त्यागपत्र दे दे।

मान्यवर, संविधान के ऊपर जो कमेंटरी लिखी गयी है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे विद्वानों ने लिखा है। मान्यवर, बासू की कमेन्टरी, जो संविधान पर है, के वाल्यूम ''6'' के पेज 119 पर 164(2) के बारे में कहा गया है। उन्होंने कहा कि ''दिस प्राविजन एम्बोडाइज दि पालिटिकल रिस्पान्सिबिलिटी रिलेटेड टू दि राइट आफ ए मिनिस्टरी टू कान्टीन्यू इन आफिस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्राम दि लीगल लाइबिलिटी आफ ईच मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पान्सविल्टी मेक्स ईच मिनिस्टर विकेरियसली रिस्पान्सिबिल टू दि लेजिस्लेटिव एसेम्बली फार दि एक्ट्स आफ अदर मेम्बर्स आफ दि कौन्सिल आफ मिनिस्टर्स।'' इसका मान्यवर, हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है। यह धारा मंत्रि मण्डल के ऊपर राजनैतिक उत्तरदायित्व निर्धारित करती है जो वैधिक उत्तरदायित्व से भिन्न है। सामूहिक नेतृत्व प्रत्येक मंत्री को विधान सभा के समक्ष समस्त मंत्रि मण्डल के संयुक्त कर्तव्यों के लिये उत्तरदायी बनाता है।

मान्यवर, दूसरे देशों में जहां लोकतंत्र है और संसदीय प्रणाली है वहां पर परंपराओं से काम चल रहा है। लेकिन हमारे संविधान के निर्माताओं ने

यह आवश्यक समझा, उन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख कर दिया है। अगर यहां पर परंपरायें चलती तो न जाने मंत्री आपस में क्या व्यवहार करते या उसका क्या रूप होता? लेकिन संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि वह सामूहिक रूप से उत्तर-दायी है। अतः जो मंत्री एक दूसरे से भिन्न-भिन्न राय कैबिनेट के किसी निर्णय के ऊपर प्रकट करते हों तो यह अपेक्षा की जाती है कि दोनों में से एक मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो मान्य-वर, यह एक संविधानिक संकट, कांस्टी-ट्यूशनल क्राइसेस पैदा हो गयी है। मंत्रि परिषद् के सदस्य भिन्न-भिन्न मत प्रकट कर रहे हैं। इनमें से कौन सा सदस्य मंत्रि परिषद् का सही प्रतिनिधित्व करता है उसकी जानकारी सामने आनी चाहिए। मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो जायेंगे। तो हम क्या समझेंगे कि कौन सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिये जब तक इसका निर्णय नहीं होता कि मंत्रि-मण्डल की नीति क्या है, किसको अधिकार है इसको रखने का, तब तक आगे कार्यवाही चलाना बेकार हो जाता है।

*श्री ख्वाजा हलीम–

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है....

श्री अध्यक्ष–

मैं इसी को ले रहा हूं। चूंकि माननीय हुकुम सिंह ने इस पर बोलना आरम्भ कर दिया है। मैं महत्वपूर्ण समझते हुए इसको ले रहा हूं।

श्री ख्वाजा हलीम–

मान्यवर, कल 22 मार्च, 1984 को उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1984 रखा गया। उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इसको बनाने का एक खास उसूल होता है। पहले एक सब कमेटी इसको बनाती है फिर कैबिनेट के सामने यह जाता है और वहां पर डिस्कशन होता है। उसके बाद यहां पर यह रखा जाता है। जिस समय कैबिनेट में डिस्कशन होता है तो वहां पर तो इसकी मुखालिफत में कहा जा सकता है लेकिन जब यहां पर रख दिया गया तो किसी मंत्रि परिषद् के सदस्य को यह अधिकार नहीं होता है कि वह इसकी मुखालिफत यहां करे। इस सिलसिले में माननीय हुकुम सिंह जी ने अभी जिक्र किया। भारत के आईन में साफ लिखा है:–भाग 5, दफा 75 की धारा–3 में साफ लिखा है कि वजीरों की काउंसिल लोक सभा के रूबरू इस्ते-माई तौर पर जिम्मेदार होगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान के बनाने वालों ने, डा0 भीम-राव अंबेदकर साहब की स्पीच को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो उन्होंने कांस्टीटुयेंट असेंबली में दी थी।

मान्यवर, 30 दिसम्बर 1948 को उन्होंने स्पीच देते हुए कहा था, मान्य-वर, यह पेज 1159 पर है।

"सपोजिंग ए मिनिस्टर डिफर्ड फ्राम अदर मेम्बर्स आफ दि कैबिनेट एण्ड गेव एक्सप्रेशन टू हिज व्यूज विच वेयर अपोज्ड टू द व्यूज आफ द कैबिनेट, इट वुड दि हार्डली पासिबिल फार दि ला टू कम इन एण्ड टू प्रासीक्यूट हिम फार हैविंग कमिटेड ए ब्रीच आफ व्हाट साइट बि काल्ड कलेक्टिव रेसपान्सिबिलिटी। ओबिलीयस देयर कैन नाट बि ए लीगल सैक्शन थ्रू विच कलेक्टिव रेसपांसिबिलिटी कैन बी इन्फोर्स्ड इज थ्रू द प्राइम मिनि-स्टर। इन माई जजमेंट कलेक्टिव रेसपां-सिबिलिटी इज इन्फोर्सड लाई द इन्फोर्स-

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मेंट आफ टू प्रिंसिपल्स । वन प्रिंसिपल इज दैट नो परसन शैल बि नामिनेटेड टू दि कैबिनेट एक्सेप्शन दि एडवाइस आफ दि प्राइम मिनिस्टर। सेकन्डिली, नो परसन शैल बिरिटेन्ड एज ए मेम्बर आफ दि कैबिनेट इफ दि प्राइम मिनिस्टर सेज दैट ही शैल बि डिसमिस्ड।''

इसका हिन्दी तरजुमा इस प्रकार है :— फर्ज कीजिये एक मिनिस्टर इक्तलाफ करता करता है दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर से और अपने ख्यालात का इजहार करता है जो कैबिनेट के नजरिये के खिलाफ हो तो कानून के लिये यह दुश्वार होगा कि उसको इसकी सजा दे कि उसने इस्तेमाई जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी के उसूल को तोड़ा है । सिर्फ एक ही जरिया है कि जिससे कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी के उसूल कोलागू किया जा सकता है यानि कि प्रधान मन्त्री । आगे विधान के जन्मदाता बाबा साहब अंबेदकर कहते हैं कि मेरा फैसला है कि कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी को लागू करने के लिये 2 उसूल बनाने पड़ेंगे । पहला यह कि प्रधानमंत्री की सलाह के बाद अगर कोई मंत्री मुकर्रर नहीं किया जाय और दूसरा यह कि कोई भी शख्स मंत्री नहीं रह सकता, अगर प्रधान मंत्री उसको बरतरफ करने को कह दें । मैं मान्यवर, आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं जो हमारी पार्लियामेंटरी जम्हूरियत की जिन्दगी में सामने आयी हैं, जिसमें इस तरह के केसेज आये और उसमें इस्तीफे दिये गये। इसमें दो किस्म की मिसालें मिलेंगी । एक तो बाजमीर, बाशर्म और मारल के लोगों की, जिन्होंने जब भी इख्तिलाफ किया, तो खुद बखुद इस्तीफे दिये । उसके साथ साथ कुछ बेजमीर और बगैर मारल, बेशरम लोगों की, जिनको निकाला गया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया । एशियन रिकार्डर 1969, पेज 9241 ''आन अक्टबर 15, दि प्राइम मिनिस्टर, मिसेज इन्दिरा गांधी आस्क्ड फार दि रिजिगनेशन आफ टू मिनिस्टर्स आफ स्टेट एण्ड टू डिप्टी मिनिस्टर्स मिस्टर एम0 एस0 गुरुपदस्वामी, मिनिस्टर आफ स्टेट फार कम्युनिटी डेवलपमेंट एण्ड कोआपरेशन मिस्टर परिमल घोष, मिनिस्टर आफ स्टेट फार रेलवेज, मिस्टर जे0 बी0 माथुयाल राव, डिप्टी मिनिस्टर फार सोशल वेलफेयर, एण्ड मि0 जगन्नाथ पहाड़िया, डिप्टी मिनिस्टर फार फाइनेन्स'' इन चार मंत्रियों से ये इस्तीफा मांगे गये, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा 15 अक्टूबर को मांगा और इसकी वजह क्या है ?

''इट वाज रीकाल्ड बाई आब्जर्वर्स दैट मि0 गुरुपद स्वामी हैड रिफ्यूज्ड टू साइन दि कांग्रेस एम0 पीज मेमोरेन्डम आस्किंग फार ए फ्री वोट इन दि प्रेसीडेन्सियल इलेक्शन, सो हैड मि0 पहाड़िया एण्ड मि0 माथयाल राव। बट मि0 परिमल घोष वाज बिलीव्ड टू हैव बीन वन आफ दि सिगनेचरीज डिस्पाइट हिज एशोसियेशन विथ मि0 अतुल्य घोष ।''

मान्यवर, मैं इसको हिन्दी में कर देता हूं । ''15 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने दो डिप्टी मिनिस्टर और दो मिनिस्टर आफ स्टेट फार कम्युनिटी डेवलपमेंट एण्ड कोआपरेशन श्री परिमल घोष, रेलवे मंत्री और श्री जे0 बी0 माथयाल राव, डिप्टी मिनिस्टर, सोशल वेलफेयर और श्री जगन्नाथ पहाड़िया, डिप्टी मिनिस्टर, फाइनेंस से इस्तीफा मांगे थे । उसके आगे है, ''उस वक्त कांग्रेस एम0पीज एक

मेमोरेंडम पर दस्तखत करा रहे थे कि अन्तरात्मा की आवाज पर वोट दिया जाय और चूंकि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का डाइरेक्टिव था, उसको इन चार मंत्रियों ने नहीं माना और उस पर हस्ताक्षर नहीं किया । इसलिए प्रधान मंत्री ने उनसे इस्तीफा मांगा और उनको डिस्मिस करने के लिए संस्तुति की ।

इसके अलावा और भी मिसालें ऐसी हैं, जैसे मोरारजी देसाई और महाबीर त्यागी ने किया है । तो मैं आपसे औचित्य के इस प्रश्न के रूप में यह कहता हूं कि जो संवैधानिक एक बात पैदा हो गयी है, जब तक यह न पता हो जाय, ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी जब तक पूरी न हो जाय और जब तक मंत्री इस्तीफा न दें, तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । मैं इस बात की मांग करता हूं कि मंत्री को तुरन्त निकाला जाय ताकि इसकी जो संवैधानिक समस्या पैदा हो गयी है, वह खत्म हो सके ।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, कल जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत कर रहे थे, उसके सिलसिले में बात चल रही थी। मंत्रि-परिषद् के एक वरिष्ठ मंत्री ने अपना मत उसके विरोध में प्रकट किया । मेरी नजर में संविधान की धारा 163, 164, 167, इन तीन धाराओं का उल्लंघन हुआ है ।

श्रीमन्, आप 167 को देखें। उसमें वजीरेआला की ड्यूटीज के बारे में कहा गया है । रियासत के वजीरे आला का फर्ज होगा कि गवर्नर को मालूमात वगैरह मुहैय्या करायेंगे । सारी मालूमात मुख्य मंत्री गवर्नर को देंगे । यह भी उसमें है कि किसी वजीर ने कोई फैसला कर लिया हो, मगर मजलिस ने गौर न किया हो, तो उसका भी हवाला मुख्य-मंत्री गवर्नर को देंगे । 163 में गवर्नर का डिस्क्रशन अन्तिम होगा । गवर्नर जो निर्णय देगा वह अन्तिम होगा। उन्होंने निर्णय दे दिया, आर्डिनेंस पूरे प्रोसीजर से पास करके आ गया, जारी कर दिया जाय । तो 163 के मुताबिक जब कोई फैसला हो जायेगा, उस फैसले के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठायी जा सकती है। 164 में स्पष्ट लिखा है कि मुख्यमंत्री या कोई मंत्री उस वक्त तक मंत्री रहेगा जब तक गवर्नर का प्लेजर रहेगा, जिस दिन प्लेजर खत्म होगा, मंत्री समाप्त हो जायेगा । ज्वाइंट रिसपांसिबिलिटी के बारे में हुकुम सिंह ने काफी विस्तार से रोशनी डाली है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा । लेकिन गोपनीयता की जो बात कही गयी उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसमें क्या शब्द प्रयोग किये गये हैं । रियासत के वजीर की हैसियत से मेरे जेरेगौर लाया जाय, या मेरे इल्म में आये, किसी शख्स या असखाश को सिवाय इसके की ऐसे वजीर की हैसियत से मेरे फरायज मुनासिब अंजामदेही के लिये जरूरी बराहेसस्त, या बिल वास्ता, न इत्तला दूंगा न जाहिर करूंगा ।

इस सारे सन्दर्भ को लेकर 4 प्रश्न खड़े हुए हैं, इनके ऊपर आपको अन्तिम निर्णय लेना है । मुख्यमंत्री द्वारा गवर्नर को मंत्रिपरिषद् के फैसले की इत्तिला देने के बाद उसकी मुखालफत करना सही है ।

दूसरा प्रश्न मान्यवर, यह खड़ा होता है कि क्या मुखालिफ्त करने से मुख्य मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

की सलाह और गर्वनर का प्लेजर बना रहेगा जब किसी मंत्री ने गर्वनर की मुखालिफत कर दी तो क्या उनका प्लेजर बना रहेगा ?

तीसरा प्रश्न है कि क्या मंत्रि परिषद् का फैसला मुताल्लिका मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री अगर वही लोग हों तो कलेक्टिव रिसपांन्सिबिलिटी का कोई भी मंत्री माननीय सदन में रखे तो इसमें संबंधित मंत्री ने और संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने मंत्री परिषद् का फैसला गर्वनर की स्वीकृति के मुताबिक इस सदन में रखा तो उनकी मौजूदगी में उस कलेक्टिव रिसपांन्सिबिलिटी को ब्रीच करें या तोड़कर रखने का अधिकार है ? इससे ज्वाइन्ट रिसपांसिबिलिटी बनी रहेगी ?

चौथा प्रश्न मेरा है कि अन्तिम चीज मंत्री परिषद् में क्या तय हुई उसकी मुखालिफत करने से वाइलेशन, जिसकी आथ भी है, वह वाइलेशन बना या नहीं ?

*श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, एक नयी संवैधानिक समस्या है । कल मंत्रि परिषद् के मंत्री ने यह समस्या पैदा कर दी ? मान्यवर, एक संविधान का हवाला धारा 164 का है जब हम कुछ बातें कहना चाहते हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व के जरिये मंत्रिमंडल आरे सदन के सामने है या नहो . केवल यह प्रथा में है । इन सामूहिक उत्तरदायित्व की नियमों में और संविधान में स्पष्ट धारायें दी गई हैं । इन सब प्राविधानों के बावजूद भी सामूहिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सत्ताधारी पक्ष सदन के भीतर सहयोग करते हैं । एक विधेयक विशेष तौर पर जो अध्यादेश की शक्ल में करने के लिए पुर:स्थापित हुआ, उस पर कल मैंने कहा था कि क्या मंत्रि परिषद् की राय के बिना ही माननीय गर्वनर के जरिये उसको जारी कर दिया ? जिसकी वजह से उनको मंत्रि परिषद् के आदेशों का विरोध सदन के सामने करना पड़ा।

दूसरी बात यह है कि क्या कांग्रेस के सत्ताधारी दल ने उस विधेयक को सदन से अनुज्ञा मागंकर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के प्रतिपादन करने के लिये अनुज्ञा नहीं दी ?

मान्यवर, जब सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव में बिना मंत्रियों के परामर्श में अकेले मुख्यमंत्री या इनके कुछ मंत्रिपरिषद् के सदस्य विधेयक को अध्यादेश के रूप में पुर:स्थापित कर सकता है ?

श्रीमन्, जब पूरे मंत्रिपरिषद् का फैसला हो गया है तो कोई मंत्री विशेष इस विधान मंडल के सामने अपने सामूहिक उत्तरदायित्व के विपरीत अपनी राय व्यक्त करता है अगर उसकी राय आ गई तो अब तक संबंधित मंत्री को मंत्री परिषद् से बर्खास्त न किए जाने के क्या कारण हैं ? मान्यवर, मैं एक मंत्री के निष्कासन के फैसले की नहीं पूरे संविधान की धाराओं का अतिक्रमण करते हुए जो इस देश की संसदीय प्रणाली है, परम्परा है और संवैधानिक निर्वहन का है, उस दायित्व का निर्वाह इन्होंने नहीं किया है, इसलिये मैं पूरे मंत्रिमण्डल से त्याग-पत्र की मांग करता हूं । इन्होंने पूरे देश के संसदीय इतिहास में एक संवैधानिक संकट पैदा करके इस देश की जो संसदीय लोक तंत्र की परिपाटी है, उसका अतिक्रमण किया है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं, मैं उनका पुनरीक्षण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक अलग बात कहूंगा । माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों ने जो बातें कही हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और इस बारे में व्यवस्था चाहता हूं कि क्या, जैसा कि माननीय रियासत हुसैन साहब ने कहा और माननीय सदस्यों ने कहा कि आर्डिनेंस जारी हुआ, कैबिनेट या चीफ मिनिस्टर की राय से और उसके बाद माननीय मंत्री जी ने उसके विरोध में बात कही, तो माननीय मंत्री जी तब तक मंत्री हैं, जब तक गवर्नर का प्लेजर है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस वक्त, नैतिकता तो यह कहती है, संवैधानिक संकट पैदा होता ही नहीं, अगर मंत्री जी सस्ती लोकप्रियता का लोभ छोड़ देते तो नैतिकता तो यह थी कि सदन में कुछ कहने से पहले मंत्रिमण्डल से त्याग-पत्र दे देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मान्यवर, मैं इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि जो मंत्री जी गवर्नर का प्लेजर होल्ड नहीं करते हैं, वह इस समय जो सदन में बैठे हैं तो मंत्री की हैसियत से बैठे हैं या एक साधारण सदस्य की हैसियत से बैठे हैं।

*श्री भीखालाल–

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत संवैधानिक प्रश्न हमारे सदन के सामने उपस्थित हो गया है। इस पर कई पहलुओं से, कई दृष्टिकोण से माननीय सदस्यों ने कहा, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं केवल संकेत करूंगा कि जहां तक सामूहिक नजरिये की बात है इस मंत्रिमण्डल की, वह इस सदन में दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहां दो मंत्रियों ने परस्पर विरोध में बातें की हैं, लिहाजा सामूहिक नेतृत्व वाली बात नहीं दिखायी पड़ती है। दूसरी बात, अगर यह मंत्रिमण्डल का फैसला है और उसके मुताबिक भाषा विधेयक इस सदन में आया है तो मंत्रिमंडल की ओर से दो बातें इस सदन में नहीं आनी चाहिये। मंत्रिमण्डल की गोपनीयता की जो बात रियासत साहब ने कही, वह भी भंग हुई है। अतः संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। मैं समझता था कि कल ऐसी बातें होने के बाद माननीय वासुदेव सिंह जी स्वयं इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, अतः आज यह संकट पैदा हो गया है। माननीय मोहन सिंह जी और रियासत हुसैन साहब ने जो कहा मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, यह एक अहम् प्रश्न है। इस पर इस हाउस में एडवोकेट जनरल को बुलाकर उनसे राय लेनी चाहिये इस प्रश्न पर, क्योंकि यह एक गम्भीर संकट है और इसके चलते हुए हाउस का काम ठीक से नहीं चल सकेगा। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। इसके नेतृत्व में देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ, लेकिन उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे, जिनके कारण देश के दो हिस्से हुए और आज फिर इसी पार्टी में कुछ आदमी भाषा के नाम पर इस प्रदेश के दो हिस्से कर देना चाहते हैं। अतः मान्यवर, यह बहुत गम्भीर समस्या है और इसके समाधान के लिये एडवोकेट जनरल की राय ली जानी चाहिये।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने संविधान का उल्लेख किया, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मान्यवर, जो बातें यहां कही जा चुकी हैं, उन्हें मैं दोहराऊंगा नहीं, किन्तु मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे देश ने संसदीय जनतंत्र स्वीकार किया है । अन्य देशों में सुप्रीमेसी आफ पार्लियामेंट है, लेकिन हमारे देश में सुप्रीमेसी आफ कांस्टीट्यूशन स्वीकार किया गया है, संविधान की सर्वोच्चता स्वीकार की गयी है ।

कल जो विषय विचारधीन था, उसमें एक मुद्दा था कि जो विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है क्या वह संविधान सम्मत है, क्या यह विधान मण्डल की विधायिनी क्षमता के तहत है कि नहीं ? हमारे प्रदेश का कोई भी मंत्री मुख्य मंत्री की सिफारिश से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है । मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता हूं । मैं सिर्फ कल जो यहां हो रहा था और उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाये जाने के बारे में जो सहमति हो रही थी उसे सभी जानते हैं और वह निर्विवाद भी है । राज्य भाषा हो या न हो उस पर कल बहस होगी और उस पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार जाहिर करेंगे ।

मान्यवर, श्री वासुदेव सिंह जी ने कल जो कुछ भी कहा, वह उन्होंने संविधान के बारे में कहा कि संविधान इससे सहमत है कि नहीं । मान्यवर, संविधान सर्वोच्च है, परन्तु संविधान की अवहेलना हो रही है और उसकी अवहेलना करके इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया । माननीय श्री वासुदेव सिंह जी ने संविधान में प्राप्त अधिकारों का सही मायने में सदुपयोग किया और निर्भीकता का उपयोग किया, इसके लिये मैं उनको अपनी ओर से तथा इस प्रदेश की जनता की ओरसे बधाई देता हूं । जैसा कि भीखालाल जी ने कहा कि कुछ विघटनकारी तत्व भाषा के नाम पर देश और प्रदेश को बांटना चाहते हैं । अगर संविधान का अतिक्रमण हो रहा है, जैसा कि माननीय श्री मोहन सिंह जी ने कहा, उस पर मैं बल देता हूं । केवल एक श्री वासुदेव सिंह जी की बात नहीं है, अपितु, श्री श्रीपति मिश्र की बरखास्तगी की कार्यवाही जरूरी है । विधान मण्डल का क्या फैसला है और राज्यपाल उसमें क्या करेंगे या उन्होंने क्या किया, इस पर मैं कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । आज संविधान का अतिक्रमण कौन कर रहा है और उसकी भावनाओं का अनादर कौन कर रहा है, इसे इस प्रदेश की जनता जानती है और कल जनता इसका फैसला करेगी ।

मान्यवर, आप संविधान की धारा 167 को देख लें उसमें लिखा है कि "मुख्य मंत्री मंत्रिमण्डल के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत करायेंगे" । परन्तु मान्यवर, जब मंत्रिमण्डल का कोई निर्णय ही नहीं हुआ तो मुख्य मंत्री जी ने राज्यपाल को किस चीज से अवगत कराया । माननीय श्री वासुदेव सिंह जी ने भी कल यहां पर कहा था कि मंत्रिमण्डल का इस पर क्या निर्णय हुआ, इसकी चर्चा वह करना नहीं चाहते हैं । इसलिए मान्यवर, एक संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गई है । इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि संविधान सर्वोच्च है और उसका उल्लंघन किया जा रहा है । केवल माननीय श्री वासुदेव सिंह जी को ही बरखास्त नहीं अपितु इस पूरी सरकार को बरखास्त कर देना चाहिए, आप इस पर व्यवस्था दें । अगर इसका निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेश की जनता इस मंत्रिमण्डल को बरखास्त करेगी ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, बहुत लम्बे समय से मैंने माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय श्री मोहन सिंह जी तथा श्री हलीम साहब के भाषण को सुना । यह सब सुनने के बाद मुझे एक अंग्रेजी में कहावत याद आती है "स्टारस इन दि पीक्स अप" । मुझे कोई सेन्स भी इसका मालूम नहीं हुआ । जब भी उर्दू की बात आती है, तो माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को आवेश सा आ जाता है । मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक सफाई देना चाहता हूं । क्योंकि माननीय श्री लाल प्रताप सिंह जी ने मुझे इंगित किया है और मेरा नाम लिया है । साथ ही मेरे ऊपर आरोप लगाया है । उन्होंने कहा कि मुझे उर्दू से चिढ़ लगती है । मान्यवर, मैंने अपने कल वाले भाषण में कहा था कि मैं उर्दू भाषा के उन्नयन और उसके विकास को चाहता हूं और वह हमारी राष्ट्रभाषाओं में से एक भाषा है । मैंने तो सिर्फ उसके दूसरी राज भाषा बनने में विरोध किया था ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठें ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

तो मान्यवर, मैं एक कहानी की बात कह रहा था । एक नाई श्री जिया-उल-हक साहब का बाल बनाता था । और रोज-रोज कुछ न कुछ कहता था कि साहब जमहूरियत लाई जाय, भुट्टो साहब तो चले गये तमाम आन्दोलन हो रहे हैं । एक बार उन्होंने कहा बहुत बातें करते हो, क्या अपनी बातें करते रहते हो, चलो आज दूर खड़े हो, मेरे नजदीक मत आना, यह क्या कहते रहते हो । उसने कहा, यह आपने क्या कह दिया, सरकार ऐसा है कि जब जम्हूरियत की बात करता हूं, तो आपके दाढ़ी के बाल खड़े हो जाते हैं, और उस समय मुझे आपकी दाढ़ी बनाने में बड़ी आसानी होती है । ठीक उसी तरह से माननीय गुप्ता जी का यह बिल्कुल वही आधार हो जाता है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई संवैधानिक संकट यहां उपस्थित नहीं हुआ है, न कोई संवैधानिक बात है । क्या डिसीजन किया है, गवर्नर का क्या कम्युनिकेशन कम्युनिकेट हुआ, इसकी चर्चा नहीं हो सकती है, न इसे उठाया जा सकता है । मैं एक बात कहूंगा सेप्रेशन आफ पावर है, वह बिल्कुल ही कम्पलीट है । न्याय पालिका कार्य पालिका पर छापा नहीं मार सकती, कार्य पालिका न्याय पालिका पर छापा नहीं मार सकती । विधायिका, न्यायपालिका और कार्य-पालिका पर छापा नहीं मार सकती। पूरा का पूरा विवरण दिया हुआ है, हमारे संविधान में । क्या डिसीजन किया क्या कम्युनिकेशन यह सब ऐसी चीजें हैं, न तो उसे कोर्ट बाध्य कर सकता है । क्या एडवाइस उन्होंने टेंडर किया, क्या बातचीत हुई, क्या डिसीजन हुआ, उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता है । इस लिए वह यहां चर्चा का मुद्दा नहीं है जो माननीय मोहन सिंह जी ने उठाया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग जब बोलते हैं, तो वह लोग धैर्यपूर्वक सुनते हैं। इसी तरह से आप लोगों में भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, इनमें सुनने की क्षमता नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। दूसरी बात कलेक्टिव रिसपांसिबिल्टी की बात है, वह बात मंत्रिमण्डल और चीफ मिनिस्टर के बीच की है, जिसकी एडवाईज पर कोई बात निर्भर होती है। वह उनके और उनके बीच की बात होती है, अगर किसी से कोई मतभेद है, तो उनसे कोई बात सीक कर सकते है, उनको डिसमिस करने के लिए लिख सकते है। यह उनके और उनके मंत्रिमण्डल के बीच की बात है। अगर लेजिस्लेचर यह समझता है तो वह उस सरकार के खिलाफ "नो कांफिडेंस" का मोशन प्रस्तुत करता है। इसमें संविधान के संकट की कोई बात नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि कोई सवाल इसका पैदा ही नहीं होता है। कुछ मौका मिल गया, तो उसे उछालने के लिए पीछे पड़ जाते है। मान्यवर, लिहाजा कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठता और न ही इससे कोई क्राइसेस उत्पन्न हुई है और न इसका सवाल पैदा होता है।

(श्री काशी नाथ मिश्र, को पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

जो इससे सम्बन्धित है, वही बात कहेंगे।

*श्री काशी नाथ मिश्र–

मैं सम्बन्धित बात ही कहूंगा। मान्यवर, यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि यह सदन विभाजित मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत कैसे काम कर सकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कहीं मंत्रि परिषद् में विभाजन का प्रश्न ही नहीं है, कहीं प्रश्न ही नहीं है। माननीय वासुदेव सिंह ने जो कल आचरण सदन में किया, यह संविधान की धारा 194 के अन्तर्गत किया है। इसमें देखें धारा 194 में– लिखा है "इस संविधान के उपबन्धों में तथा विधान मण्डल की प्रक्रिया के विनियात्मक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल में वाक-स्वातन्त्र्य होगा।" अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता होगी विधान सभा का कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने के लिये पूरी तरह से स्वतंत्र है। माननीय वासुदेव सिंह ने अपनी बात करते हुए अपने विचार रखे केवल वह इंटेलेक्चुयल इंटरपिटिशन की बात थी, 345 धारा को वह अपनी ढंग से भाष्य कर रहे थे, एक बौद्धिक बहस में वह हिस्सा ले रहे थे असेम्बली में। इससे यह कहना कि कोई सीक्रेसी खत्म हो गयी है या मंत्रि परिषद् में कोई बाधा पैदा हो गयी है–यह उचित नहीं है।

माननीय हुकुम सिंह यही पता लगा रहे थे–यह उत्तरदायित्व किसका है, कौन मुख्य मंत्री है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से राज भाषा विधेयक पेश कर रहे थे। तो वह ही सरकार का मुखिया होता है, जो सरकार की तरफ से कोई चीज पेश कर रहा हो, सरकार के व्यू प्वाइंट्स को यहां रख रहा हो। प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने अपने भाषण में उर्दू की प्रशंसा भी की उन्होंने यह भी कहा कि हमको वोट देना होगा, तो शासन के साथ है। उन्होंने धारा 345 का भाष्य किया है, वह भाष्य कर रहे थे। इसमें कोई संवैधानिक संकट नहीं है। मंत्रि परिषद् एक है, इस लिए सदन की व्यवस्था चल सकती है।

*श्री फखरे आलम–

इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुका है। न मैं उन बातों को दोहराऊंगा और न दोहराना चाहता हूं। कल भी बातें हुई थीं, लेकिन मैं नहीं था, मैं उनको भी नहीं दोहराऊंगा। इस वक्त जो कांस्टीट्यूशनल टैंगिल पैदा हो गया है, क्राइसिस पैदा हो गयी है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं रही है। माननीय वासुदेव सिंह जी ने जो हंगामा यहां पैदा किया, जिस तरीके से उस विधेयक की मुखालफत की, उसके मायने हैं कि उन्होंने खुद सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रख दिया। अब उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है, जब कोई सरकार ही नहीं है तो कोई कार्यवाही भी नहीं चल सकती। अगर कोई सरकार है तो यह उसका फर्ज है कि श्री वासुदेव सिंह को सबसे पहले बर्खास्त कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, सरकार है, यहां पर काशीनाथ मिश्र की सरकार चल रही है।

श्री फखरे आलम–

जो विधेयक सरकार की तरफ से लाया गया, जिसको पूरी मंत्रि-परिषद् ने पूरे तरीके से सुना और मंत्रि-परिषद् के सब सदस्य मौजूद थे, उनकी राय से रखा गया। वह मंत्रि-परिषद् की मीटिंग के बाद रखा गया था उसकी मुखालफत इस तरीके से की जाय, यह ठीक नहीं है। जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने इस विधेयक की मुखालफत की है, सरकार के माथे पर कलंक का टीका लगाया है, उनको कोई हक नहीं है कि सरकार में रह सकें। जरूरी है कि जो कांस्टीट्यूशनल टैंगिल आ गया है, एडवोकेट जनरल को बुलाइये हाउस में, वे हाउस में मौजूद हों और हमारी बात को सुनें उसके बाद कानून का इण्टरपिटेशन जैसा हो सकता है, वह देखें। इन हंगामी हालात में उत्तर प्रदेश के अन्दर और जब से यह हाउस बना है, उस वक्त से अब तक इतना बड़ा कोई संकट पैदा नहीं हुआ था, कांस्टीट्यूशनल टैंगिल पैदा नहीं हुआ था। हालात को देखने और संभालने के लिये जरूरी है कि एडवोकेट जनरल को बुलाइये। मैं माननीय भीखा लाल जी की राय से सहमत हूं कि इस मौके पर एडवोकेट जनरल को सुनना जरूरी है। इसके बाद आप इस बात का फैसला करें कि श्री वासुदेव सिंह जी को रखा जाय या डिसमिस किया जाय। जब से यह आबकारी के मंत्री हो गये हैं, तब से वह ऐसा बोलने लगे हैं, पता नहीं आबकारी के मंत्री बनकर क्या हालत हो जाती है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

इस पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिये। आप लोग केवल एक-एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहन सिंह–

अगर ये एक-एक बोतल ठर्रा सबके यहां पहुंचवा देते, तो ऐसी हालत न होती।

(हंसी)

श्री मन्जूर अहमद–

कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे,
चंद सांसों में फूल जाते हैं,
जब कमीने उरूज पाते हैं,
अपनी औकात भूल जाते हैं।

आज और कल जो बातें इस सदन में हुई और माननीय प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने अपना हसीन चेहरा दिखाया [***] उत्तर प्रदेश में आग लगवाने का काम कर रहे हैं। मेरा कहना है कि इनको न सिर्फ निकाला जाय बल्कि उत्तर प्रदेश में धर्म निरपेक्षता पर इन्होंने जो चोट लगायी है, इनके खिलाफ एक मुकदमा कायम किया जाय और इनको जेल में डाला जाय। धारा 153-ए में वासुदेव सिंह को और चेतराम गंगवार के खिलाफ मुकदमा चलाया जाय और दोनों को जेल में डाला जाय। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कल ही इस सदन में माननीय गंगवार ने कांग्रेस का सदस्य होने के नाते यह भी कहा कि उन्हें आ जाने से उत्तर प्रदेश में खूनी क्रान्ति हो जायेगी।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, इस समय संविधान के या कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट पर बात हो रही है, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हम लोग यदि अपने को उस हद तक ही सीमित रखें तो ठीक रहेगा अन्यथा बात उलझ जायेगी, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह संवैधानिक मामला है, आप लोगों को सन्तुलन से काम लेना चाहिए, आप लोगों को इसके अलावा और कोई बात नहीं करनी चाहिए।

श्री मंजूर अहमद–

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, आप स्वयं इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस सदन के सबसे पुराने सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में ऐसी घटना बल्कि समस्त देश की संसदीय हिस्ट्री में ऐसी घटना नहीं घटित हुई। कल यहां काशीनाथ मिश्र ने जो कहा, वह आज अखबारों में छपा है और आज वे अपनी बातों के विरोध में बोल रहे हैं, आज वे चापलूसी की बात कर रहे हैं कांग्रेस में बने रहने के लिये जो उन्होंने कल यहां पर कहा और आज जो कह रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा अन्तर है।

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये। माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, उसको कार्यवाही से देख कर हम निकाल देंगे।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी,

(श्री मंजूर अहमद बराबर श्री वासुदेव सिंह की ओर देख-देख कर और हाथ बढ़ा-बढ़ा कर कुछ बोलते रहे जो कि घोर व्यवधान होने के कारण सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आपस में बातें न करिये।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें।

नोट:–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष, कल से मैं एक संवैधानिक संकट के बारे में सुन रहा हूं मगर आज आपका ध्यान और इस आदरणीय सदन का ध्यान बहुत बड़े संवैधानिक संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि इस आदरणीय सदन में एक सदस्य ऐसे हैं जो अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, काशीनाथ मिश्र जी, तो उनका कायाकल्प भी हो चुका है और हृदय परिवर्तन भी हो चुका है, इस बारे में आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

अध्यक्ष जी,

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने राम स्वरूप वर्मा को बुला लिया है।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, पहले मेरी व्यवस्था को सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने उर्दू भाषा के विरुद्ध क्या कहा क्या नहीं कहा, यही बात होगी?

*श्री राम स्वरूप वर्मा–

जो उन्होंने कहा है उससे नहीं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे सदन में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है, उस में नियम है और उन नियमों में मान्यवर, दो व्यवस्थायें हैं। पहली व्यवस्था यह है कि सरकारी विधेयक किस तरह से पेश किये जायेंगे और दूसरी व्यवस्था यह है कि असरकारी विधेयक किस तरह से पेश किये जायेंगे।

(व्यवधान)

(श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और मोहन सिंह जी, मुहम्मद आजम खां को आप बैठायें। (श्री मुहम्मद आजम खां से) मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं आपके इशारे पर खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कोई इशारा नहीं किया है। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

जो मेरी आज्ञा के बिना बोलेंगे, उनको मैं आज्ञा नहीं देता हूं।

(श्री मुहम्मद आजम खां प्रतिवेदक टेबिल के पास आकर बोलते रहे)

आप अपने स्थान पर बैठें। यह तरीका नहीं है। आप बैठें।

(कुछ सदस्यों के प्रयास से श्री मुहम्मद आजम खां अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, मैं इस बात में आपकी व्यवस्था चाहता हूं। यह हमारी नियमावली में है। दो तरह के विधेयक हैं – एक तो सरकारी और दूसरा असरकारी। सरकारी विधेयक सरकार की ओर से पेश किया जाता है और वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[* * *] यह अंश की अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उनके कार्य के दिन में पेश होता है। असरकारी विधेयकों पर शलाका होती है और फिर उनको वरीयता मिलती है, उसी के अनुसार वह पेश होते हैं। कल राज भाषा विधेयक पेश हुआ प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मंत्री जी उसके विरोध में बोले हैं। इसलिये वह सरकारी विधेयक नहीं हो सकता है। सरकारी विधेयक सरकार की ओर से पेश किया जाता है और मंत्री अगर बोलते हैं तो उसके समर्थन में बोलते हैं। मंत्री जी बोलें और उन्होंने यहां तक कहा कि यह नियमों के खिलाफ है और इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली। अगर वह विधेयक असरकारी था तो उस पर शलाका होनी चाहिए। अगर इनका नम्बर आता तो यह पेश करते और अगर हमारा नम्बर आता तो हम करते। हमारा हक मारा गया। यह सरकारी विधेयक नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

शलाका का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

आपने मुझे अपमानित किया है। मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मुहम्मद आजम खां सदन त्याग कर चले गये)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इस पर काफी देर से बहस चल रही है, और उसको आपने सुना भी गौर से और इसकी गम्भीरता को भी सुना। देखना यह है कि संविधान की जिन धाराओं का उल्लेख माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, हुकुम सिंह जी ने और रियासत हुसैन जी ने यहां किया है। कुछ ऐसी धारायें हैं, जिन पर किसी प्रकार की चर्चा यहां पर नहीं की जा सकती है। गवर्नर के बीच में, या मुख्य मंत्री के बीच में या मंत्रि परिषद् के बीच में क्या हुआ, उनका उल्लेख यहां पर नहीं किया जा सकता है। देखना यह है कि जो बात इस छत के नीचे, इस सदन के संज्ञान में और आपके सामने माननीय सदस्यों ने कही और सुनी है वह आपकी प्रोसीडिंग्स में है, जो कार्यवाही है उसके अन्दर रिकार्ड किया जाता है वह आपके सामने रहता है।

मान्यवर, कल यहां पर अनुच्छेद 345 के बारे में और उसकी लीगल कोंपीटेन्स के बारे में बहस हो रही थी कि वह इस सदन की क्षमता के अन्तर्गत है या नहीं है। यह एक एकेडेमिक बहस थी। उस पर कुछ लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। मैंने अपनी बात कही और साथ ही साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसकी रूलिंग दी। माननीय आबकारी मंत्री जी ने अपनी राय बतायी। साथ ही मान्यवर, अगर आप प्रोसीडिंग्स देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि "मैं इसमें नहीं जाता कि कैबिनेट का क्या फैसला हुआ है, क्या राय है, क्या नहीं है।" इसके पहले उन्होंने कहा था कि "यह संवैधानिक स्थिति थी, जिसके बारे में मैंने सदन के माध्यम से आपको अवगत कराया। संविधान की हम सब शपथ लेते हैं।" तब आखिर में उन्होंने कहा था कि "मैं इसमें नहीं जाता कि कैबिनेट की क्या राय है, क्या फैसला हुआ है।" मंत्रि-परिषद् की गोपनीयता को अक्षुण्ण रखते हुए जो संवैधानिक स्थिति थी उसके बारे में निवेदन किया। मान्यवर, यह शब्द उन्होंने कहे थे। अगर किसी प्रकार का मंत्रि-परषद् में मतभेद होता, या मंत्रि-परिषद् की जो ज्वाइन्ट रिसपोंसिबिलिटी है उसका उल्लंघन होता तो वे यह कहते कि मैं इस निर्णय से बिल्कुल

असहमत हूं और जो विधेयक पेश हो रहा है वह गलत पेश हो रहा है। (व्यवधान)। मान्यवर, उन्होंने एक अपनी बात कही और संवैधानिक स्थिति बतायी। एक स्कोलर होने की हैसियत से, एक दार्शनिक होने की हैसियत से वे चिन्तन करते हैं, समाजवादी हैं पुराने। संविधान के सम्बन्ध में जो बात आयी तो जो उनके मन में एक प्रोफेसर और स्कोलर वाली बात थी वह जाग गयी और उसकी उन्होंने व्याख्या कर दी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आखिर में यह बात कही कि मैंने एक संवैधानिक बात कही थी। आप सबको मालूम है कि अगर वहां पर वोटिंग की बात आती तो मैं दल के साथ वोट करता, यह उन्होंने कहा।

मान्यवर, यही नहीं इस सदन में सन् 1978 में एक प्रश्न उठाया गया था। (व्यवधान)। हम लोग महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, हम लोग बापू को मानने वाले हैं, हम हाथ नहीं उठाते, हम हिंसा पर विश्वास नहीं करते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें। सुनने की कोशिश कीजिये।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, 1978 में यहां पर एक प्रश्न उठाया गया था और माननीय राम आसरे वर्मा ने पूछा था। उसमें सन् 78 में उस पीठ से जो फैसला दिया गया था उसका एक संकलन होता है। उसमें दिया है कि मंत्रि परिषद् का जो सदस्य गोपनीयता भंग करता है और सामूहिक उत्तरदायित्व से मुकरता है उनको निकाला जाना चाहिये। इस तरह की स्थिति उस समय रही है जब माननीय मोहन सिंह जी इस तरफ ट्रेजरी बेंचेज में शोभायमान होंगे, क्योंकि वे डिजर्व करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुख्य मंत्री इन मंत्रियों को निकाल नहीं सकते तो उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। उसे मंत्रि-परिषद् में और शासन की कुर्सी पर बने रहने का औचित्य नहीं है। यह माननीय राम आसरे वर्मा ने माननीय मोहन सिंह जी के बारे में कहा होगा और यही उनको याद रहा होगा और इसीलिये सन् 78 की बात उन्होंने दोहरा दी।

मान्यवर, इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि "औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत उठाया जाना चाहिये और औचित्य का प्रश्न जब कोई भी विषय विचाराधीन हो तो उसके बारे में या कार्य-विन्यास के बारे में हो, मंत्रि-परिषद् की गोपनीयता के सम्बन्ध में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिये इस प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करना उचित नहीं है और मैं इसको औचित्य का प्रश्न नहीं मानता।" उस समय यह रूलिंग दी। तो बात बिलकुल स्पष्ट है। एक बिन्दु के ऊपर माननीय वासुदेव सिंह जी ने अपनी राय जाहिर की और उसके बाद आखिर में उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी। जब माननीय पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने यह बात भी साफ कर दी कि वोटिंग होती है तो मैं दल के साथ वोट करता। तो इस प्रकार न तो मंत्रि मंडल में किसी प्रकार का कोई मतभेद है और न कोई और बात है जो वह समझते हैं। चार सालों से ख्वाब देखते हुए उनको गुजर गये। चार साल क्या 10 साल और ख्वाब देखेंगे तब कहीं ख्वाब पूरा होगा। मंत्रि परिषद् में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। अतः यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता

और न कोई ऐसी बात है जिससे सरकार त्यागपत्र दे, माननीय मुख्य मंत्री त्यागपत्र दें या कोई त्यागपत्र दे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे औचित्य के लिये स्वीकार न करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय आबकारी मंत्री जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण हो जाए उसके बाद प्रोफेसर साहब की बात आ जाय तो मामला साफ हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अभी प्रोफेसर साहब ने कुछ कहा ही नहीं है तो क्या मामला होगा?

श्री रियासत हुसैन–

मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने जो 345 का हवाला दिया और जो कांस्टीट्यूशन के बारे में माननीय प्रोफेसर साहब ने अपनी बात कही। उस समय जब माननीय वासुदेव सिंह जी अपनी राय व्यक्त कर रहे थे तो वे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जिससे उन पर कलैक्टिव रिस्पांसिब्लिटी आयद होती है। जो प्रस्ताव हुआ उसका उन्होंने विरोध किया।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इस सदन के आप सीनियरमोस्ट मेम्बर हैं, माननीय रियासत साहब और लोग भी हैं। यहां पर इस तरफ बैठने वाले और उस तरफ बैठने वाले भी, कभी कोई बात आती है तो उस पर अपनी बात कहते हैं और कभी-कभी ट्रेजरी बेंचेज के लोग किसी ऐसे विधेयक के बारे में अपनी राय जाहिर करते हैं लेकिन पता कब चलता है, लक्ष्मण रेखा कब खिंचती है जब वोटिंग का सवाल होता है। अगर वोटिंग के वक्त माननीय वासुदेव सिंह जी साथ न करते तो यह बात होती। लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को साफ कर दिया और वोटिंग में हम लोगों का साथ दिया तो फिर मंत्रि परिषद् में किसी प्रकार के मतभेद की बात नहीं है। वे पूरी तरह से सहमत हैं। (कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें। क्या माननीय आबकारी मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं?

श्री रियासत हुसैन–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी के इस भाषण के बाद मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप इस दल को भविष्य में नियम 56 के आधार पर एडजोर्नमेंट मोशन देने की आज्ञा देंगे?

श्री अध्यक्ष–

जो नियम होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान) (श्री ख्वाजा हलीम के खड़े होने पर) आप बैठें।।

मैंने माननीय सदस्य मुजफ्फरनगर को, माननीय सदस्य अलीगढ़ को माननीय सदस्य मुरादाबाद को, माननीय सदस्य देवरिया को, माननीय सदस्य बुलन्दशहर को, माननीय सदस्य प्रतापगढ़ को, माननीय सदस्य बलिया को, माननीय सदस्य बदायूं को, माननीय सदस्य मेरठ को, माननीय सदस्य कानपुर और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयी हैं जिनको नोट भी किया गया है। जो कल यहां पर कार्यवाही हुई थी उसकी बात कही गयी जिसको हम देखेंगे, पुस्तकों से जो उद्धरण दिये गये हैं उनको पढ़ा जायेगा, जो संविधान के विशेषज्ञों की बातें कही गयीं हैं और नियमों की बात कही गयी उनको देखा जायेगा।

एक दो माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि महाधिवक्ता की राय ली जाये, तो यदि मैं आवश्यक समझूंगा तो महाधिवक्ता की राय लूंगा। इस बात को देखते हुए कि यह महत्वपूर्ण मसला है मैं अपना निर्णय सुरक्षित करता हूं और मैं इसको बाद में लूंगा।

वित्त मंत्री द्वारा अतिरिक्त मण्डी शुल्क वापस लिए जाने की घोषणा के बावजूद भी मण्डी शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध के औचित्य का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आपको जानकारी होगी कि जिस समय इस माननीय सदन में कृषकों के ऊपर अतिरिक्त मंडी शुल्क लगाने का विधेयक आया, बहुत से माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया, उसके बाद उस समय भी मैंने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा था और उस विधेयक को चुनौती हुई और आग्रह किया था कि उसके विरोध में इस सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्य हैं। तो 7 मार्च को वित्त मंत्री ने, सामान्य चर्चा जो हो रही थी उसका, उत्तर देते हुए घोषणा किया था कि यह अतिरिक्त मंडी शुल्क वापस लिया जा रहा है। उन्होंने सरकार के निर्णय से सदन को अवगत कराया था। मैंने आपके पास में दो रसीदों की फोटोस्टेट प्रतियां भेजी हैं, उसको आप देखें कि 18 मार्च में भी इस सरकार द्वारा घोषणा करने के बावजूद किसानों से अतिरिक्त मंडी शुल्क वसूल किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह औचित्य का प्रश्न उठाता हूं कि जब सरकार यहां पर घोषणा करती है, और अपने निर्णयों की जानकारी देती है किन्तु उसका पालन नहीं किया जाता है तो उस निर्णय और घोषणा का क्या औचित्य रह जाता है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री हुकुम सिंह को सुना। जहां तक 7 मार्च को जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने व्यवस्था का प्रश्न औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया था तो उसकी मैंने आज्ञा नहीं दिया था और जो नियम 300 के अन्तर्गत इस प्रश्न को आपने उठाया है मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टांडा, जिला फैजाबाद से न्यायालय के आदेशों के बाद भी वेतन का भुगतान न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल विद्यालय जो उच्चीकृत किये जाकर हाई स्कूल हुए हैं। उनके अध्यापकों को साल भर से वेतन नहीं मिल रहा है। मैंने नियम 301 में सूचना दिया जिसको सरकार द्वारा कार्यवाही हेतु स्वीकार किया गया जिसमें एक महीने में जवाब मिलना था लेकिन एक महीना हो गया है, आज तक न कोई जवाब मिला और न कोई कार्यवाही हुई। मान्यवर, हमारे जिले में आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जिसके अध्यापकों को साल भर से वेतन नहीं मिल रहा है। अध्यापकों ने न्यायालय में अपील की और न्यायालय ने आदेश दिया कि 20 दिसम्बर, 1983 तक बकाया वेतन भुगतान कर दिया जाये लेकिन अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के इन विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन का भुगतान बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से या बैंकों से करायेंगे। पूरे प्रदेश में

अध्यापकों का इस सरकार पर से विश्वास समाप्त हो गया है। क्योंकि सरकार न्यायालय का आदेश नहीं मानती है न श्रीमन्, आपके द्वारा दिये गये निर्देश को मानती है। तमाम जो विद्यालय उच्चीकृत हो गये हैं, जैसे आदर्श जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टांडा वहां के अध्यापकों का वेतन 12-12 महीने का बकाया है। वह कब तक भुगतान सुनिश्चित करा देंगे।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, यह एक ऐसा प्रश्न है, जो स्थिति इस समय है, जो जूनियर हाईस्कूल हैं, जिस समय उनका उच्चीकरण हो जाता है हाईस्कूल बन जाते हैं, उस समय जो सेलरी डिस्बर्समेंट स्कीम है, उसकी परिधि से वह बाहर चले जाते हैं। उसमें लाने के लिए उनको अनुदान सूची की क्यू में पुनः आना पड़ता है। यह एक व्यवस्था है, जितने भी जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल होते हैं, उनको वेतन वितरण योजना में लाने के लिए इस फार्मेलिटी को करना पड़ता है। सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है कि कैसे इस अड़चन को दूर किया जाए। जो न्यायालय की बात कही गयी है, यदि किसी न्यायालय का इस पर फैसला हो गया है तो उसका आदर किया जाएगा।

(श्री गोपीनाथ वर्मा के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वह विशेष रूप से उसको देख लेंगे, अब आप बैठें।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

सुल्तानपुर और लखनऊ के विद्यालय

. . . . . (व्यवधान)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा जो यहां बात हुई थी, उसकी सूची प्रस्तुत की जा रही है। उसमें 24 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

24 मार्च, 1984 शनिवार 25 मार्च, 1984 रविवार	(शीतला अष्टमी का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
26 मार्च, 1984 सोमवार	अपराह्न 4-30 बजे तक– वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।
27 मार्च, 1984 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों परमतदान।
28 मार्च, 1984 बुधवार	अपराह्न 5 बजे तक– वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान। अपराह्न 5 बजे से नियम 103 के अन्तर्गत श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना और उस पर विचार– "यह सदन शासन को निदेश देता है कि जनपद आगरा के पतेहपुर सीकरी क्षेत्र में हजारों पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों की पत्थर रज व क्रिच से उनके स्वास्थ्य एवं आयु पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर विचार करने हेतु शासन एक समिति गठन करे।"-एक घण्टा।
29 मार्च, 1984 गुरुवार	असरकारी दिवस, जिसमें श्री मोहन सिंह के चर्चाधीन संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।
30 मार्च, 1984 शुक्रवार	1–आबकारी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान–आधा दिन। 2–पर्यटन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगि विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान–आधा दिन।
31 मार्च, 1984 शनिवार	अपराह्न 3-30 बजे तक वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान (प्रश्न एवं नियम 301, 56 और 51 के अन्तर्गत सूचनाएं नहीं ली जायेंगी।)

अपराह्न 3-30 बजे से–

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण–

1–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1984– आधा घण्टा।

2–उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विधेयक, 1984– एक घण्टा।

बैठक नहीं होगी।

1 अप्रैल, 1984 रविवार
2 अप्रैल, 1984 सोमवार
3 अप्रैल, 1984 मंगलवार
4 अप्रैल, 1984 बुधवार
5 अप्रैल, 1984 गुरुवार

वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।

6 अप्रैल, 1984 शुक्रवार

असरकारी दिवस।

7 अप्रैल, 1984 शनिवार

अपराह्न 3-30 बजे तक–

वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान (प्रश्न एवं नियम 301, 56 और 51 की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी)।

अपराह्न 3-30 बजे से–

1–सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा।

2–पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधनों पर विचार–आधा घण्टा।

3–उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

8 अप्रैल, 1984 रविवार	बैठक नहीं होगी।
9 अप्रैल, 1984 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।
10 अप्रैल, 1984 मंगलवार	बैठक नहीं होगी (रामनवमी का अवकाश)।
11 अप्रैल, 1984 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा।
12 अप्रैल, 1984 गुरुवार	1–वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों (जो 11 अप्रैल, 1984 को चर्चाधीन रहेगी) पर मतदान–आधा दिन। 2–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) एवं नियोजन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान–आधा दिन।
13 अप्रैल, 1984 शुक्रवार	असरकारी दिवस।
14 अप्रैल, 1984 शनिवार 15 अप्रैल, 1984 रविवार	बैठक नहीं होगी।
16 अप्रैल, 1984 सोमवार 17 अप्रैल, 1984 मंगलवार 18 अप्रैल, 1984 बुधवार 19 अप्रैल, 1984 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय व्ययक की मांगों पर मतदान। 1–वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान-(अपराह्न 4 बजे तक)। 2–अपराह्न 4 बजे से– उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1984 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)– मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन में दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री छत्तर सिंह, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री मोतीलाल दहेलवी, श्री मोहन सिंह, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री लल्लू सिंह चौहान व श्री गौरी शंकर भैय्या, श्री बलवीर सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रेवती रमण सिंह, श्री किरन पाल सिंह, श्री रामस्वरूप निम, श्री हरिवंश सहाय व श्री नन्द किशोर सिंह, श्री यमुना प्रसाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह की यह सूचनाएं हैं। मैंने माननीय छत्तर सिंह, माननीय प्रदीप कुमार यादव तथा माननीय मोतीलाल दहेलवी की सूचनाओं को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज दिया है । जिसमें यह है––थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर में अपराध रोकने में पुलिस की अक्षमता एवं अपराधों में पुलिस का सहयोग। दूसरा है––जनपद बाराबंकी, तहसील रामसनेहीघाट के बाढ़ पीड़ितों को गृह अनुदान की राशि स्वीकृत किये जाने के बावजूद वितरित न किये जाने से उत्पन्न असन्तोष तथा तीसरा है––होली के अवसर पर इलाहाबाद के गांव बेगुलसराय की हरिजन युवतियों के साथ पी0 ए0 सी0 के जवानों द्वारा अभद्रता का व्यवहार तथा विरोध करने पर पुलिस द्वारा हरिजनों को पीटने के सम्बन्ध में। मैंने माननीय मोहन सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय मुहम्मद आजम खां की सूचना को स्वीकार किया है सुनने के लिए। माननीय मोहन सिंह और मुहम्मद आजम खां की सूचना एक जैसी है और राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना दो जिलों से संबंधित है। जहां तक बलवीर सिंह जी की सूचना का सम्बन्ध है उसको उन्होंने नियम 301 में पढ़ दिया है। अब उन्हें दुबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस सूचना को उसमें शामिल कर लूंगा।

*श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, इस समय उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं रह गयी है चूंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस के डायरेक्टर जनरल (पुलिस) के पद पर एक व्यक्ति दैनिक श्रेणी वेतन पर काम कर रहे हैं और चूंकि इनको कोई स्थायी महानिदेशक नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो इस समय काम कर रहे हैं उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अभी कल ही लखनऊ में गोल मार्केट में एक अभूतपूर्व घटना घटित हुई। महानगर थाने के उपपुलिस निरीक्षक ने गोल मार्केट के व्यापारी अनूप सिंह, दूकानदार के बड़े भाई और उनके बुजुर्ग पिता की बुरी तरह पिटाई की। जब जनता ने थाने पर जाकर थाने का घिराव किया, तो दिखावे के लिए एस0 पी0 व जिलाधिकारी ने यह घोषणा की कि दोषी पुलिस वालों को दफा 307 में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गिरफ्तार किया जायेगा और जेल भेजा जायेगा। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि अभी तक उप पुलिस निरीक्षक को तथा अन्य पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अभी तक पुलिस कर्मियों को निलम्बित तक नहीं किया गया। इससे सम्पूर्ण नगर के व्यापारियों में क्षोभ, आतंक एवं उत्तेजना का वातावरण व्याप्त है। अतः आप कृपया इस पर चर्चा कराने की अनुमति देने का कष्ट करें।

(श्री लल्लू सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लल्लू सिंह चौहान–

मैं प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, कल फैजाबाद में एक अभूतपूर्व घटना घटी। इसी सदन के सत्ता पक्ष के एक मंत्री माननीय सीताराम निषाद की तथाकथित बहिन को तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को पुलिस ने अवैध शराब का कारखाना चलाते हुए, जो बीकापुर में काफी समय से चल रहा था, पकड़ा। ये लोग अवैध शराब बेचते थे। पुलिस ने जब छापा मारा तो 50 लीटर शराब भी बरामद हुई। 7 व्यक्तियों को और शिवकली नाम की औरत को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इसके बाद यहां से जब मंत्री जी का दबाव पड़ा तो उन सभी को छोड़ दिया गया। उस महिला को भी, जो शराब बेचती थी, रिहा कर दिया गया। अभी आपने देखा कि दो रोज पहले ही होली के अवसर पर इस तरह की शराब पीने से 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। इस मंत्रिमंडल की छवि पहले से ही धूमिल है, और इस तरह के काण्ड से और धूमिल हुई है। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता रहेगा, बड़े पैमाने पर गुण्डों को संरक्षण दिया जायेगा, अवैध शराब बिकवायी जायेगी, और तरह-तरह के नाजायज काम कराये जायेंगे, तो मान्यवर, आप सोच सकते हैं प्रदेश की क्या हालत होगी। इसलिये मेरी मांग है कि आप इस गम्भीर मामले पर चर्चा करा दें या माननीय संसदीय कार्य-मंत्री की तरफ से कोई वयान दिलवा दें।

*श्री मोतीलाल दहेलवी–

मान्यवर, मैंने आज जो प्रस्ताव दिया है उसके साथ एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह हरिजन महिलाओं के साथ, उनकी मान मर्यादा के साथ, जिस तरह चाहे खिलवाड़ करें। इलाहाबाद में बेगुलसराय नामक ग्राम में यही हालत हुई। लोग होली का उत्सव मना रहे थे। तो वहां पर नियुक्त पी0 ए0 सी0 के जवान, हरिजन बहू-बेटियों के साथ में उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे और मान्यवर, जब गांव के लोगों ने, गांव के हरिजनों ने इसका विरोध किया, प्रतिकार किया, तो उनको, घरों के अन्दर घुस-घुस कर पुलिस ने मारा। जब ये हरिजन गांव छोड़कर भाग गये, तो पुरुषविहीन महिलाओं को अन्दर घुस-घुस के मारा गया। पूरे गांव के पूरे हरिजन भागे हुए हैं। उन हरिजनों का होली के दिन से आज तक पता नहीं है। तो मान्यवर, एक बहुत बड़ा गम्भीर मामला है यह कि क्या पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया है? मैं यह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आज पूरा मान्यवर, पुलिस का साम्राज्य बेगूसराय में कायम है। आज वहां कोई भी हरिजन अपने गांव में नहीं जा पा रहा है। उस

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

गांव के पूरे हरिजन भटक रहे हैं। मान्यवर, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो वह कब तक भागे रहेंगे? इसलिए मान्यवर, मैं समझता हूं कि विषय गम्भीर है, हरिजनों का मामला है, हरिजन भटक रहे हैं, मान्यवर, और आपके इस पीठ पर होते हुए अगर यही होता रहा, तो मान्यवर, हम लोग कहां क्या करेंगे? तो मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इस पर आप या तो चर्चा करा दें या मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिला दें। चर्चा नहीं करा सकते तो वक्तव्य दिला दें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)– मान्यवर, माननीय मोहन सिंह ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मान्यवर, जो उन्होंने सूचना दी, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि कितनी तत्परता से कार्यवाही की गयी, जो सब-इंसपेक्टर था, उसको तत्काल निलम्बित किया गया, उसके ऊपर मुकदमा कायम किया गया और उसे तुरन्त गिरफ्तार किया गया और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, कोई भी अगर अधिकारी, पुलिस अधिकारी इसमें पाया जाता है कि उसका हाथ था, या उसमें सहयोग दिया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। माननीय मोती लाल दहेलवी जी ने हरिजनों के बारे में बात कही कि होली के दिन हरिजन महिलाओं को मारा-पीटा गया इलाहाबाद शहर के करीब, इसकी जांच कराकर जो भी उचित कार्यवाही होगी, करेंगे। मान्यवर, मेरा एक निवेदन यह है कि जहां पर तत्परता से कार्यवाही सरकार करा देती है, उसका तो कम से कम जिक्र कर देना चाहिए। एक बिन्दु माननीय मोहन सिंह ने उठाया और वह अक्सर, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, जब धारा प्रवाह बोलते हैं, तो बीच में ऐसी चुटकी लेते हैं, जिसका बाद में एहसास होता है। इन्होंने पूरे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा कि यहां का पुलिस का डी0 जी0 तनख्वाह पर नहीं है, सिर्फ डेलीवेजेज पर है। जब बजट पर सामान्य चर्चा हो रही थी, तो मुख्य मंत्री जी ने पूरी तरह से चर्चा की थी और कहा था कि यह स्टाफ गैप अरेंजमेन्ट है, दूसरे डी0 जी0 को आना है। मान्यवर, जब एक सत्र में इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, तो किसी प्रकार से संवैधानिक रूप से इसे दुबारा नहीं लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष– मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना। जहां तक माननीय मोहन सिंह की सूचना के विषय का संबंध है, उसे मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं और माननीय छत्तर सिंह, माननीय प्रदीप कुमार यादव और माननीय मोतीलाल दहेलवी की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निर्दिष्ट करता हूं। कार्य-स्थगन के रूप में सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 40–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 41–राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 42–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 67–सहायता और पुनर्वासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)– मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,03,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,17,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,80,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67-सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 2 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखालाल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, यह जो अनुदान मैंने इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया है, राजस्व विभाग का कार्य इस प्रदेश में, जो अनुदान है इसका व्यय जिला प्रशासन और दैवीय आपदाओं के समय, जो क्षेत्र आपद ग्रस्त होता है, उसकी सहायता और राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय पर खर्च होता है। सहायता और पुनर्वासन का अनुदान मैंने पेश किया है। इस सम्बन्ध में बाद में माननीय सदन को अवगत कराऊंगा। इस राजस्व विभाग का इतिहास बहुत पुराना है। इसका कार्य अति उत्तम रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उन कार्यों की भली प्रकार विवेचना करें तो यह प्रशंसा के योग्य है। हम सब भली प्रकार जानते हैं कि इस प्रदेश में भूमि की व्यवस्था चन्द लोगों के हाथ में थी। राजा, महाराजा, नवाब, ताल्लुकेदार और जमींदार। वही इस भूमि पर काबिज थे और उन्हीं के हाथ में उसकी व्यवस्था थी, उसका लाभ वही उठाते थे। लेकिन 1947 में स्वराज्य प्राप्ति के बाद देश के गरीब और अमीर का भेद समाप्त करके सबको बराबरी का हिस्सा इस विभाग द्वारा दिया गया। इस विभाग के कारण हर किसान यह कह सकता है कि वह अपनी जमीन का मालिक है। इस सारी भूमि का यह विभाग लेखाजोखा रखता है और वह लोग जो इस भूमि में कार्य करते हैं जो जीविका चलाते हैं उनको नियमित करेंगे। कोई किसी के साथ ज्यादती न कर सके, कोई किसी के

हुकूक को खत्म न कर सके यह व्यवस्था यह विभाग करता है। मान्यवर, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन मोटी-मोटी बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं ताकि इस विभाग की उपलब्धियों की जानकारी हो सके इसके साथ ही साथ माननीय सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उनके जो सुझाव होंगे उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाएगा और जो भी सम्भव हो सकेगा वह किया जाएगा।

मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आवास स्थल के आवंटन का प्रश्न बहुत दिनों से चल रहा है। इसमें व्यवस्था यह थी कि जो आवास स्थल दिया जाए तीन वर्ष के भीतर उसमें आवास बन जाना चाहिए। बहुत सारे लोग गरीब हैं उनके पास साधनों के अभाव हैं, पैसे की कमी है तो इसलिए अब यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है कि वह तीन साल के अन्दर मकान बना कर तैयार कर लें। लेकिन एक बात इसमें जरूर रख दी गयी है कि तीन साल तक मकान न बने तो मकान उसके बाद बना लें लेकिन उस जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरी चीज में नहीं होगा। उस जमीन पर मकान ही बनेगा। यह बहुत बड़ी बात है और 20 सूत्री कार्यक्रम की सफलता के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आजकल वसूली चल रही है और वसूली का कार्य माल विभाग करता है उसमें कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे यह लगता है कि ज्यादती हो रही है वसूली में। लेकिन जिम्मेदारी ऐसी है कि उनको करना पड़ता है लेकिन हमने अब यह व्यवस्था की है कि पांच सौ रुपये तक जिसके ऊपर देनदारी है वसूली की, उसके लिए उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जाएगा। उससे वैसे ही वसूल किया जाएगा। उसे हवालात में बन्द नहीं किया जाएगा।

मान्यवर, कागजात दुरुस्ती का काम बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। सीमांकन का कार्य जिला स्तर पर करने का निश्चय किया है कि उसे प्रदेश स्तर पर न पहुंचना पड़े और जिला स्तर पर उस कार्य का निपटारा हो जाए। जिला स्तर पर अब निस्तारित करने का निर्णय लिया गया। है। मान्यवर, संशोधित उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम के अन्तर्गत 16,78 लाख हेक्टेयर में चकबन्दी की कार्यवाही की जा रही है। चकबन्दी हमारे प्रदेश के कई जिलों में की जा रही है। इसके अतिरिक्त मार्च, 1983 तक 165.24 लाख हेक्टेयर भूमि चकबन्दी योजना के अन्तर्गत ली गई है। और 152.97 लाख हेक्टेयर पर किसानों को बाकायदा कब्जा दे दिया गया है इसके अतिरिक्त हमको गांवों में सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है कहीं स्कूल बनाना है, पंचायत घर बनाना है, चक मार्ग, खेल का मैदान, अस्पताल आदि हैं इस तरह के सार्वजनिक कार्यों के लिए भूमि की जरूरत होती है तो 10 हजार हेक्टेयर भूमि को आरक्षित करने के लिए तय कर दिया गया है ताकि उस भूमि से सार्वजनिक कार्य हो सकें। क्योंकि कभी-कभी शिकायत होती है कि स्कूल बनाने के लिए जमीन नहीं है, कहां से ली जाय। कभी पंचायत घर की बात आती है तो इसी तरह से कई सार्वजनिक कार्यों की बात होती है इसलिए यह तय किया गया है कि 10 हजार हेक्टेयर भूमि इन कार्यों के लिए अलग से रख दी जाय।

(2 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी का कार्य भी हुआ है। सात सौ सोलह गांवों के किसानों ने स्वैच्छिक चकबन्दी की है। अधिकारी लोगों से जो काम कराया, लिखा-पढ़ी या नक्शे आदि बनाना, ये कार्य जरूर सरकारी अधिकारियों ने किये, लेकिन 716 गांवों के लोगों ने आपस में बैठकर स्वैच्छिक ढंग से चकबन्दी की है, वहां कोई विवाद नहीं है, जिस तरह से यहां पर प्रश्न आते हैं और विवाद चलते हैं, वहां पर उन गांवों में ऐसा नहीं है।

मान्यवर, सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत 2,68,292 एकड़ भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है और 2,39,394 का बन्दोबस्त भी किया गया है। 1,99,386 आवंटियों में से 1,95,618 को वास्तविक कब्जा दिलाया गया है, जिसमें 1,45,492 आवंटी अनुसूचित जाति के हैं और 1,311 अनुसूचित जनजाति के आवंटी हैं। इस तरह से वर्ष 1983-84 में 114 लाख रुपये इनको अपनी भूमि के विकास के लिए और खेती सम्बन्धी कामों के लिए शासन ने इनको अनुदान के रूप में दिये हैं और उससे उन लोगों ने अपनी भूमि का सुधार किया है। मान्यवर, वर्ष 1984-85 के लिए इनको 127.54 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है। मान्यवर, खाम तथा उप-निवेशन क्षेत्र, नैनीताल में अनधिकृत कब्जे बहुत हैं। उनको दूर करने के लिए या विनियमितीकरण करने के लिए आयुक्त कुमाऊं की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी है, जो उन सारे मामलों को देखेगी और जिनका विनि-यमितीकरण करना होगा, उनको करके शासन को समय-समय पर अपनी आख्या प्रस्तुत करती रहेगी।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, राजस्व सम्पत्ति के प्रबन्ध सम्बन्धी मामलों की जांच के लिए भूमि व्यवस्था आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी है जो भूमि व्यवस्था सम्बन्धी सारे मामलों को देखेगी। मान्यवर, कमजोर वर्गों को साहूकारी सम्बन्धी मामलों से छुटकारा दिलाने के लिये जो अनुतोष अधिनियम बनाया गया है, उसके अधीन इस समय 2,400 रुपये से कम वार्षिक आय वाले भूमिहीन, खेतिहर मजदूरों, सीमान्त कृषकों, ग्रामीण शिल्पियों के ऋण स्वत: समाप्त समझे जाएंगे क्योंकि उनकी आय बहुत कम है। उन्होंने साहूकारों से जो ऋण लिया है, वह वैसे ही समाप्त समझा जायगा।

मान्यवर, तहसीलों के पुनर्गठन का प्रश्न बार-बार इस सदन में उठता रहा है। इसके लिए एक समिति राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में बनायी गयी थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। शासन ने यह निर्णय लिया है कि सर्व प्रथम पांच तह-सीलों का सृजन किया जाय। पटियाली (एटा), हरिद्वार (सहारनपुर), गौरीगंज (सुल्तानपुर), तिलोई तथा लालगंज (रायबरेली) ये पांच तहसीलों का निर्माण किया जाएगा। रायबरेली में दो हैं। तो मान्यवर, इस तरह से प्रशासनिक यूनिट नजदीक होने से काम करने में सुविधा होगी। और लोगों को शिकायत करने के लिए दूर जाना होता है, वह भी समाप्त हो जायेगी। अन्य तहसीलों से भी संस्तुतियां आयी हैं, लेकिन भारत सरकार का जो वित्त आयोग है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम उन तह-सीलों के बारे में विचार करेंगे।

श्रीमन्, मैदानी जिलों में 145 तह-सीलों के मुख्यालयों पर भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। भवन निर्माण का

कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विकास विभाग और राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है और यह उम्मीद की जाती है कि यह निर्माण कार्य समय से पूरा हो जायेगा। वर्ष 1983-84 में निर्माण कार्यों के लिए 6 करोड़ 13 लाख 31 हजार रुपये का प्राविधान प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से कराया गया था और अब 1984-85 में इसके लिए 1 करोड़ रुपए की और व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे परगना अधिकारी जिला मुख्यालयों पर ही रहते थे। अब उनके लिए तहसीलों पर ही भवन निर्माण का कार्य शुरू करा दिया गया है ताकि वह अपने-अपने तहसीलों पर ही रहें और अपना काम करें। इसीलिए इन भवनों का निर्माण-कार्य अवश्य था और जो हो भी रहा है।

श्रीमन्, जमीन का आवंटन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो जमीन आवंटित होती है, वह ठीक तरह से मिल रही है कि नहीं मिल रही है और जिनको आवंटित किया गया है, इस सम्बन्ध में जमीन पर जिन लोगों का गैर कानूनी कब्जा है, उनको वहां से हटाने के लिए अभियान चलाया गया है ताकि वह सही व्यक्ति को मिल सके। 37 हजार 673 लोगों को कब्जा दिलाया गया है और 3600 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, 2809 मामले अदालत में हैं, उनमें से कुछ मामलों में सजा हुई है और कुछ मामलों में दोनों-सजा और जुर्माना हुए हैं।

श्रीमन्, ग्रामीण क्षेत्र में 16 लाख 70 हजार भूमिहीनों को आवासीय स्थल आवंटित किए गए हैं, जिसका मैंने प्रारम्भ में ही जिक्र कर दिया है। इनमें से 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवासीय स्थल आवंटित किए गये हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे प्रदेश में भू-राजस्व विभाग द्वारा यह बहुत बड़ा काम किया गया है। अन्य प्रदेश में यह हुआ है कि नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, परन्तु हमारे प्रदेश में यह बहुत अच्छा कार्य हुआ है।

श्रीमन्, दैवी-आपदाओं के बारे में यहां पर सवाल उठते रहते हैं और उन पर चर्चा होती रहती है। हमने इस दैवी आपदा की चुनौती को स्वीकार किया है। 14 जिलों में सूखा पड़ने से 26 लाख 78 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोयी हुई फसल प्रभावित हुई और 3 लाख 96 हजार हेक्टेयर भूमि में फसल नहीं बोई जा सकी। ओला-वृष्टि से 37 जिलों में 42.08 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई और बाढ़ से सभी जिले प्रभावित हुए। इसका असर 24 हजार 668 गांवों पर पड़ा और 153.32 लाख जनसंख्या एवं 24.99 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि पर बाढ़ आयी।

श्रीमन्, दैवी-आपदाओं के कारण 4 लाख 22 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए और 518 व्यक्तियों और 2101 पशुओं की जीवन हानि हुई है। आपदा तकाबी वितरित करने के लिए 1.35 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

आप सुनते रहिये, धैर्य रखिये।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त कहना चाहूंगा कि 1150 बाढ़ चौकियां स्थापित की गयीं। यह इनके देवरिया जिले में भी बाढ़ चौकियां मौजूद हैं। 1150

बाढ़ चौकियों और 594 बाढ़ सहायता केन्द्रों के जरिये से आवश्यक सामग्री बाढ़ पीड़ितों को बांटी गयी। बाढ़ से घिरे 3,25,111 व्यक्तियों और 3,17,360 पशुओं को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया । मैं यह भी कहूंगा भूखमरी के कारण प्रदेश में किसी के मौत की सूचना नहीं मिली ।

श्री मोहन सिंह–

बहुत ठीक कह रहे हैं ।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

यह मैं आपकी जानकारी के लिये बता रहा हूं । पानी से भरे हुए स्थानों से, उसे बाहर निकालने के लिये, उचित कार्यवाही की जा रही है, वहां काम जारी है । जो पानी इकठ्ठा हो जाता है, उसको बाहर निकालने के लिये यह सिंचाई विभाग इस काम को करता है ।

बाढ़, सूखे अथवा ओलावृष्टि के कारण जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची हो वहां लगान की वसूली तीन महीने तक रोकने तथा जहां इससे कम हो, वहां उत्पीड़क कार्यवाही न करने के आदेश दे दिये गये हैं । यह भी बताना चाहूंगा कि असहाय एवं निराश्रितों को तीन महीने तक खाद्य वितरण की व्यवस्था की गयी है ।

माननीय मोहन सिंह जी को इस बात की जानकारी है, कि यह शिकायत जरूर है कि विधायकों को उसमें शामिल नहीं किया जाता, उनके परामर्श से मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि जब कभी बाढ़ क्षेत्रों में वहां के जो बाढ़ पीड़ित हों, उनको सहायता पहुंचाई जाय, तो उसमें विधायक भी शामिल रहें, ताकि वह कार्य विवाद रहित रहे और सब मिलकर उस काम को करें–यह प्रयास किया जायेगा ।

मान्यवर, मैं अधिक समय न लेकर कुछ बात और कहना चाहता हूं । सहायता तथा पुर्नवासन की एक मांग मैंने पेश की है, उस सिलसिले में चन्द शब्द कहना-आवश्यक है । सहायता तथा पुनर्वासन विभाग द्वारा वर्ष 1947 से अब तक केवल 400 परिवारों के अतिरिक्त पश्चिमी पाकिस्तान तथा बांगलादेश से आये 6.55 लाख शरणार्थियों को पुनर्वासित कर दिया गया है ।

400 परिवारों को कानपुर जिले के रसूलाबाद तथा पीलीभीत जिले के ढाकाचाट तथा चन्दिय हजार गांवों में पुनर्वासित किया जा रहा है । नैनीताल जिले के रूद्रपुर में कुछ बंगाली विस्थापितों को पुनर्वासित करने की बात है। भूटान से आये 756 तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वासन देहरादून जनपद के सहस्त्रधारा नामक क्षेत्र में किया जा रहा है । वर्मा श्रीलंका तथा यूगांडा से आये हुए शरणार्थियों का पुनर्वासन किया जा चुका है । पुनर्वासन योजना में भूमि, बैल, बीज, उवर्रक तथा मकान के लिये ऋण दिया जाता है । पुनर्वासन सम्बन्धी काम कम होने से भारत सरकार ने अपनी सहायता देना बन्द कर दिया है ।

श्री रियासत हुसैन–

विधायकों के पुनर्वासन की बात नहीं कही कि कहां पुनर्वासित करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

यह क्या फरमा रहे हैं, आप तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य अच्छे सुझाव देकर इस विभाग के कार्यों में अपना योगदान करें और जो सुझाव देंगे उन पर हम विचार करेंगे और विचार करने के बाद उन पर हम करने का प्रयास करेंगे ।

श्री मोहन सिंह–

उत्तर प्रदेश की जो प्रवर समिति थी विधान सभा की उसने राजस्व संहिता का पूरा अवलोकन करने के बाद उसका निर्माण कर दिया है, उसको लिपिबध्द भी कर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि नई राजस्व संहिता को कानून की शक्ल दिलाने में आपका विभाग और आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मैंने इसीलिये कहा कि समिति का काम हो चाहे विभाग का कार्य हो, इसमें जो कमियां आपको दिखायी देती हैं, आप बतायें, उनको दूर करने की कोशिश की जायगी । हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि समिति काम भी ठीक ढंग से करें और किसी को शिकायत का मौका न हो । जो सुझाव आपकी तरफ से आयेंगे, उन पर अमल किया जायगा ।

इन शब्दों के साथ ही मैं इन अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

***श्री राम स्वरूप निम–**

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि–

1–31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40– राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

2–31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41– राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

3–31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42– राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

4–31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67– सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

इन सभी अनुदानों में कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

माननीय मंत्री जी ने अपने संक्षिप्त भाषण में, हालांकि उनके पास कुछ कहने के लिए था नहीं, लेकिन फिर भी कहने की कोशिश की है। इस देश को बचाने के लिये आजादी दिलाने के लिये, इस देश के आजादी के दीवानों ने एक सपना देखा था कि जब हमें आजादी मिलेगी इस देश को खुशहाल बनायेंगे, अच्छा बनायेंगे। सुन्दर बनायेंगे, हर आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, सब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिला ? हमें मिली भूख, नंगापन, मकान नहीं, इलाज करने के लिये दवा नहीं, पढ़ने के लिये स्कूल नहीं । यह स्थिति इस सरकार की देन है । इसका कारण क्या है ? मैं आपका ध्यान 1950 या उससे पहले जब आजादी मिली तो उस समय जो नेतागण थे, जो देश के कर्णधार थे, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं । उनके मन में एक टीस थी, दुख था कि जिस सपने को उन्होंने देखा है, उसको साकार किया

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जाय, किन्तु दुर्भाग्यवश सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली गयी, जिन्होंने भूख, प्यास कोई बीमारी, या कोई अभाव नहीं देखा था और जब पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गयी तो उसमें यह नारा दिया गया कि हम समाजवाद की स्थापना करेंगे, हमारा देश समाजवादी देश होगा । उसके बाद इस सरकार ने उद्योग-धन्धों को बढ़ावा दिया और कृषि की अनदेखी की । उसका परिणाम यह हुआ कि जो देश कृषि पर आधारित था, वह धीरे-धीरे पीछे रह गया और हम देश की खुशहाली के लिये जो सपने देख रहे थे वह धीरे-धीरे चकनाचूर होते चले गये ।

माननीय मंत्री जी ने माल विभाग को, रेवेन्यू विभाग को बहुत पुराना बताया है। यह बात सही है कि रेवेन्यू विभाग पुराना विभाग है बल्कि यह विभाग किसी भी देश के लिये रीढ़ की हड्डी का काम करता है । लेकिन इस प्रदेश का माल विभाग जो है इसमें जो खराबियां थी, इस देश की बहबूदी के लिये जो देश के कर्णधार बने उन्होंने इस ओर पहल की । चौधरी साहेब 1952 में जमींदारी उन्मूलन जिसको कि अब हम लोग जमींदारी विनाश अधिनियम कहते हैं, इसे वे लाये । इसके लाने के पीछे उनकी मंशा यह थी कि जो जमीन पर काम करता था, जमीन उसी को मिलेगी । जो जमीन पर काम नहीं करता है, उसको जमीन नहीं मिलनी चाहिये । इसी उद्देश्य से उन्होंने जमींदारी उन्मूलन एक्ट को बनवाया था । इसके अतिरिक्त जो इस विभाग में कोढ़ के रूप में काम कर रहे थे - - -

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, कुछ ऐसा मालुम होता है कि हमारे दोनों राजस्व मंत्री बूढ़े हैं और सीधे हैं तो इन्हें कोई रिकगनाईज नहीं कर रहा है । कोई चल कर इन्हें सुनने भी नहीं आ रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यह उनका कर्त्तव्य है, उसे वे पूरा करें।

श्री राम स्वरूप निम–

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि चौधरी साहेब ने 1952 में पटवारियों को खत्म करके लेखपालों का नये रूप में सृजन किया था और कोशिश यह थी कि जमीन जोतने वाला ही जमीन का स्वामी बने, इसी उद्देश्य से जमीन की भूमिधरी और पट्टे किये गये कि जो 40 गुना जमा कर देगा वह सीरदार जो है वह भूमिधर हो जायेगा । गांव के किसान जो जमीन पर काम करते हैं, उनकी बहबूदी हो लेकिन इस सरकार की निकम्मी नीतियों के कारण वह अप्रभावशाली रह गया । जो लोग सत्ता में थे उन्होंने सारे मुकदमें अपने हाथ हक में कर लिये और जमीन का बंटवारा नहीं हो सका ।

इसके बाद जोत अधिनियम बनाया गया, उसमें सीमा निर्धारण कर दी गयी । लेकिन इस बीच में माननीय मंगलदेव विशारद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया । जोत अधिनियम के बाद भी 45 एकड़ की सीमा निर्धारण की गयी थी, उसके बाद 1972 तक मान्यवर, 338 ऐसे जमींदार मिले जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और वह जमीन इस तरह से बंटी हुई थी कि उसका मालिक एक था, उसको न जाने कितने नौकरों के नाम अपने भाई भतीजों के नाम और न जाने किन-किन लोगों के नाम कर रखा था, लेकिन जमीन का अधिकार उसी के पास था । मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट के

ऊपर बहस के दौरान कहा गया, कि एक समिति का गठन किया जाये और वह समिति मुख्यालय पर जाकर कार्य करे और मंडल मुख्यालय पर जाकर और जिला मुख्यालय पर जाकर कार्य करे और यदि आवश्यक हो तो गांवों में भी जाये जहां इस तरह की जमीन है उसका अध्ययन करें और रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करे । हुकूम सिंह जी राजस्व मंत्री थे, जब बजट पेश किया तो स्वीकार किया कि जो जमीन आज हम निकालना चाहते थे वह नहीं निकली है, बल्कि जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन्होंने न्यायपालिका से साठ-गांठ करके अपने हित में मुकदमे तय करवा लिए ।

माननीय, हर साल बजट पेश होता है, और घोषणायें की जाती हैं कि हरिजनों को रहने के लिए, उनको जोतने के लिए, उनके आवास के लिए जमीन दी जायेगी । लेकिन आपकी सारी की सारी प्लानिंग फेल हो गयी है, आप जानते हैं, वास्तव में किसी को भी नहीं मिली है । माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े पेश किए हैं । मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं जिस कब्जे की बात उन्होंने कही है, अगर वह सही नहीं है तो माननीय मंत्री जी इस्तीफा दें और अगर सही है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस सदन से। यह मेरी चुनौती है, माननीय मंत्री जी ने इस तरह के झूठे आंकड़े पेश किए हैं । माननीय मंत्री जी ने आज जवाब दिया, विजय सिंह राना का सवाल था, कि क्या जमीन के कब्जे हरिजनों को मिल गये हैं, तो उन्होंने कहा कि कब्जे मिल गये हैं । जब विजय सिंह राना ने तहसीलदार का वक्तव्य पढ़ा कि उनको जमीन के एटटे नहीं मिले हैं. तो उनको एहसास हुआ कि नहीं मिले हैं और कह दिया कि अगर नहीं मिले हैं तो इसकी जांच करा ली जायेगी । माननीय मंत्री जी किस आधार पर कहते हैं । जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं कि कब्जा दिला दिया गया है, वह सही नहीं है, यह सब झूठ है । मान्यवर, इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है सरकारी तंत्र है जो चाहता है, वही करता है । आप किसी प्रकार का कितना ही अच्छा कानून बना दें, उसकी मन्शा बहुत अच्छी हो, लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन और एक्जीक्यूशन उस तरह से नहीं होता है, जिस तरह की उस कानून की मंशा होती है । जैसा कि मोहन सिंह जी बोल रहे थे, कि उन्नाव जिले के कुछ सरकारी अधिकारियों ने जमीन को अपने नाम करा लिया । बात यहां तक आ गयी और माननीय मंत्री जी हरिजनों की भलाई की बात करते हैं । जब इनके अधिकारी स्वयं अपने नाम कराने में लगे हुए हैं तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है ।

दो समितियों के गठन की बात कही गयी, लेकिन इन दोनों समितियों में सरकारी अधिकारी हैं । इनसे आप क्या आशा कर सकते हैं । अगर आप समिति बनाना ही चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस में इस सदन के कुछ सदस्यों को रखें, ब्लाक प्रमुख को रखें, ग्राम प्रधान को रखें, जो उसकी असलियत को समझता हो । जिले में बैठे हुए एस0 डी0 एम0 और कलेक्टर गांव की स्थिति को नहीं जानते हैं । इसमें आपको गांव के लोगों को लेना होगा क्योंकि हकीकत वही बतायेंगे, तभी आप काम कर सकेंगी । मेरा खुला आरोप है कि अगर माननीय मंत्री जी इन अधिकारियों द्वारा काम चलाना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया

जा रहा है । इस बात को मैं आपके माध्यम से पुष्टि कराना चाहता हूं । जितनी भी आज तक जो भी कमेटी बनाई गई और जो भी लोग उस कमेटी के तहत देहातों में जाकर जांच स्थलों पर गये उन्हों-ने कहीं पर भी अपनी रिपोर्ट में यह नहीं कहा कि इस काम के अन्दर हमने झगड़ा देखा और सारी जमीनों के पट्टे लोगों के नाम किये गये और उन पर उन्हीं का अधिकार है । चाहे वह अनुसूचित जाति से सम्बन्धित समिति हो या मंगलदेव विशारद कमेटी हो किसी का भी वरजन यह नही आया कि वह सही चल रही है । ऐसी स्थिति में हरिजनों का कल्याण होना, कोरी नारेबाजी से बात करना सम्भव नहीं है ।

इसीलिये माननीय चौधरी साहब ने कहा कि इतने बड़े देश के अन्दर और इस शासन के 37 साल गुजरने के बाद हमने यह कल्पना की थी कि हम बहुत खुशहाल होंगे, अच्छे बनेंगे । लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हमारी स्थिति हर साल गिरती चली जा रही है । सन् 73 में सबसे गरीब देशों में हमारा स्थान 85वां था जो कि आज बढ़कर 125 वां हो गया है । हमने यह तरक्की की है कि हम गरीब हो गये । अमीरी का तो सवाल ही नहीं है । इसके साथ ही साथ जो अफ्रीकी देश हैं या और दूसरे द्वीप हैं वे हम से बहुत बाद में आजाद हुये, वे आज हमारे देश से ज्यादा खुश-हाल हैं । दूर की बात छोड़ दीजिये, चीन हमसे दो साल बाद आजाद हुआ लेकिन आज दुनियां में उसका तीसरा स्थान है । हम आज अमरीका के सामने हाथ पसारते हैं, रूस के सामने हाथ पसारते हैं । इसका कारण केवल इस सरकार की किसानों के प्रति मजदूरों के प्रति और हरिजनों के प्रति अनदेखी है । यह विडम्बना है कि यहां का किसान खेती करना चाहता है लेकिन यहां की सरकार उसके लिये कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है । लगान तो बढ़ा सकती है, लेकिन उसको कम नहीं कर सकती है । बिजली की कीमत बढ़ा सकती है, बस का किराया बढ़ा सकती है लेकिन खाद और बीज के दाम, ट्यूबवेल के लिये बिजली की कीमत नहीं घटा सकती है । टाटा, बिरला को सस्ती दरों पर बिजली दे सकती है लेकिन किसानों को नहीं दे सकती । किस तरह से किसानों की भलाई होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप 20 मिनट बोल चुके । एक मिनट और बोल लें । आपको बाद में जबाब देने का मौका मिलेगा ।

श्री राम स्वरूप निम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं । रोजाना हरिजनों के कत्ल की घटनायें इस प्रदेश में हो रही है और उसका मुख्य मुद्दा रेवेन्यू और जमीन से ताल्लुक रखता है । उसको रोकने के लिये आपके माध्यम से मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस आदमी को जमीन का पट्टा दिया जाय उसकी फोटो सरकार अपने रिकार्ड में रखे और जोतबही से सम्बन्धित एस0 डी0 एम0 उसे सर्टिफाई करे जिससे यह तय किया जा सके कि असली तमीन का स्वामी वह है और उसके नाम पट्टा किया गया है । इसी तरह से जो जमीन खरीदी या बेची जाती है तो उन दोनों के बीच में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाय । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि बैंकों से लोन लेने में उसका इस्तेमाल करके किसी सीमा तक सफल हो सकता है । इसी तरीके से रेवेन्यू विभाग अपने विभाग की इन कमियों को पूरा करने की कोशिश करे । जो

जमीन बेचता है तो वह पहले एस0 डी0 एम0 को लिखकर दे दे ताकि यह मालूम हो जाय कि वह जमीन किसकी है । जमीन किसी की होती है और बेच कोई और देता है ।

मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई रजिस्ट्री नहीं की है यह जो अंगूठा निशान आदि हैं यह गलत हैं । तो इस पर अंगूठा निशान की जांच के लिए एक्सपर्ट के पास मामला जायेगा और जब तक एक्सपर्ट से राय आती है उसमें वर्षों लग जायेंगे । तो इसके लिए एक ठोस उपाय करना होगा अगर एस0 डी0 एम0 परमिशन दे दे तो वह कार्ड पर दस्तखत करे और जमीन की सीमा निर्धारण करे कि इतनी जमीन यह बेच रहा है और इतनी जमीन यह खरीद रहा है । जिससे पता चले कि कितनी जमीन बेची गयी और कितनी जमीन खरीदी गयी और उसके बेचने वाले और खरीदने वाले कौन हैं। वह जोत बही में अंकित हो उसका फोटो लगा हो और वह जोतबही सही हो। अगर ऐसा होगा तो कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि उसमें फोटो लगे होने की वजह से 420 की गुंजाइश नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी इस पर सोचें।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें। बाद में आपको समय मिलेगा वर्ना बाद में समय में कमी हो जायेगी।

श्री राम स्वरूप निम–

दो मिनट में समाप्त करता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, इस समय चकबंदी चल रही है और उसमें जो आपके यहां धांधलेबाजी हो रही है वह सर्वविदित है। जब चकबंदी आरंभ की गयी तो 8 हजार लेखपाल के पदों को सृजित किया गया लेकिन उसको बाद में काट कर 5 हजार कर दिया गया जब कि दूसरे विभाग जो काम कर रहे हैं उनमें काम के हिसाब से स्टाफ बढ़ रहा है लेकिन चकबंदी में स्टाफ कम हो रहा है जब कि काम बढ़ रहा है। एक और अजीबों गरीब स्थिति पैदा हो गयी है, अभी हमारे कमाल यूसुफ साहब ने बताया कि उनके यहां एक अश्फाक सी0 ओ0 हैं, वह उसी तहसील में उसी गांव के रहने वाले हैं और वहां पर पूरी लूट मचाये हुए हैं। सी0 ओ0 की पोस्ट तहसीलदार के बराबर होती है और वह अपने यहां पोस्टेड है लोगों को लूट रहा है तो कम से कम ऐसे आदमी को उस जनपद में न रखा जाय।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री प्रियदर्शी जेतली का नाम पुकारे जाने पर) माननीय सदस्य सुन लें 7 मिनट का समय हर सदस्य के लिए है । अतः इतने में समाप्त कर दें ।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस रेवेन्यू जैसे अहम बजट पर बोलने का अवसर दिया। अभी मैं बड़े गौर से माननीय सदस्य को जो कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे, सुन रहा था। मान्यवर, वे बार-बार माननीय चरण सिंह जी का नाम लेकर उनकी कारगुजारी की तारीफ कर रहे थे और साथ ही साथ यह भी कह रहे थे कि यह बदकिस्मती है देश की कि शासन ऐसी पार्टी के हाथ में आया जिसने न कभी गरीबी देखी और न भुखमरी देखी और न नंगापन देखा ।

श्री अकबर अहमद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, कोरम नहीं है। पहले कोरम पूरा करवायें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय जेतली जी आप बैठें। पहले देखलें कि कोरम है कि नहीं।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद चौधरी साहब ने पहला काम किया कि अपने सिद्धान्तों को छोड़कर इस देश में विभिन्न पार्टियों से कई बार कई मुताह किये और इस बार भी उन्होंने अपने सिद्धान्तों की कुर्बानी करके भारतीय जनता पार्टी के साथ नया मुताह किया। आज तक जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अपने दल की कोई नीति न रखी हो, अपने द्वारा बनाये सिद्धांतों का अनुपालन न किया हो, केवल कुर्सी के लिए सिद्धान्तों से अलग हटकर समझौते किये हों जिससे स्वयं उनकी तस्वीर जनता में समाप्त हो गई हो। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कोई भी ऐसा कार्य नही किया जिसको हम गरीबों के लिये, शोषितों के लिये कह सकते हों। जनता पार्टी का टूटना उनकी इस कुर्सी नीति का प्रमाण है और उस आदमी की बात सदन में बार बार करना मैं समझता हूं कि यह झूठा रोना होगा।

मान्यवर, आज हिन्दुस्तान में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रान्ति हुई है। जिसका नतीजा है कि आज देश और प्रदेश की जनता अपने अधिकारों की मांग निरन्तर करती जा रही है और यह उसके विकास का सबूत है कि उसमें चेतना पैदा हुई और अपने अधिकारों के प्रति चिन्तित है और मांग कर रही है।

मान्यवर, मैं मंत्री जी के इस बजट का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि एक मजबूत प्रशासन के लिये आवश्यकता इस बात की है कि वह प्रशासन की इकाई को जितना छोटा बनायेगी उतनी ही प्रशासन पर मजबूत पकड़ होगी। आज प्रदेश में गांव सभा से लेकर तहसील, जिला और मंडल के पुनर्गठन की आवश्यकता है। मान्यवर, जिस समय गांव सभाओं का निर्माण हुआ तो उस समय देश की आबादी बहुत कम थी। दूर-दूर के छोटे-छोटे गांव और पुरवे मिलाकर गांव सभाओं का गठन हुआ और आज उनकी भौगोलिक स्थिति का यदि निरीक्षण किया जाये तो लगता है कि जो पुरवे दूसरे गांव में जाने चाहिए, वे जिनके नजदीक हैं, वह दूसरे गांव में जुड़े हैं। इसी तरह तहसील, जिलों और मंडलों में भी यह बात लागू होती है। मान्यवर, उदाहरण के लिये इलाहाबाद कमिश्नरी जो फर्रुखाबाद तक फैली है उसका कोई औचित्य नहीं है। इलाहाबाद का कमिश्नर फर्रुखाबाद तक किस प्रकार देख सकता है। अतः कानपुर नई कमिश्नरी बननी चाहिये और इसी प्रकार आजमगढ़ और बलिया को जोड़कर नई कमिशरी का गठन होना चाहिये। मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रशासन की जितनी छोटी-छोटी इकाई होंगी उतनी ही प्रशासन की मजबूत पकड़ होगी और जनता की समस्याओं को अधिकारी कायदे से देख सकेगा।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे उस प्रस्ताव को जो आबादी के बंदोबस्त से संबंधित था शासन ने स्वीकार कर बोर्ड आफ रेवेन्यू को भेजा और बोर्ड आफ रेवन्यू ने मेरे जिले में एक गांव आबादी बंदोबस्त के लिये लिया। मैं

चाहूंगा कि यह पूरे प्रदेश में लागू किया जाये क्योंकि जो गांव आज से 20 वर्ष पहले जिस स्थिति में था, आज उस स्थिति में नहीं है। और आज जिस स्थिति में है, वह आने वाले वर्षों में उस स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि गांवों का विकास हो रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया है कि गांव की आबादी का बंदोबस्त अवश्य किया जाये वरना आने वाले दिनों में आबादी के नाम पर जितनी मुकदमेबाजी होगी, जितने कत्ल होंगे वह इस प्रदेश के लिये एक भंयकर समस्या बन जायेगी।

मान्यवर, तीसरी बात बंजर बचत भूमि की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं जो मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि मुख्य सड़कों के किनारे जो बंजर भूमि है, उनकी व्यापारिक वैल्यू हो चुकी है। उसका पट्टा जो लोग लेते हैं, एक तो उसका पट्टा अधिकृत एवं पात्र लोगों को मिलता ही नहीं है और फिर जिसको मिलता है वह उसकी ऊंची से ऊंची कीमत देता है, ऊंची से ऊंची कीमत देकर उसको लेता है। गांव सभाओं के पास कोई आय का साधन नहीं है, जिससे वे अपने ग्राम का विकास कर सके। (व्यवधान) गांव समाज की वह बंजर भूमि जो मुख्य सड़कों के किनारे की है की नीलामी की व्यवस्था की जाए। जिससे कि उस पर ग्राम सभा आधी ऐसी भूमि को नीलाम कर प्राप्त धन से आधी बची भूमियों पर अपनी दुकाने बनवा सके। जिससे उसकी आमदनी उनको मिले और वह उस धन से अपने यहां विकास कार्य करा सकें।

आज भी नगरों में नगरपालिकाओं में, टाउन एरियों अर्थात नगरीय क्षेत्रों में आबादी की जमींदारी नहीं टूटी है। जो जमीन क्रय करता है, वह हक मालिकाना नहीं पाता है बल्कि उसको आज भी हक रियाया मिलता है और जमींदारी की देहेड़ी लिखनी पड़ती है जिसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिए। अतः इन नगरीय क्षेत्रों में जमींदारी का उन्मूलन तुरन्त किया जाय। यह इस देश के लिए कलंक है।

चौथी बात गांव समाज में जो मेला लगते है, वह उसकी बंजर भूमि पर लगता है उसका कोई रिकार्ड नहीं है। वह समय-समय पर इधर उधर हट जाते है। मेरा सुझाव है कि मैला लगने की, रेवेन्यू और पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच के बाद उसकी परमीशन मिले, ताकि उसका रिकार्ड भी वहां रह सके।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

60 हजार एकड़ जमीन आज भी सीलिंग की शासन अपने कब्जे में नहीं पा सका है। आज भी बहुत से उनके मुकदमें सुप्रीम कोर्ट में 10/10 वर्ष से लम्बित पड़े हुए है। लखीमपुर खीरी में यह स्थिति है कि पांच-पांच सौ एकड़ सीलिंग की जमीन निकलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में रिट के कारण रुकी है। वह मिल नहीं पा रही है इसी प्रकार बहेड़ी में भी क्रेशर शुगर फैक्ट्री की 4 हजार एकड़ भूमि शासन को आजतक नहीं मिल सकी है। उसका भी मामला सुप्रीमकोर्ट में लम्बित है। हमारे अधिकारी और हमारे वकील उसकी सही तरीके पर पैरवी नहीं करते है। अन्त में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के इस बजट का समर्थन करता हूं और

उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुझाव मैंने रखे हैं, उस पर अमल दरामद कराने की वह कृपा करें।

श्री हरिवंश सहाय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजस्व के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। देवरिया जिले में 20 हजार एकड़ जमीन सीलिंग की, वन की, ग्राम समाज की और कोर्ट आफ वार्ड की सरकारी जमीन पड़ी हुई है और उक्त 20 हजार एकड़ जमीन की बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही है। इन जमीनों को कौन लोग लिखवा रहे हैं, इसे मैं बताना चाहता हूं। हाटा तहसील के एस0 ओ0 सी0 श्री एस0 पी0 अजोर हैं, जिनका घर का नाम लल्लन है और जो बलिया जिले के ग्राम बलेजी के निवासी हैं, इन्होंने 35.34 एकड़ जमीन लिखा ली है। जो ग्राम पकड़ी वृजलाल में खाता नम्बर 273 में 1.03 एकड़ ग्राम खड्डा कलां में खाता नम्बर 368 में 2.21 एकड़, ग्राम तुरकहा में खाता नम्बर 383 में 2.10 एकड़, ग्राम बुढ़वाजंगल में खाता नम्बर 62/2 में 30 एकड़ है। इस प्रकार इन्होंने कुल 35.34 एकड़ जमीन लिखवा ली है। ग्राम पकड़ी वृजलाल में खाता नं0168 में धाना के नाम 0.14 एकड़ जमीन लिखाया गया है। पकड़ी बृजलाल में खाता नं0 295 में उसने अपने सुसर सत्यदेव के नाम 2.93 एकड़ लिखा रखी है। खड्डा कलां से सत्यदेव के नाम खाता नं0 361 में 0.70 एकड़। बुढवा जंगल में खाता नं0 60/2 में 30 एकड़ अपने ससुर सत्यदेव के नाम लिखा रखी है। एस0 पी0 अजौर एस0ओ0सी0 ने कुल 69.11 एकड़ जमीन अपने नाम अपने ससुर व अपने दादा धाना के नाम लिखा रखी है। इसकी जांच 61-ख तथा लगान जिल्द 1975 से करायी जाय। इन्होंने लगान भी नहीं दिया है, इसकी भी जांच करायी जाये। मेरे पार्टी के एम0 एल0 ए0 श्री नन्द किशोर सिंह ने एस0 पी0 अजौर के कुटुम्ब रजिस्टर की नकल व खतौनी की नकल के फोटो कापी 1-3-84 को भेजी हैं, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

ग्राम बुढवाजंगल में खाद्य निगम के अध्यक्ष बाल्टी बाबा ने अपने पिता नवशेष पुत्र चिरकुट के नाम 80 एकड़ जमीन लिखा ली है। अपने को वे उसी ग्राम का निवासी बताते हैं। यह जमीन आज भी जंगल है। रामपुर गौनहा के प्रधान श्री कृष्ण यादव ने 100 एकड़ भूमि अपने नाम तथा अपने परिवार के नाम लिखा लिया है और 5 पन्ने खतौनी के फाड़ कर नये पन्ने लगा दिये हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमारी शोभा ने 80 एकड़ अपने नाम लिखा ली है। दो सब इन्सपेक्टरों ने 70-70 एकड़ जमीन लिखा ली है। मैं इनका नाम बताना उचित नहीं समझता। कुछ जन प्रतिनिधियों तथा परगना अधिकारी ने भी अपनी स्त्रियों के नाम काफी जमीन लिखवा ली है और पति के स्थान पर स्त्री के पिता का नाम लिखवाया है। कुछ गुन्डों ने भी जमीन लिखवायी है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे उक्त सारी जमीन चोरी की जांच फसली 57, 59, 61–ख एवं लगान जिल्द 1975 से मिलान कर करवाने की कृपा करें।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो 10 हजार एकड़ जमीन बची है उस जमीन को वहां के सी0 ओ0 बाबू सिंह ने अवैध रूप से हस्तान्तरित कर लोगों के नाम कर दी है और 5 लाख रुपया लेकर लखनऊ आये हुए हैं। वे इस कोशिश में हैं

कि उनके तथा एस0 ओ0 सी0 हाटा के खिलाफ कोई कार्यवाही न हो ।

हमारे जिले की प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री में 20 एकड़ जर्मान सीलिंग की बनी है । ग्राम चकिया भीपतपुर राजपुर दीक्षतौली, रामपुर बैकुन्ठपुर में जो यह जमीन है इसे अपने पास चोरी के द्वारा दबा रखी है, मगर कोई अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता क्योंकि इसके बदले ऐशो आराम वहां जाकर करता है ।

इसी प्रकार ग्राम रहीमपुर में ग्राम समाज की 3 लाख रुपये की सम्पत्ति हड़पी जा रही है । रेकार्ड आफिस देवरिया जालसाजी का अड्डा बन गया है । वहां मेला सा लगा रहता है, मगर कोई देखने वाला नहीं है, वहीं से यह सब जाल बट्टा होता है ।

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिस आदमी ने इतना बड़ा जाल बट्टा किया है वह क्या आज भी एस0 ओ0 सी0 हाटा बना रहेगा ? उसे तत्काल हटाने की जरूरत है । आखिर क्या कारण है कि उसके खिलाफ, अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इन सारी बातों की कार्यवाही मंत्री जी करायें ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । भूमि सुधार के विषय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है और जो काम हुए बहुत ही शन्तिपूर्ण ढंग से हुए हैं वह सराहनीय है। दूसरे बहुत से मुल्कों में दूसरे ढंग से हुए हैं, जिसको हम सभी जानते हैं लेकिन बहुत कुछ काम होने अभी बाकी हैं और जिसमें हमको क्रान्तिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है । मैं आपके माध्यम से कुछ बातों की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या कोरम है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप कोरम का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

इसके अलावा एक बात और कहनी है .

श्री अधिष्ठाता–

मैं दिखवा रहा हूं, कोरम है या नहीं। जब कोरम हो जाय तब आप बतायें ।

(कोरम की घंटी बजाई गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(3 बजकर 20 मिनट)

माननीय राजस्व मंत्री जी, आपको अपना बजट पास करवाना है तो अपने दल के सचेतक से व्यवस्था कराएं कि कोरम पूरा रहे ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि सुधार की दिशा में बहुत काम हुआ है । जो काम और मुल्क हिंसा के जरिये से करते हैं, यहां बहुत कुछ हद तक शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है । हमने सन् 47 से अब तक बहुत से महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में उठाए हैं । तरक्की हुई है, इसमें कोई शक नहीं है । इसमें मैं निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम अपने सम्मानित अधिकारियों के दिमाग में एक बात पूरी तरह ला दें कि इस सुधार को करने

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया ।

में वे पूरा शरीर एवं माइण्ड लगा दें। इससे शकल ही बदल जायगी और वातावरण बदल जायगा, इसमें शक नहीं है। गांवों का वातावरण बदल जायगा और नियमों की प्रक्रिया पैदा होगी। मान्यवर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। कुछ खास बातों की ओर माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कुछ ऐसी खबरें मिलती हैं, सही भी हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं, जिनकी जमीन पर जबर्दस्त लोगों ने कब्जा कर लिया है, अपने असर से बलपूर्वक ताकत से उन गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये गरीब लोग असहाय होकर अपना गांव छोड़कर भाग गये हैं। कुछ नेपाल भाग गये हैं, तो कुछ कहीं और चले गये हैं। यहीं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिये कानून बनायें। दिल्ली से इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी हुई है लेकिन विशेष महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गये हैं। सरकार का कर्तव्य है कि उन गरीबों को फिर से वहां बसाएं, जिनकी लोगों ने जमीनें छीन ली हैं अपने बल के आधार पर।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी क्या है। एक स्टेट का, गरीब को, कमजोर को, बचाना सर्वप्रथम कर्तव्य लाजिमी होता है। यदि सरकार उसमें नाकामयाब होती है तो अपने ऊपर कोई फख्र नहीं ले सकती है अगर उनकी रक्षा नहीं कर सकती है। दूसरी चीज ऐसी खबरें मिलती हैं कि मुरादाबाद और रामपुर के इलाकों में जबर्दस्त लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है, बल पूर्वक हथियारों और मसल पावर के माध्यम से। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पर पूरी ताकत से रोक लगानी चाहिए। मुल्क चीन से और पाकिस्तान से लड़ सकता है, लेकिन क्या इन मसलमैनों से नहीं लड़ सकता, जो बलपूर्वक गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिये हैं। क्या उनको नहीं हटाया जा सकता। इस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहरों में अभी जमींदारी नहीं टूटी है। मैंने कल भी कहा था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर कदम उठाये जायं। आपने एग्रीकल्चर और नान एग्रीकल्चर को तकसीम कर दिया, लेकिन नान एग्रीकल्चर एरिया में, शहरों में जमींदारी नहीं टूटी है। उसको तोड़ना चाहिये। इस पर कानून बनाइये।

चौथा निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रस्ट की जमीनों का बहुत मिसयूज हो रहा है, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। ट्रस्ट की जमीन लोग अपने फायदे के लिये बेच रहे हैं। ट्रस्ट की जमीन का अधिग्रहण किया जाय। उसका इंतजाम सरकार अपने हाथ में ले। । क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो जिनके पूर्वजों ने जमीन दी है, उन्हीं लोगों द्वारा उसको बरबाद किया जा रहा है। उनके लड़के उस जमीन को अपने इस्तेमाल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हरिजनों को जमीन दी कानून में परिवर्तन हुआ है कानून के मुताबिक जो मकान एक निश्चित तिथि के मुताबिक था वह मकान उनके साथ निहित हो गया लेकिन जमीन निहित नहीं हुई। हरिजन जिस जमीन पर काबिज होता है आबादी का अधिकार दिया है। लेकिन कुछ लोग दूसरों के बाग में, दूसरों के खेत में बसे हैं, उनकी दुर्दशा है, जो आबादी दी है, उनका मकान उनके नाम हो गया। लेकिन उनके निकलने के लिये दरवाजा होगा, उनके उठने बैठने के लिये कुछ जगह होगी। इसलिये मेरा सुझाव

है कि जिनकी जमीन में बसे हैं उसको समरी प्रोसीडिंग के द्वारा एक्वायर की जाय और जिनकी जमीन है उनको मुआवजा देकर जमीन एक्वायर की जाय। इससे उनको सन्तोष होगा कि कुछ मुआवजा मिल गया और हरिजन को उस जमीन पर अधिकार मिल जायेगा । यह बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो लोग शहरों में रहते हैं, व्यापार करते हैं, उनकी जमीन बटाई पर उठी हुई है । वह वहां जाते ही नहीं है । लेकिन जमीन का कब्जा उनका है । उसका एक हिस्सा सरकार के मातहत किया जाय, यह उचित नहीं होगा कि जो खेती न करे वह खेत का मालिक बना रहे ।

एक चीज मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे जिले में बहुत से मुकदमे 198 के पेंडिंग हैं। एक ए0 डी0 एम0 को मुकर्रर किया जाय जो इन मुकदमों को निपटायें और जुडीशियल अफसर की बात का, जो ए0डी0एम0 या एस0डी0एम0 हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है । इसको आप अवश्य देखें दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डी0 डी0 सी0 महोदय के निर्णय के बाद फाइनल चक कटाने की प्रकिया शुरु की जाय । नक्शा दुरुस्त करने की कोशिश की जाय, क्योंकि इसमें बहुत सी बंगलिंग है, बहुत सी गड़बड़ियां हैं। इन सब चीजों को दूर करने की आवश्यकता है । मान्यवर, जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसके लिये मंत्री जी एक कमेटी बनायें, किसी अधिकारी की बनाये, उसमें जन प्रतिनिधि को रखा जाय । जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, चाहे अधिकारी हों या गैर अधिकारी हो, उन पर मुकदमा चलाया जाय और जमीन वापस ली जाय । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री अकबर हुसैन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अभारी हूं कि आपने निम साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया । यह महत्वपूर्ण विभाग कितने महत्व पूर्ण हाथों में है यह सर्वविदित है । यह शासन राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने में कितना सक्षम है, उसके सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र बिलारी में जो हो रहा है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था । क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नायब तहसीलदार बिलारी जनपद मुरादाबाद के आवास पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किये जाने सम्बन्धी श्री रियासत हुसैन, सदस्य विधान सभा का कोई पत्र दिनांक 30-12-82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? उत्तर आया था 'जी हां' । जिलाधिकारी, मुरादाबाद/राजस्व परिषद से इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी । नायब तहसीलदार बिलारी का भवन 115/8 डि0 भूमि पर निर्मित है तथा भवन की बाउन्ड्री वाल के अन्दर 11 5/8 डि0 भूमि को लेकर कुल 52 डि0 घेर ली गयी थी । 11 5/8 डिस्मिल भूमि स्वर्गीय राजा किशन कुमार से इकरारनामे के अनुसार निःशुल्क प्राप्त हुई तथा 6 4/5 डिस्मिल भूमि अन्य जमींदार से क्रय की गयी थी । 33 डिस्मिल भूमि जो श्री रियासत हुसैन द्वारा मंजूल की बताई गयी, उपलब्ध कागजात के अनुसार सरकार की भूमि नहीं है, केवल 6 4/5 डिस्मिल भूमि नजूल की है और प्रश्नगत भूमि पर किसी का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनधिकृत कब्जा नहीं है । तो मान्यवर, इसके बारे में पून: पूछा गया इस सत्र में कि क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय सत्र 83 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 131 के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-11-83 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उसका जबाब है, मान्यवर, जी हां, प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 25-11-83 की जांच कराई गयी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि 33 डिस्मिल भूमि बिलारी की खतौनी नाम जैड एरिया महाल सब्ज वर्ष 1387 फसली के खाता सं0 1 की कैफियत में नाम मालिकान श्रीमती इन्द्र-मोहनी मुन्दर्जा खाता खेवट नं0 1 अंकित है ।

मान्यवर, पहले प्रश्न के जबाब में जहां उन्होंने 11 5/8 और 6 4/5 डिस्मिल भूमि किसकी है, का हवाला दिया है, वहीं 33 डिस्मिल भूमि का कोई जिक्र नहीं किया, जब कि उसी में यदि यह भूमि इन्हीं श्रीमती इन्द्रमोहनी की थी, तो उसी में जबाब देना चाहिए था । मान्यवर, दूसरे सवाल के जबाब में किस तरह से यह 33 डिस्मिल जमीन उनकी बता दी गयी ? मान्यवर, मेरी तहसील में चक-बन्दी चल रही है, सी0 ओ0 चकबन्दी के यहां से जो नकल जारी हुई है, उस नकल खतौनी के आधार पर यह भूमि मिल्कियत सरकार दिखायी गयी है, कहीं किसी के मालिकान होने का जिक्र नहीं है । मान्य-वर, यह नकल 19-10-81 को जारी हुई है । इसी जमीन के सम्बन्ध में श्रीमती इन्द्रमोहनी ने दाखिल खारिज के लिए तह-सील में सन् 78 में दरख्वास्त दी थी, लेकिन उस पर सक्षम अधिकारी ने जो आदेश दिये, उसका सारांश यह है कि उपरोक्त स्थिति से ज्ञात हुआ कि कब्जा वादी का किसी नम्बर पर नहीं है । ऐसी स्थिति में दाखिल खारिज कैसे हो सकता है। यदि उचित समझा जावे, तो सबूत इस संबंध में लेने की कृपा करें कि उप-रोक्त नम्बरान किस प्रकार वादी की सम्पत्ति है, क्योंकि खतौनी मिल्कियत सरकार में अंकित किये जाने से यह बात साफ नहीं होती और उसमें ही बात उलझ जाती है। इस पर डी0 जी0 सी0 की राय ली गयी। डी0 जी0 सी0 ने यह राय दी कि इस बाद में कानू-नगो की रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिन प्लाट्स के ऊपर दाखिल खारिज की दरख्वास्त दी गयी है, वह लैंड नहीं है बल्कि आबादी और सड़क है और इन प्लाट्स पर सब-रजिस्ट्रार का आफिसर व मंदिर व तहसीलदार का निवास स्थान एवं बहुत सी इमारतें बनी हुई हैं। ऐसी दशा में इन प्लाट्स पर लैंड रेवन्यू एक्ट के अनुसार दाखिल खारिज किये जाने का कोई प्रश्न नहीं पैदा नहीं होता। अत: मौजूदा प्रार्थना-पत्र जो कि धारा 34, एल0 आर0 एक्ट के तहत दिया गया है, मेनटेनेबुल नहीं है। यह 26-6-78 को राय दी थी। इस राय के बाद सक्षम अधिकारी ने 10-8-78 को इस पत्रावली पर डी0 जी0 सी0 की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त धारा 34 के अन्तर्गत यह आदेश दिया कि उक्त धारा के अन्तर्गत इस पत्रावली का निस्तारण नहीं किया जा सकता। आदेश पत्रावली संख्या 268 पर पारित किया जा चुका है, वही आदेश इस पत्रावली पर भी लागू होगा । इन आदेशों के बावजूद श्रीमती इन्द्रमोहिनी ने अपना दबाव, असर इस्तेमाल करके केवल लेखपाल से उसी की कलम से नाम अपना

खतौनी में इन्दराज करा लिया, जो उस लेखपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी और यह आदेश भी केवल खेतौनी में लेखपाल ने कर ली है, रजिस्टर मालिकान आदि में नहीं है। यदि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में निष्पक्षता के साथ कुछ करना चाहें, तो यह सब कागजात मैं उनके पास भेज दूंगा और उनसे यह मांग करता हूं कि वह किसी उच्च स्तरीय कमेटी से इसकी जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही करें, चूंकि यह कम से कम 10 लाख रुपये की मालियत का घोटाला है।

मान्यवर, इन्हीं से संबंधित एक छोटा सा मामला आपकी आज्ञा से बता देना चाहता हूं, वह यह है कि 1976 में तत्कालीन मुख्य मंत्री के सामने विद्युत सब-स्टेशन बनाने हेतु एक एकड़ 11 डिस्मिल जमीन अपने ग्राम सहसपुर, तहसील बिलारी में इन्होंने दान में दी थी, क्योंकि यह सब स्टेशन पुराने सब-स्टेशन से केवल एक किलोमीटर की दूरी पर बनाने की मांग थी, अब इसका 9-11-83 से 3 लाख 62 हजार रुपया मुआवजा वसूल किया गया है, यह किस रीशियो से उन्हें दिया गया है, चूंकि एक एकड़ 11 डिस्मिल गांव की भूमि के लिये यह कीमत बहुत अधिक है।

विद्युत का सब स्टेशन बनाया गया था। उस समय उन्होंने तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के सामने यह एलान किया था कि मैं इसे दान में दे रही हूं। यह सब-स्टेशन पहले वाले सब-स्टेशन से एक किलोमीटर दूरी पर बनाया गया था। 8 साल तक इसका मुआवजा नहीं लिया गया। 8 साल के बाद इसका मुआवजा 3 लाख 63 हजार रुपये लिया गया। यह मुआवजा किस हिसाब से लिया गया। यदि उन्हें मुआवजा लेना ही था, और उस जमीन को दान में नहीं देना था, तो 8 साल पहले के हिसाब से मुआवजा लिया जाना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठ जायं, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री भगवती सिंह विशारद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय सदस्य द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। श्रीमन्, इसके पूर्व कि मैं राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दूं, आपकी आज्ञा से सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उन्नाव जनपद में एक पुरवा तहसील है, प्रदेश के 4–6 बड़ी तहसीलों में उसका नाम भी आता है। इसका क्षेत्रफल गंगा के उस पार फतेहपुर जिले की सीमा तक और दूसरी ओर लखनऊ की सीमा तक है। इसीलिये आवश्यकता इस बात की है इसका दो तहसीलों में बंटवारा कर दिया जाय। माननीय मंत्री जी आपने बताया है कि 5 नयी तहसीलों का सृजन किया गया है, इसलिये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस पुरवा तहसील को भी दो तहसीलों में विभाजित कर एक नयी तहसील बनादें।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम है कि नहीं, इसे दिखवाया जा रहा है।

(कोरम के लिए घण्टी बजाई गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

माननीय भगवती सिंह विशारद जी, अपनी बात कहें।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रदेश में एक लम्बे अर्से से चक-बन्दी की कार्यवाही चल रही है। लेकिन, मुझे खेद के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि बहुत से जनपदों में, जिन गांवों में, चकबन्दी 10–15 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, वहां पर किन्हीं कारणों से अभी तक धारा 52 का प्रकाशन नहीं किया गया है, जिसके कारण वहां के तमाम कृपकों को बड़ी दिक्कत है और गांव समाज की भूमि आदि का अपहरण हो रहा है और कृषकों को अपनी भूमि के बावत तथा दूसरे कार्यों के लिए जिन कागजातों की जरूरत पड़ती है, उनके मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो बचत की जमीन चकबन्दी के समय छोड़ी जाती है और जब तक धारा 52 का प्रकाशन नहीं हो जाता है, उस समय तक उस जमीन की कोई भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाती है। मेरा राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि जिन गांवों में चकबन्दी की कार्यवाही पूर्ण है, वहां शीघ्र धारा 52 का प्रकाशन कराने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, कुछ स्थानों पर, भूमि आवंटन में, भूमिहीनों को जो पट्टे दिये गये हैं, उनमें बहुत से स्थानों पर, उनके प्रतिकूल धारा 198 के अन्तर्गत मुकदमें चलाये गये हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिसको नाजायज ढंग से पट्टे किये गये हों। लेकिन, भूमिहीन हरिजनों पर ऐसे लोग मुकदमा दायर करते हैं, जो पहले से उस भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं और खेती करते रहना चाहते हैं। इसी सन्दर्भ में निवेदन है कि धारा 198 के अन्तर्गत जो कार्यवाही की जाती है, इसके पहले से कोई छानबीन होने की व्यवस्था होनी चाहिए और जिन स्थानों पर उचित समझा जाय, उन स्थानों पर, उन्हीं भूमिहीनों पर मुकदमें चलाये जायं, सबके ऊपर न चलाये जायं। इसमें भी एक निवेदन है बहुत से स्थानों पर राजस्व विभाग की ओर से ''सुओ-मोटो'' की कार्यवाही करके मुकदमें चला दिये जाते हैं और यह कहा जाता है कि यह जो भूमिहीनों को पट्टे किये गये हैं, यह पट्टे गैर कानूनी ढंग से हैं या टेक्नीकल ढंग से सम्पूर्ण नहीं हैं, पूरी खानापूरी नहीं हुई है, और मुकदमें चला दिये जाते हैं। उन मुकदमों में, गांव के लोग और जितने भूमिहीन हरिजन पट्टेधारी होते हैं, उनको-सबको उस मुकदमें में भागीदार बनना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इसमें जानकारी पूरी की जाय कि आखिर माल विभाग के कर्मचारी ही पहले पट्टे करते हैं और बाद में माल विभाग के ही कर्मचारी ''सुओ-मोटो'' की कार्यवाही करके मुकदमे चलाते हैं, ऐसा क्यों है? मान्यवर, जिन स्थानों पर टेक्नीकल ग्राउंड पर पट्टे गलत हो गये हैं, वहां पर यह निर्देशित होना चाहिए कि टेक्नीकल ग्राउंड के ऊपर किये गये पट्टों को खारिज न किया जाय। और उनकी खानापूरी कराकर कि ये पट्टे बरकरार रखे जायं उनको इस बात के लिए आदेशित किया जाय कि आगे चलकर उन्हीं लोगों को पट्टे कर दिये जायेंगे।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मुझको समय और मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री भगवती सिंह विशारद–

गांव समाज की भूमि पर जो 115 के मुकदमें चलाये जाते हैं, उसमें जो आदमी पहले से काब्जि रहता है, जब वह मुकदमा हार जाता है, तो वह अपने ही परिवार के किसी आदमी को कब्जा देकर उसका कब्जा दिखा देता है और 4–6 साल तक मुकदमा लड़ता रहता है, यदि वह पुनः हार गया तो फिर तीसरे आदमी का कब्जा दिखा देता है। आप इस कानून में संशोधन करके सुधार करायें ताकि भूमिहीन हरिजन को जो जमीन मिली हुई है, मिली रहे।

श्री लल्लू सिंह चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुग्रहीत हूं कि राजस्व के बजट पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

राजस्व विभाग, यदि यह कहा जाय कि भू-राजस्व विभाग है, तो अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि इनकी जिम्मेदारी जमीन की व्यवस्था से सम्बधित है। सारा राजस्व विभाग, यदि यह कहा जाय राजस्व विभाग भूमि व्यवस्था में लगा रहता है और जो लगान की वसूली होती है, उसमें लगा रहता है, दैवी आपदाओं की व्यवस्था में लगा रहता है। इसके अलावा कोई काम यह कम ही करते हैं।

अब भूमि से सम्बन्धित काम यह राजस्व विभाग कितना करता है। भूमि की व्यवस्था से सम्बन्धित बहुत कम काम यह करता है। आवंटन के मुकदमे एस0 डी0 एम0/ए0 डी0 एम0 के यहां चलते हैं। इस प्रकार, तहसीलदार, ए0 डी0 एम0 और एस0 डी0 एम0 इन तीन आदमियों के यहां आवंटन और अनियमितताओं के मुकदमे चलते हैं। इनको दूसरे ही कामों से फुरसत नहीं है। वर्ष 1972-73 तक के पट्टों की अनियमितताओं के मुकदमे अभी चल रहे हैं, दस-दस साल हो गये। गरीब हरिजन ने मुकदमा दायर किया, फैसला आज तक नहीं हुआ। कोई प्रभावी नीति अपनाइए ताकि भूमि आवंटन और अनियमितता से सम्बन्धित मुकदमा हो तो अधिक से अधिक एक साल में तय हो जाय क्योंकि गरीब आदमी में इतना साहस नहीं है। मैं अपने जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे जिले में ''धनगर'' एक जाति है, जो कि गड़रिया कहलाते हैं। इसी प्रकार मिर्जापुर पूर्वांचल में एक जाति है–''धांगर'', अंग्रेजी में दोनों की स्पेलिंग एक ही है। हमारे यहां के एक ''धनगर'' ने उसी गजट के एक्सट्रैक्ट की एक ''ट्रू कापी'' लगाकर हरिजन बनकर जमीन ले ली, 7 साल पहले जब यह बात मालूम हुई तो कलेक्टर ने उसको हरिजन नहीं माना और सर्टीफिकेट ''विद ड्रा'' कर लिया, लेकिन कमिश्नर के ''स्टे'' पर वह जमीन उसी आदमी के पास चली आ रही है, ग्राम समाज को ''पजेशन'' नहीं मिला। ऐसे अनेकों मामले सामने आये हैं, जिसमें अपात्र लोगों को, जिनको पट्टा किसी कीमत पर नहीं मिलना चाहिए था, उन्होंने पट्टे लिए

हैं और कानून की आड़ में, कमिश्नर और बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा इस प्रकार स्थगनादेश लेकर कब्जा किये हुए हैं, जिलाधिकारी और एस0 डी0 एम0 असहाय हैं। जमीन की अपने प्रदेश में कमी है, जब कि भूमिहीन, बेरोजगार और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। यह संकट हर गांव में है कि लोग जमीन की इच्छा रखते हैं, लेकिन जमीन मिलती नहीं है। सन् 1952-53 में जब जमींदारी एबालीशन हुआ, तो हजारों एकड़ जमीन वन विभाग को ट्रान्सफर कर दी और फिर उस जमीन पर एक भी पेड़ आज तक नहीं लगाया गया। मेरी जानकारी है कि मैनपुरी में 10 हजार एकड़ जमीन पर जहां हजारों और लाखों पेड़ लगाये जा सकते थे, लेकिन वहां एक भी पेड़ नहीं लगाया गया। यदि वह सारी जमीन भूमि प्रबन्धक समिति को मिल सकती तो भूमिहीनों की समस्या का कुछ समाधान हो गया होता। पर ऐसा नहीं हुआ।

माननीय राजस्व मंत्री जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिये आपने बड़ी-बड़ी जमीनें दीं, अब उनकी समस्या सुलझ गयी है, आप उन जमीनों को डिनोटीफाई कीजिए। इसके अतिरिक्त आप एक बात की और जानकारी करें कि जो तहसील स्तर पर वसूली की जाती है और सेल्स टैक्स की वसूली की जाती है, इन दोनों वसूली में कितने परसेन्ट का अन्तर है? आप सेल्स टैक्स वसूल करने में कितने परसेन्ट कामयाब होते हैं और राजस्व के लगान की वसूली में कितने परसेन्ट कामयाब होते हैं। मुझे मालूम है कि कि कोई भी व्यापारी, जब तक उसके खिलाफ कार्यवाही न की जाय, सेल्स टैक्स नहीं देता है और इस तरह से हजारों और लाखों रुपये आप वसूल करने से वंचित रह जाते हैं जबकि राजस्व के लगान की वसूली न होने से आप बेचारे गरीब किसान को 14 या 15 दिन के लिए जेल में रखते हैं और व्यापारियों से लाखों रुपया वसूल नहीं कर पाते हैं।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि भूमि आवंटन का बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। आप इसके लिए एक कमेटी बनाइये जिसमें न तो आपका लेखपाल हो, न नायब तहसीलदार हो और न तहसीलदार हो, उसमें वही हो जो सही माने में जमीन के महत्व को समझे और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वह समिति काम कर सके। लेकिन आप इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करते नहीं हैं। समिति का बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीनाथ सिंह–

अधिष्ठाता जी, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और क्षमा चाहता हूं कि मैं बैठ कर बोलूंगा।

जैसा कि मंत्री जी ने कहा, यह सही है कि यह बहुत ही पुराना विभाग है और इस देश की रीढ़ की हड्डी है यह विभाग । इसके साथ ही मैं चन्द शब्दों में कुछ सुझाव दूंगा और साथ ही साथ बनारस के सम्बन्ध में दो-एक शब्द कहूंगा। हमारे यहां के सभी विधा-

यकों ने लगान के बारे में लिख कर दिया है कि जो आप लगान स्थगित करते हैं उससे बोझ और बढ़ जाता है। जो लगान का हिस्सा आता है उसे आप दैवी आपदा के कारण एक साल माफ कर देते हैं और फिर दूसरे साल उसे वसूल जब करते हैं तो वह बहुत ही बेरहमी से वसूल किया जाता है। हमारे क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है। कम से कम 25–30 साल से मैं बराबर देख रहा हूं कि वहां बाढ़ आती है, नतीजा यह होता है कि एक साल का स्थगित लगान फिर दूसरे साल वसूला जाता है और जिस बेरहमी से वह वसूला जाता है वह अपने आप में बेमिसाल है। तो मेरा निवेदन है कि हो सके तो उस लगान को आप माफ ही कर दें या फिर हर साल उसकी वसूली कर लिया करें।

दूसरी बात यह कि मैं अपने जिले के दौरे पर गया तो देखा कि यह आवंटन के नाम पर मखौल है, केवल कागज पर पट्टे हैं गरीब आदमी, हरिजन आदमी पट्टा लेकर घूमता है। उसकी स्थिति ऐसी है जैसी कि कुत्ते की गरदन पर बंधा पट्टा जिसका कोई अर्थ नहीं है। जिसका पट्टा किया जाता है, वह जमीन कहां है। कटौती का प्रस्ताव करने वाले सदस्य ने कहा कि उसको फोटो दे दी जाये कि वह जमीन एक्जिस्ट करती है या नहीं, या कागजात पर ही है। यह बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि प्रायः जमीन कागजात पर ही आवंटित है मौके पर नहीं।

मान्यवर, अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जमींदारी तो आपने समाप्त कर दी लेकिन अब चकबन्दी ले आये हैं। चकबन्दी में ए0 सी0 ओ0 से लेकर डी0 डी0 सी0 तक हैं सभी लोग जिनके पास पैसा है उनके चक ठीक बना दिए जाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है उनके चक खराब काट दिए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का चक 1 हजार फिट लम्बा और 2-3 लाठा चौड़ा बना दिया गया है, उसकी चक-बन्दी करने से क्या फायदा है। मेरा निवेदन है कि माननीय राजस्व मंत्री जी जिलों का दौड़ा लगाया करें। राजस्व मंत्री जी 2-3 साल से वहां (वाराणसी में) कितनी बार गये हैं और अधिकारियों से बात भी किये हैं? मंत्री जी के जिलों में जाने से निश्चित रूप से लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। इस प्रकार अधिकारियों द्वारा जिन पर अन्याय होता है, उनसे उनको राहत मिलती है।

मान्यवर, अब मैं सीलिंग की बात कहना चाहता हूं। हम शहर में बड़ी-बड़ी जमीनें देखते हैं, पता नहीं वह कैसी जमीनें हैं। सीलिंग 12 विस्वा या 13 विस्वा की है, लेकिन 12 बीघा 25 बीघा जमीन सीलिंग से कैसे छूट जाती है? माननीय अधिष्ठाता महादय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस सदर तहसील को हटाकर 15–20 किलो मीटर दूरी पर ले जा रहे हैं। उसको वहां से न हटाया जाये। सरकारी विभागों की बढ़ोत्तरी हो रही है, विभागों के बढ़ाने से सरकार पर बोझा ही पड़ेगा। आपको तहसीलों को भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि बनारस तहसील को वहां से न हटाया जाये, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। शहरों में जो जमींदारी है उसका उन्मूलन कर दिया जाये तो बहुत अच्छा

होगा । इसकी वजह से बहुत परेशानी हो जाती है। आप का जो लेखपाल है वह राज्यपाल की तरह होता है, उस के कारण बहुत से झगड़े हो रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

श्रीमन्, आपने राजस्व विभाग के बजट पर बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए और माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा जनपद बस्ती बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित रहता है। घाघरा से लेकर राप्ती और बूढ़ी राप्ती पूरे जिले को तबाह किए हुए है। मेरा क्षेत्र डुमरियागंज बाढ़ से पीड़ित हो जाता है। बाढ़ में सड़कें काट दी जाती हैं, जो नावें बाहर से आती हैं वह ट्रक पर दूर खड़ी रहती हैं, मौके पर नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए नावों के मंगाने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, नावों के न होने से लोग बाढ़ की विभीषिका से तबाह हो जाते हैं। और उसका कोई फायदा नहीं होता है। आप हमारे जिले से आंकड़े मंगाकर देख लें। आप वहां पर हर साल नावें मंगाने में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और कहीं पर यह भी होता है कि नाव भेजने की तमन्ना होते हुये भी आप उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इन नावों को वहां भेजने पर कितना आपने खर्च कर दिया है उसको आप देख लें। उतने की आप नाव खरीद कर प्रत्येक गांव को दे सकते हैं और इससे उनका संकट भी दूर हो सकता है। इसलिये आप देखें कि किस तरह से इसकी व्यवस्था हो। हमारे यहां 600 गांव मैरून्ड हुये थे लेकिन केवल दो सौ गांवों को ही राहत सामग्री पहुंचाई गई और वह भी केवल दस-दस किलो तक ही दी गई। मैंने इसके पूर्व भी सन् 1979 में यह मामला तत्कालीन राजस्व मंत्री को दिया था और आपके पुरी साहब उसकी जांच के लिए हमारे यहां गये थे। मैं भी उनके साथ गया था। मेरी निश्चित जानकारी है कि उन्होंने अधिकारियों की जांच आख्या आपको भेज दी थी किन्तु वह रिपोर्ट दबा दी गई। कोई आज तक कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हुई।

सन् 1956-57 में मेरी तहसील डुमरियागंज में चकबन्दी हुई थी। लेखपाल, कानूनगो आदि लोग उस जमाने में वहां गये थे और डुमरियागंज की शोहरत को देखकर गये थे। उस समय वे वहां पर अपनी बीबियों को सवांरने के लिये गये थे और पैसा कमाने के लिये गये थे। आज जब 20 साल के बाद पुनः चकबन्दी का काम वहां पर शुरू हो रहा है और पुनः वे अधिकारी वहां गये तो इस बार अपनी पतोहू को संवारने के लिये गये हैं। मान्यवर, मुझे ताज्जुब है कि एक मिस्टर अशफाक हैं जो मुबारकपुर में पैदा हुये थे और आज उसी तहसील में वे सी0 ओ0 के पद पर विराजमान हैं। एक ए0 सी0 ओ0 मारकण्डे दुबे हैं, जिनके खिलाफ भी रिपोर्ट आई है किन्तु वह रिपोर्ट भी दबा दी गई। यह सब आज हो रहा है। आज ही मेरे सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया कि जांच रिपोर्ट्स का परीक्षण हो रहा है। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं समझता कि कौन सी प्रयोगशाला में आप उनका परीक्षण करवा रहे हैं। जब जांच रिपोर्ट आ गई है तो उस पर आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चकबन्दी में हमारे यहां नहरें निकाली जा रही हैं। नियमों में यह है कि 10 प्रतिशत तक जो जमीन निकले वह तो चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है लेकिन जिनकी 10 प्रतिशत से अधिक है उनके लिये आप कह रहे हैं कि कानून में तबदीली करनी पड़ेगी उसे राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा। मैंने इसके बारे में कई बार कहा लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। तो इस तरह से क्या फायदा होगा। आप इस ओर भी कार्यवाही करें।

इसके अलावा यदि आप नालों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो सब्सिडी दे दें और उसकी घोषणा कर दें। आप कहते हैं कि सब्सिडी है, लेकिन हमारे बस्ती में सब्सिडी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कोई बी0 डी0 सी0 नहीं है। एक बाबूलाल थे, उनका ट्रांसफर हो गया और दूसरे को भी मुख्य मंत्री जी ने यहां बुला लिया। मैंने दो-तीन पत्र आपको भेजे। मेरा आपसे निवेदन है कि जो सही बात हो उसे आप करें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जब जांच रिपोर्ट उनके विरुद्ध आपके पास आ गई है तो उन पर कार्यवाही करें। मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री माधव प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राजस्व अनुदान पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, राजस्व विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग इस प्रदेश का है जिसका सीधा सम्बन्ध गांवों की जनता से है। हमारी सरकार ने इसके तहत गरीबों को भूमि दिलाने उनके लिए आवास की व्यवस्था कराने के लिए सन् 75 से लेकर आज तक अभियान चलाया है और सन् 81 में लगभग 2,78,292 एकड़ जमीन वितरित कर दी गई। और उन व्यक्तियों को वितरित की गयी है जो ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन अनुसूचित जाति और निर्बल वर्ग के लोग हैं। लेकिन श्रीमन्, इसमें कुछ कमियां हैं। जिनको जमीन मिलनी चाहिए, उन्हें कब्जा नहीं दिलाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो यह भूमि के आंकड़ों की पुस्तक मिली है, इसकी जांच करने के लिए ऐसी कमेटी बनाई जाय, जिससे मालूम हो सके कि कितनी जमीन पर कब्जा दिलाया गया और कितनी जमीन में नहीं दिलाया गया। यद्यपि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश कानून 1950 में गरीबों के लिए, मछुवारों के लिए, धोबियों के लिए प्राविधान नहीं था अब उसके अन्तर्गत 198(1) में प्राविधान करके काफी सहूलियत इन लोगों को दी है। मछुवारों और धोबियों को तालाब देने का प्रबन्ध किया गया है। इसके अलावा मेरे कुछ सुझाव हैं, माननीय मंत्री जी उनको कृपया सुन लें। यह जो नदियों के कछार की जमीनें हैं यह लाखों एकड़ में है। जिन पर बड़े बड़े आदमी कब्जा किए हुए हैं। इस जमीन को गरीबों में आवंटित करने के लिए सर्वेक्षण कराया जाय और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको दिया जाय।

दूसरा सुझाव यह है कि आपके अधिनियम के अन्तर्गत समरी ट्रायल की व्यवस्था है अभी तक इसमें एक व्यक्ति को पट्टा दे दिया जाता है लेकिन बड़े

आदमी उसके खिलाफ हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में चला जाता है। तो इसमें हम चाहते हैं कि इस समरी ट्रायल में परिवर्तन हो और इसकी पहली अपील जिलाधिकारी के पास और दूसरी अपील कमिश्नर तक हो। इससे यह होगा कि जो गरीब पट्टे पाये हैं उनको सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तीसरा सुझाव यह है कि पुरानी आबादी का सर्वेक्षण कराया जाय और उसका पुनः बन्दोबस्त कराया जाय। बहुत सी आबादी शहरों में है जो नजूल की जमीन पर कब्जा किये हैं। इसी तरह से गांवों में भी है। ऐसी जमीन पर सरकार कब्जा करे और उसे गरीबों को बांटा जाय, उनको इसमें आबाद किया जाय।

इसके अलावा जो विरासत की जमीन है जिसमें अक्सर हत्यायें हो जाती हैं। लोग जायदाद के लिए मार देते हैं और विधवा को जमीन नहीं मिल पाती है और भाई भतीजे ले लेते हैं। तो इसमें यह प्राविधान किया जाय कि जहां पर हत्या का मामला हो वहां वह जमीन वारिस को मिलनी चाहिये और भाई-भतीजे को नहीं मिलनी चाहिये। यह जो गांव सभा की जमीन है वह राजस्व परिषद् की कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। उसमें परिवर्तन किया जाय। यह जो राजस्व परिषद् है तोड़कर निदेशालय बनाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बाबू सिंह–

मान्यवर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस राजस्व विभाग जैसे मुख्य विभाग पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत कोशिशों के बाद भी आज आपके विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, उतना दूसरे महकमों में नहीं है। आपके इस महकमे का सीधा सम्बन्ध गरीब जनता से है और गांव में रहने वाले से है। आपके महकमें में जो नीचे का कर्मचारी पटवारी है वह एस0 डी0 एम0 और तहसीलदार का दलाल बना हुआ है। आपके यहां जो दाखिल खारिज का तरीका है, वह ठीक नहीं है। हम जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उसका दूना और तिगुना सब-रजिस्ट्रार लेते हैं और उसके बाद दाखिल खारिज के लिये बहुत बड़ी फीस लेते हैं बल्कि एक चौथाई कीमत जमीन का बैनामा और दाखिल खारिज में खर्च हो जाती है। इसलिए सुझाव है कि जमीन खरीदने के बाद एक समय निश्चित कर दें कि इतने दिनों बाद जमीन का दाखिल खारिज होना जरूरी है और दाखिल खारिज की कापी खरीददार के पास पहुंचा दी जायेगी।

इसमें मेरा एक और सुझाव है कि बैनामे करने के लिए लाइसेंसी नहीं होने चाहिये बल्कि वह सरकार के पेड कर्मचारी होने चाहिए। जिससे सरकार का उन पर अंकुश रहे और गलत बैनामे नहीं कर सकेंगे और वह लोग जिम्मेदार होंगे।

मान्यवर, आपके यहां चकबन्दी का विभाग महत्वपूर्ण विभाग है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज चकबन्दी में हम जानते हैं कि सभी लोग ईमानदार नहीं होंगे। आपके यहां पी0 सी0 एस0 को डिप्टी डाइरेक्टर और सी0 ओ0 बना देते हैं जिससे चकबन्दी विभाग के जो एस0 ओ0 सी0 ए0 सी0

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

ओ0 होते हैं उनको परेशानी उठानी पड़ती है। आपके विभाग में जो प्रोमोशन का तरीका है वह ठीक नहीं है और उससे आपके विभाग के लोग डिमोरेलाइज हो रहे हैं, इसलिए विभाग के लोगों को सी0 ओ0 और डिप्टी डाइरेक्टर तक प्रोमोशन मिलना चाहिए। मेरी जानकारी में है कि 23-24 सालों से जो लोग ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहे हैं, आज वह ए0 सी0 ओ0 और एस0 ओ0 सी0 ही बने हुए हैं। जिससे उनको निराशा होती है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप इस विभाग में लोगों को तरक्की का अवसर प्रदान करें।

मान्यवर, हमारे पूर्व वक्ता सदस्य ने बाढ़ के संबंध में जिक्र किया तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारी जहां बाढ़ आती है वहां जाते हैं और ऐलान करते हैं कि लगान माफ होगी और उसके बाद वह मुल्तवी कर दी जायेगी जिससे बाढ़ के क्षेत्रों में लगान बढ़ती जाती है और फिर उसके बाद वह सब लगान उन किसानों से बेरहमी से वसूल की जाती है। जो उन किसानों के लिए देना कठिन हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर आप लगान मुल्तवी करें और माफ करने का ऐलान करते हैं वहां आप जांच करायें कि जहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इकट्ठा लगान लोगों से वसूल करते हैं, उसको रोकें और माफ कर दें तो अच्छा होगा।

मान्यवर, पिछले साल भी कहा था कि हमारे गांव सुनहरा तहसील अतरौली में हरिजन की जमीन पर एक भूतपूर्व प्रधान, सोनपाल, ने कब्जा कर लिया, यहां तक कि उस जमीन पर हरिजन विभाग द्वारा एक कुआं भी बनवाया गया था जिस पर प्रधान ने कब्जा कर लिया और उस हरिजन ने एस0 डी0 एम0 को दरख्वास्त भी दिया है किन्तु एक साल के बाद भी कोई उसकी सुनवाई करने वाला नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती महारानी दोहरे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने इस बजट पर बोलने का सुअवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और प्रस्तुत बजट है उसका मैं सहृदय समर्थन करती हूं।

(इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मैं मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र लखना, विकास खण्ड चकरनगर की ओर दिलाना चाहती हूं, जिसको चम्बल की घाटी के नाम से भी पुकारा जाता है। जिस वक्त जमींदारी प्रथा चल रही थी, उस समय वहां के गांवों की जमीन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी गई थी। उसमें यह कह दिया था कि यह जमीन आपकी होगी। वह जमीन इस तरह की है, जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। उसके ऊपर अनुसूचित जाति के लोग पचासों वर्ष से जोतते चले आ रहे थे, लेकिन वन विभाग का कार्य उस क्षेत्र में तेजी से चला और जो जमीन थी उसकी नापतौल की गई तो उनकी जमीनें वन विभाग की सीमा के अन्दर ले ली गईं। इससे वहां पर अनुसूचित जाति के किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है, उनके पास कोई जमीन के कागज नहीं हैं और उनकी जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करती हूं, क्योंकि हमारे देश

की प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश का शासन स्वयं सीलिंग की जमीन और अन्य जमीनें इस शोषित और पीड़ित वर्ग के अनुसूचित जाति के लोगों को दे रही हैं और उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह समस्या है, इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर पूरा ध्यान दें और इटावा जनपद के निर्वाचन क्षेत्र लखना के अन्तर्गत विकास खण्ड चकरनगर के इन अनुसूचित जाति के किसानों को बर्बाद होने से बचावें, जिनकी जमीन वन विभाग छीन रहा है।

मान्यवर, मैं दूसरी बात महेवा विकास खण्ड के बारे में कहना चाहती हूं, जहां पर इस समय चकबन्दी हो रही है और वहां पर किसानों की खुली लूट की जा रही है। जिनकी एक एकड़ जमीन है उनको दो एकड़ और जिनके चार एकड़ जमीन है उनको दो एकड़ दी जा रही है। इस ओर भी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि वह वहां समुचित आर्डर भेजें। सरकार ने निर्णय लिया है कि गांवों का सर्वांगीण विकास करना है। इस चकबन्दी के द्वारा कई स्थान ग्राम-वासियों के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए रोके जाते हैं, जिसमें गांव के लिए रास्ता, गूल और पार्क आदि बनाये जाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन संबंधित विभागों के पास भी सूचना जानी चाहिए कि इस जगह पर चकबन्दी की जा रही है। जहां पर इन जुड़े हुए विभागों द्वारा कार्य को किया जा रहा है, उसके द्वारा उसकी चकबन्दी कार्य खत्म होने के बाद उसको चलाया जाए और जहां चकबन्दी होनी है, वहां पर इस कार्य को रोका जाए। इसके साथ मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जो चकबन्दी हो रही है, जो हमारी सरकार ने यह बीड़ा उठाया था कि जो 40 प्रतिशत से नीचे के गरीब और जो शोषित हैं उनको, ऊपर उठाना है, इसलिए उनको सीलिंग की जमीन दी जाए। इसलिए निवेदन करना चाहूंगी कि जनपद इटावा में 3 ब्लाकों में जो चकबन्दी का कार्य चल रहा है, वहां से निकली हुई फालतू जमीन, सीलिंग की जमीन सार्वजनिक कार्यों -ग्राम पंचायत भवन, पार्क आदि के लिए छोड़कर शेष जमीन गरीबों में आवंटित की जाए।

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान अजीतमल और महेवा ब्लाकों के ग्रामों की ओर दिलाना चाहती हूं, जहां पर सवर्ण लोग भी चाहते हैं कि गरीबों को जमीन मिल जाए, लेकिन विभाग के अधिकारी उसे नहीं मिलने दे रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार तो नहीं कहूंगी वह शिष्टाचार के कारण उन्हें नहीं मिल पा रही है। इस समस्या को मैंने जनपद की बीस सूत्रीय समिति की बैठक में भी उठाया था, जिलाधीश ने उसमें आदेश भी दिया था और उनका परिपत्र भी आया था। मैंने उसमें मांग की थी कि जब वह भूमि आवंटित की जाए तो उस समय मैं भी उपस्थित रहूं। उसके बाद जब जिलाधिकारी ने परिपत्र भेजा कि परगना अधिकारी सम्पर्क करें, लेकिन आज तक मुझसे किसी ने सम्पर्क नहीं किया। मेरा निवेदन है कि यह जो चकबन्दी है इससे गरीबों का उद्धार हो सकता है, गांव का सर्वांगीण विकास हो सकता है, अतः इस ओर माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें और ऐसे आदेश दें कि चकबन्दी के बाद ग्रामीणों को नाना प्रकार की समस्याओं में फंसना न पड़े। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

[4 बजकर 20 मिनट पर]

श्री अध्यक्ष–

क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिये 5-5 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, जो यह पुनर्वास के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने मांग रखी है इसमें तो कोई कटौती होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों ही मंत्री पुनर्वासित किये गये हैं–एक कफाल्टा काण्ड की वजह से और दूसरे मुरादाबाद में हुए काण्ड की वजह से। (व्यवधान)

मैं अब 4-5 सुझाव देना चाहता हूं। आपके यहां कलेक्शन के लिए नायब तहसीलदार कलेक्शन, साधारण नायब तहसीलदार और पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आने वाले तहसीलदार का एकीकरण हुआ है जिसके कारण इनमें बड़ा वाद-विवाद चल रहा है। मेरा सुझाव है कि इसे आप शीघ्र निपटाने की कृपा करें।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में कलेक्शन का काम बहुत बढ़ गया है। जो अमीन इस काम को करते हैं उनके पास इतना काम बढ़ गया है कि वे सही अंजाम नहीं दे सकते और काम नहीं हो पाता है। बैंकों के एरियर के कलेक्शन का काम भी आपने उनको दे रखा है। जितने भी एरियर्स और होते हैं वे सभी एज लैण्ड रेवेन्यू वसूल किये जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि अमीन और लेखपालों की सर्विसेज को इन्टीग्रेडटेड करके उसी में खतौनी और जमाबन्दी कर दी जाये ताकि काम हो सके। एक सुझाव यह है कि आपकी जमाबन्दी हर साल होती है और खतौनी हर तीसरे साल होती है। इसलिए जमाबन्दी भी 3 साल के लिए बनायी जाये और खतौनी में जो इन्ट्री हो वही जमाबन्दी में भी हो जाया करे और एक ही आदमी के पास यह दोनों चीजें रहें। अलग-अलग रहने से कठिनाई होती है।

एक बात और लगान फिक्सेशन के बारे में कहना चाहता हूं। आजकल इर्रीगेटेड लैण्ड पर आप 10 रुपये प्रति एकड़ से लेकर 20 रुपये प्रति एकड़ तक लगान क्लास आफ स्वायल के हिसाब से फिक्स करते हैं। नान इर्रीगेटेड लैण्ड पर 6 रुपये से 10 रुपये तक क्लास आफ स्वायल के हिसाब से लगान फिक्स करते हैं। यह जो क्लास आफ स्वायल या क्वालिटी आफ लैण्ड का तरीका आपका है वह 50 साल पुराना है जो आज भी चला आ रहा है। आज काफी विकास हो गया है, इसको देखते हुए तथा यह देखते हुए कि जमीन की ताकत खाद, पानी और बीज पर डिपेन्ड करती है, मेरा सुझाव है कि इसका रिसर्वे कराया जाये।

जहां तक सीलिंग का काम है, इसमें मुकदमेंबाजी बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण यह इनइफैक्टिव हो गयी है। इसमें एक सुझाव मेरा यह है कि जब आप सीलिंग की जमीन का बांटे तो उसमें ग्राम समाज के प्रस्ताव को भी शामिल कर लें, बजाये इसके कि तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 जमीन का वितरण करें। इससे सही पात्रों को जमीन मिल सकेगी। तो उसको ग्राम समाज में शामिल कर लें तो अच्छे पात्र व्यक्तियों की लिस्ट बन जायेगी। एक बात यह कहना चाहता हूं, रेवेन्यू कोड बिल के सम्बन्ध में। मंत्री जी इसमें 4-5 मंत्री तो चले गये लेकिन आपसे मैं निवेदन

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

करूंगा कि आप अपने समय में इसका इनैक्टमेन्ट करा दें। सारे हिन्दुस्तान में इसका बड़ा शोर था कि 26 इक्जिस्टिंग एक्ट रेवेन्यू और लगान से मुतालिक सबको कन्सालीडेट करके एक एक्ट बनाया जा रहा है। यह कदम पूरे हिन्दुस्तान में किसी प्रदेश में नहीं उठाया गया है। लेकिन चूंकि उसके अन्दर राजस्व परिषद् को समाप्त करने की बात कही गयी है इसलिए राजस्व परिषद् के सीनियर मेम्बर, राजस्व विभाग में जो मोनोपली बनाये हुए हैं, इसको होने नहीं दे रहे हैं। रेवेन्यू कोड बिल का इनैक्टमेंट आप अपने समय में करायें।

दूसरी चीज मंत्री जी ने कहा कि भूख से कोई नहीं मरा। मंत्री जी भूख से तो नहीं लेकिन ठंड से तो मरे। पहाड़ पर लोग बर्फ पड़ने से मरे। ठंड से मरने वालों के लिए लकड़ी अथवा आग की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मंत्री ने तीन सही एक बटा आठ एकड़ के लगान की छूट कर रखी है, वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं। आपके राजस्व का जो कलेक्शन बढ़ा नहीं है। सेल्स टैक्स है, अब तो शराब खुली है, चाहे जितना रुपया चाहे ले लें। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर इनपुट और कास्ट आफ प्रोडक्शन के हिसाब से किसानों को दाम नहीं मिल पाता है। जिस इनपुट और कास्ट आफ प्रोडक्शन से मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए सवा छः एकड़ तक को आप लगान से इग्जम्प्ट कर दें। इससे बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन शासन की और आपकी वाह-वाह बहुत होगी। एक चीज और कह कर खत्म करता हूं। इस माननीय सदन में संकल्प के जरिये यह तय किया गया था कि जो प्राइवेट बाजार और हाट हैं जिसके जरिये किसानों का इक्सप्लायटेशन होता है, उसको टेकओवर किया जायेगा। इस सदन का सम्मान करते हुए, उसको आप टेकओवर करें।

एक चीज यह कहना चाहता हूं कि रायबरेली में दो तहसील नई बनी हैं। उत्तर प्रदेश में 5 तहसील बनीं। मंत्री जी अपने उत्तर में बता देंगे कि जब पूरे सूबे में 5 तहसील बनीं तो फिर अकेले रायबरेली में दो तहसील बनाने का क्या आधार है। कितनी आबादी है और कितना रेवेन्यू है इसको बता देंगे। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चकबन्दी रूल्स के हिसाब से एहतमाली गांव की चकबन्दी नहीं हो सकती है लेकिन यह 50 साल पुराना सेटिलमेन्ट है। आज विकास कार्य होने के कारण काफी विकास हो गया है। इसका सर्वे कराया जाय और जिस गांव में 75 प्रतिशत भूमि चकबन्दी योग्य हो, वहां पर एहतमाली गांव होने के बावजूद भी चकबन्दी कराई जाय। एक बात यह कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह का नाम लिया गया। आप कभी मत भूलियेगा उत्तर प्रदेश के अन्दर दो काम ऐसे हुए हैं जिससे ग्रामीण जनता का बहुत लाभ हुआ है। एक जमींदारी विनाश अधिनियम और दूसरा चकबन्दी और दोनों का श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। इसमें आपने कुछ नहीं किया है।

श्री गोवर्धन तिवारी–

माननीय राजस्व मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया उसके समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरुद्ध में मैं खड़ा हुआ हूं। किन्तु अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, गढ़वाल, चमौली के गैर जमींदारी विनाश खतौनी के खाता नम्बर 4 के 54 हजार से ज्यादा खातेदारों के साथ जो ज्यादती हुई है, उसके सम्बन्ध में आपके द्वारा आदरणीय सदन और मान-

नीय राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1872 में भूमि बन्दोबस्त हुआ था कुमायूं कमिश्नरी का, जिसको विकट बन्दोबस्त कहते हैं। काश्तकारों की सारी जमीन नाप ली गयी और उसको दो श्रेणी में विभक्त किया गया। एक पड़त भूमि और दूसरी बेपड़त भूमि। पड़त भूमि वह कहलाई, जिसमें लगान फिक्स किया गया और बेपड़त भूमि वह कहलायी जिसमें लगान नहीं फिक्स हुआ। लेकिन जहां तक भूमि पर राइट का सवाल था दोनों में कोई अन्तर नहीं था। जो अधिकार पड़त वाली जमीन पर लोगों को था, वही अधिकार बेपड़त भूमि में भी था। लेकिन जब दूसरा बन्दोबस्त 1956 और 65 के बीच में हुआ, उसमें सेटेलमेंट के जो अधिकारी थे, वे वहां के लाज को ठीक से जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने बेपड़त की जमीन में जितने भी हिस्सेदार थे, उन सबका भूमि से स्वामित्व खत्म कर दिया और उस जमीन का स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार में निहित कर दिया यानी उत्तर प्रदेश सरकार को हिस्सेदार बना दिया और उनको सिरतान यानी आसामी बना दिया और जो 84-85 साल से उस भूमि पर हिस्सेदार थे, उनको उससे वंचित कर दिया गया। उनको पूरा अधिकार बेपड़त की अपनी जमीन के बेचने, रेहननामा करने व बख्शीशनामा करने आदि का उससे पहले था यानी सन् 56 से पहले, तत्पश्चात् इस अधिकार से टोटली बे वंचित रह गये। अब वे खाली असामी ही रह गये।

इस भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में विसंगति पैदा हुई, इस सेटेलमेन्ट से। यानी 1956 और 65 के सेटेलमेन्ट से जो भूस्वामित्व सम्बन्धी विसंगति पैदा हुई, उस ओर डी0एम0, पिथौड़ागढ़, डी0 एम0 अल्मोड़ा, डी0 एम0, नैनीताल तथा कमिश्नर कुमायूं ने उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि यह भूल हो गयी है, उनको भूमिधरी राइट मिलना चाहिए। गैरजमींदारी विनाश खतौनी खाता नं0 4 में 56 हजार से ज्यादा जो जोतदार हैं, उनको भूमिधर घोषित किया जाय। यह उन्होंने लिखा है। आडिट दल ने तहसील अल्मोड़ा, तहसील बागेश्वर और तहसील रानीखेत का आडिट करके अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि सरकार की अनिर्णय की नीति के फलस्वरूप 54 हजार खातेदारों के कब्जे में 66 1/2 हजार एकड़ जमीन है उसका नियमितीकरण न करने की वजह से पिछले 18 साल से यानी सन् 65 से प्रति वर्ष हजारों रुपये की राजस्व की हानि उत्तर प्रदेश सरकार को हो रही है। यह आडिट पार्टी ने इसलिए लिखा कि उस जमीन का नियमितीकरण हो जाय, ताकि उस पर लगान लग जाय और सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके।

श्री अध्यक्ष—

माननीय देहलवी जी, सो रहे हैं?

श्री गोवर्धन तिवारी—

लैण्ड सेटेलमेंट कमिश्नर को आखिर में यह पता लगा कि उनके विभाग वालों ने बेपड़त खाते के हिस्सेदारों को हिस्सेदारी के हक से महरूम करके बड़ी भूल कर दी है। (व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वह सदा अमर रहेगा। ऐसा नियंत्रण कभी नहीं रहा है।

श्री गोवर्धन तिवारी—

इसलिए उसने आगे के लिए उनको

हिस्सेदार बनाये रखने का निर्णय लिया। जहां का सेटेलमेंट नहीं हो पाया था, उस इलाके के लिए, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की सेटेलमेन्ट रिपोर्ट में जो लिखा है, उसमें कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूं– "परगना काली कुमायूं की पट्टी विशुन के कुल ग्रामों की, चालसी तथा गंगोल के लगभग आधे ग्रामों की रेगड़वान व मल्ला-चाराल के लगभग एक तिहाई ग्रामों की तथा परगना पाली पराऊं, बारा मण्डल, दानपुर एवं फलदाकोट के समस्त गांवों की बेपड़त भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार के खातों में दर्ज किया गया है, किन्तु परगना काली कुमायूं की उपरोक्त पट्टियों के अतिरिक्त शेष पट्टियों के ग्रामों की बेपड़त भूमि हिस्सेदारी दर्शायी गयी है तथा उस पर मालगुजारी लगाई गयी है। बेपड़त भूमि वास्तविक कब्जेदारों को श्रेणी 4 में लिखा गया है।" इसलिए मैं विनम्र शब्दों के साथ राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त खेतौनी के जो 54 हजार खातेदार हैं, उनको भूमिधरी अधिकार घोषित किया जाय और मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इसी सदन में इस बात की घोषणा करें कि 54 हजार व्यक्तियों को भूमिधरी अधिकार दिया जायगा और जो 66 1/2 हजार एकड़ भूमि उनके कब्जे में है, उस पर लगान फिक्स किया जाय, ताकि राजस्व की जो हानि उत्तर प्रदेश सरकार को हो रही है, वह इस हानि से बचे। इन शब्दों के साथ मैं अन्त में पुनः जो राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, निम जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 2-3 बिन्दु की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा, राजस्व विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जिम्मेदारियां इसकी बहुत हैं। फिर भी काम को देखते हुए विभाग की सीमा को देखते हुए, यह देखने को मिलता है कि राजस्व विभाग के जो अधिकारी, परगनाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, हैं उन पर कार्य का बोझ अधिक है। गरीब जनता, हरिजन जिन्हें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा तथा जो पट्टे दिये गये हैं, वे न मुकदमा कर सकते हैं। उन जमीनों पर लड़ाकू कर सकते हैं। उन जमीनों पर लड़ाकू लोग कब्जा किये हैं। राजस्व विभाग के जो अधिकारी बैठे हैं, वह उस जमीन पर कब्जा नहीं दिला पाते हैं। कई वर्षों तक मुकदमें में व्यस्त रहने के बाद भी जिसके नाम पट्टा है, वह जमीन पर कब्जा नहीं पाता है।

एक बात और कहना चाहता हूं राजस्व विभाग द्वारा जब किसी प्रोजेक्ट के लिये या किसी नहर के निर्माण के लिये अर्जित कर लिया जाता है। लेकिन उन किसानों को जो पैसे का प्राविधान है, विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी के स्तर पर कई वर्षों तक कार्यवाही होती है, वही इसका लेखा-जोखा रखता है, काफी छानबीन के बाद किसानों को पैसा दिया जाता है तो कई वर्ष लग जाता है। साथ-साथ इतना कम पैसा दिया जाता है, यहां तक कि कई वर्षों तक तो काश्तकारों को पैसा नहीं मिलता है, नहर निकल जाती है, निर्माण पूर्ण कर लिया जाता है तब भी प्रतिकर नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिये हमारे टाण्डा में एक थर्मल प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है उसमें 14 एकड़ भूमि ली

गयी लेकिन काश्तकारों को पैसा काफी समय बाद दिया गया। दिया भी गया तो इतना कम पैसा दिया गया कि उनको न्यायालय में जाना पड़ा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मखदूम नगर को 10 लाख रुपया प्रतिकर के रूप में दिया जाय। 10 लाख रुपये मिला, पर काफी प्रयास किया गया तब जाकर 3 लाख कुछ हजार वितरण किया गया। और बकाया प्रतिकर की मांग की गयी, विभाग के अधिकारियों ने लिखा पढ़ी की तो सरकार ने पैसा देने से इन्कार कर दिया । यह मामला हाईकोर्ट में है । काश्तकारों की उपेक्षा जिस प्रकार से हो रही है, मैं समझता हूं कि मंत्री की पकड़ विभाग पर बहुत कमजोर है। दूसरी तरफ मंत्री जी से जब कोई प्रश्न किया जाता है तो मंत्री जी के अधिकारी जो रिपोर्ट देते हैं उसको तोते की तरह पढ़ दिया, इनको न कुछ देखना है न कुछ करना है।

मान्यवर, हमारे टांडा तहसील में कुछ अमीनों ने 70 हजार रुपया तकाबी के रूप में सन् 73 में लिया। उसमें से 2-3 सेवा निवृत्त हो गये लेकिन उसकी वसूली आज तक उनसे नहीं की गयी। काश्तकारों का 2 सौ रुपया बकाया है तो राजस्व विभाग के अधिकारी डंडा मार कर हवालात में बन्द कर देते हैं। 73 में 2 अमीनों ने मिलकर करीब 18 हजार रुपया लिया। यह कहते हैं कि बाढ़ के दौरान लगान वसूली स्थगित कर दी गयी थी इसलिए वसूली नहीं की जा सकी है। 1973 का मामला है कर्मचारी सेवा निवृत्त हो गये लेकिन उनकी वसूली यह नहीं कर पाये। हमारे किसानों के साथ वसूली के समय जिस प्रकार से इनके अधिकारी पेश आते हैं इसको हम सभी जानते हैं । मान्यवर, साथ-साथ काश्तकारों को लाभ देने के बजाये परेशान किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

एक 301 में सूचना देनी चाही वह अस्वीकार कर दी गई है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में फर्जी बैनामे किये जा रहे हैं, उनका विवरण मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करिये न।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, जनपद फैजाबाद में अकबरपुर तहसील में बरवा बैरमपुर गांव है । वहां की एक विधवा मंगला देवी है। उसकी 4 बीघा भूमि का फर्जी बैनामा दूसरी औरत को खड़ा करके करा लिया। राजस्व प्रमाण-पत्र में राजस्व दूसरा और बैनामा लिखते समय कुछ दूसरा राजस्व दिखाया गया है। पूरा फर्जी है । फर्जी तौर तहसीलदार, रजिस्ट्रार कार्यालय के लिपिक तथा मुंशी ने षड़यन्त्र के तौर पर उस विधवा की जमीन दूसरे के पक्ष में लिखदा दी जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रजिस्ट्रार को लिखा गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें।

*श्री शेर बहादुर–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी का इस चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भूमि आवंटन, निर्बल वर्ग आवास आवंटन, यह मामले 20

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूत्री कार्यक्रम के मुख्य अंग हैं। मैं एक छोटी सी चीज की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दो वर्ष हो गये ग्राम सभा के चुनाव को। 75 प्रतिशत ग्राम समाज सम्पत्ति रजिस्टर्ड प्रधानों को नहीं मिलती है । जब तक सम्पत्ति रजिस्टर्ड प्रधानों को नहीं दी जायेगी, तब तक सम्भव नहीं है कि कार्य हो सके। इसलिये मैं यह जो प्रक्रिया है, जो नियमावली है, इसमें संशोधन की मांग करता हूं । क्योंकि डेढ़ सौ वर्ग का आवासी पट्टा होता है इसमें 15 गज लम्बा 10 गज चौड़ा मकान नहीं बनता । मान्यवर, क्योंकि 21 हाथ और 25 हाथों का पिंड बनता है, उसके बाद कमरा बनता है। इसलिये इसमें डेढ़ सौ वर्ग से बढ़ा कर 200 वर्ग किया जाये। तमाम गांवों में चकबन्दी हुई है। और हरिजनों की आबादी छंटी है। इसका लेखा जोखा न होने के नाते पूर्ण विवरण न होने के नाते प्रत्येक गांव में बस्तियों में हरिजन आपस में मर-कट रहे हैं। इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। मैं केवल जो प्रतिदिन की व्यवहारिक बातें हैं उनके बारे में ही निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित अधिकारीगण इस चीज पर रहम कर दें और गरीब हरिजनों को जो कब्जा दिया जा चुका है, मेरा निश्चित मत है उसमें 60 फीसदी जमीनों पर कब्जा नहीं दिया गया है। इसलिये विवाद खड़ा है। माननीय राजस्व मंत्री, आप देखें कि शत-प्रतिशत फर्जी कब्जे दिखाकर आपको भेज दिये जाते हैं। आप उनको आगाह कर दें कि मौके पर जाकर देखें कि क्या स्थिति है। इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1982 में फैजाबाद में जलालपुर को तहसील बनाने की प्रक्रिया चालू हुई, जो राजस्व परिषद् से संस्तुत भी हो चुकी है। मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि इसमें 113 जनपद कवर हो जाता है, इसलिये मान्यवर, इसको तहसील बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)–

मान्यवर, राजस्व विभाग, जिसके उत्तर प्रदेश की आमदनी का आधा हिस्सा गांव से मिलता है, लेकिन यह विभाग गांव के लिये कुछ नहीं कर रहा है। मान्यवर, सबसे बड़ा जुल्म राजस्व विभाग छोटे-छोटे किसानों और गरीबों पर क्या कर रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो रिकवरी की जाती है, उसमें दूसरे विभागों के बकाया का 10 प्रतिशत रिकवरी वसूली की जाती है । निर्बलों, गरीबों, हरिजनों आदि से यह वसूली की जाती है। उन लोगों पर इतना जुल्म हो रहा है कि हथकड़ी लगा कर, डंडों से पीट कर ले जाते हैं और जेल में बन्द कर देते हैं। किसी गरीब को एक हजार रुपया देना है तो डेढ़ हजार रुपये रिकवरी चार्जेज होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि यह जो रिकवरी चार्जेज है, इनको घटाकर एक प्रतिशत की दर से कर दिया जाय ।

मान्यवर, चकबन्दी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बन्दोबस्त होता है, चकबन्दी होती है, लेकिन बन्दोबस्त

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाम की कोई चीज नहीं है, सिवाय भ्रष्टाचार के । चक बनाये गये हैं लेकिन एकड़बन्दी नहीं बनायी गयी है। कोई लाइन सीधी नहीं है। सारी लाइनें टेढ़ी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जैसे पंजाब और हरियाणा में 36 कर्म×40 कर्म (एक कर्म = साढ़े पांच फुट) की किश्तवार मुस्तील होती है, मेड़बन्दी होती है, उससे वहां झगड़ा नहीं होता, उसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में करने का प्राविधान करें। भूमि आवंटन कर दिया, लेकिन गरीब किसानों के पास छप्पर डालने के लिये पैसा नहीं है। राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि वे इन गरीब किसानों, हरिजनों के लिये मकानों की व्यवस्था करें । उनको सीलिंग की जमीन उपलब्ध करावें। मान्यवर, राजस्व परिषद् के मुकदमें 10-10 वर्ष लम्बित पड़े रहते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसको देखें। मान्यवर, सीलिंग के मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दे, लेकिन किसानों के पास तहसील से फिर नोटिस आती हैं। यही नहीं, पैसा लेकर ये सीलिंग की नोटिसें वापस भी हो जाती हैं। मैं चाहूंगा कि जिन किसानों के मामले उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से तय हो चुके हैं, उनको दोबारा नोटिस न भेजी जाय।

मान्यवर, इस विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसको माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार है, इसको दूर करने के लिये सबसे पहले हमारे जो लेखपाल हैं, उनका हेडक्वार्टर गांव में ही होना चाहिये। जो कानूनगो का क्षेत्र है, उनको वहीं रहना चाहिये। मान्यवर, कोई भी लेखपाल अपने क्षेत्र में नहीं रहता, शहरों में रहता है। गरीब किसानों को लेखपाल दौड़ा देता है । दस, पन्द्रह दिन, महीने भर लेखपाल मिलता ही नहीं है। खसरे में अंकित इण्ट्री फर्जी होती है। जो रिकार्ड बनाया जाता है, फर्जी बनाया जाता है। अतः मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं श्री राम स्वरूप निम जी द्वारा रखे गये इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे रिकवरी चार्जेज 10 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने, गरीबों, हरिजनों आदि के लिये मकानों की व्यवस्था करने और लेखपालों के लिये गांव में ही रहने की व्यवस्था करने की कृपा करें। गरीबों को जो भूमि आवंटित हो गयी है, उस पर मकान बनाने के लिये राजस्व विभाग ऋण दे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को बल देता हूं।

श्री राम स्वरूप निम–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन के सम्मानित इस पक्ष के सदस्यों ने और उस पक्ष के सदस्यों ने जो सुझाव दिये, उससे तो यह स्पष्ट हो गया है कि मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह बिलकुल सही है, उसे माननीय मंत्री जी मान लें। लेकिन इसके बावजूद भी मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव दूंगा। समस्यायें तो बहुत हैं। और आज इस विभाग की इतनी घिनौनी अवस्था हो गयी है, जितना भी इसके बारे में कहा जाय वह बहुत कम है। जहां हम आलोचना करते हैं, वहीं उनकी कुछ समस्यायें भी हैं। हम लेखपालों के बारे में बहुत बातें करते हैं। लेकिन जब कोई माननीय मंत्री जी वहां जाते हैं, या कोई अधिकारी वहां पर जाता है,

तो उसका प्रबन्ध लेखपाल को सौंप दिया जाता है । लेखपाल का वेतन वी0 एल0 डब्लू0 से भी कम होता है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि अभी लेखपालों ने जो हड़ताल की थी, उनके ग्रेड के बारे में आप विचार करें ।

मान्यवर, चकबन्दी के बारे में यहां पर कहा गया। आज चकबन्दी की हालत बहुत ही दयनीय है। चकबन्दी विभाग में 800 ए0 सी0 ओज0 हैं। 165 ए0 सी0 ओ0 एसे हैं, जो इस विभाग में 22-23 साल से कार्य कर रहे हैं, किन्तु उन्हें अभी तक कनफर्म नहीं किया गया है और न ही उनकी प्रोन्नति की गयी है। 228 सी0 ओ0 हैं। उनमें से 65 सी0 ओज0 एसे हैं, जिनकी सर्विस 15 साल की हो गई है, परन्तु उनकी कोई उन्नति नहीं हुई है। इसी तरह से 42 एस0 ओ0 सी0 हैं। उनमें से 21 लोगों की प्रोन्नति रेवेन्यू विभाग द्वारा की गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एस0 ओ0 सी0, ए0 सी0 ओ0 और सी0 ओ0 तथा लेखपाल की प्रोन्नति होनी चाहिए । रेवेन्यू विभाग में तो बहुत से रास्ते प्रोन्नति के हैं। इस पर आप विचार करें।

मान्यवर, अभी जनहित में पट्टे देने के बारे में बात कही गयी है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हर विभाग का लक्ष्य निर्धारित होता है, उसी प्रकार हर जिले में जिलाधिकारी एस0 डी0 एम0 लक्ष्य निर्धारित कर दें। एस0 डी0 एम0 कोर्ट के अन्तर्गत अपने इलाके के अन्तर्गत और परगना के अन्तर्गत एक लक्ष्य तक पट्टे दिये जायं। परन्तु उन पट्टों की खासियत यह होनी चाहिए, जैसाकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिसे पट्टा दिया जाय, उसको एक जोत बही भी दी जाय, उसमें एक फोटो लगा होना चाहिए और एक फोटो सरकारी रिकार्ड में लगा होना चाहिए ताकि यह मालूम हो सके कि यह पट्टा उसका है जिसे दिया गया है। इस तरह इसके बारे में हमें थोड़ी सी पहल करनी होगी। माननीय श्री गोपीनाथ वर्मा जी ने कहा था कि रोजाना फर्जी बैनामे होते हैं और फर्जी वसीयतें होती हैं, उसमें भी फोटो होना चाहिए। बैनामे की जो प्रक्रिया चली आ रही है, और हरिजनों को गोली का निशाना बनाया जा रहा है, उसमें हमें पहल करनी होगी।

मान्यवर, इसी के साथ ही मैं दैवी-आपदाओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने उसके लिये एक बजट रखा है। इससे पहले भी जब जनता सरकार थी, तो उस सरकार में राजस्व मंत्री ने जब बजट पेश किया था, तो उस समय जितने भी जिले बाढ़ से पीड़ित हैं या फिर कोई अन्य दिक्कतों से, वहां पर बजट पहले ही भेज दिया जाता था, जिससे इस तरह की कोई घटना न हो पाय। परन्तु उसे इस सरकार ने बन्द कर दिया है।

मान्यवर, उस समय कुछ नावों का प्रबन्ध किया गया था। जिस टाइम कोई आपत्ति आ जाय या कोई परेशानी आ जाय, तो उसका तुरन्त इलाज हो जाय और कोई इस तरह की घटना न हो, और जिससे लोगों की जान न जाय, इस प्रकार की हानि से बचने के लिए नावों का प्रबन्ध किया गया था। इस सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री जी को पहल करनी होगी और इसका प्रबन्ध करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो चकबन्दी चल रही है, उसमें भ्रष्टाचार है, इसके लिए एक समिति नियुक्त कर दी जाय ताकि पट्टों के बारे में और चकबन्दी के बारे में, जिस प्रकार डिस्ट्रिक्ट प्लान में आंकड़े रखे जाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी रखे जायं, जिससे कम से कम जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, वह अपनी बात कह सकें और जो जन प्रतिनिधि हैं वह अपनी बात कह सकें ताकि उनकी समस्याओं के ऊपर समाधान ढूंढा जा सके ।

श्री अध्यक्ष–

आप अब बैठें। समाप्त करें।

श्री राम स्वरूप निम–

मान्यवर, एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि पट्टों का पहले से, निर्धारण करने से पहले, मान्यवर, यह तय कर लिया जाय, यह जानकारी कर ली जाय, जिले के अधिकारियों से, किस जिले के अन्दर कितनी जमीन बाकी है और उसी के साथ-साथ दूसरी तरफ देखा जाय कि कितनों को आवास के लिये आवश्यकता है और कितनों को जोत के लिये आवश्यकता है, उनकी एक लिस्ट बना दी जाय। और उसकी बाबत डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी के अन्तर्गत एक प्रस्ताव रखा जाय और वह लिस्ट रखी जाय और उसका निर्धारण किया जाय। जो हर साल यह आंकड़े दिये जाते हैं, वह लगातार इसी तरह आंकड़े देते रहेंगे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी से जैसा कहा कि जो भी आंकड़े पेश किये गये हैं, यह मेरा दावा है कि यह सारे गलत हैं, ईमानदारी से जो लोगों को पट्टे एलाट हुए हैं, उस पर लोगों को अभी तक कब्जा नहीं मिला है, और उस भूमि के ऊपर उनको कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री राम स्वरूप निम–

मान्यवर, अन्त में एक बात कहना चाहता हूं। यह राजस्व परिषद् से सम्बन्धित है। राजस्व परिषद् में 8 हजार मुकदमें माननीय अध्यक्ष जी, कल की तारीख तक पेंडिंग थे, राजस्व परिषद् के सदस्यों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मेम्बर के लिये सरकार से मांग की है। तो, मैं चाहूंगा कि यह ऐसी मांग है, जिससे उन लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जा सकेगा, वह मुकदमें तय हो सकेंगे और उससे फायदा होगा । माननीय मंत्री जी इसके ऊपर विचार कर, किसी भी सदस्य को वहां नियुक्त कराने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस विभाग के अन्तर्गत इस प्रदेश में, जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार और दुराचार व्याप्त है, उसको समाप्त करें। धन्यवाद।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने राजस्व विभाग के बारे में अपने अच्छे सुझाव दिये हैं और वह ऐसे सुझाव हैं, जो विचारणीय हैं, जिन पर विचार होना चाहिए। इसके लिये मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का, चाहे इधर के बैठने वाले हों, या उधर के बैठने वाले हों,

सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, एक बात की मुझे बड़ी तकलीफ हुई, जब माननीय राम स्वरूप निम जी ने अपना कौटती का प्रस्ताव पेश करते वक्त एक बात कही। अब मैं नहीं जानता कि उनकी अवस्था इस वक्त क्या है, उनकी उम्र क्या है, वह स्वराज्य से पहले की बात जानते हैं कि नहीं, स्वराज्य जब मुल्क में हुआ था, तो उस समय की स्थिति उनके सामने थी कि नहीं, उसका उनको ज्ञान है कि नहीं? उन्होंने कहा कि स्वराज्य के बाद भू की बाबत और इत्यादि-इत्यादि बातें कही गयीं और जो मेरे हिस्से पड़ी। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि उस जमाने में बाहर से अन्न मंगाकर के लोगों का भरण-पोषण होता था।

एक सदस्य–

आज भी हो रहा है।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

करोड़ों रुपया यहां का दूसरे मुल्कों को जाता था। अब तो जिस भूमि की बात आप कर रहे हैं, वह भूमि इतना पैदा करती है कि वह आपकी आवश्यकता की भी पूर्ति करती है और हम दूसरों की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। इतना ही मुझे इसमें कहना है।

मान्यवर, बाकी बातें जो सुझाव के रूप में आयी वह बहुत ही उपयोगी हैं। हरिजनों को भूमि दिलाने की बात है, या जो आवंटित भूमि है, पट्टे बन गये हैं, और उन पट्टों के मुताबिक उनको कब्जा नहीं मिला है, उन कब्जों को दिलाने की बात है, सख्ती से दिलाने की बात है, उसको हम देख रहे हैं और जरूर हम आपकी आकाक्षाओं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे कि उन लोगों को कब्जा मिल जाय। मान्यवर, भूमि प्रबन्धक समिति का सवाल आया है, तो यह समिति बनी हुई है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे सारे प्रदेश में चकबन्दी हुई है, क्या पर्वतीय अंचल में भी चकबन्दी करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

आपका सुझाव है कि गैर सरकारी सदस्य जैसे ब्लाक प्रमुख जैसे सार्वजनिक कर्मचारियों को भी इसमें रहना चाहिए, तो भूमि प्रबन्धक समिति एक महत्वपूर्ण समिति है, यह विचार करने योग्य है। यह जो राजस्व विभाग है, नियम और कानूनों से बंधा हुआ विभाग है। मैं तुरन्त कोई बात कह दूं और नियमों में वह बात न आ सके तो कठिनाई हो जायगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह प्रश्न विचारणीय है और इस पर विचार किया जायगा।

रि-आरगेनाइजेशन की बात यहां पर उठायी गयी है कि जिलों का पुनर्गठन हो, मण्डलों का पुनर्गठन हो। बहुत पहले यह हुआ होगा, मेरी याद में तो है नहीं कि कब मण्डलों का गठन हुआ और कब जिलों का गठन हुआ। जो व्यवस्था थी, वही व्यवस्था चल रही है। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके लिये पहले धन की आवश्यकता है क्योंकि रि-आरगेनाइजेशन वैसे ही

नहीं होता है, अगर धन उपलब्ध हुआ तो इन प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन उसकी सम्भावना बहुत कम देखता हूं ।

(व्यवधान)

एक प्रश्न यह उठाया गया कि ग्रामीण समाज की जो भूमि है, उसका रजिस्टर ग्राम सभापति को नहीं मिला है। मैं इसे देखूंगा और वह रजिस्टर उसको दिलाया जायगा, वह रोका नहीं जा सकता।

(श्री कुबेर भण्डारी के खड़े होने पर (व्यवधान) कब्जों के बारे में बात की गयी है । गलत कब्जों को हटाने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी–

क्या प्रयास करेंगे, बता दें?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रयास यह होगा कि पुलिस के द्वारा इन अनधिकृत कब्जों को हटाया जाय और भूमिहीन हरिजनों को कब्जा दिया जाय। इसके लिये सरकार प्रयास कर रही है और कुछ ऐसे लोगों को कब्जा दिलाया भी गया है। इसके लिये अगर आवश्यकता होगी तो कानून भी बनाया जा सकता है और कानून बनाकर इन लोगों को उस भूमि का मालिक बनाया जा सकता है।

(श्री कुबेर भण्डारी के खड़े होने पर व्यवधान).

इसके अलावा एक समस्या यह है कि जो रास्ते बने हुए हैं, उन पर हरिजनों को नहीं चलने दिया जाता, इसके लिये भी कार्यवाही की जायगी कि जो भी चक रोड्स बनी हुई हैं, उन पर हरिजन भी दूसरे लोगों के समान जा

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी–

जो अवैधानिक कब्जे के मुकदमे बहुत दिनों से चल रहे हैं, उसके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ऐसे मुकदमों के लिये हम कोशिश करेंगे कि जितने मुकदमे पैंडिंग हैं, चाहे राजस्व परिषद् में हो या नीचे की अदालतों में हों, उनका निपटारा जल्द से जल्द हो। इसके लिये मुझे ऐसा लगता है कि स्टाफ और अधिकारियों की कमी है, लेकिन जो भी कमी है, जैसे ए0 डी0 एम0, परगनाधिकारी की बात कही गयी है, यह बात जरूर सामने आयी है कि लोग जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं। काम दूसरे के ऊपर डालते हैं, वह जल्दी से जल्दी अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, ऐसी शिकायतों को देख लिया जायेगा यह मैं आपसे कहता हूं।

अभी चकबन्दी अधिकारियों के बारे में कहा गया, मैं इस सम्बन्ध में बहुत जल्दी एक मीटिंग बुलाकर उनसे सारी बातों की जानकारी हासिल करूंगा और उसमें माननीय सदस्यों को भी रखूंगा ताकि उनके अमूल्य सुझावों को हम सुन सकें और चकबन्दी की व्यवस्था ठीक ढंग से कर सकें ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जो बातें गोवर्धन तिवारी जी ने कही हैं कि 94 हजार खातेदारों को उनका अधिकार नहीं मिला है। इस प्रश्न को हम देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। मैं कहता हूं कि उन लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अभी आप कितना समय और लेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

बस अब समाप्त ही कर रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि शिकायतें यहां तक हुई हैं कि लेखपाल ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं और तहसीलदार और परगनाधिकारी के एजेन्ट के रूप में ये लोग रहते हैं, मैं इसे देखूंगा और जो इस संबंध में उचित कार्यवाही होगी उसे करूंगा। मैंने सारी बातें नोट कर ली हैं, सभी काम होंगे जिससे कि इसमें सुधार हो सके। एक बात और है कि आप लोगों ने किसी बात का विरोध नहीं किया है, केवल सुझाव के रूप में ही अपनी बातों को रखा है, मैं आप लोगों से आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं ताकि जो इस विभाग में कमियां हैं उनको दूर करने में हम कामयाब हो सकें।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या आप, जिनके पास जमीन है उसे उन्हीं के नाम पर करेंगे, इस पर आप कोई विचार करेंगे? इसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जो उल्लेख किया गया है, हम इसको देखेंगे और रियासत साहब ने जो बात कही है उस पर भी हम गौर करेंगे। मान्यवर, तहसीलों के पुनर्गठन के बारे में जो अपेक्षा की गयी है इसके लिए एक कमेटी बनाई गयी थी । वह कमेटी राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनाई गयी थी, उस कमेटी ने जो प्रस्ताव किया है, जिन जिलों के संबंध में संस्तुति की है, उतने तो अभी नहीं किन्तु फिलहाल 5 तहसीलों को इस वित्तीय वर्ष में हम खोलेंगे। जैसा कि मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था, वह इस बार खोलेंगे और भारत सरकार के वित्त आयोग की रिपोर्ट पर और गहराई पर बाकी अन्य तहसीलों को खोलने पर विचार किया जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को पुनः धन्यवाद देता हूं और राम स्वरूप निम जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें क्योंकि इसमें मेरा और आपका समान रूप से अधिकार है, एक ही भावना है कि गरीबों को भूमि मिले और आवासीय स्थल मिलें। यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिये आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम स्वरूप निम जी, क्या आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

श्री राम स्वरूप निम–

मान्यवर, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेता अगर माननीय मंत्री जी भूमि के बारे में और आवासीय स्थल के बारे में अपनी अनुमति दे देते। मान्यवर, मेरा विश्वास है कि जमींदारी उन्मूलन होने के बाद, सीमित जोत होने के बाद सैकड़ों बीघे के चक आज भी मौजूद हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको बोलने की आज्ञा नहीं दी है।

श्री राम स्वरूप निम–

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः जोर देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,03,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41–राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41–राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,17,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,80,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67–सहायता और पुनर्वासन विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67–सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से श्री रियासत हुसैन और श्री अकबर हुसैन की सूचना जो ग्राम उदयपुर, थाना घाटमपुर, कानपुर देहात के श्री पुत्तीलाल की हत्या में पुलिस के सहयोग के बारे में है। इसको मैंने स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है।

हाजी बदलू पुत्र श्री शब्बीर हसन, निवासी डींगरपुर (मुरादाबाद) की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार संदर्भित घटना दिनांक 4 फरवरी, 84 को नहीं अपितु दिनांक 4-3-84 को घटित हुई थी। घटना के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 28-2-84 को श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री सी0 एस0 जैन, निवासी 106 शिवपुरी, रामपुर रोड, जनपद मुरादाबाद ने थाना कटघर पर इस आशय की सूचना अंकित कराई कि दिनांक 27/28-2-84 की रात्रि में उनके शिवपुरी स्थित कारखाने से पीतल के प्लांट रकब लगाकर चोरी कर लिये गये हैं। इस सूचना पर थाना कटघर पर अपराध अन्तर्गत धारा 457/380 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उप निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश त्यागी को सौंपी गई। दिनांक 4-3-84 की शाम 4 बजे विवेचक श्री त्यागी ने इस अभियोग का एक अभियुक्त बाबू पुत्र छुट्टू, निवासी डींगरपुर, थाना मैनाठेर को मय प्लांटरों के गिरफ्तार किया। इस अभियुक्त ने अपराध स्वीकार करते हुए 7 अभियुक्तों के नाम और बताये जिसमें बदलू पुत्र शब्बीर का भी नाम था। तत्पश्चात् उसी दिन लगभग 6-30 बजे सायंकाल बदलू पकड़ा गया, जिसने अपराध स्वीकार करते हुए अपनी साइकिल की दूकान के अन्दर से चोरी किये गये प्लांटर निकाल कर दिये। इसके बाद 3 अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये सभी अभियुक्तों को थाना कटघर पर रात्रि 8-45 बजे लाया गया। रात्रि 9-30 बजे बदलू अभियुक्त ने सीने में दर्द व घबराहट की शिकायत की तो उसे तुरन्त सरकारी जीप पर सदर अस्पताल लाया गया जहां पर डाक्टर ने उसे देख कर मृत घोषित कर दिया। मृतक बदलू का पंचायतनामा व शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

दिनांक 5-3-84 को मृतक बदलू के भाई श्री जाहिद हुसैन ने थाना कटघर पर इस आशय की सूचना अंकित कराई कि उसके भाई बदलू की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर थाना कटघर पर अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा0 द0 वि0 थाना कटघर की पुलिस के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इस सम्बन्ध में उप निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश त्यागी को निलम्बित किया जा चुका है। अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है।

इस घटना के सम्बन्ध में जनता के किसी वर्ग में कोई भय, तनाव आदि व्याप्त नहीं है।]

श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मृतक बदलू का घर थाने से केवल 13 किलोमीटर की दूरी पर पक्की सड़क पर है। जब साढ़े 9 बजे उसको मृतक घोषित कर दिया गया तो क्या उसके

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पोस्ट मार्टम से पहले सम्बन्धित थाने द्वारा 15 मिनट में इसकी सूचना उसके घर वालों को दी जा सकती थी । क्या उसके परिवार वालों को इसकी सूचना दे दी गयी थी?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, जब थाने में जाते समय उसके सीने में दर्द हुआ, घुटन महसूस हुई तो उसे जीप में बिठाकर डाक्टर के पास ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया और उसकी सूचना उसके घरवालों को दे दी गई।

श्री अकबर हुसैन–

पोस्टमार्टम किस समय कराया गया? उस अस्पताल में 2 बजे के बाद ही पोस्ट-मार्टम की प्रक्रिया शुरू होती है। इस-लिये यह बतायें कि पोस्टमार्टम किस समय कराया गया?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, अस्पताल में श्री टीकाराम जोशी ने 4/5 मार्च, 1984 को पोस्ट-मार्टम किया ।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, क्या यह सही है कि इस मृतक का पोस्टमार्टम उसके मरने के दो घन्टे के अन्दर करा लिया गया और इसकी कोई सूचना उसके घर वालों को न पोस्टमार्टम के पहले और न बाद में दी गई और केवल लाश उसके घर पहुंचाई गई और तब घर वालों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

चूंकि यह एक गम्भीर मामला था और उसकी मृत्यु थाने में हुई। इसलिये पोस्ट मार्टम कराया गया और उसके परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई ।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि इसकी डेथ पुलिस कस्टडी में हुई है और मुकदमा भी कायम हो गया, एस0 आई0 को भी मुअत्तल कर दिया गया, इसकी इन्क्वायरी सी0 आई0 डी0 के जरिये से कराने की कृपा करेंगे? जैसा-कि एस0 एस0 पी0 मुरादाबाद ने कहा है? दूसरी बात यह है कि जब मुकदमा कायम हो गया तो क्या मंत्री जी इस मृतक के घर वालों को 10 हजार रुपया कंपेन्सेशन देने की कृपा करेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

अगर एस0 एस0 पी0 ने कहा है, उसको देखा जायेगा। लेकिन फिलहाल मैजिस्टीरियल जांच हो रही है और कुंवर विक्रम सिंह, सिटी मैजिस्ट्रेट इसकी जांच कर रहे हैं। आर्थिक सहा-यता उसके परिवार वालों को दी जायेगी।

संसद द्वारा सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1953) में अधिनियम संख्या 31 सन् 1982 द्वारा किये गये संशोधनों को इस राज्य में लागू किए जाने के सम्बन्ध में संकल्प

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं–

"चूंकि संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस विधान सभा द्वारा 14 मार्च, 1952 को पारित संकल्प द्वारा कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क का राज्य में विनियमन, अब संसद द्वारा पारित सम्पदा शुल्क अधि-नियम, 1953 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1953) द्वारा किया जाता है;

और चूंकि उक्त अधिनियम में नीचे दिये गये विषयों को विनियमन, के लिये

जहां तक उनका संबंध कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क से है, संसद द्वारा संशोधन किये गये हैं जो कतिपय राज्यों में पहली मार्च, 1981 से लागू हो गये हैं:

(1) सम्पदा शुल्क की छूट की सीमा को पचास हजार रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये करने का और 1,50,001 रुपये से 2,00,000 रुपये तक की सम्पदा के रेंज के प्रथम स्लैब के लिए दस प्रतिशत की दर से सम्पदा शुल्क की व्यवस्था का उपबन्ध किया गया है।

(5 बजकर 20 मिनट)

(2) किसी सहकारी आवास समिति के ऐसे सदस्य को, जिसे समिति की गृह निर्माण योजना के अधीन कोई भवन या उसका भाग आवंटित किया जाय या पट्टे पर दिया जाय, उस भवन या उसके भाग का स्वामी समझा जायेगा,

(3) किसी मृतक के एक आवासीय गृह या उसके भाग का मूल्यांकन उसी आधार पर किया जायेगा जैसा कि धन कर अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 27 सन् 1957) के अधीन किया जाता है;

और चूंकि इस सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि राज्य में उपरोक्त विषयों का विनियमन जहां तक उनका सम्बन्ध कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क से है, विधि द्वारा संसद द्वारा किया जाना चाहिये;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसरण में यह सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि पहली मार्च, 1981 से उपर्युक्त विषयों की व्यवस्था करने के लिए संसद द्वारा सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (अधिनियम, संख्या 34 सन् 1953) में अधिनियम संख्या 31 सन् 1982 द्वारा किये गये संशोधनों को इस राज्य में लागू किया जाय।''

मान्यवर, मैं इस संबंध में दो बातें कहना चाहता हूं कि यह जो एजेंडा छपा है इसमें दो अशुद्धियां थीं। एक तो पहले में सम्पदा शुल्क की छूट की सीमा को ''पचास'' रुपये के स्थान पर 50 हजार होना चाहिए। दूसरा आखिरी पैरा में दूसरी पंक्ति में ''1981 के'' स्थान पर ''1981 से'' होना चाहिए। मान्यवर, यह इसलिए करना पड़ रहा है कि सम्पदा की कीमतें बढ़ गयी हैं, इससे कृषि सम्पदा जो है उसमें राहत मिलेगी। यह अन्य राज्यों में व्यवस्था हो गयी है और हम भी इसे करना चाहते हैं ताकि हमारे राज्य में भी इसकी व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प–

''चूंकि संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस विधान सभा द्वारा 14 मार्च, 1952 को पारित संकल्प द्वारा कृषि भूमि के संबंध में सम्पदा शुल्क का राज्य में विनियमन, अब संसद द्वारा पारित सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1953) द्वारा किया जाता है,

और चूंकि उक्त अधिनियम में, नीचे दिये गये विषयों के विनियमन के लिए, जहां तक उनका सम्बन्ध कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क से है, संसद द्वारा संशोधन किये गये हैं जो कतिपय राज्यों में पहली मार्च, 1981 से लागू हो गये हैं:

(1) सम्पदा शुल्क की छूट की सीमा

को पचास हजार रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये करने का और 1,50,001 रुपये से 2,00,000 तक की सम्पदा के रेन्ज के प्रथम स्लैब के लिए दस प्रतिशत की दर से सम्पदा शुल्क की व्यवस्था का उपबन्ध किया गया है,

(2) किसी सहकारी आवास समिति के ऐसे सदस्य को, जिसे समिति की गृह निर्माण योजना के अधीन कोई भवन या उसका भाग आवंटित किया जाय या पट्टे पर दिया जाय, उस भवन या उसके भाग का स्वामी समझा जायेगा,

(3) किसी मृतक के एक आवासीय गृह या उसके भाग का मूल्यांकन उसी आधार पर किया जायेगा जैसा कि धन कर अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 27 सन् 1957) के अधीन किया जाता है,

और चूंकि इस सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि राज्य में उपरोक्त विषयों का विनियमन जहां तक उनका सम्बन्ध कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क से है, विधि द्वारा संसद द्वारा किया जाना चाहिये;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसरण में यह सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि पहली मार्च, 1981 से उपर्युक्त विषयों की व्यवस्था करने के लिए संसद द्वारा सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (अधिनियम, संख्या 34 सन् 1953) में अधिनियम संख्या 31 सन् 1982 द्वारा किये गये संशोधनों को इस राज्य में लागू किया जाय।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन विधेयक, 1984 के पुरःस्थापन के समय मंत्रि-परिषद् के सदस्यों में मतभेद के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठे रहें कोई नहीं जायेंगे। एक महत्वपूर्ण घोषणा मुझे करनी है।

दिनांक 22-3-1984 को उत्तर प्रदेश राज भाषा संशोधन विधेयक 1984 के पुरःस्थापन के समय, मंत्रिपरिषद् के कतिपय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे, और उसे लेकर आज शून्य प्रहर में श्री रियासत हुसैन, श्री ख्वाजा हलीम, श्री हुकुम सिंह तथा श्री किरनपाल सिंह ने औचित्य के प्रश्नों की सूचना दी थी। कतिपय माननीय सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 163, 164 तथा 167 के हवाले से यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि शासन की ओर से प्रस्तुत विधेयक का विरोध मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य द्वारा किया गया है। अतः ''संयुक्त उत्तरदायित्व'' के सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ है। यह भी विचार व्यक्त किया गया है कि इस मामले में मंत्रि-परिषद् की गोपनीयता भंग हुई और माननीय मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए।

दूसरी ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि इस मामले में संवैधानिक मुद्दे शामिल थे, अतः माननीय आबकारी मंत्री ने शैक्षणिक स्तर पर चर्चा में भाग लेकर अपना व्यक्तिगत मत जाहिर किया था, और उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मतदान होगा तो वे विधेयक के पक्ष में मत देंगे। यह विचार भी व्यक्त किया गया कि संविधान के किसी प्राविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है और औचित्य का प्रश्न नहीं उठना चाहिए।

मैंने संविधान के प्राविधानों तथा

प्रक्रिया नियमावली का अवलोकन कर लिया है। नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न तभी उठाने की अनुज्ञा दी जा सकती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :–

(क) औचित्य प्रश्न प्रक्रिया नियमावली अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेद के निर्वचन अथवा प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा, जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है।

(ख) उसमें ऐसा प्रश्न ही उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। यह निर्विवाद है कि भारतीय संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा लेजिसलेचर के सह-अस्तित्व की परिकल्पना की गयी है। संविधान के भाग 6 में राज्यों के सम्बन्ध में उल्लेख है । इस भाग के अध्याय–2 में कार्यपालिका, अध्याय–3 में विधान मण्डल तथा अध्याय–5 में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 163 लगायत 167, जिसका सन्दर्भ माननीय सदस्यों ने दिया है, अध्याय–2 के अन्तर्गत आता है। जो विधान मंडल से संबंधित न होकर कार्यपालिका से संबंधित है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के संकलन (1969-78) के पृष्ठ 103 पर यह निर्णय दिया जा चुका है कि मंत्रि परिषद् की गोपनीयता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, पृष्ठ 103 पर यह भी निर्णय दिया गया है कि मंत्रि-परिषद् के दो सदस्यों के बीच का मतभेद औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

उपरोक्त पुस्तक के पृष्ठ 104 पर यह निर्णीत किया गया है कि औचित्य का प्रश्न सदन के समक्ष कार्य विन्यास से संबंधित होना चाहिये। जब दिनांक 22-3-84 को विधेयक का पुर:स्थापन किया जा चुका है और सदन की अनुज्ञा भी मिल चुकी है तो आज इस औचित्य के प्रश्न का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता।

औचित्य के सभी प्रश्नों को मैं, जो माननीय सदस्यों ने प्रात:काल शून्य प्रहर के समय इस आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था, अस्वीकार करता हूं।

सेन्ट्रल हाल के उद्घाटन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

26 मार्च को 4.30 बजे (अपराह्न) तक सदन चलेगा। उस दिन सेन्ट्रल हाल का उद्घाटन होगा, होली मिलन होगा और आप लोगों के लिये चाय का प्रबन्ध होगा। आप लोगों के पास कार्ड आदि पहुंच रहे होंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपने साथियों से यह बात कहेंगे और अधिक से अधिक माननीय सदस्य आयेंगे क्योंकि यह प्रदेश में एक नई चीज पैदा होने जा रही है। आपका हमें सहयोग चाहिए और उद्घाटन के समय 4.30 बजे सेन्ट्रल हाल में सभी लोग सम्मिलित होंगे।

अब हम उठते हैं और 26 मार्च, 1984 सोमवार को 11 बजे (पूर्वाह्न) बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 25 मिनट पर सोमवार, 26 मार्च, 1984 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ : 23 मार्च, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

परिशिष्ट

उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ के वाणिज्य अधिकारी के पद की अर्हतायें।

पूर्व में विज्ञापित अर्हतायें	संशोधित अर्हतायें
अनिवार्य	अनिवार्य
विज्ञान, वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातक।	विज्ञान, वाणिज्य, कला (अर्थशास्त्र के साथ) 45 प्रतिशत अंक प्राप्त स्नातक अथवा विज्ञान वाणिज्य, अथवा अर्थशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा, एम0 बी0 ए0 अथवा सी0 ए0 (इन्टरमीडिएट) या आई0 सी0 डब्लू0 ए0 (इन्टरमीडिएट)।
	इसके अतिरिक्त तृतीय श्रेणी में वे स्नातक जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एल0 एल0 बी0 या एम0 एस0 डब्लू0 या एम0 बी0 ए0 की उपाधि हो।
वरीयान	वरीयान
विज्ञान, वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या एल0 एल0 बी0 या एम0 बी0 ए0 या सी0 ए0 (इन्टरमीडिएट) या आई0 सी0 डब्लू0 ए0 अथवा उसके समकक्ष योग्यता।	एल0 एल0 बी0, एम0 एस0 डब्लू0 या डी0 पी0 ओ0
	अनुभव
	राज्य सरकार के अन्तर्गत/प्राइवेट सेक्टर अन्डरटेकिंग में किसी सुपरवाइजरी पद पर मार्केटिंग के कार्य का अनुभव।

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

अनुसूची

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम
1	2	1	2
अमानीगंज	टान्डा		जगन्नाथपुर
	राम पुरगाँहनियां		चाँधरीपुर
	चन्दौरा		अमरहर
	गाँहनियां		डीली सरैया
	जगदीशपुर		अकमा
	कन्दईकला		इटौंजा
	आरा		नागीपुर
	कोटडीह		टोली असकरन
	विनायकपुर		बरौली
	भीखी का पुरवा		दवेरा
	खेली		गन्डौली
	सखनपुर		कंजी
	कोटिया		खन्डासा
	डूड़ी		महुआ
	मोहम्मदपुर		किठांवा
	शिवदासपुर		दवेगांव
	बोड़पुर		टिकरी
	सतनापुर		पूराबली
	नवगवां		जिगनाही
	तालढोली		बकपुना
	सरौली	मिलकीपुर	सेवरा
	तुलापुर		गुरौली फत्तेसिंह
	नरसड़ा		दसौली
	मिश्रौली		गुजरामऊ
	पन्डोकिया		बलीपुरखजुरी
	रसूलपुर तिलहा		मवईखुर्द
	दवेगांव		बसावा मु0 ईटगांव
	मानूडीह		मवई कला
	बकगुना		कहुआ
	बहबरगऊ		कुचेरा
	तिन्दौली		भदोखरा

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम
1	2	1	2
	पलिया म0 कुचेरा	हरिंग्टन गंज .	
	बसांवा		देवकलीमाफी
	करम डांडा		जमुआ
	अस्थाना		परुवा
	अहिरौली सलोनी		चन्दीपुर
	बेवरिया		जगहा
	टकसरा		परबरपारा
	डोंगियारा	जलालपुर मग्गू	
	डोली गिरधर		मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर
	अगरवा		ढेमाशिव लक्ष्मराय
	खानपुर		गयासुद्दीनपुर
	बरियानिशारू		सिधौरा
	मेहदौना		मतोथू खुर्द
	गोकुला		रेवनी
	उधुई		गनेशपुर
	तेन्धा		मरुईगनेशपुर
	पारा धनुथुआ		देवगिर
	परसवा		पलिया प्रतापशाह
	तुलापुर		केशवपुर चिलबिला
	चिरौली		मोहगवा
	मिल्कीपुर		हरदोइया
	कुइधना खुर्द		सागरपट्टीपछिला
	भितौरा		चमेला
	मसेढ़ा		सेन्धूतारा
	पूरबगांव		नियामतपुर
	इसौलीभारी		सहसेपुर
	रिधौना		डीहपुरे वीरबल
	डफलपुर		कदनपुर
	जोरिजम		रमापुर
	नेवली		माऊपुर
	बिसाही		जोहन
	गोरवा		पारातालपुर
	महुलारा		लखनपुर फ़ण्ट
	कुरावन		जासरपुर
	उछाहपाली		

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

विकास खण्ड का नाम	मदवार वितरित धनराशि का विवरण					
	लाभान्वित कुल व्यक्तियों की संख्या	अहेतुक सहायता धनराशि	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	गृ 0नि0 अनुदान धनराशि	लाभान्वित व्यक्तियों की की संख्या	तकावी धनर शि
		रु0		रु0		रु0
1—मथुरा	1,655	1,05,377.00	489	97,400.00	56	20,000.00
2—गोवर्धन	290	14,951.00	332	76,200.00	..	..
3—करह	634	27,355.00	176	34,200.00	..	..
4—चौमुहा	768	40,500.00	528	1,37,300.00	21	5,250.00
5—छाता	1,446	73,350.00	411	95,200.00	173	91,350.00
6—नंदगाँव	1,322	66,100.00	204	47,600.00	128	63,400.00
7—राया	3 076	1,65,925.00	610	1,41,500.00	93	60,200.00
8—माँट	1,413	60,050.00	182	45,900.00	42	19,200.00
9—नौहझोल	1,206	51,972.00	295	62,400.00	146	30,600.00
10—बल्देव	1,715	86,010.00	143	3,14,00 00	175	49,400.00
11—सादाबाद	833	48,280.00	82	16,200.00	61	18,200.00
12—सहमऊ	424	22,150.00	191	39,000.00	126	3,92,950.00
योग	14,832	7,62,020.00	3,643	8,24,300.00	1,021	3,92,950.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 158 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर)

जून, 1978 से दिसम्बर, 1983 के बीच उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ में हुई नियुक्तियों के विवरण

पदनाम	पदों की संख्या	तदर्थ अथवा चयन द्वारा	विभागीय या बाह्य व्यक्ति	चयनित व्यक्ति की योग्यताएं	पद हेतु निर्धारित योग्यताएं
1	2	3	4	5	6
1—प्रचार अधिकारी	1	तदर्थ	विभागीय	बी0 ए0 व्यापारिक कला में 5 वर्ष का डिप्लोमा इलस्ट्रेशन ड्राइंग में पोस्ट डिप्लोमा ।	निर्धारित नहीं ।
2—टंकक	5	चयन द्वारा	वाह्य दो	इन्टरमीडिएट,एक,बी0ए0एक, बी0काम0तथा एकएम0ए0।	इन्टरमीडिएट तथा हिन्दी अंग्रेजी में टंकण गति क्रमशः 25 व 30 शब्द प्रति मिनट
3—लिपिक	5	चयन द्वारा	वाह्य	चार0बी0ए0तथा एक एम0ए0 बी0 एड0 ।	तदैव
4—लिपिक सह-टंकक	4	चयन द्वारा	वाह्य	तीन बी0 ए0, तथा एक इंटर-मीडिएट।	इन्टरमीडिएटकण तथा हिन्दी व अंग्रेजी में टकण गति क्रमशः 30 व 40 शब्द प्रति मिनट।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 160 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

वितरित खाद्यान्न का विवरण

खाद्यान्न का नाम		तहसील फतेहपुर	तह0 रामसनेहीघाट	योग
1—पूड़ी के पैकेट		5,400	1,123	6,523
2—चना भुना	कुन्तल में	34	—	34
3—कच्चा चना	,,	33	—	33
4—लाई	,,	7.80	5	12.80
5—गेहूं	,,	4,388.79	2,182.42	6,571.21
6—चावल	,,	103.80	106.86	210.66
7—नमक	,,	322.52	64.82	387.34
8—माचिस दर्जन में		2208.8	998	3206.8
9—मिट्टी का तेल लीटर में		34,212	12,143	46,355
10—नकद		—	5,900	5,900

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 87 विधान सभा (125)—1984—813।